

A/c

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, LUCKNOW BENCH
LUCKNOW

O.A. No. 151/1988

Subhash Singh & 21 others

Applicants

versus

Director Census Operations &
others

Respondents.

Shri L.P. Shukla

Shri J.P. Srivastava

----Counsel for Applicants.

Dr. Dinesh Chandra

-----Counsel for Respondents.

Hon. Mr. Justice U.C. Srivastava, V.C.

Hon. Mr. K. Obayya, Adm. Member.

(Hon. Mr. Justice U.C. Srivastava, V.C.)

The theme of this application is seniority between the employees of Census Department and the applicant claiming seniority over the private respondents and have challenged the seniority list so prepared in which they have been shown junior to the respondents and that is why they have challenged the letter dated 11.8.88 rejecting the representation regarding seniority, with the prayer that the respondents may be directed to amend the final seniority list (Annexure No. A-73) by placing the seniority of their date of joining the working post/dates of appointment and batch position. Thus, the claim in this application hovers over the point whether the date of joining should be the

W

criteria for determining the seniority or selection so made on various dates. According to the applicant, there being no specific rule, the seniority should have been according to the joining the post. The staff posted earlier cannot be made junior to those appointed on later ^{date} and the staff who have not been made quasi permanent, which is done after completion of 3 years of continuous satisfactory service, cannot be made senior to those who had acquired such status.

2. The facts, in brief, before us are that the applicants who were appointed as Operators in the scale of Rs 330-560 in the Department of Census Operations, U.P., Govt. of India had been working in the said department under the respondents on fixed pay. Some of them were working as Coders/Tabulators on fixed pay of Rs 330/- per month, some of them as Checkers on fixed pay of Rs 380/- and some as Supervisors on fixed pay of Rs 430/-, per month though prior to it their fixed pay was less by Rs 50/-. The checkers and supervisors had already worked on the post of Coders and Tabulators before being posted as Checkers and Supervisors on fixed pay. On 10.2.82 a notification was issued by the Department inviting the applications for the post of Operators in the grade of Rs 330-560 from the serving staff who were between 18 to 28 years of age possessing Degree from a recognized University with two years experience in Coding and Punching and had six months service at fixed pay in the Census Department on 31.1.82. All the applicants

thus, had experience in punching and coding, applied for the same and appeared in the examination and the result was not declared, at one particular stage, as a matter of fact, the offers were given in order of priority in nine batches i. on 4.4.1983, 11.4.83, 16.4.83, 20.4.83, 28.4.83, 3.6.83, 16.6.83, 20.7.83 and 16.9.83 and they were asked to join the duties upto 11.4.1983 and thus, those batches joined on their different duties in the month of April, 1983 as and when offers were given to them. Thereafter the joining took place, in the month of May, June or July and the last batch joined in the month of September, 1983. In the aforesaid selection, many other staff, who were not possessing the necessary qualification of 'punching' were also allowed to appear and they were tested in 'Typewriting' only. After 3 years of continuous service these applicants, from various dates, were made Quasi permanent on the post of Operator from the date of their completing three years. A seniority list was published and the representations against the list were invited, to which objections were filed. Two representations were filed. According to the applicant the seniority list was drawn on pick and choose basis and those who were appointed earlier, were placed below those who were subsequently appointed and many of the names who had been tested in the typewriting test only, were placed above and a note was given that the said vacant places would be filled up by eligible candidates after decision regarding the issue about dereservation. and a number of staff who had acquired the status of temporary employee,

in the tentative seniority list and even those who were never included in the subsequent batches, were shown in the earlier list and joined earlier. While the representations were pending, Union of India, vide letter dated 15.3.88 regularised the services of 17 staff belonging to batch Nos. 6, 7 and 8 w/e.f. 10.1.86, out of which 6 persons belonged to the batch No. 6, nine persons to batch No. 7 and one to batch no. 8 and one Smt. Nalini Sinha who had come on transfer though they were junior to the applicants.

3. The respondents have pointed out that on 18.5.82 and from 7.6.82 to 11.6.82 only typewriting test was conducted and simultaneously the candidates were tested in Punching also. Typewriting was necessary qualification and punching was not necessary qualification and those who qualified for typewriting, were considered as per executive instructions. After punching and typewriting test a panel was made and offer of appointment was made according to the requirement and seniority list made according to the performance in punching and typewriting test. Regarding 17 appointments it was stated that the appointments were made from the panel of selected candidates after these vacancies were got dereserved. Thus, 17 employees were regularised when ~~vacancies~~ vacancies were cleared as a result of de-reservation of reserved vacancies. The learned counsel for the respondents contended that the date of joining should

not have been the criteria for the seniority but the date of continuous officiation.

4. The learned counsel for the applicant made reference to certain cases. A reference was made to the case of Rohan Lal and others vs. International Airport Authority of India and others (1981) SCC (L&S) 303. In the said case it was held that seniority of officers holding two different posts to be determined separately. The nature of duties were different, though officers of one post were also attending to duties of other post. After abolition of one of the posts, retrenched officer selected afresh. It was in these circumstances held that they cannot claim seniority from the date of initial appointment. The facts of said case were entirely different, posts were different and a fresh appointment was made and there was no continuity nor could it have been deemed by legal fiction in view of retrenchment. A reference was also made to the case of G.P. Doval and others vs. Chief Secretary, Govt. of U.P. and others (1984) 4 SCC 329. In that case the applicants were appointed as Temporary Khandsari Inspectors after selection in the departmental competitive test and interview which was made subject to final selection by the P.S.C. at a later date. The court observed that where officiating appointment is followed by confirmation, unless a contrary rule is shown the service rendered as officiating appointment cannot be ignored for reckoning length of continuous officiation which is more objective and fair for determining the place in the seniority list. The fixation of seniority on the basis of date of approval/selection by P.S.C. resulting in ~~supersession~~ supersession of earlier appointees by their juniors held in the circulation violative of Articles 14 and 16 of the Constitution of India. The case referred to above is not of much assistance in this case. The case of G.P. Doval (Supra) which was criticised in another ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

11

case, which came up for consideration in the case of D.N. Agrawal and another vs. State of Madhya Pradesh and others (AIR 1990 Supreme Court 1311). In the said case the other bench of the Supreme Court observed (which was also decided by two members of Supreme Court, and was decided on the basis of Bakeshwar Dass vs. State of U.P. (AIR 1981 SC 41) and the court was dealing with altogether different cases and there was no distinction between the temporary and permanent appointments. In D.N. Agrawal (Supra) it was held that appointments to the post of Assistant Engineer was made by the direct recruitment as well as by promotion and for administrative exigency. The Junior Engineers who had not ^{qualifying} ~~required~~ service were promoted to the post of Asstt. Engineer purely on adhoc basis and the court held that the adhoc period of service cannot be counted in the cadre of Assistant Engineer.

5. A reference was made to the case of Dasoola Rama Rao and another vs. State of Andhra Pradesh and others (AIR 1988 Supreme Court 857). In the said case the dispute was between the direct recruits and promotees. It was held that that determination of seniority from the date of first appointment or service are proper criteria and temporary services regularised retrospectively. It was held that they were senior to the direct recruits. This case has got little applicability to the facts of of the instant case and the case was decided on the basis of Andhra Pradesh State and Subordinate Service Rules,

(1962) which reads as under:

"If a person, having been appointed temporarily, under sub rule(a) or sub-r (c) of R 10 to a post borne on the cadre of any service, class or category otherwise than in accordance with the rules governing appointment thereto is subsequently appointed to any service,, class or category in accordance with the rules, he shall commence his probation from the date of such subsequent appointment or from such earlier date as the appointing authority may determine."

In view of the averments made in the counter affidavit which could not be controverted, the respondents too having passed the examination in Punching and not only in Typewriting, it cannot be said that they were not eligible for appointments for the said post. The only dispute which requires consideration is as to whether merit or ~~xxxx~~ the date of joining which should be the criteria.

In the case of Ganga Ram vs. Union of India. (AIR 1970 Supreme Court, page 2178). The Constitution Bench came up for consideration with reference to the procedure for determining seniority of Grade I. Accounts Clerks as contained in Indian Railways Establishment Manual, by which seniority of direct recruits to Grade I is determined on the basis of their appointment whereas seniority of promotees from Grade II is determined with reference to their substantive or basic seniority in Grade II irrespective of the date they qualify for promotion for the purpose does not violate Articles

14 and 16. It was laid down that no right to immediate promotion is conferred on those Grade II clerks who pass the qualifying examination and the only benefit which accrues to them is that they become eligible for being considered for promotion. The qualifying examination is considered to be a continuous examination and success at the examination does not constitute the basis for seniority which continues to be dependant on the substantive or basic seniority in Grade II. The direct recruits and the promotees from Grade II clearly constitutes different classes and this classification is sustaniable on intelligible differentia which has a reasonable connection with the object of efficiency sought to be guided by the consideration of seniority-cum-merit. Hence, no fault, can be found with the provisions which place in one group all those grade II clerks who have qualified by passing the qualifying examination. It does not constitute any hostile discrimination and is neither arbitrary nor unreasonable."

6. The respondents 3 to 6 in their written statement have opposed the claim of the applicants and have pointed out that the notification on which the applicants have relied upon the order/remark purporting to have been made by the Director on 18/2 in the margin of Annexure-1 has been forged by the applicants for dishonest purpose of misleading the Tribunal to challenge the legality of selection of the persons on the basis of typing proficiency, as no such remark exists on the circular dated 10.3.82 and the applicants have forged the remarks and they are liable to prosecuted for purgery

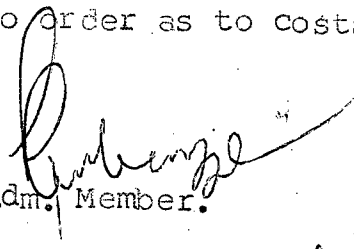
and misleading the Tribunal and they are to be put to strict proof of this portion of Annexure A-1. On the margin there appears to be ^{note in} ~~no~~ typing with Punching as necessary qualification although in the body it is not there, for that a challenge has been made by the respondents. It has been pointed out that they have been confirmed on the post of Operator on 16.11.90 with effect 1.9.90 and the names have been arranged in the order of merit in the list of confirmation. It has been pointed out that they knew punching also but they commanded better efficiency in typing. The test in both these trades was conducted on different dates. Merely because the applicant's appointment was issued earlier they were not higher up in merit and it will not make them senior to those who were higher up in the merit list and were also working in the department and were better and the appointments of the applicants were not made on reasonable basis and as a matter of fact on the basis of pick and choose.

7. The notification regarding the test which was issued in pursuance of which the selection took place, did not mention punching as qualification and it was only the preferential qualification as Coding and Punching with two years experience. It is not known as to why a corrigendum was not issued. In the absence of notification no proof subsequently and adverse can be taken into account.

Even if the same was put in by the Director subsequently, after the decision of issue of notification in particular terms, the authority of the Director who changed it, could not do or appears to be no justification if it was done, have great doubts over the same and as such Punching was a preferential qualification and the respondents have passed in the typing test and also working in typing and punching and it cannot be said that they have not fulfilled all the criteria.

8. The respondents have also, thus, passed the examination and as a matter of fact the panel should have been declared and appointment should have been made in accordance with merit but without any justification, the appointments have been made batch wise, some from the middle and some from the top and those who were high in the merit and not those who were given appointment, will date back and they cannot be made to lose their service. The appointment process was a continuous process and even those who were at the bottom got appointment, earlier and the same will not make them senior over those as per merit. Accordingly, it is not the date of joining but merit which will be the criteria for seniority. The principle of continuous officiation will not apply in this case. If the principle of continuous officiation is to be seen the officiation of respondents cannot be ignored and further the continuous officiation is that based on any criteria and is unexplainable, that period

will not confer any right. Accordingly the seniority which has been prepared by the respondents, is not arbitrary. Accordingly we do not find any merit in this application and the application is dismissed with no order as to costs.


Adm. Member.


Vice Chairman.

Lucknow: Dated: 23/8/1992

Shakeel/

Filed on 6.10.00

A1

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

Circuit

ADDITIONAL BENCH,

23-A, Thornhill Road, Allahabad-211001

Lullu

Registration No. 151 of 1988 (C)

APPLICANT (s) Subhash Singh

RESPONDENT(s) Director Census Operations & another

Particulars to be examined	Endorsement as to result of Examination
1. Is the appeal competent ?	yes.
2. (a) Is the application in the prescribed form ?	yes
(b) Is the application in paper book form ?	yes
(c) Have six complete sets of the application been filed ?	No (two sets only)
3. (a) Is the appeal in time ?	yes.
(b) If not, by how many days it is beyond time ?	
(c) Has sufficient case for not making the application in time, been filed ?	
4. Has the document of authorisation/Vakalat-nama been filed ?	yes
5. Is the application accompanied by B. D./Postal-Order for Rs. 50/-	yes (I.P.O. No. DD 020607) Rs 50/- dt. 30.9.00
6. Has the certified copy/copies of the order (s) against which the application is made been filed ?	yes
7. (a) Have the copies of the documents/relied upon by the applicant and mentioned in the application, been filed ?	yes
(b) Have the documents referred to in (a) above duly attested by a Gazetted Officer and numbered accordingly ?	yes (By counsel)

C.A.T, Circuit Bench, Lucknow.

O.A. No. 151 of 08 (C)

Subhash Singh — vs — Director Census operations & analytics.

ORDER SHEET

①

7.10.00

V.C / A.M (A.M)

Applicant by Sri L.P. Shukla.
Admit, to the respondents to file their reply.
Emergent notices on the
main & interim prayer.
Call on 25.10.00 to
consider the interim prayer.

Sd/-
A.M.

Sd/-
V.C

frish

10.10.00

OR

Notices issued to the respondents.
No. 1 & 2 through Regl. Post. Fixing
25.10.00 to consider the interim prayer.

frish
10/10/00

②

25/10/00

Hon. Dr. S. Misra, Am.

Sri L.P. Shukla for the applicant.
Dr. Dinesh Chandra files his
Vakalatnama on behalf of
respondents. Put up this case
tomorrow as prayed by the
learned counsel for respondents.

frish

Am.

Am.

Central Administrative Tribunal
Lucknow Bench Lucknow

O.A. 151/08

Subhash Singh ^{210th} Applicant

Director ¹²³⁴⁵ Census operations CON. Report

S.No	Description	Page No.

Part A

(1)	Check list	A1 - A2 ✓
(2)	Cases shut	A3 - A9 ✓
(3)	Judgment 123/6/92	A10 - A20 ✓
(4)	Petition with Petitioner	A21 - A22 ✓
(5)	Power	A227 - A228 ✓
(6)	C.A.	A229 - A235 ✓
(7)	R.A.	A237 - A245 ✓
(8)	R.A. 3 to 6	A246 - A253 ✓
(9)	M.P. 29/90	A253 - A266 ✓
(10)	M.P. 70/91	A267 - 268 ✓
(11)	C.A. Affidavit	A269 - A290 ✓
(12)	objection implement	A291 - A298 ✓
(13)	Application for implement	A299 - A306 ✓
(14)	Affidavit	A307 - A308 ✓
(15)	Power	A309 ✓

1 - Notices for copy verification A310 to A314

checked and found correct

By
S.O. (5)

Date 12/12/08

O.A. No. 151/88 (L)

Subash Singh
- vs -
Union of India

(2) Am

(7) 20/2/89.

No sitting, Adjourned to 8.3.89.

Am
20/2

(8) 8.3.89 D.R.

counsel for the applicant present.
The case is adjourned to 23/3/89
for hearing. ~~and~~ R.A. filed today.

Learn
D.R.

(9) 23/3/89

Hon. Justice K. Nath, V.C.
Hon. Mr. A. 20th, A.M.

On the request of both the
counsel, the case is adjourned
to 4-4-89 for hearing.

2

A.M.

Am
V.C.

(10) 4/4/89.

Hon. Justice K. Nath, V.C.
Hon. D.S. Misra, Am.

On the request of the learned
counsel for the parties, list
the case for hearing on

19-4-89.

bl
Am.

Am
V.C.

Am

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
CIRCUIT BENCH, LUCKNOW

ORDER SHEET

REGISTRATION No. 151 of 1988(L)

APPELLANT
APPLICANT

VERSUS

DEFENDANT
RESPONDENT

Serial number of order and date	Brief Order, Mentioning Reference if necessary	How complied with and date of compliance
5/9/89	Hon. Justice K. Nath, V.C. Hon. K. J. Raman, Am. On the ground of illness of the learned counsel for the opposite parties the case be listed for hearing on 13-9-89. Am. V.C.	क. न. लुनवाई 3 नप क्षिप्त हो 27-9-89
15/9	Hon. Justice K. Nath, V.C. Hon. Mr. K. J. Raman Am. On the request of both the parties counsel the case is adjourned to 27.11.89. Am. V.C.	
16/11	No Sitting Adj. to 16-1-90 Both the parties are present.	C.M. 28/90 (9) filed today 14/1/90

27/11

11/3/90

Hon Justice K. M. Mathy, VC,
Hon. K. T. Roman, AM.

Sm. L.P. Shukla for the applicant
requests for and is allowed
one week's time to file objections
to the application for implementation
by outsiders. List for orders
on 14/3/90.

OK
A.M.

VC

VC

Objection to
order

OK

LC for the app
has filed objections on
implementation.

S. R. O.

14.3.1990

Hon. Mr. D.K. Agrawal, J.M.,
Hon. MR. K. Obayya, A.M.

The applicant or his counsel

is not present. Shri. J.P. Sridharaya,

is present for the third party, who
wants to be implemented as respondents.

Shri. D. Chandra, appears for respondent
No.-1, that is Director, Census Operation.

It would be appropriate, if Shri. D. Chandra
represent ^{the} Deputy Director Census Operation,
that is respondent No.-2, also. Civil Misc.
Application No. 29/90, filed by the res-
pondent No.-1 is allowed. The documents are
taken on record. List it for disposal, of
(implement of 3rd party) on 11.7.1990.

A.M.

J.M.

sd.

No sitting. Adj. to 30/2/90

Submitted for
order on 14.3.90
for implement as per
Court's order dt. 14.3.90

(23)

OA 151/88

(5)

(A7)

3.9.90

No. Sitting. Adjourn to 20.9.90

(26)

28-9-90

Hon. Mr. Justice K. Nathan J
Hon. Mr. K. obayya, AM

Shri L. P. Shukla for applicant.
None for respondents.

By acknowledgement
has been filed

In compliance of the
impleadment order dated
13-8-90 copies of the petition
were delivered to newly added
respondents on 24.8.90.
They have not filed any
counts. In the circumstances,
the case will proceed ex parte
against newly added
respondents and the case be
listed for final hearing
on 23-10-90.

OR
4c for the
applicant has not
incorporated amendment.
Acknowledgement
has been filed by the
applicant.

S. F. H.

L
20/9

Impleadment amendment
shall be incorporated by the
applicant within 24 hours.

(27)

AM

AM

No.

23.10.90

No sitting Adj to 19.11.90

OR

4c for the applicant
has not incorporated
amendment.
S. F. H.

Hon. Mr. Justice K. Nathan J
Hon. Mr. M. M. Sings AM.

OR

The 4c for the newly
added replies has not
filed any reply.

S. F. H.

L
17/11/90

On the request of both
counsel case is adjourned
to 4.1.91

M. M. Sings
AM.

VC

L
14/11/90

91

No sitting Adj

to 11.2.91
~~11.3.91~~

(33)

12/8/91

(6)

15/1/88

Hon. Mr. Justice K. Math, VC.
Hon. Mr. K. Obayya, Am.

None appears for the applicant.
Shri R. P. Shukla appears on behalf
of respondents 3 to 6. List this case
for hearing on 16-9-91.

Am.

VC.

Let's on Shri R. P. Shukla
appeared for the applicant and
requested that the case may
be taken up on 14/8/91 as the
matter is urgent. He undertakes
to inform the learned counsel
for the respondents. The case
may accordingly be taken
up on 14/8/91 for hearing.

Am.

VC.

(34)

1.8.91

case not reached till 16.8.91

Boe

DA

02157/002

6.3.92

Due to strike of Advocates Cont
b'adform to 23.4.92

Boe

23.4.92

No sitting of D.B. adp
11.8.8

2

on
case is ready
for hearing
5.11.92
15/5

11.5.92

No sitting adp to 19.5.92

2

19.5.92

Transl. Mr. Justice b.c. Surinder K
Transl. Mr. K. Chagga, Am

Put up tomorrow

Am

✓

2

Filed today
Inst
6/10

In the Central Administrative Tribunal, Allahabad,
Circuit Bench, Lucknow.

(A21)

Subhash Singh & 21 others .. Applicants.

Versus

Director Census Operations,
U.P. and another. .. Respondents.

FORM-I
(See rule 4).

APPLICATION UNDER SECTION 19 OF THE
ADMINISTRATIVE TRIBUNALS ACT, 1985

For use in Tribunal's Office.

Date of filing

or

Date of receipt
by post.

Registration No.

Noted dated
7-10-89

[Signature]

In the Central Administrative Tribunal, Allahabad,
Circuit Bench, Lucknow.

O. A. No. 151 of 1988 (4)

922

Subhash Singh & 21 Others .. Applicants.

Versus

Director, Census Operations, .. Respondents.
U.P. and another.

I N D E X.

Sl. No.	Particulars.	Page no.
1.	Application:	1 to 24
2.	<u>Annexure no. A-1.</u> Notification No. AE/DCO-UP/DDE-A-768 dated 10.2.1982.	25
3.	<u>Annexure no. A-2.</u> Photo stat copy of offer of appoint- ment dt. 4.4.1983 for applicant no. 1.	26
4.	<u>Annexure no. A-3.</u> -do- for applicant no. 2.	27
5.	<u>Annexure no. A-4.</u> -do- for applicant no. 3.	28
6.	<u>Annexure no. A-5.</u> -do- for applicant no. 4.	29
7.	<u>Annexure no. A-6.</u> -do- for applicant no. 5.	30
8.	<u>Annexure no. A-7.</u> -do- for applicant no. 9.	31
9.	<u>Annexure no. A-8.</u> -do- for applicant no. 12.	32

continued .. 2.

102

Index continued:

Sl. no.	Particulars:	Page no.
10.	<u>ANNEXURE NO. A-9</u> Photo Stat copy of offer of appointment dated 11.4.1983 for applicant no. 6	33
11.	<u>ANNEXURE NO. A-10</u> -do- for applicant no. 7	34
12.	<u>ANNEXURE NO. A-11</u> -do- for applicant no. 8	35
13.	<u>ANNEXURE NO. A-12</u> -do- for applicant no. 10	36
14.	<u>ANNEXURE NO. A-13</u> -do- Photo stat copy of offer of appointment dated 16.4.1983 for applicant no. 11	37
15.	<u>ANNEXURE NO. A-14</u> -do- for applicant no. 13	38
16.	<u>ANNEXURE NO. A-15</u> -do- for applicant no. 14	39
17.	<u>ANNEXURE NO. A-16</u> -do- for applicant no. 15	40
18.	<u>ANNEXURE NO. A-17</u> -do- for applicant no. 16	41
19.	<u>ANNEXURE NO. A-18</u> -do- for applicant no. 17	42
20.	<u>ANNEXURE NO. A-19</u> Photo stat copy of offer of appointment dated 20.4.1983 for applicant no. 18	43
21.	<u>ANNEXURE NO. A-20</u> -do- for applicant no. 19	44
22.	<u>ANNEXURE NO. A-21</u> -do- for applicant no. 20	45
23.	<u>ANNEXURE NO. A-22</u> -do- for applicant no. 21	46
24.	<u>ANNEXURE NO. A-23</u> -do- for applicant no. 22	47

continued.

Attested/True Copy


L. P. SHUKLA
Advocate

Index continued:

Sl. no.	Particulars.	Page no.
.....		
Photo stat copy of: —		
25.	<u>ANNEXURE NO. 24</u> Letter No. AE/DDE/DCO-UP/A-4920 dated 17.9.1984 issued by respondent no. 4 regularising the staff.	48 to 50
26.	<u>ANNEXURE NO. 25</u> Letter dated 27.11.1986 declaring applicant no. 1 as quasi permanent.	51
27.	<u>ANNEXURE NO. 26</u> -do- applicant no. 2 -do-	52
28.	<u>ANNEXURE NO. 27</u> -do- applicant no. 5 -do-	53
29.	<u>ANNEXURE NO. 28</u> -do- applicant no. 6 -do-	54
30.	<u>ANNEXURE NO. 29</u> -do- applicant no. 7 -do-	55
31.	<u>ANNEXURE NO. 30</u> -do- applicant no. 8 -do-	56
32.	<u>ANNEXURE NO. 31</u> -do- applicant no. 9 -do-	57
33.	<u>ANNEXURE NO. 32</u> -do- applicant no. 10 -do-	58
34.	<u>ANNEXURE NO. 33</u> -do- applicant no. 16 -do-	59
35.	<u>ANNEXURE NO. 34</u> Photo stat copy of letter dated 1.12.86 declaring applicant no. 11 as quasi permanent.	60
36.	<u>ANNEXURE NO. 35</u> -do- applicant no. 13 -do-	61
37.	<u>ANNEXURE NO. 36</u> -do- applicant no. 14 -do-	62
38.	<u>ANNEXURE NO. 37</u> -do- applicant no. 15 -do-	63
39.	<u>ANNEXURE NO. 38</u> Photo stat copy of letter dated 8.12.86 declaring the applicant no. 12 as quasi permanent.	64

225

Index continued:

40. ANNEXURE NO. 39 65
Photo stat copy of letter dt. 19.12.86
declaring applicant no. 19 as quasi permanent.
41. ANNEXURE NO. 40 66
-do- applicant no. 21 -do-
42. ANNEXURE NO. 41 67
Photo stat copy of letter dt. 22.12.86
declaring applicant no. 17 as quasi permanent.
43. ANNEXURE NO. 42 68
-do- applicant no. 20 -do-
44. ANNEXURE NO. 43 69
Photo stat copy of letter dated 28.5.87
declaring applicant no. 18 as quasi permanent.
45. ANNEXURE NO. 44 70
Photo stat copy of letter dated 2.6.87
declaring applicant no. 4 as quasi permanent.
46. ANNEXURE NO. 45 71
Photo stat copy of letter dated 8.10.87
declaring applicant no. 3 as quasi permanent.
47. ANNEXURE NO. 46 72
R -do- applicant no.22 -do-
48. ANNEXURE NO. 47 73 to 79
Photo stat copy of tentative seniority list
dated 31.12.1987.
49. ANNEXURE NO. 48 80 to 84
Photo stat copy of representation dated
26.2.1988 of applicant no. 1 against tentative
seniority.
50. ANNEXURE NO. 49 85 to 88
Photo stat copy of representation dt.15.2.88
of applicant no. 2 against tentative seniority.
51. ANNEXURE NO. 50 89 to 91
Photo stat copy of representation dated 15.2.88
of applicant no. 3 against tentative seniority.
52. ANNEXURE NO. 51 92 to 95
Photo stat copy of representation dt. 17.2.88
of applicant no. 4 against tentative seniority.
53. ANNEXURE NO. 52 96 to 99
Photo stat copy of representation dt. 16.2.88
of applicant no. 5 against tentative seniority.

Attested True Copy Continued:

(Signature)

L. P. SHUKLA
Advocate

Index continued:

Sl. no.	particulars	Page no.
54.	<u>ANNEXURE NO. 53</u> Photo stat copy of representation dt. 9.2.88 of applicant no. 6 against tentative seniority.	100 to 103
55.	<u>ANNEXURE NO. 54</u> Photo stat copy of representation dt. 19.2.88 of applicant no. 7 against tentative seniority.	104 to 107
56.	<u>ANNEXURE NO. 55</u> Photo stat copy of representation dt. 22.2.88 of applicant no. 8 against tentative seniority.	108 to 111
57.	<u>ANNEXURE NO. 56</u> Photo stat copy of representation dt. 11.2.88 of applicant no. 9 against tentative seniority.	112 to 115
58.	<u>ANNEXURE NO. 57</u> Photo stat copy of representation dt. 24.2.88 of applicant no. 10 against tentative seniority.	116 to 118
59.	<u>ANNEXURE NO. 58</u> Photo stat copy of representation dt. 19.2.88 of applicant no. 11 against tentative seniority.	119 to 122
60.	<u>ANNEXURE NO. 59</u> Photo stat copy of representation dt. 25.2.88 of applicant no. 12 against tentative seniority.	123 to 127
61.	<u>ANNEXURE NO. 60</u> Photo stat copy of representation dt. 12.2.88 of applicant no. 13 against tentative seniority.	128 to 130
62.	<u>ANNEXURE NO. 61</u> Photo stat copy of representation dt. 11.2.88 of applicant no. 14 against tentative seniority.	131 to 134
63.	<u>ANNEXURE NO. 62</u> Photo stat copy of representation dt. 11.2.88 of applicant no. 15 against tentative seniority.	135 to 137
64.	<u>ANNEXURE NO. 63</u> Photo stat copy of representation dt. 11.2.88 of applicant no. 16 against tentative seniority.	138 to 141
65.	<u>ANNEXURE NO. 64</u> Photo stat copy of representation dated 25.2.88 of applicant no. 17 against tentative seniority.	142 to 146
66.	<u>ANNEXURE NO. 65</u> Photo stat copy of representation dt. 22.2.88 of applicant no. 18 against tentative seniority.	147 to 151
67.	<u>ANNEXURE NO. 66</u> Photo stat copy of representation dt. 19.2.88 of applicant no. 19 against tentative seniority.	152 to 156

Continued:

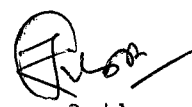
Attested True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

(Signature)

Index continued:

Sl. no.	particulars.	page no.
68.	<u>ANNEXURE NO. 67</u> Photo stat copy of representation dt. 19.2.88 of applicant no. 20 against tentative seniority.	157 to 160
69.	<u>ANNEXURE NO. 68</u> Photo stat copy of representation dt. 23.2.88 of applicant no. 21 against tentative seniority.	161 to 164
70.	<u>ANNEXURE NO. 69</u> Photo stat copy of representation dt. 15.2.88 of applicant no. 22 against tentative seniority.	165 to 167
71.	<u>ANNEXURE NO. 70</u> Photo stat copy of Notice No. AE/2-85/DCO-UP/A-985 dt. 22/28.3.88 filling the vacant places of the tentative seniority list.	168 to 169
72.	<u>ANNEXURE NO. 70</u> Photo stat copy of regularisation Letter No. AE/DCO-UP/A882 dt. 15.3.88 in respect of staff placed in the tentative seniority list against vacant places.	169 to 170
73.	<u>ANNEXURE NO. 72.</u> Photo stat copies of 22 letters bearing No. AE/2-85/DCO-UP/A-3635 dt. 11.8.88 issued by respondent no. 1 rejecting all the representations of the applicants made against the tentative seniority list.	171 to 192
74.	<u>ANNEXURE NO. 73.</u> Photo stat copy of final seniority list dt. 18.8.1988 of Operators.	193 to 199
75.	Vakalatnams.	200 to 201


 Signature of the applicant.

Attested True Copy


L. P. SHUKLA
 Advocate

A28

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, ALLAHABAD,
Circuit Bench, Lucknow.

O.A. No. 151 of 1988 (C)

APPLICATION UNDER SECTION 19 OF THE
ADMINISTRATIVE TRIBUNALS ACT, 1985.

Subhash Singh & 21 others .. Applicants.

Versus

Director, Census Operations, .. Respondents.
U.P., Lucknow & another.

.....

DETAILS OF APPLICATION:

1. Particulars of the applicants:

(i) Name of applicants:	)	1. Subhash Singh, son of Sri Daljit Singh,
(ii) Name of father	:	2. Subodh Beheri Sinha, son of Sri G.B. Sinha,
(iii) Designation and office address in which employed.	:	3. Santosh Kumar Srivastava, son of Sri P.D. Srivastava,
	)	4. Wasimul Haque, son of Sri Shujaul Haque,
	)	5. Pradeep Kumar, son of Sri Kamleshwar Misra,
	)	6. Farid-uddin, son of Late Nizam-uddin,
	)	7. Nagendra Kumar Singh, son of Sri Shyam Sanahi - Singh,
	)	8. Smt. Kanchan Jaiswal, w/o Sri Lalita Pd. Jaiswal,

Attested/True Copy 2.

L. P. SHUKLA
Advocate

A28

(2)

A29

9. Km. Meena Gupta, daughter of Sri -
Triloki Nath Gupta,
10. Pradeep Kumar Pandey, son of Sri -
Beij Nath Pandey,
11. Gopal Singh Banola, son of Sri -
Hukum Singh Banola,
12. Satya Narain, son of Sri Beni Madho,
13. Rajendra Prasad, son of Sri Bhagwan -
Prasad Srivastava,
14. Smt. Usha Srivastava, wife of Sri -
Santosh Kumar Srivastava,
15. Shivanand Pathak, son of Sri R.S.-
Pathak,
16. Km. Urmila Verma, daughter of Sri -
R.K. Verma,
17. Ramesh Lal Chaurasia, son of Sri -
Basant Lal Chaurasia,
18. Janardan Singh, son of Sri S.D. Singh,
19. B.D. Pandey, son of B.N. Pandey,
20. Naresh Kumar, son of Sri Gajodhar -
Prasad,
21. Purshottam Kumar Singh, son of
Sri Hari Narain Singh,
22. G.K. Murti, son of Sri G.S.N. Murti.

(iv) Office address : Office of the Director, Census -
Operations-U.P., 25 Newal Kishore -
Road, Lucknow.

(v) Address for ser-) Office of the Director, Census -
vice of all -) Operations-U.P., 25, Newal Kishore -
notices.) Road, Lucknow.

Attested True Copy

...3.

L. P. SHUKLA
Advocate



2. PARTICULARS OF RESPONDENTS.

(i) Name/or designation of respondents.	:	1. Director, Census Operations- Uttar Pradesh, 25, Newel Kishore Road, LUCKNOW.
(ii) Office address of respondents.	:	
(iii) Address for service of all notices.	:	2. Deputy Director, Census Operations- Uttar Pradesh, 25, Newel Kishore Road, LUCKNOW.

3-6 incorporated on the back of pg. 2 (*)

3. PARTICULARS OF ORDERS AGAINST WHICH APPLICATION IS MADE.

1. Orders No. AE/2-85/D.C.O.-U.P./A3635 dated 11.8.1988 rejecting the applicants' representations made against tentative seniority list of operators issued on 31.12.1988, and
2. final seniority list issued by the respondent no. 2 under his letter No. AE/2-85/D.C.O.-U.P./A-3723 dated 18.8.1988.

SUBJECT IN BRIEF:

For assignment of correct seniority of the applicants over and above their juniors.

4. JURISDICTION OF THE TRIBUNAL:

The applicants declare that the subject matter against which they want redressal is within the jurisdiction of this Hon'ble Tribunal.

Attested True Copy....4.

L. P. SHUKLA
Advocate

[Signature]

5. LIMITATION:

The applicants further declare that the application is within the limitation prescribed in Section 21 of the Administrative - Tribunals Act, 1985.

6. FACTS OF THE CASE:

(i). That the applicants, prior to their appointments in the year 1983 as Operators in scale Rs. 330-560 in the department of Census Operations, U.P., Government of India, Ministry of Home, had been working in the said department under the respondents on fixed pay. Some of them, despite their being highly qualified, were working as Codors/Tablators on fixed pay of Rs. 330/- per month, some as Checkers on fixed pay of Rs. 330/- per month and some as Supervisors on fixed pay of Rs. 430/- per month. It may be mentioned that initially they had been drawing fixed pay at the rate of Rs. 280/-, 330/- and 380/- per month respectively on the said posts, which were subsequently increased by Rs. 50/-.

(ii). That the staff holding the posts of Checkers and Supervisors on the fixed pay had the experience of the post of Codors/Tablators.

(iii). That in the year 1982, the respondents, by a Notification No. AE/D.C.O.-UP/DDE-768 dated 10.2.1982, invited applications for the post

Attested True Copy ...5.


L. P. SHUKLA
Advocate

of Operators grade Rs. 330-560 from the serving staff, who were between 18 to 28 years of age, possessing a degree from a recognised University with two years experience in Coding and Punching and had completed their six months service at fixed pay in the Census Department on 31.1.1982. A true photo stat copy of the said Notification dated 10.2.1983 is being filed herewith as ANNEXURE NO. A-1 to this application.

Annexure A-1.

(iv). That as per orders of the respondent No. 1 as available at the margin of the aforesaid Notification (Annexure no. A-1), the punching qualification was necessary for the post of Operators.

(v). That since the applicants were satisfying all the requisite qualifications as desired through notification (Annexure A-1), they applied for the post and many others also applied.

(vi). That thereafter, the applicants, along-with many others, were called to appear before a selection board wherein they were also examined in 'punching' which was the necessary qualification for the post notified.

(vii). That in the aforesaid selection, many other staff, who were not possessing the necessary qualification of ' punching', were also allowed to appear and they were tested in 'Type-writing only.

Attested True Copy, ...6.

L. P. SHUKLA
Advocate

932

(viii). That though the result of the afore-said selection was not declared/published or notified at any stage in the manner as is always done in selections, yet the staff, who qualified the selection, were given offers of their appointment, in order of priority, in nine batches i.e. on 4.4.1983, 11.4.1983, 16.4.1983, 20.4.1983, 28.4.1983, 3.6.1983, 16.6.1983, 20.7.1983 and 16.9.1983 and they were called upon to join their duty within the specified time.

(ix). That in the first batch declared on 4.4.1983, seventeen selected staff, including applicants nos. 1, 2, 3, 4, 5, 9 and 12, were given offer of appointments to join their duty upto 11.4.1983. The names of such staff as well as the dates of their joining the working post are indicated below :-

1. Sri Chunni Lal ..	Joined on 4.4.1983
2. Sri Pancham Ram ..	-do-
3. Sri R.K. Nigam ..	-do-
4. Sri Shiv Charan ..	-do-
5. Km. Sarita Jain ..	-do-
6. Sri Subhash Singh (applicant no.1)	joined on 7.4.83
7. Sri Subodh Behari (applicant no.2) Sinha.	-do-
8. Sri Santosh Kumar (applicant no.3) Srivastava.	joined on 8.4.83
9. Sri Wasimul Haque (applicant no.4)	-do-
10. Sri Pradeep Kumar (applicant no.5)	-do-
11. Sri Dalip Singh ^{Nigam}	-do-
12. Km. Meena Gupta (applicant no.9)	joined on 13.4.83
13. Km. Madhu Lata Singh ..	-do-
14. Sri Satya Narain (applicant no.12)	joined on 18.4.83

Attested/True Copy ..7.


L. P. SHUKLA
Advocate

P34

15. Sri Sunil Kumar Jain .. did not join.
 16. Sri Kamal Prakash .. -do-
 17. Sri Awadhesh Kumar Sexena .. -do-

Annexure Nos.
A-2 to A-8

True photo stat copies of offer of appointments dated 4.4.1983 in respect of applicants nos. 1,2, 3, 4,5, 9 and 12 are being filed herewith as ANNEXURES NOS. A-2 to A-8 respectively to this application.

(x). That in the second batch declared on 11.4.1983, twelve selected staff, including applicants nos. 6, 7, 8 and 10, were given offers of appointment to join their duty upto 18.4.1983. The names of such staff as well as the dates of their joining the working post are indicated below :-

1. Sri Farid-uddin (applicant no.6) joined on 12.4.83
2. Sri Harsh Mani Sayal .. -do-
3. Km. Girja Yadva ... -do-
4. Sri Nagendra Kumar-(applicant no.7)joined on 13.4.83 Singh.
5. Smt. Kanchan Jaiswal(-do- no.8) -do-
6. Sri Pradeep Kumar - (-do- no.10)joined on 14.4.83 Pandey.
7. Sri A.K.S. Bhaduriya .. joined on 16.4.83
8. Sri A.K. Chaturvedi .. joined on 18.4.83
9. Sri Dinesh Kumar Sexena ... -do-
10. Sri Mata Prasad. .. -do-
11. Sri Om Prakash Singh .. did not join.
12. Sri Rajesh Chandra .. since resigned.

Annexure nos.
A-9 to A-12

True photo stat copies of offer of appointments dated 11.4.1983 in respect of applicants nos. 6, 7, 8 and 10 are being filed herewith as ANNEXURE NOS. A-9 to A-12 to this application.

Attested True Copy ...8.

L. P. SPUPLA
 Advocate

(13)

(xi). That in the third batch declared on 16.4.83, sixteen selected staff, including applicants nos. 11, 13, 14, 15, 16 and 17, were given offer of appointments to join their duty upto 24.4.1983. The names of such staff and the dates of their joining the working post are given below :-

1. Sri G. S. Banola (applicant no. 11)joined on 16.4.83
2. Sri Parsu Ram -do-
3. Sri Rajendra Prasad (applicant no. 13)joined on 18.4.83
4. Sri Ramesh Kumar Sexena .. joined on on 18.4.83
5. Sri Ghaffar Ali -do-
6. Sri Sunil Dutt. Sharma .. -do-
7. Km. Usha Srivastava (applicant no. 14)joined on 19.4.83
8. Sri Shivanand Pathak (applicant no. 15) -do-
9. Km. Urmila Verma (applicant no. 16) -do-
10. Smt. Mala Bhattacharya .. -do-
11. Km. Archana Vidyarthi .. -do-
12. Sri Suresh Chandra Misra .. -do-
13. Sri Ramesh Lal Chau- (applicant no. 17)joined on 21.4.83
rasia.
14. Sri Ratan Prakash .. joined on 22.4.83
15. Smt. Vijay Laxmi Rajput .. joined on 23.4.83
16. Sri Akhlesh Chandra .. joined on 23.4.83

True photo stat copies of offer of appointments in respect of applicants nos. 11, 13, 14, 15, 16 and 17 are being filed herewith respectively to this application. as ANNEXURE NOS. A-13 to A-18.

Annexures nos.
A-13 to A-18.

xii). That in the 4th. batch declared on 20.4.83, eighteen selected staff, including applicants nos. 18,

Attested True Copy

...9.

L. P. SHUKLA
Advocate

[Signature]

19, 20, 21 and 22, were given offer of appointments to join their duty upto 30.4.1983. The names of such staff and the dates of their joining the working post are indicated below :-

1. Sri Janardan Singh
(applicant no. 18) joined on 26.4.83
2. Sri Bansidhar Pandey
(applicant no. 19) -do-
3. Sri Naresh Kumar
(applicant no. 20) -do-
4. Sri Purshottam Kumar Singh
(applicant no. 21) -do-
5. Sri G.K. Murti.
(applicant no. 22) -do-on 27.4.83
6. Km. Kiran Bala joined on 26.4.83
7. Sri P.K. Bajpai -do-
8. Km. Chhama Verma -do-
9. Sri Rudra Prakash Verma -do-
10. Sri Mohd. Anis Siddiqui -do-
11. Smt. Sushila Devi Shukla -do-
12. Sri Ram Prakash Sexena -do-
13. Km. Sobha Rani Shukla joined on 27.4.83
14. Sri Gangotri Prasad -do-
15. Sri Ravindra Prakash Sexena -do-
16. Sri Kamlesh Prakash Singh did not join.
17. Syed Jamal Haider since resigned.
18. Sri Dinesh Kumar Sharma since transferred to other zone.

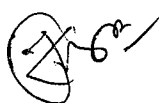
True photo stat copies of offer of appointments in respect of applicants nos. 18, 19, 20, 21, and 22 are being filed herewith respectively as ANNEXURES NOS. A-19 to A-23 to this application.

Annexures nos.
A-19 to A-23.

Attested/True Copy

...10.

L. P. SHUKLA
Advocate



xiii). That from the facts mentioned under paras (ix) to (xii) above, it will be seen that all the applicants were appointed prior to joining of staff of Vth. to IXth. batches. Thus they had acquired a legal status.

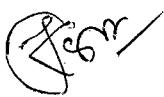
xiv). That in the Vth. batch declared on 28.4.83, 18 selected staff were given offer of their appointments to join their duty upto 30.5.1983. The names of such staff and the dates of their joining the working post are indicated below :-

1. Sri Harish Chandra Pd.	..	joined on 16.5.83
2. Smt. Chitra Sexena	..	-do-
3. Km. Sushma Ojha.	..	-do-
4. Sri Dilip Kumar Gupta	..	-do-
5. Sri Mohd. Idriis	..	-do-
6. Km. Archana Gupta	..	-do-
7. Smt. Savita Devi	..	-do-
8. Sri Ramesh Chand Pandey	..	-do-
9. Sri Mahendra Pratap Singh	..	-do-
10. Km. Naez Kazalbash	..	-do-
11. Km. Moni Chakravartya	..	-do-
12. Km. Sandhya Kanchan	..	joined on 18.5.83
13. Sri Mohd. Shahid	...	-do-
14. Sri Mahendra Dutt	..	joined on 3.6.1983
15. Sri Man Mohan	..	since resigned.
16. Km. Gurprit Kaur Balia	..	since transferred
17. Sri Suresh Kumar Awasthi	..	did not join.
18. Sri Jai Prakash Pandey	..	did not join.

Attested/True Copy

...11.

L. P. SINGLA
Advocate



xv). That in the Vith. batch declared on 3.6.1983, ten selected staff were given offer of their appointments and they joined the working post on the dates noted against each below :-

1. Sri Ganesh Chandra Kandpal .. joined on 3.6.83
2. Sri Govind Singh Bhist. .. joined on 4.6.83
3. Sri Diwakar Misra .. -do-
4. Sri Suresh Narain Misra .. joined on 7.6.83
5. Sri Suryabhan Mauriya .. joined on 9.6.83
6. Sri Babu Ram .. joined on 10.6.83
7. Sri Anoop Tiwari .. since resigned.
8. Sri Anant Pd. Pandey .. did not join.
9. ~~Km.~~ Manjeet Khanna. .. -do-
10. Km. Sumen Srivastava .. joined on 25.6.83

xvi). That in the VIith. batch declared on 16.6.1983, 13 selected staff were given offers of their appointment and they joined the working post on the dates noted against each below :-

1. Sri Sunil Singh Fartiyal .. joined on 17.6.83
2. Km. Sujata Banerjee .. -do-
3. Sri Indra Shekhar .. -do-
4. Sri Uttam Kumar Raha .. joined on 18.6.83
5. Sri Om Prakash Srivastava.. -do-
6. Sri Heera Lal Shalwani .. joined on 20.6.83
7. Sri Shiv Narain .. joined on 26.6.83
8. Sri Munish Kumar ... joined on 28.6.83
9. Sri Ashok Kumar Sexena .. joined on 4.7.83
10. Sri Ravi Kudrsiya .. did not join.
11. Km. Anju Madhuri. .. -do-
12. Km. Poornima Rai .. since transferred.
13. Sri Subhash Chandre .. since resigned.

xvii). That in the VIIIth. batch declared on 2.7.1983, 10 selected staff were given offers of their appointment and they joined the working post on the dates noted against each below :-

1. Km. Suman Lata Awasthi .. joined on 4.7.83
2. Sri Dilip Kumar .. joined on 5.7.83
3. Sri Babu Ram .. -do-
4. Sri Amar Nazain .. joined on 7.7.83
5. Sri Ram Khelawan .. joined on 8.7.83
6. Sri Mahabir Prasad. .. -do-
7. Sri Sohan Lal .. joined on 20.7.83
8. Sri Mani Ram Rawat. .. -do-
9. Smt. Bhagwan Devi. .. since transferred.
10. Sri Dildar Hussain .. did not join(under litigation).

xviii). That in the IXth. batch declared on 16.9.1983, five selected staff were given offer of their appointment and they joined the working post on the dates noted against each below :-

1. Sri Hukum Singh. .. joined on 17.9.83
2. Sri Shyam Kumar .. joined on 19.9.83
3. Sri Mehendra Prasad .. -do-
4. Km. Rano Sonkar .. joined on 20.9.83
5. Sri Krishan Azad .. joined on 21.9.83

xix). That thereafter, the respondent no. 1, by his Order No. AE/D.D.E./DCO-UP/A-4520 dated 17.9.84, regularised the appointments of the applicants and many others from the date of their joining the working post. A true photo stat copy of the said order dated 17.9.84

Attested/True Copy..13.

L. P. SANKH
Advocate

DND

Annexure A-24.

is being filed herewith as ANNEXURE NO. A-24 to this application.

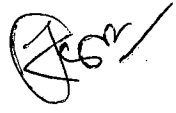
xx). That thereafter, on completion of three years continuous satisfactory service under the respondents, the applicants nos. 1,2, 5 to 10 and 16, by letters dated 27.11.1986, applicants nos. 11, 13 to 15, by letters dated 1.12.1986, applicant no. 12, by letter dated 8.12.1986, applicants nos. 19 and 21, by letter dated 19.12.1986, applicants nos. 17 and 20, by letter dated 22.12.1986, applicant no. 18, by letter dated 28.5.1987, applicant no. 4, by letter dated 2.6.1987 and applicants nos. 3 and 22, by letter dated 8.10.1987 issued by the respondent no. 1 were made quasi permanent on the post of Operator from the dates when they completed three years continuous service. True photo stat copies of the aforesaid letters dated 27.11.1986, 1.12.86, 8.12.86, 19.12.86, 22.12.86, 28.5.87, 2.6.1987 and 8.10.1987 (22 in number) are being filed herewith as ANNEXURE NOS. A-25 to A-46 to this application.

Annexure Nos.
A-25 to A-46

xxi). That on 31.12.1987, the respondent no. 2, under his letter No. AE/2-85/DCO-UP/A-4937 dated 31.12.1987, issued a tentative seniority list of ~~of~~ the Grade of Operators in the office of the respondent no. 1 showing the seniority position of the staff as available on 1.10.1987 and the staff were called upon to make representation, if any, thereon within two months from the date of issue. A true photo stat copy of the said tentative seniority list dated 31.12.1987 is being filed herewith as ANNEXURE NO. A-47 to this application.

Annexure A-47.

Attested/True Copy ... 14.



L. P. SHUKLA.
Advocate

xxii). That a perusal of the aforesaid seniority list (Annexure A-47) revealed that :-

- (a) the same was drawn on the policy of 'Pick and Choose' wherein a number of staff including the applicants appointed earlier were given seniority below the staff appointed later without any consideration of their dates of appointment, joining the working post, regularisation and the dates of their having been made quasi permanent on the post;
- (b) a group of staff belonging to the category of Typist, who were not examined in 'punching', which was the necessary qualification for the post of Operator in the selection, was placed above the names of the applicants (from serial no. 14 to 41) in the said tentative seniority list without the least consideration of their dates of appointment, joining and the dates of their being made quasi permanent;
- (c) seventeen places i.e. serial nos. 42 to 46, 48 to 50, 54 to 57, 59, 61, 62 and 106 were shown vacant in the aforesaid tentative seniority list and against which remarks were given that the same

Attested True Copy

...15.

L. P. SHUKLA
Advocate

[Handwritten signature]

Ann

would be filled up by eligible candidates on the basis of merit. It may also be mentioned that at the end of the said list a note was further given that the said vacant places would be filled up by eligible candidates after decision regarding the issue about de-reservation. Thus it was quite clear that the said vacant places were reserved for scheduled caste candidates;

- (d) a number of staff, who had ^{not} acquired legal status on the post prior to applicants and many others, were made senior in the said tentative seniority list. In this way, most of the staff, who were given offer of appointment and called to join their duty after IVth. batch i.e. much after the appointments of the applicants and many others, were made senior;
- (e) in an arbitrary manner, the names of the applicants, in the aforesaid tentative seniority list, despite the fact ~~that~~ that they all were appointed in Ist. to 4th. batches, were shown below some of the staff appointed in subsequent batches. The seniority position of the applicants as assigned in the said tentative seniority list is indicated below :-

Attested/True Copy


L. P. SHUKLA
Advocate

Applicant no. 1 at Sl. no. 60
-do- 2 at Sl. no. 53
-do- 3 at Sl. no. 58
-do- 4 at Sl. no. 65
-do- 5 at sl. no. 52
-do- 6 at sl. no. 68
-do- 7 at sl. no. 66
-do- 8 at sl. no. 67
-do- 9 at sl. no. 63
-do- 10 at sl. no. 69
-do- 11 at sl. no. 74
-do- 12 at sl. no. 64
-do- 13 at sl. no. 75
-do- 14 at sl. no. 79
-do- 15 at sl. no. 80
-do- 16 at sl. no. 70
-do- 17 at sl. no. 71
-do- 18 at sl. no. 89
-do- 19 at sl. no. 84
-do- 20 at sl. no. 87
-do- 21 at sl. no. 88
-do- 22 at sl. no. 83

For example, it is submitted that the applicant no. 1 was appointed w.e.f. 7.4.1983 in Ist. batch of selected candidates, his services were regularised from the same date and he ^{was} made quasi permanent w.e.f. 7.4.1986, but his name, in the said tentative seniority list, has been shown at serial no. 60 that is below a number of staff subsequently appointed as is evident from the list itself; and

Attested True Copy

..17,


L. P. SHUKLA
Advocate

A43

- (d) no rule was followed in preparing the same.

xxiii). That since the aforesaid tentative seniority list, for reasons stated above, was illegal, discriminatory and violative of Articles 14 and 16 of the Constitution of India, the applicants, through their 22 representations, challenged the validity of the same on various grounds and, in order to make proper representations, also demanded the relevant rules which were made basis to draw the said list in the manner as it was drawn. The said 22 representations of the applicants are being filed herewith as ANNEXURE A-48 to A-69 to this application.

Annexure nos.
A-48 to A-69

xxiv). That while the aforesaid 22 representations (Annexures no. A-48 to A-69) of the applicants were pending, the respondent no. 1, by his letter No. - AE/5-81/DCO-UP/A882 dated 15.3.1988, regularised the services of 17 staff belonging to batch nos. VI^{VI} and VIII, w.e.f. 10.1.1986. It may be mentioned that 6 person were belonging to batch no. VI, 9 person to batch no. VII, one to batch no. VIII and one namely Smt. Nalini Sinha had come on transfer. A true photo stat copy of the said letter dated 15.3.1988 is being filed herewith as ANNEXURE NO. A-70 to this application.

Annexure no.
A-70.

xxv). That since the aforesaid 17 staff were the junior most, they were not regularised ^{against clear vacancies} along with the applicants and many others from the dates of their joining the working post vide Annexure No. A-24.

Attested True Copy

...18...

L. P. SHUKLA
Advocate



DUS

xxvi). That as had been done in the case of the applicants and many others vide Annexure no. A-25 to A-⁴⁶~~28~~, the aforesaid 17 staff have yet not been made quasi permanent on the post of operator as ~~have~~ they have still not completed their three years regular services to the satisfaction of the competent authority as required under the rules. Their efficiency is still to be judged by the competent authority for making them quasi permanent after 10.1.1989 when they will complete their 3 years regular services.

xxvii). That during the pendency of the aforesaid representations of the applicants, the respondent no.1, by his another letter bearing no. AE/2-85/DCO-UP/A-985 dated 22/28.3.1988, arbitrarily placed the aforesaid 17 staff junior staff in vacant places left for S.C. candidates in the tentative seniority list(Annexure A-47) ignoring the facts of their dates of appointment, regularisation, which, in no case, were earlier than the applicants. It was also ignored that they still had not been made quasi permanent. Thus the applicants were further made junior to all the 17 person except two namely Km. Suman Lata - Awasthi and Smt. Nalini Sinha. Against this arbitrary act, the applicants further made protest. A true photo stat copy of the said letter dated 22/28.3.1988 is being filed herewith as ANNEXURE NO. A-71 to this application.

xxviii). That despite requests made by the applicants, the respondents, at no stage, showed or notified the relevant rules which were made basis in assigning the seniority of the staff in the manner

Attested True Copy



L. P. BHATIA
Advocate

A44

as they had done.

xxix). That thereafter, the respondent no. 1, by a cryptic order bearing No. AE/2-85/DCO-UP/A3635 dated 11.8.1988 separately issued to all the applicants, rejected all the representations of the applicants made against the tentative seniority list (Annexure A-47). True photo stat copies of the said orders dated 11.8.88 (22 in number) are being filed herewith collectively as ANNEXURE NO. A-72 to this application.

Annexure no.
A-72

xxx). That after rejecting the representations of the applicants, the respondent no. 1, by a letter No. AE/2-85/DCO-UP/A3723 dated 18.8.1988, issued a final seniority list of operators confirming the very same position as already assigned in the Tentative - Seniority List (Annexure A-47) subsequently amended vide Annexure A-71 with a consequential change in serial number arose due to deletion of name of Syed Zameel - Haider appearing at serial number 33 in the tentative seniority list. A true photo stat copy of the final seniority list with letter dated 18/8/1988 is being filed herewith as Annexure No. A-73 to this application.

Annexure A-73.

xxxi). That the seniority of staff, in the absence of specific ^{special} rules, should have been assigned on the basis of dates of their joining the working post, which has not been done by the respondents. Therefore, the tentative seniority list merged in the final seniority list is illegal and arbitrary.

Attested/True Copy

...20.

L. P. SHUKLA
Advocate



xxxii). That the correct seniority position of all the 22 applicants in the final seniority list (Annexure no. A-73), according to dates of their joining the working post and after deleting the names of junior staff filled up in the vacant places of the tentative seniority list in terms of Annexure A-71, should be at places (serial no.) 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 52, 53, 54 and 57 respectively.

xxxiii). That the respondents, in order to make promotions of their own men out of turn, have drawn such illegal and arbitrary seniority list purposely and deliberately. Thus it is malafide.

xxxiv). That the applicants shall suffer irreparable losses if promotions are made on the basis of impugned seniority list (Annexure A-73), which is illegal and arbitrary.

7. RELIEF SOUGHT:

In view of the facts mentioned in para 6 above, the applicants pray for the following reliefs :-

- (a). That this Hon'ble Tribunal be pleased to quash the impugned orders contained in Annexures No. A-72 directing the respondents to amend the final seniority

Attested True Copy ...21.

L. P. S. S. S. S.

Advocate

List (Annexure no. A-73) by placing the seniority of the staff according to dates of their joining the working post/ dates of appointment. *& batch position*

- (b). Cost of the application may also kindly be awarded to the applicants.

g r o u n d s.

- (i) That the act of the respondents in not assigning the seniority of the staff according to dates of their joining the working post is illegal and arbitrary.
- (ii) That in the absence of specific ^{Special} rules to support the acts of the respondents, the seniority of the staff should have been assigned according to dates of their joining the working post.
- (iii). That the acts of the respondents in assigning the seniority of the staff is based on the policy of pick and choose.
- (iv). That the staff appointed earlier cannot be made junior to those appointed later.
- (v). That the staff, who have not been made quasi permanent, which is done after completion of 3 years continuous satisfactory service, cannot be made senior to those

Attested/True Copy

...22.

(Signature)

(Signature)
L. F. ...
Advocate

24/9

who had acquired such status.

- (vi) That the staff called in earlier batches to join their duty are admittedly maritorious.

8. INTERIM ORDER, IF PRAYED FOR.

PENDING DISPOSAL OF THE CASE, the respondents may be restrained from making promotion of the staff on the basis of impunged seniority list. (Annexure No. A-73) except on the basis of dates of their joining on the working post.

9. DETAILS OF THE REMEDY EXHAUSTED:

The applicants declare that they have availed of all remedies available to them under the relevant rules of service etc.

10. MATTER NOT PENDING ANY OTHER COURT etc.

Applicants further declare that the matter regarding which the application has been made is not pending before any court of law or any other authority or any other bench of the Tribunal.

11. PARTICULARS OF THE POSTAL ORDERS IN RESPECT OF THE APPLICATION FEE.

1. Number of Indian Postal order (s) 2D 020607

...23,

Attested True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

[Handwritten signature]

2. Name of issuing post office ----- G. P. O -----
3. Date of issue of Postal Order ----- 30/9/88 -----
4. Post office at which payable -----

12. DETAILS OF INDEX:

An index in duplicate containing the details of documents to be relied upon is enclosed.

13. LIST OF ENCLOSURES:

Photo stat copy of :-

- (1). Notification No. AE/DCO-UP/DDE-A-768 dated 10.2.1982.
- (2). 22 offers of appointment in respect of applicants nos. 1 to 22.
- (3). Letter No. AE/DDE/DCO-UP/A-4920 dated 17.9.1984 regularising the staff.
- (4). 22 letters declaring the applicants as quasi permanent.
- (5). Tentative Seniority List dated 31.12.1987.
- (6). 22 representations of the applicants against the tentative seniority list.
- (7). Notice no. AE/2-85/DCO-UP/A-985 dt. 22/28.3.88.
- (8). Letter No. AE/DCO-UP-81/DCO-UP/A-882 dated 15.3.1988.
- (9). 22 letters bearing no. AE/2-85/DCO-UP/A-3635 dated 11.8.88 rejecting the representations.
- 10). Final Seniority List dated 18.8.1988 with covering letter.

...24.

Attested True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

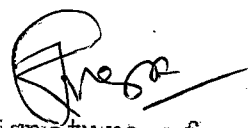
Encl

Verification:

I, Pradeep Kumar (applicant no. 5), son of Sri Kamleshwar Misra, aged about 30 years, resident of Rani Saheba Ki Baghia near - Girdhara Singh Inter College, Asharfabad, Lucknow, do hereby verify that the contents of paras 1 to 13 of this application are true to my knowledge and belief and that I have not suppressed any material fact.

I have been authorised by other applicants also to sign and verify this application.

Place: Lucknow.
Dated -10-1988.


Signature of applicant no.5

To,

The Registrar,
Central Administrative Tribunal,
Circuit Bench,
Lucknow.

Attested/True Copy


L. P. SHARMA
Advocate

भारत सरकार गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिवार, उत्तर प्रदेश
(प्रशासनिक अनुभाग)

ANNEXURE NO

A1

25 नवंबर 1982
तखाना दिनांक फरवरी 10, 1982

परिपत्र

①

इस निदेशालय के डीओईओ सिस्टम में 330-560 वेतनमान में अपरेंट के अस्थाई पदों के हेतु सिग्नल न कोट्रीय सारणीयन कार्यालयों में आंकड़ा प्रक्रिया अनुभाग एवं अन्य अनुभागों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों से जिनकी वेतनमान स्थिर वेतन पर दिनांक 31-1-1982 तक 6 माह की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है तथा वांछित योग्यताएँ एवं कर्तव्य जैसा कि नीचे वर्णित हैं रखते हैं प्रार्थना पत्र उनके प्रभारी उप निदेशक/ सहायक निदेशक के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 25-2-1982 अभ्यर्थी कार्यस्थल एवं समक्ष प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ अपने प्रार्थना पत्र इस तिथि तक संबंधित उप निदेशक/ सहायक निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। आगे अथवा क्लिप्स से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

निर्धारित योग्यता - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समक्ष।

वांछनीय -- - कोटिंग एवं पंचिंग कार्य 2 वर्ष का अनुभव।

आयु सीमा -- - 18 से 28 वर्ष

चयन प्रक्रिया परीक्षा / साक्षात्कार के आधार पर सम्पादित की जायेगी।

परीक्षा (हेण्ड पन्चेज) के परिचालन में ली ली जायेगी। नियुक्ति की अवधि

संख्या में निदेशक पहले चरण में एक वर्ष के लिये होगी, जिसके अलावा बाद में बढ़ाये जाने की संभावना

दिनांक 18-2-82 है। डीओईओ सिस्टम का कार्य कार्य की अधिकता को ध्यान में रखते हुये दो

द्वारा निम्न या तीन पालियों में कराया जा सकता है। किसी भी कर्मचारी को किसी भी

पाली में लगाया जा सकता है और किसी पाली विशेष के लिये कोई विशेष

वेतन देय नहीं होगा।

कोट्रीय सारणीयन कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को भारत सरकार

के राजसनादेश संख्या 58/2/50-डीओईओ एस0 दिनांक 5-6-50 के आधार पर

कटनीशुदा कर्मचारियों की आयु सीमा की छूट अनुमति होगी परन्तु कोटिंग अनुभाग

में कार्यरत तथा ऐसे पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को जिनकी सेवाएँ कटनी

में नहीं जा रही हों। यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

ह0 निरौती लाल गुप्ता
संयुक्त निदेशक

संख्या /30 निओसा/वाओम0 दिनांक फरवरी 19, 1982

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :- 1- अन्वेषक 2- समस्त सांख्यिकीय सहायक।
3- श्री हर्षनाथ सिंह, अध्यक्ष अस्थाई जनगणना
कर्मचारी कल्याण परिषद् वाराणसी महल।

Attested/True Copy

L. P. TRIPURA
Advocate

(दीपचन्द सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी

2

Sulhas Singh 26
Offer Letter + Representation
+ O.P. Letter

ANNEXURE NO A-2

पुत्रांक: ५६६/ ४१०सी०जी०-२०५१०/ए- १५५१

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनसंख्या परिवालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल लिस्तेर रोड,
लखनऊ : 226001
दिनांक: ४/५/१९९७

:- शेष :-

श्री/श्रीमती/शुभारी सुभाष सिंह को उनके कार्यभार
गृहण करने की तारीख से ३३-१२-९६ के वेतनभार से तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू समय पर खर्चित भत्तों
सहित फार्मेट के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति
के लिए चुन लिया गया है।

यदि उन्हें नियुक्ति का उक्त प्रस्ताव मंजूर हो तो वे अछोहस्ताक्षरी
को तत्काल अपनी स्वकीयता प्रस्तुत करें तथा दिनांक १४-५-९७ तक
उक्त पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त पद पर उनका कार्यभार
गृहण तभी मान्य होगा जब वे निम्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।

१. क शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यताओं से प्रमाण-पत्र यदि कोई हो।
२. ख आयु प्रमाण-पत्र।
३. मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त आरोग्य प्रमाण-पत्र।
४. संलग्न विहित फार्म पर सचिविकता प्रमाण-पत्र।
५. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में संलग्न विहित फार्म पर प्रमाण-पत्र।
६. संलग्न विहित फार्म पर वैवाहिक स्थिति के सम्बन्ध में घोषणा पत्र। यदि अभ्यर्थी की एक पत्नी से विवाह प्रमाणित पत्नी है या उस व्यक्ति से विवाह कर रही है, जिसकी एक पत्नी से अश्वि पत्नी जीवित है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस मामले में छूट की दशा पर ही नियुक्त किया जा सकता है।
७. यदि अभ्यर्थी अन्यत्र केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्य कहीं कार्यरत है तो संलग्न फार्म पर उसका उल्लेख।
८. अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संलग्न विहित सत्यापन प्रमाण-पत्र का फार्म।
९. नियुक्ति के पश्चात भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्चीनिष्ठा का संलग्न विहित फार्म पर शपथ पत्र।

नाम सुभाष सिंह
पता श्री. वी. रेला
अदालत, लखनऊ

सुभाष सिंह
अस्थायी निदेशक

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

ASU

प्रमाणित: एई/डी०सी०ओ०-ए०पी०/ए०-1547

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

ANNEXURE NO A-3

कार्यालय निदेशक जनगणना-परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, गुरु विजय रोड,
लखनऊ-226001

4/4/1983

--: आपन :-

श्री/श्रीमती कुमारी सुबोध विहारी सिंह को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 33-5-80 के वेतनमान में तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों सहित के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति के लिए चुन लिया गया है।

यदि उन्हें नियुक्ति का उक्त प्रस्ताव मंजूर हो तो वे अधोहस्ताक्षरी को तत्काल अपनी स्वीकृति प्रस्तुत करें तथा दिनांक 11-4-83 तक उक्त पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त पद पर उक्त कार्यभार ग्रहण तभी मान्य होगा जब वे निम्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :-

1. शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यताओं के प्रमाण-पत्र यदि कोई हों।
2. आयु प्रमाण-पत्र।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त आरोग्य प्रमाण-पत्र।
4. संलग्न विहित फार्म पर सत्यापन प्रमाण-पत्र।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में संलग्न विहित फार्म पर प्रमाण-पत्र।
6. संलग्न विहित फार्म पर वैवाहिक स्थिति के सम्बन्ध में घोषणा पत्र। यदि अभ्यर्थी की एक पत्नी से अधिक जीवित पत्नी हैं या उस व्यक्ति से विवाह कर रही हैं, जिसकी एक पत्नी से अधिक पत्नी जीवित हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे इस मामले में छूट की दशा पर ही नियुक्त किया जा सकता है।
7. यदि अभ्यर्थी अन्यत्र केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्यत्र कहीं कार्यरत है तो संलग्न फार्म पर उसका उल्लेख।
8. अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संलग्न विहित सत्यापन प्रमाण-पत्र का फार्म।
9. निर्युक्ति के पश्चात् भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्चीनिष्ठा का संलग्न विहित फार्म पर अभ्यर्थी पत्र।

नाम श्री सुबोध विहारी सिंह
पता बे.पी. रोड I
अज्ञानगिर लखनऊ
जनगणना कार्यालय

॥ 25.6.2021 ॥
के. उ. निदेशक

Attested/True Copy

L. P. CHUKLA
Advocate

Note: Join the office on 7.4.83 FN

पत्रांक: एई/डी०सी०ओ०-२०पी०/ए-1548

4

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

ANNEXURE NO A-4

लाला लाला रोड,
लाला 267
दिनांक: 4/4/1982

-: जापद :-

श्री/श्रीमती/श्रीमान सतीश कुमार अग्रवाल को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 330-560 वे वेतनमान में तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों सहित जापद के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति के लिए चुन लिया गया है।

यदि उन्हें नियुक्ति का उक्त प्रस्ताव पसंद हो तो वे अधोहस्ताक्षरी को तत्काल अपनी स्वीकृति प्रस्तुत करें तथा दिनांक 11-4-82 तक उक्त पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त पद पर उक्त कार्यभार ग्रहण तभी मान्य होगा जब वे निम्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे:-

1. एक शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यताओं के प्रमाण पत्र यदि कोई हो।
2. आयु प्रमाण-पत्र।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त आरोग्य प्रमाण-पत्र।
4. संलग्न विहित फार्म पर सचचरित्रता प्रमाण-पत्र।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में संलग्न विहित फार्म पर प्रमाण-पत्र।
6. संलग्न विहित फार्म पर वैवाहिक स्थिति के सम्बन्ध में घोषणा पत्र। यदि अभ्यर्थी की एक पत्नी से अधिक जीवित पत्नी है या उस व्यक्ति से विवाह कर रही है, जिसकी एक पत्नी से अधिक पत्नी जीवित है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस मामले में छूट की दशा पर ही नियुक्त किया जा सकता है।
7. यदि अभ्यर्थी अन्यत्र केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्यत्र कहीं कार्यरत है तो संलग्न फार्म पर उसका उल्लेख।
8. अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संलग्न विहित सत्यापन प्रमाण-पत्र का फार्म।
9. नियुक्ति के पश्चात् भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्चीनिष्ठा का संलग्न विहित फार्म पर शपथ पत्र।

नाम श्री सतीश कुमार अग्रवाल
पता डी. पी. कल्लू

C-22 मय 1982, लखनऊ

निदेशक
निदेशक

Attested/True Copy

L. P.
Advocate

(3)

पुत्रांक: एई/-----/डी०सी०ओ०-यू०पी०/ए- 1586

A56

285

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना-परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

ANNEXURE NO 4-5

25 नाल सिंगोर रोड,
पिन : 226001
4/4/1987

-: शीर्षक :-

श्री/श्रीमती/श्रीमारी तारीगुल ठकुर को उनके कार्यभार

गृहण करने की तारीख से 33-56 के वेतनमान में तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों सहित के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति के लिए चुन लिया गया है।

यदि उन्हें नियुक्ति का उक्त प्रस्ताव मंजूर हो तो वे अधोहस्ताक्षरी को तत्काल अपनी स्वीकृति प्रस्तुत करें तथा दिनांक 11-4-83 तक उक्त पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त पद पर उनका कार्यभार गृहण तभी मान्य होगा जब वे निम्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :-

1. शैक्षिक योग्यता तथा अन्य योग्यताओं के प्रमाण-पत्र यदि कोई हों।
2. आयु प्रमाण-पत्र।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त आरोग्य प्रमाण-पत्र।
4. संलग्न विहित फार्म पर सुचरित्रता प्रमाण-पत्र।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में संलग्न विहित फार्म पर प्रमाण-पत्र।
6. संलग्न विहित फार्म पर वैवाहिक स्थिति के सम्बन्ध में घोषणा पत्र। यदि अभ्यर्थी की एक पत्नी से अधिक जीवित पत्नी है या उस व्यक्ति से विवाह कर रही हैं, जिसकी एक पत्नी से अधिक पत्नी जीवित हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे इस मामले में छूट की दशा पर ही नियुक्त किया जा सकता है।
7. यदि अभ्यर्थी अन्यत्र केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्यत्र कहीं कार्यरत है तो संलग्न फार्म पर उसका उल्लेख।
8. अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संलग्न विहित सत्यापन प्रमाण-पत्र का फार्म।
9. निर्युक्ति के पश्चात भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्चीनिष्ठा का संलग्न विहित फार्म पर शपथ पत्र।

नाम

पता

श्री तारीगुल ठकुर

उत्तराखण्ड सरकार

ए-9 मधुवारी अलाउद्दीन

॥ उत्तराखण्ड सरकार ॥
अधिका निदेशक

Attested True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

तथा, निम्न लिखित कानून के अन्तर्गत, अन्तर्गत कानून

ANNEXURE NO

A-6

[illegible]

के क्षेत्रों में तब तक के राष्ट्रीय सरकार द्वारा संपन्न राज्य पर नियंत्रण करने के लिए १९२२ के अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है।

को लिये चुन लिया गया है।
 यदि उन्हें लिया जाता है तो उक्त प्रस्ताव को ही मान्यता दी जायेगी।
 को लिये चुन लिया गया है।
 यदि उन्हें लिया जाता है तो उक्त प्रस्ताव को ही मान्यता दी जायेगी।
 को लिये चुन लिया गया है।
 यदि उन्हें लिया जाता है तो उक्त प्रस्ताव को ही मान्यता दी जायेगी।

प्रमाण-पत्र ।

संलग्न विहित फार्मों पर पुनर्विचारा पत्रिका-पत्र ।

अनुचित जाति/अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में एलग्न विहित

संलग्न त्रिविध पार्श्व पर वैवाहिक स्थिति के सम्बन्ध में छोड़ना पत्र । यदि अभ्यर्थी की एक पत्नी से अछि जिवित पत्नी है या उस व्यक्ति से विवाह कर रही है, जिसकी वह पत्नी से अछि पत्नी जिवित है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस मामले में छुट की दशा पर ही नियुक्त किया जा सकता है ।

यदि अभ्यर्थी अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्य कहीं कार्यरत है तो संलग्न प्रमाण पर उसका उल्लेख ।

अंधर्षी द्वारा भरा गया संतान विहित सत्यापन प्रमाण पत्र का प्रारम्भ ।

नियुक्ति के पश्चात् भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति
शान्तिपूर्ण सहकारिता का ईश्वर विहित फार्म पर शपथ पत्र ।

श्री ७०२ लक्ष्मीनिष्ठा हा हलम विहित फाम पर शुद्ध पत्र ।

ॐ श्रीगणेशाय नमः
२०००-००-००
२०००-००-००

3. अ.पि.सि.स. VI

ଜନଶ୍ରମ ଆୟାଶ - ପ୍ରାୟଶ: ୩୫

Attested True Copy

L. P. SULLIVAN
Advocate

पुत्रांक: एई/ डी०सी०ओ०-यूपी०ए- 1552

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना प्रशासन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

ANNEXURE NO. A-0

25, नवल विश्व रोड,
लखनऊ - 226001
दिनांक: 4/4/1983

-: शपथ :-

श्री/श्रीमती/श्रीमान सत्य नारायण को उनके कार्यभार
ग्रहण करने की तारीख से 330-560
के वेतनमान में तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा साध-साध पर स्वीकृत भत्तों
सहित रुपये 22 के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति
के लिए चुन लिया गया है।

यदि उन्हें नियुक्ति का उक्त प्रस्ताव मंजूर हो तो वे अधोहस्ताक्षरी
को तत्काल अपनी स्वीकृति प्रस्तुत करें तथा दिनांक 11.5.83 तक
उक्त पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त पद पर उनका कार्यभार
ग्रहण तभी मान्य होगा जब वे निम्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :-

1. ☐ वैदिक योग्यता तथा अन्य योग्यताओं के प्रमाण-पत्र यदि कोई हों।
☐ आयु प्रमाण-पत्र।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त आरोग्य प्रमाण-पत्र।
3. संलग्न विहित फार्म पर सचिवरिक्ता प्रमाण-पत्र।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में संलग्न विहित
फार्म पर प्रमाण-पत्र।
5. संलग्न विहित फार्म पर वैवाहिक स्थिति के सम्बन्ध में घोषणा
पत्र। यदि अभ्यर्थी की एक पत्नी से अधिक जीवित पत्नी
है या उस व्यक्ति से विवाह कर रही है, जिसकी एक पत्नी
से अधिक पत्नी जीवित है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस मामले
में छूट की दशा पर ही नियुक्त किया जा सकता है।
6. यदि अभ्यर्थी अन्यत्र केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग
या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्यत्र कहीं कार्यरत है तो संलग्न
फार्म पर उसका उल्लेख।
7. अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संलग्न विहित सत्यापन प्रमाण-पत्र का
फार्म।
8. नियुक्ति के पश्चात् भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति
श्रद्धा और सच्चीनिष्ठा का संलग्न विहित फार्म पर शपथ पत्र।

सत्य नारायण

नाम

पता

तालाब नवल रोड
नया निरहाण, 2 लाहावारुनो 22 नवम्बर
संयुक्त निदेशक

Attested True Copy

L. P. SINGH
Advocate

1661

ANNEXURE NO 7

महाराष्ट्र सरकार
मुंबई नगरपालिका
न्यायिक निदेशावली प्रमाणित प्रत, वस्तुस्थिति प्रमाणित

14-4-1923

[illegible]

यदि लो. विभागका वन सभन प्रारम्भिकतर क्षेत्रां मे ले. ले. वन क्षेत्रां
 माल व्यवस्थापन प्रारम्भ मे ले. ले. वन क्षेत्रां मे 14.4.83
 व. पर आपना कार्यकारण ग्राह्य करें । ले. ले. वन क्षेत्रां मे 10.4.83
 मूल्य ले. ले. वन क्षेत्रां मे ले. ले. वन क्षेत्रां मे 14.4.83

1. (क) वैधिम योक्तव्यं तथैव अन्य योक्तव्यम् । (ख) वैधिम योक्तव्यं तथैव अन्य योक्तव्यम् ।
2. (क) आयु प्रमाण- पत्र ।
3. (क) मुख्य अधिकारिणी के प्राप्ति पत्रों पर प्रमाण- पत्र ।
4. (क) संलग्न विहित फार्मों पर सुनिश्चित रूप से भरना ।
5. (क) जनप्रतिष्ठित जाति/पेशा/विविध जाति के समाज में संलग्न विहित फार्मों पर प्रमाण- पत्र ।
6. (क) संलग्न विहित फार्मों पर वैवाहिक स्थिति के सम्बन्ध में घोषणा पत्र । यदि पति/पत्नी एक पक्ष से अधिक अवधि तक पृथक् हैं या उस व्यक्ति से विवाह कर रही हैं, जिसकी एक पत्नी से अधिक पत्नी जीवित हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे एक मामले में दूई की दशा पर ही नियुक्त किया जा सकता है ।
7. (क) यदि अभ्यर्थी शासन केन्द्रों/समाज सेवा के किसी विभाग या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्य किसी संस्था के नये संलग्न फार्मों पर लक्ष्य उत्तेज ।
8. (क) अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संलग्न विहित सत्यापन प्रमाण- पत्र या फार्म ।
9. (क) नियुक्ति के पश्चात् प्राप्त वे विधि द्वारा सम्पन्न अधिकार के प्रति श्रद्धा और लक्ष्यनिष्ठा का संलग्न विहित फार्मों पर स्पष्ट पत्र ।

नाम
१०११

20/10/2019

डिवा केर 5 अह. 10 मर

Singaporean and others

Attested/True Copy

L. P. (S. H.)
Advocate

प्रति: एई/डी०सी०ओ०-ए०पी०ए- 1652

भारत सरकार
गृह विभाग

कार्यालय निदेशक जनजातों परित्याग, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

ANNEXURE NO A-16

मन्त्रालय रोड,

11/4 1983

ज्ञापन

श्री/श्रीमती/कुमारी नगेन्द्र कुमार सिंह को उनके पार्ष्व

गृहण करने की तारीख से 18.4.83 के वेतनमान में तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों सहित क्र. 25 के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति के लिए चुन लिया गया है।

यदि उन्हें नियुक्ति का उक्त प्रस्ताव पंजूर हो तो वे अपने दस्तावेजी को तत्काल अपनी स्वीकृति प्रस्तुत करें तथा दिनांक 18.4.83 तक उक्त पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त पद पर उनकी कार्यभार ग्रहण तभी मान्य होगा जब वे निम्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :-

1. क शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यताओं के प्रमाण-पत्र यदि कोई हों।
ख आय प्रमाण-पत्र।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त आरोग्य प्रमाण-पत्र।
3. संलग्न विहित फार्म पर युत्वरिक्त प्रमाण-पत्र।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में संलग्न विहित फार्म पर प्रमाण-पत्र।
5. संलग्न विहित फार्म पर वैवाहिक स्थिति के सम्बन्ध में घोषणा पत्र। यदि अभ्यर्थी की एक पत्नी से अश्वि जीवित पत्नी है या उस व्यक्ति से विवाह कर रही है, जिसकी एक पत्नी से अश्वि पत्नी जीवित है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस मामले में छूट की दृष्टि पर ही नियुक्त किया जा सकता है।
6. यदि अभ्यर्थी अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्य जहाँ कार्यरत है तो संलग्न फार्म पर उसका उल्लेख।
7. अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संलग्न विहित-सत्यापन प्रमाण-पत्र का फार्म।
8. निम्नलिखित परचात भारत के विधि-सूत्रा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्चीनिष्ठा का संलग्न विहित फार्म पर स्थापित पत्र।

नाम
पता

श्री नगेन्द्र कुमार सिंह
द्वारा गृह विभाग के आधीनस्थ
गोविन्द गवर्न लीवार्

॥ 22.4.83 ॥
अ. १०० निदेशक

Attested/True Copy

L. P. SINGH
Advocate

482 35-11

प्रमाणित: एई/डी०सी०ओ०-प्र०पी०/२-1653

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनसंख्या परिवर्तन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

ANNEXURE NO A-11

9

11/4 1983

--: आपन :-

श्री/श्रीमती/कुमारी ओ.पी.एस.वा.ल. को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 330-560

के वेतनमान में तब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों सहित फ़ैक्टरी 222 के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति के लिए चुन लिया गया है।

यदि उन्हें नियुक्ति का अवसर प्रस्ताव मिला हो तो वे उसे स्वीकार करके तत्काल अपनी स्वीकृति प्रस्तुत करे तथा 10.4.83 तक उक्त पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करे। उक्त पद पर उनकी नियुक्ति ग्रहण तभी मान्य होगी जब वे निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं:-

1. क शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यताओं के प्रमाण-पत्र यदि कोई हो।
2. ख आय प्रमाण-पत्र।
3. मुख्य विधिकता अधिकारी से प्राप्त सार्वजनिक प्रमाण-पत्र।
4. संलग्न विहित फार्म पर सुनिश्चित प्रमाण-पत्र।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के समूह में संलग्न विहित फार्म पर प्रमाण-पत्र।
6. संलग्न विहित फार्म पर वैवाहिक, रिश्ते के समूह में होना पत्र। यदि अभ्यासी एक पत्नी से अधिक विवाहित पत्नी हैं या उस व्यापक से विवाह कर रही हैं, जिसकी एक पत्नी से अधिक पत्नी जीवित हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे इस मामले में छूट की दशा पर ही नियुक्त किया जा सकता है।
7. यदि अभ्यासी अन्यत्र केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्य कहीं कार्यरत है तो संलग्न फार्म पर उसका उल्लेख।
8. अभ्यासी द्वारा भरा गया संलग्न विहित सत्यापन प्रमाण-पत्र का फार्म।
9. नियुक्ति के पश्चात् भारत के विधि द्वारा अधिष्ठित विधान के प्रति श्रद्धा और सच्चोनिष्ठा का संलग्न विहित फार्म पर स्पष्ट पत्र।

नाम ओ.पी.एस.वा.ल.
पता ओ.पी.एस.वा.ल.

१२/४/८३
निदेशक

Attested True Copy

L. P. SHARMA
Advocate

पत्रांक : एई/ डी०सी०ओ०-स०पी०/ए-1659

भारत सरकार
राज्य मंत्रालय

कार्यालय निदेशक जनशिक्षण परिचायक, परतार प्रवेश
४ प्रशासनिक अनुभाग ४

ANNEXURE NO **A-12**

10/11/1954

11/4 - 1983

॥ नामः ॥

श्री/श्रीमती/कुमारी प्रदीप कुमार पांडेय को उनके कारणभार
गृहण करने की तारीख से 330-560
के वेतनमान में तदोक्त वेतन सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों
सहित फरवरी 2022 के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति
के लिए चुन लिया गया है ।

यदि उन्हें निशुक्ति का उक्त प्रस्ताव मंजूर हो तो वे अगोस्तादारी को तत्काल अपनी स्थिति प्रस्तुत करेंगे तथा दिन 14.4.83 तक उक्त पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त पद पर उनका नियुक्ति ग्रहण सभी मान्य होगा जब वे निम्न प्रस्ताव पर सहमत होंगे।

1. {क} अधिष्ठाता या अध्यक्षता तथा अन्य यो म्यताओं के प्रमाण-पत्र यदि कोई हों ।
{ख} आयु प्रमाण- पत्र ।
2. मुख्य विधिकरण अधिकारी से प्राप्त पत्रों का प्रमाण- पत्र ।
3. संलग्न विहित फार्म पर सुन्दरिखता प्रमाण-पत्र ।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में संलग्न विहित फार्म पर प्रमाण- पत्र ।
5. संलग्न विहित फार्म पर वैवाहिक, रिश्ते के सम्बन्ध में छोटका पत्र । यदि अभ्यर्थी का एक पत्नी से अधिष्ठाता विहित पत्नी है या उस व्यक्ति से विवाह कर चुके हैं, जिसकी एक पत्नी से अधिष्ठाता जीवित है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस मामले में छूट की दशा पर ही नियुक्त किया जा सकता है ।
6. यदि अभ्यर्थी अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्य किसी कार्यरत है तो संलग्न फार्म पर उसका उल्लेख ।
7. अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संलग्न विहित सत्यापन प्रमाण- पत्र का फार्म ।
8. नियुक्ति के पश्चात् भारत के विधि प्रणाली स्थापित विधान के प्रति श्रद्धा और सच्चयनिष्ठा का संलग्न विहित फार्म पर स्पष्ट पत्र ।

नाम
पता

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਪ੍ਰਸਾਦ ਧੀਰ

ਪੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਜਨਮਗ ਪੀਲਾ ਮਾਰ

உயிரினம்

(250224035)

20/10/1944

Attested True Copy

L. P. / SPECIAL
Advocate

प्रमाणित: एड/ /डी०सी०ओ०-सू०पी०/ए--

1867

भारत सरकार
गृह मंत्रालयकार्यालय निदेशक जनजातों का परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

ANNEXURE NO A-13

25 नवल लिखीर रोड,
लखनऊ

16/4/1982

:- आपन :-

श्री/श्रीमती/कुमारी गोपाल सिंह वर्मा को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 338-560 के वेतनमान में तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों सहित रक्षापत्र के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति के लिए चुन लिया गया है।

यदि उन्हें नियुक्ति का उक्त प्रस्ताव मंजूर हो तो वे अओहस्तादारी की तत्काल अपनी स्वीकृति प्रस्तुत करें तथा दिनांक 24/4/82 तक उक्त पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त पद पर उनका कार्यभार ग्रहण तभी मान्य होगा जब वे निम्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :-

1. शिक्षा योग्यता तथा अन्य योग्यताओं के प्रमाण-पत्र यदि कोई हों।
2. आयु प्रमाण-पत्र।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त आरोग्य प्रमाण-पत्र।
4. संलग्न विहित फार्म पर सुचरित्रता प्रमाण-पत्र।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में संलग्न विहित फार्म पर प्रमाण-पत्र।
6. संलग्न विहित फार्म पर वैवाहिक स्थिति के सम्बन्ध में घोषणा पत्र। यदि अभ्यर्थी की एक पत्नी से अधिक जीवित पत्नी है या उस व्यक्ति से विवाह कर रही है, जिसकी एक पत्नी से अधिक पत्नी जीवित है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस मामले में छूट की दशा पर ही नियुक्त किया जा सकता है।
7. यदि अभ्यर्थी अन्यत्र केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्यत्र कहीं कार्यरत है तो संलग्न फार्म पर उसका उल्लेख।
8. अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संलग्न विहित सत्यापन प्रमाण-पत्र का फार्म।
9. नियुक्ति के पश्चात् भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्चीनिष्ठा का संलग्न विहित फार्म पर शपथ पत्र।

नाम
पता

गोपाल सिंह वर्मा

रक्षापत्र कलकत्ता जगतगंगा कापलिया

25 नवल लिखीर रोड, लखनऊ

Attested/True Copy

L. P.

Advocate

पुनः पुनः

डी०सी०ओ०

1073

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश

४. प्रशासनिक अनुभाग

ANNEXURE NO **A-14**

25, ब्रिज विहार रोड,
लखनऊ-225001

225

15/4

1 (2)

3744

~~श्री श्री गुरुदेव~~

राजिन्द्र प्रसाद

को-उन्को सार्थक

गृहण करने की तारीख से २० जून १९५५ को उनके
के वेतनमान में तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों
सहित ३३०-५६० के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति
के लिए चुन लिया गया है।

को तत्काल अपनी स्वीकृति प्रस्तुत करें तभी दिनांक 24/4/03 तक गृहण तभी मान्य होगा जब वे निम्न प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।

1. **शैक्षणिक योग्यता** तथा अन्य योग्यताओं के प्रमाण-पत्र दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे ।-
 2. **आयु प्रमाण-पत्र** ।
 3. **मुख्य विक्तित्वा अधिकारी से प्राप्त आरोग्य प्रमाण-पत्र** ।
- संलग्न विहित फार्म पर सुव्यवस्थित प्रमाण-पत्र ।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में संलग्न विहित फार्म पर प्रमाण-पत्र ।
- संलग्न विहित फार्म पर देवाहित लिपि के सम्बन्ध में छोड़ना । यदि अभ्यर्थी की एक पत्नी से अधिक जोड़ित पत्नी उस व्यक्ति से विवाह कर रही हैं, जिसकी एक पत्नी पत्नी जीवित है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस मामले पर ही नियुक्त किया जा सकता है ।
- केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग प्राधिकरण या अन्य किसी जायज़त है तो

न विहित सङ्ग्राहण प्रमाण- सत्र बा

द्वारा स्थापित संविधान के प्रति
विहित फार्म पर स्थापित

॥ २५०२५० ॥ पुस्तक
अनुसंधान निदेशक

अथ निदेशः

पुत्रादि: एई/ डीसीओ-रूपी 1869

886

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेश जंगलना परिवारिक
पशुपति अनुभाग

ANNEXURE NO A-15

25 नवम्बर दिनांक रोड,
लुधियाना 141001
दिनांक 16/11/98

-2 ज्ञापन-

उषा श्रीवास्तव

श्री/श्रीमती/कुमारी --- को उनके कार्यालय
गृहण करने की तारीख से 330-560

के वेतनमान में तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा साधन-समय पर स्वीकृत भत्तों
सहित --- के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति
के लिए चुन लिया गया है।

यदि उन्हें नियुक्ति का उक्त प्रस्ताव स्वीकार होता है तो वे तत्पश्चात्
को तत्काल अपनी स्वीकृति प्रस्तुत करे। 24/11/83
उक्त पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। यदि वे उक्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं
करते तो गृहण तभी मान्य होगा जब वे निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करेंगे:-

- 1. जैसिक योग्यता तथा अन्य योग्यताएं
- 2. आय प्रमाण पत्र

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में निम्नलिखित

फॉर्म पर प्रमाणित करना।
संलग्न विधि में प्रस्तावित विधि में सम्बन्ध में घोषणा
पत्र। यदि अभ्यर्थी की पत्नी के अधिकृत पत्नी के
हैं या उस व्यक्ति से विवाह कर चुकी है जिसकी पत्नी
से अधिक पत्नी जीवित है, तो ऐसी घोषणा पत्र में
में छूट की दशा पर ही नियुक्ति किया जा सकता है।
यदि अभ्यर्थी अन्यत्र केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के निजी विभाग
या किसी सरकारी प्राधिकरण का कर्मचारी नियुक्त है तो संलग्न
फॉर्म पर उसका उल्लेख।

अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संलग्न विधि में प्रमाणित प्रमाण पत्र का

नियुक्ति के पश्चात् भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के अति

श्रद्धा और सच्चीनिष्ठा का विवेक फॉर्म पर प्रमाण पत्र।

सुनकर सुनकर
संयुक्त निदेश

उषा श्रीवास्तव
c/o हेल. के. श्रीवास्तव
टी-30

Attested True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

पञ्चांक: एई/

डी०सी०ओ०-ए०पी०ए०-1242

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

ANNEXURE NO

A-16

प्र. वि. रोड,

226201

16/11/2013

--: जापन :-

श्री/श्रीमती/कुमारी शिवानन्द पाठक को उनके कार्यभार
गृहण करने की तारीख से 33-560
के वेतनमान में तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों
सहित कैप्टन के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति
के लिए चुन लिया गया है।

यदि उन्हें नियुक्ति का उक्त प्रस्ताव मंजूर हो तो वे अधोहस्ताक्षरी
को तत्काल अपनी स्वीकृति प्रस्तुत करें तथा दिनांक 24/11/2013 तक
उक्त पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त पद पर उनका कार्यभार
गृहण तभी मान्य होगा जब वे निम्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :-

1. ☒ शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यताओं के प्रमाण-पत्र यदि कोई हो।
2. ☒ आयु प्रमाण-पत्र।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त आरोग्य प्रमाण-पत्र।
4. संलग्न विहित फार्म पर सचिवरित्रता प्रमाण-पत्र।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में संलग्न विहित फार्म पर प्रमाण-पत्र।
6. संलग्न विहित फार्म पर वैवाहिक स्थिति के सम्बन्ध में घोषणा पत्र। यदि अभ्यर्थी की एक पत्नी से अधिक जीवित पत्नी है या उस व्यक्ति से विवाह कर रही है, जिसकी एक पत्नी से अधिक पत्नी जीवित है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस मामले में छूट की दशा पर ही नियुक्त किया जा सकता है।
7. यदि अभ्यर्थी अन्यत्र केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्यत्र कहीं कार्यरत है तो संलग्न फार्म पर उसका उल्लेख।
8. अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संलग्न विहित संस्थापन प्रमाण-पत्र का फार्म।
9. नियुक्ति के पश्चात भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्चीनिष्ठा का संलग्न विहित फार्म पर स्पष्ट पत्र।

श्री शिवानन्द पाठक

226201 अनु. निदेशक

नाम
पता

जि-76-226201 अनु. निदेशक

3 लाघवाट

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

41

A68

पत्रांक: एई/डी०सी०ओ०-ए०पी०-ए-1869

ANNEXURE NO A-12

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कायदिय निदेशक जनजाती परिचायन
पञ्चालनित अनुभाग

25. नवल विहोर रोड,
लखनऊ 225001
दिनांक 16/4/98

:- जाप :-

उमिला वमो

हो उनके कार्यागार

श्री/श्रीमती/हमारे

330-560

गृहण करने की तारीख से
के दैतनमात्र में तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा संचय-साय पर स्वीकृत भस्ती
सहित के पद पर अस्थावी रूप से नियुक्ति

के लिए चुन लिया गया है।

यदि उन्हें नियुक्ति का उक्त प्रस्ताव स्वीकार हो तो वे जोड़ स्थायी
को तत्काल अपनी स्वीकृति प्रस्तुत करेंगे। 24/4/83
उक्त पद पर अपना कार्यभार अंश करें। यदि वे न चाहें तो वे तत्काल
गृहण सभी मोन्ड होगा जब वे निरुद्ध।

1. यदि कोई व्यक्ति तथा अन्य जो स्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं
उन्हें आसु प्रमाण पत्र

- 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के स्तर पर वे कार्य करेंगे।
- 5. संलग्न विहित पत्र पर वेदाहरण के साथ ही प्रमाण पत्र। यदि अभ्यर्थी की पत्नी के अधिक जिवित पत्नी है या उस व्यक्ति से विवाह कर रहीं हैं, जिसकी पत्नी से अधिक पत्नी जिवित है, तो ऐसी स्थिति में वे इस मामले में छूट की दशा पर ही नियुक्त किया जा सकता है।
- 6. यदि अभ्यर्थी अन्य केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी सरकारी प्राधिकरण में कार्य कर रहे हैं, तो वे तत्काल पद पर उसका उल्लेख।
- 7. अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संलग्न विहित पत्र पर अपना प्रमाण पत्र का प्रमाण।
- 8. नियुक्ति के पश्चात भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के अंतर्गत और सच्चीनिष्ठा तथा संलग्न विहित पत्र पर कार्य करें।

नाम: उमिला वमो
पता: डी.वी. रुल 3
पुनर्वाजार लावठ

रतन कुमार
संयुक्त निदेशक

Attested/True Copy

Handwritten signature

L. P. SHUKLA
Advocate

पुनर्गठन: एई/..... अतिरिक्तित्व: अतिरिक्त/ए... 1871

श्रीगुरुभ्यो नमः
॥ १ ॥

कार्यालय : निम्नोक्त पते पर, पंजाब, उत्तर प्रदेश
 { प्रकाशित अंक } { ... }

ANNEXURE NO **A-16**

25. महान विदेशी भाषा

16/4/1982

...: समापन :-

श्री/श्रीमती/सुभाषी इमरु लाल चौरसिया को उनके पालनहार

गृहण करने की तारीख: 338556

के दैतनमान में तब के लिये सरदार द्वारा समय-समय पर लीवट भर्ती में सहित रक्त-रक्ष के पद पर अध्यायी ह्य है निम्नो के लिए उन रिक्त माना है।

यदि उन्हें निम्नलिखित उक्त प्रस्ताव पंजूर हो तो वे सहोन्नतकामी
को तत्काल अपनी स्थिति प्रस्तुत करें तथा दिनांक 24/4/83 तक
उक्त पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करें । उक्त पद पर उन्नत कार्यभार
ग्रहण तभी मान्य होगा जब वे निम्न प्रमाण पत्र दस्तखिज प्रस्तुत करेंगे :-

1. **॥ क ॥** ऐश्वर्य योपार्जित तर्जित अन्य योपार्जितों के प्रमाण-पत्र सचि को ।
॥ उ ॥ आर प्रमाण-पत्र ।
2. मुख्य विहित प्रमाण-पत्र से प्राप्त प्रमाण-पत्र ।
3. संलग्न विहित प्रमाण पर सुचयित प्रमाण-पत्र ।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के संलग्न प्रमाण-पत्र विहित प्रमाण पर प्रमाण-पत्र ।
5. संलग्न विहित प्रमाण पर वैधानिक विहित के संलग्न प्रमाण-पत्र । यदि अभ्यर्थी की एक पत्नी से अधिक जीवित पत्नी हैं या उस व्यक्तित्व से विवाह कर रही हैं, जिसकी एक पत्नी से अधिक पत्नी जीवित हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे एक मांग में छूट की दृष्टि पर ही नियुक्त किया जा सकता है ।
6. यदि अभ्यर्थी अल्प-वयस्क/राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी सरकारी वाणिज्य या अन्य किसी कार्यरत है तो संलग्न प्रमाण पर प्रमाण-पत्र ।
7. अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित संलग्न विहित प्रमाण-पत्र प्रमाण-पत्र ।
8. **॥ वि ॥** नियुक्ति के पश्चात् भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के 21 वीं अनुच्छेद और संवैधानिक निकाय का संलग्न विहित प्रमाण पर प्रमाण-पत्र ।

नाम
पता

१८५
सती चौरा डला होलाय

४ २००० २००० ०००० ४
के प्रक निदेशक

Attested/True Copy

L. R. SHERMAN
Advocate

20

पत्रांक: एई/ डी०सी०ओ०-स०पी०-ए- 1992

77

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

ANNEXURE NO A-1

25, नवल किशोर रोड,
लखनऊ : 226001
दिनांक: 20/4/92

जोपन

श्री/श्रीमती/कुमारी जनादेन सिंह को उनके कार्यभार
ग्रहण करने की तारीख से 330-560
के वेतनमान में तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों
सहित क्रिप्टेड के पद पर कार्यवाही करने के लिए
के लिए पुनर्लिखा गया है।

यदि उन्हें नियुक्ति का उक्त पत्र प्राप्त हो चुका है तो वे अपने कार्यभार
को तत्काल अपनी स्वीकृत प्रस्तुत कर सकें। यदि नहीं तो वे 26/03/92 से 30/03/92 के मध्य
उक्त पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त पद पर रहते हुए कार्यभार
ग्रहण तभी मान्य होगा जब वे निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे :-

1. ☒ शैक्षिक योग्यता तथा अन्य योग्यताओं के प्रमाण-पत्र यदि कोई हो।
2. ☒ आयु प्रमाण-पत्र।
3. मुख्य विधिकार के कार्यालय से प्राप्त शारीरिक प्रमाण-पत्र।
4. संलग्न विहित फार्म पर सहायक निदेशक, प्रमाण-पत्र।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में संलग्न विहित फार्म पर प्रमाण-पत्र।
6. संलग्न विहित फार्म पर वैवाहिक, विधवा के सम्बन्ध में घोषणा पत्र। यदि अभ्यर्थी की एक पत्नी से कोई एक पतिव्रता पत्नी है या उस व्यक्ति से विवाह कर चुकी है, जिसकी एक पत्नी से अविवाहित पत्नी जीवित है, तो ऐसी स्थिति में उसे एक मामले में छूट की दशा पर ही नियुक्त किया जा सकता है।
7. यदि अभ्यर्थी अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी विभाग या किसी सरकारी प्राधिकरण का अन्तर्गत में कार्यरत है तो संलग्न फार्म पर उसका उल्लेख।
8. अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संलग्न विहित स्थापन प्रमाण-पत्र का फार्म।
9. नियुक्ति के पश्चात् भारत के विधि द्वारा स्थापित, संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्चीनिष्ठा का संलग्न विहित फार्म पर अभ्यर्थी पत्र।

नाम श्री जनादेन सिंह
पता पी० एच० सी० रेजि
लखनऊ

20/04/92
निदेशक

Attested/True Copy

Signature

L. P. SARKI A
Advocate

पत्रांक: एई/डी०सी०ओ०-२०५०/ए-१९७९

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना पं. रजि. अनु. उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

ANNEXURE NO A-20

25, नवल मिशोर रोड,
लखनऊ-226001
दिनांक 20/11/1983

कापन :-

श्री/श्रीमती/कमारी वंशीधर पांडेय को उनके कार्यभार
गृहण करने की तारीख से 330-560

के वेतनमान में तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों
सहित अप्रैल 22 के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति
के लिए चुन लिया गया है।

यदि उन्हें नियुक्ति का उक्त प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए 26/03 के 30/03 के अंश
को सन्माल अपनी स्वीकृति प्रस्तुत करेंगे तो उक्त पद पर सन्माल का कार्यभार
गृहण तभी मान्य होगा जब वे निम्न प्रमाण प्रस्तुत करेंगे :-

1. वैधिक योग्यता तथा अन्य योग्यताओं के प्रमाण-पत्र जहाँ जहाँ हो।
2. आय प्रमाण-पत्र।
3. मुख्य विधित्त, जहाँ जहाँ के प्रमाण पत्रों पर प्रमाण-पत्र।
4. संलग्न विहित पत्र पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में संलग्न विहित पत्र पर प्रमाण-पत्र।
5. संलग्न विहित पत्र पर वैवाहिक, विधित्त के प्रमाण-पत्रों की जाँच पत्र। यदि अभ्यर्थी की एक पत्नी के साथ वैवाहिक पत्र है या उस व्यक्ति से विवाह कर चुके हैं, जिसकी एक पत्नी से अलग पत्नी जीवित है, तो ऐसा विवाह में उसे इस मांग में छूट की दशा पर ही नियुक्त किया जा सकता है।
6. यदि अभ्यर्थी अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी राज्य की प्राधिकरण या अन्य के अधिकार में कार्य कर रहे हैं तो संलग्न पत्र पर उसका उल्लेख।
7. अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संलग्न विहित सत्यापन प्रमाण-पत्र का पत्र।
8. निम्नलिखित के परन्तु भारत के विधि द्वारा स्थापित स्विथान के प्रति श्रद्धा और सच्चामिष्ठता का संलग्न विहित पत्र पर प्रमाण-पत्र।

वंशीधर पांडेय

डी.पी. रजि. I

वी. 25 महामा लखनऊ

(अनंता शर्मा)
अंशुक निदेशक

Attested/True Copy

L. P. SHARMA
Advocate

ANNEXURE NO **A 21**

25 नवल तिथि र सोड,
लक्षण : 226.01
दिनांक : २०/११/२२

जेश नमः २

1. **क०** - सौमित्र योग्यता संबंधी संय. योग्यताओं के प्रमाण-पत्र यदि कोई रहे !
2. **ख०** - आर्य प्रमाण-पत्र ।
3. **ग०** - मुख्य विनियमों की अवस्था से प्राप्त कार्यालय प्रमाण-पत्र ।
4. **घ०** - संलग्न विहित फार्म पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के संलग्न होने के विहित फार्म पर प्रमाण-पत्र ।
5. **च०** - संलग्न विहित फार्म पर वेवाहित, विधिवत के सम्बन्ध में घोषणा पत्र । यदि अभ्यर्थी की पत्नी के अलावा कोई और पत्नी है या उस व्यक्ति से विवाह कर चुकी है जिसकी पत्नी पर उसी से अधिक पत्नी जीवित है, तो ऐसी पत्नी के साथ यागों में छूट की दशा पर ही नियुक्त किया जा सकता है ।
6. **छ०** - यदि अभ्यर्थी अन्धत्व, वेन्द्रीय अक्षमता/पक्षाघात/अपंगता के किसी कारण या किसी सरकारी प्राधिकरण से उत्पन्न किसी अवयव के अभाव के कारण संलग्न फार्म पर उसमें उल्लेख ।
7. **ज०** - अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संलग्न विहित सत्यापन प्रमाण-पत्र का फार्म ।
8. **झ०** - नियुक्ति के पश्चात् भारत के विधि द्वारा स्थापित अधिकार के अति श्रद्धा और सच्चीनिष्ठा का संलग्न विहित फार्म पर स्पष्ट पत्र ।

4577

31/3/20

॥ २५ ॥

L. P. SHUKLA
Advocate

A23

प्रमाण: एई/डी०सी०ओ०-ए०पी०ए-1289

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनजाति परिवर्तन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

ANNEXURE NO A-22

25 फरवरी 2013 रोज,
20/4/2013

सापन :-

श्री/श्रीमती/कुमारी पुरुषोत्तम कुमार सिंह को उनके कार्यभार
गृहण करने की तारीख से 330-560
के वेतनमान में तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भित्तों
सहित अपरे 22 के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति
के लिए चुन लिया गया है।

यदि उन्हें निम्नलिखित का उक्त प्रस्ताव मंजूर हो तो वे अपने स्थायी
को तत्काल अपनी स्वीकृति प्रस्तुत करें तथा यदि 26/03/2013 से 30/03/2013
उक्त पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त पद पर उक्त कार्यभार
गृहण सभी मान्य होगा जब वे निम्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :-

1. ☐ वैध योग्यता तथा अन्य योग्यताओं के प्रमाण-पत्र यदि कोई हो।
☐ आय प्रमाण-पत्र।
2. मुख्य जिवित्ता सचिवारी के प्रमाण पत्र/सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र।
3. संलग्न विहित फार्म पर सुन्दरिप्रमाण-पत्र।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में संलग्न विहित
फार्म पर प्रमाण-पत्र।
5. संलग्न विहित फार्म पर वैवाहिक स्थिति के सम्बन्ध में घोषणा
पत्र। यदि अभ्यर्थी की एक पत्नी से अधिक जिवित पत्नी
है या उस व्यक्ति से विवाह कर रही हैं, जिसकी एक पत्नी
से अधिक पत्नी जिवित है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस मामले
में छूट की दशा पर ही नियुक्त किया जा सकता है।
6. यदि अभ्यर्थी अन्य केन्द्रीय सरकार/प्रदेश सरकार के किसी विभाग
या किसी सरकारी प्राधिकरण का अन्वय कर्मी कार्यरत है तो संलग्न
फार्म पर उसका उल्लेख।
7. अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संलग्न विहित सत्यापन प्रमाण-पत्र का
फार्म।
8. ☐ नियुक्ति के पश्चात् भारत के विधि द्वारा स्थापित स्थितियों के प्रति
श्रद्धा और सच्चीनिष्ठा का संलग्न विहित फार्म पर स्पष्ट पत्र।

नाम श्री पुरुषोत्तम कुमार सिंह
पता श्री. व. अहा नगर

20/4/2013
निदेशक

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

पत्रांक: एई/ /डी०सी०ओ०-प्र०पी०/ए- 1982

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जागृता परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

ANNEXURE NO 1-23

25, नवल किशोर रोड,

लखनऊ : 226201

दिनांक: 20/4/1982

-: ज्ञापन :-

श्री/श्रीमती/कुमारी श्री डा. कृष्णा शर्मा को उनके कार्यभार

गृहण करने की तमारी से 330-560
के वेतनमान में तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की गयी
सहित क्राफ्ट के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति
के लिए चुन लिया गया है।

यदि उन्हें नियुक्ति का उक्त प्रस्ताव मंजूर हो तो वे अधोहस्ताक्षरी
को तत्काल अपनी स्वीकृति प्रस्तुत करें तथा दिनांक 26/4/82 से 30/4/82 तक
उक्त पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त पद पर उभय कार्यभार
गृहण सभी मान्य होगा जब वे निम्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे :-

1. ☐ वैध योद्यता तथा अन्य योद्यताओं के प्रमाण-पत्र यदि कोई हों।
☐ आयु प्रमाण- पत्र।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त आरोग्य प्रमाण- पत्र।
3. संलग्न विहित फार्म पर सचिवरिक्ता प्रमाण-पत्र।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में संलग्न विहित
फार्म पर प्रमाण-पत्र।
5. संलग्न विहित फार्म पर वैवाहिक स्थिति के सम्बन्ध में घोषणा
पत्र। यदि अभ्यर्थी की एक पत्नी से अधिक जीवित पत्नी
हैं या उस व्यक्ति से विवाह कर रही हैं, जिसकी एक पत्नी
से अधिक पत्नी जीवित हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे इस मामले
में छूट की दशा पर ही नियुक्त किया जा सकता है।
6. यदि अभ्यर्थी अन्यत्र केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग
या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्य कहीं कार्यरत है तो संलग्न
फार्म पर उसका उल्लेख।
7. अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संलग्न विहित सत्यापन प्रमाण- पत्र का
फार्म।
8. ☐ नियुक्ति के पश्चात भारत के विधि द्वारा स्थापित विधान के प्रति
श्रद्धा और सच्चीनिष्ठा का संलग्न विहित फार्म पर स्पष्ट पत्र।

नाम

पता

श्री डा. कृष्णा शर्मा
डॉ. वी. के. एन. 7 डी. एन.
लखनऊ

226201
निदेशक

Attested/True Copy

L. P. SPUKLA
Advocate

प्रक्रिया: एड/डीडी/डी0डी0/डी0पी0/4920

foreclosed

24

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

48

ANNEXURE NO A-21

25, नवल विश्वर रोड,
लखनऊ : 226001
दिनांक: 17.10.84

6

(Regulation Letter) :- आदेश :-

इस निदेशालय के डी0डी0 के अनुभाग में कार्यरत निम्नलिखित तदर्थ आपरेटरों को उनके नाम के विपरीत अंकित तिथियों से एतद्वारा निमित्त निम्नलिखित प्रदान की जाती है।

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	निमितीकरण की तिथि
1.	चुन्नी लाल	4.4.1983
2.	रूप विश्वर निगम	4.4.1983
3.	पंचम राम	4.4.1983
4.	शिवचरण	4.4.1983
5.	व० सरिता जैन	4.4.1983
6.	रुमाष तिर	4.4.1983 अपरान्त
7.	गुवाधे विगारी निगम	7.4.1983
8.	गन्तोष कुमार श्रीवास्तव	7.4.1983
9.	अंशुमल त्रि	8.4.1983
10.	प्रदीप कुमार	8.4.1983
11.	दिलीप निगम	8.4.1983
12.	व० निरिजा नादव	8.4.1983 अपरान्त
13.	रूप मणि गुप्त	12.4.1983 अपरान्त
14.	परीद उद्दीन No (27)	12.4.1983 अपरान्त
15.	व० मन्ता तिर	12.4.1983 अपरान्त
16.	नोद कुमार तिर	13.4.1983
17.	श्रीमती उदन जगद्वाल	13.4.1983
18.	व० बीना गुप्त	13.4.1983
19.	राजेश चन्द्र	13.4.1983
20.	प्रदीप कुमार पाण्डे	13.4.1983 अपरान्त से 9.1.84 तक
21.	अरुण कुमार - चतुर्वेदी	14.4.1983
22.	व० निरिजा नादव	16.4.1983 अपरान्त से 16.2.1984
23.	जोषा मिहबनी	16.4.1983 अपरान्त
24.	परशुराम	16.4.1983 अपरान्त
25.	गुनील दत्त	16.4.1983 अपरान्त
26.	माला नाद	18.4.1983
27.		18.4.1983 अपरान्त

2/-

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

49

क्रम नं०

कर्मचारी का नाम
सर्वश्री

निश्चितीकरण की तिथि

27.	रमेश कुमार तवरोनर	18.4.1983	अपरान्त
(12) - 28.	सत्यनारायण	18.4.1983	अपरान्त
29.	दिनेश कुमार तवरोना	18.4.1983	अपरान्त
(13) - 30.	राजेन्द्र प्रसाद	18.4.1983	अपरान्त
31.	गणेश्वर अली	18.4.1983	अपरान्त
32.	श्रीमती माला भट्टाचार्य	19.4.1983	
33.	क० उषा श्रीवास्तव	19.4.1983	
(14) - 34.	शिवानन्द पाठक	19.4.1983	
35.	सुरेश चन्द्र मिश्रा	19.4.1983	
36.	क० अर्चना विद्यार्थी	19.4.1983	अपरान्त
37.	क० उर्मिला वर्मा	19.4.1983	अपरान्त
38.	रमेश लाल चौरसिया	21.4.1983	
39.	रत्न प्रकाश	22.4.1983	अपरान्त
40.	श्रीमती विजय लक्ष्मी राजपूत	23.4.1983	
41.	अश्विनेश चन्द्र	23.4.1983	
(15) - 42.	जनार्दन सिंह	26.4.1983	
43.	श्रीमती सुशीला देवी शुक्ल	26.4.1983	
44.	प्रमोद कुमार वाजपेई	26.4.1983	
(16) - 45.	वशीधर पाण्डेय	26.4.1983	
46.	क० शोभा वर्मा	26.4.1983	
47.	रुद्र प्रकाश वर्मा	26.4.1983	
(17) - 48.	नरेश कुमार	26.4.1983	
49.	क० किरन बाला	26.4.1983	
(18) - 50.	पुरुषोत्तम कुमार सिंह	26.4.1983	
51.	मो० अनीरा रिददीकी	26.4.1983	
52.	राम प्रकाश तवरोना	26.4.1983	अपरान्त
53.	क० शोभा रानी शुक्ल	27.4.1983	
54.	गंगोत्री प्रसाद	27.4.1983	
55.	रवीन्द्र प्रकाश तवरोना	27.4.1983	
(19) - 56.	गोडा कृष्ण मूर्ति	27.4.1983	अपरान्त
57.	दिनेश कुमार शर्मा	28.4.1983	
58.	क० जमील हैदर त्रिमिजी	30.4.1983	अपरान्त
59.	श्रीमती विविता देवी अजिता	16.5.1983	
60.	क० चित्रा तवरोना	16.5.1983	
61.	रमेश चन्द्र पाण्डेय	16.5.1983	
62.	श्रीमती सुषमा मिश्रा	16.5.1983	
63.	मो० प्रताप सिंह	16.5.1983	
64.	हरीश चन्द्र प्रसाद	16.5.1983	

64

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

3/-

- 3 -

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	नियुक्तिकरण की तिथि
	प्राप्ति	
65.	श्री. मीनी चक्रवर्ती	16.5.1983
66.	श्री. लवना गुप्ता	16.5.1983
67.	श्री. नाज कजलवादी	16.5.1983
68.	दिलीप कुमार पुत्र श्री जी.एस. गुप्त	16.5.1983
69.	श्री. सुशील कौर बालिका	16.5.1983
70.	मनमोहन	16.5.1983 से 14.6.1983 तक
71.	श्री. इंदरील	17.5.1983
72.	श्री. अश्विनी	18.5.1983
73.	श्री. सुशमा कंचन	18.5.1983
74.	श्रीमती भगवान देवी {अ.जा.}	4.7.1983 से 3.2.1984
75.	दिलीप कुमार पुत्र श्री मुन्नन {अ.जा.}	5.7.1983
76.	बाबूराम पुत्र श्री दी. लाल {अ.जा.}	5.7.1983
77.	अनर नान {अ.जा.}	7.7.1983
78.	राम चिन्तामन {अ.जा.}	8.7.1983
79.	महावीर प्रसाद {अ.जा.}	8.7.1983
80.	मनीराम रावत {अ.जा.}	20.7.1983 {अपरान्त}
81.	गोपल लाल {अ.जा.}	20.7.1983 {अपरान्त}
82.	सुख सिंह {अ.जा.}	17.9.1983 {अपरान्त}
83.	मोहन प्रसाद {अ.जा.}	19.9.1983
84.	श्याम कुमार {अ.जा.}	19.9.1983
85.	श्री. रानी मोनकर {अ.जा.}	20.9.1983
86.	श्री. कृष्ण बाबाद {अ.जा.}	21.9.1983

अन्य सेवा सम्बन्धी शर्तें समस्त समस्त पर लागू होने वाले नियमों एवं

आदेशों से अभिनिमित्त होगी।

{ अ.जा. एल. गुप्त }

निदेशक

पृष्ठ संख्या: एई/डीडी/डी.सी.ओ. - गु.पी.ओ. - ए - 4520 तदु दिनांक

- प्रेषित:- प्रतिलिपि निम्नलिखित विद्वत् सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. सम्बन्धित कर्मचारी।
 2. पत्र एवं लेखाधिकारी {जनगणना} गु. मंत्रालय, नई दिल्ली।
 3. ए. निदेशक/...
 4. ...
 5. ...
 6. व्यक्तिगत फाइल में।
 7. ...

Attested/True Copy

L. P. SHURLA
Advocate

5
295
20/11

पत्रांक एई/डीसीओ-यूपी/ए-

ANNEXURE NO A-25

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कायलिय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश,
प्रशासनिक अनुभाग

25, मका क्लियर रैड
कमरा: 226001
दिनांक: 1986

केन्द्रीय लिक्विड सेवा/अस्थायी सेवा/नियमावली 1965
के नियम 3 व 4 के अधीन नियुक्ति एवं छोड़ना-पत्र।

केन्द्रीय लिक्विड सेवा/अस्थायी सेवा/नियमावली, 1965 के
नियम 3 व 4 के अनुसार में; किष्णु कुमार भार्गव, उपनिदेशक कायलियतन्त्र
जनगणना कार्य, उत्तर प्रदेश, कार्य, आचरण एवं चरित्र की दृष्टि से
श्री सुभाष सिंह की उपयुक्तता के बारे में संतुष्टि के
उपरांत उपर्युक्त श्री सुभाष सिंह को भारत सरकार के अधीन
आपरेटर के पद पर वेतनमान 330-560 में दिनांक 7-4-86 से
अस्थायी रूप में नियुक्त करता है।

किष्णु कुमार भार्गव
उपनिदेशक
कायलियतन्त्र

पृष्ठान्त एई/डीसीओ-यूपी/ए- 6006 तद दिनांक 22/11/86

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं वाच्यक कार्यवाही हेतु

1. श्री सुभाष सिंह को
2. वेतन एवं भत्ता अधिकारी जनगणना, नई दिल्ली
3. भारत के महाराजिस्टार, नई दिल्ली
4. स्टाफ लिटिल एम।सी. अस्थायी इन्सिस्टर में चिपकाये जाने हेतु
5. सेवा में रखा है।

क.श.मिथुन I
26.9.86

करभजन सिंह
सहायक निदेशक

Attested/True Copy

L. P. SHARMA
Advocate

NOTES-288
28/11

A-26

पत्रांक एई/डीसीओ-यूपी/ए-

ANNEXURE NO

A-26

भारत सरकार
यह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश,
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रोड,
लखनऊ-226001
दिनांक: 1986

केन्द्रीय सिविल सेवा अध्यायी सेवा नियमावली 1965
के नियम 3 व 4 के अधीन नियुक्त एवं घोषणा-पत्र।

केन्द्रीय सिविल सेवा अध्यायी सेवा नियमावली, 1965 के
नियम 3 व 4 के अनुसार मैं, किष्णु कुमार भार्गव, उपनिदेशक कार्यालय अध्यक्ष
जनगणना कार्य, उत्तर प्रदेश, कार्य, आवरण एवं चरित्र की दृष्टि से
श्री सुनील पिहारी सिन्हा को उपयुक्तता के बारे में सतुष्टि के
उपरान्त उपर्युक्त श्री सुनील पिहारी सिन्हा को भारत सरकार के अधीन
अधीनस्थ के पद पर वेतनमान 330-560 में दिनांक 7-4-86 से
अधीनस्थीरूप में नियुक्त करता हूँ। 1200-2040

किष्णु कुमार भार्गव
उपनिदेशक
कार्यालय अध्यक्ष

पृष्ठांक एई/डीसीओ-यूपी/ए-60/4 तद दिनांक 27/11/86

परिचित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आकथक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

1. श्री सुनील पिहारी सिन्हा, डी.पी.ओ.
2. वेतन एवं लेखाधिकारी जनगणना, नई दिल्ली
3. भारत के भारत जस्टिस, नई दिल्ली
4. स्टाफ रिटन पत्रावली/अधीनस्थीरूप में विपक्षित जाने हेतु
5. सेवापत्रिका हेतु।

हरभजन सिंह
सहायक निदेशक

ड. पी. शर्मा
26

Attested True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

ANNEXURE NO A-27

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कानून विभाग, उत्तर प्रदेश,
प्रशासनिक अनुभाग

25, नया विशीर रोड,
लखनऊ-226001
दिनांक 27/11/76

देशीय निवास सेवा अध्यायी सेवा नियमावली 1965
के नियम 3 व 4 के अधीन नियुक्ति एवं धरोहरा-पत्र।

देशीय निवास सेवा अध्यायी सेवा नियमावली, 1965 के
नियम 3 व 4 के अनुसार में, किष्ण कुमार भार्गव, उपनिदेशक (आय लिय अध्यायी)
जनजाता कार्य, उत्तर प्रदेश, कार्य, आवरण एवं चरित्र की दृष्टि से
श्री मुदीप कुमार की उपायुक्तता के बारे में संविष्ट के
उपरांत उपरि उक्त श्री मुदीप कुमार को भारत सरकार के अधीन
उपनिदेशक के पद पर वेतनमान 3300-560 में पिनोड 0-4-86 से
वेतन में नियुक्ति करना है। 1200-2040

किष्ण कुमार भार्गव
उपनिदेशक
आय लिय अध्यायी

पृष्ठान्त एवं/डीसीपी-सूणी/ए- (C-10) तद दिनांक 27/11/76

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं जावक्यक कार्यवाही हेतु

1. श्री मुदीप कुमार, उपनिदेशक
2. वेतन एवं लेखाधिकारी (जनगणना), नई दिल्ली
3. भारत में गृहपरिजटार, नई दिल्ली
4. वेतन रिपोर्ट आयावली/अस्थायी रजिस्टर में चिपकाये जाने हेतु
5. निमांशितका हेतु

क.प.पिमा/ 26.10.76

हरमजना सिंह
सहायक निदेशक

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

A81

1125-296
28/11

ANNEXURE NO A-28

प्रमाण पत्र / डीसीओ-यूपी/ए-

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनसमाचार विभाग, उत्तर प्रदेश,
प्रयाग नगर अनुभाग

25, नवल किशोर रोड,
लखनऊ-226001
दिनांक: 27/11/86

केन्द्रीय निवृत्ति सेवा/अस्थायी सेवा/नियमावली 1965
केन्द्रीय सेवा 4 के अधीन नियुक्ति एवं धीर्जना-पत्र।

केन्द्रीय निवृत्ति सेवा/अस्थायी सेवा/नियमावली, 1965 के
नियम 3 व 4 के अनुसार मैं, किष्णु कुमार भार्गव, उपनिदेशक कार्यालय अध्यापक
जनसमाचार विभाग, उत्तर प्रदेश, कार्य, आचरण एवं चरित्र की दृष्टि से
श्री फरीदुद्दीन की उपयुक्तता के बारे में संशुद्धि के
उपरान्त उपर्युक्त श्री फरीदुद्दीन को भारत सरकार के अधीन
ऑफिसर के पद पर वेतनमान 330-560 में दिनांक 12-4-86 से
अस्थायी रूप से नियुक्त करता हूँ। 1200-2000

हस्ताक्षर
किष्णु कुमार भार्गव
उपनिदेशक
कार्यालय अध्यापक

प्रमाण पत्र / डीसीओ-यूपी/ए- (00) तद दिनांक 27/11/86

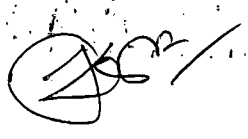
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पत्र सत्य और सही है।

1. श्री फरीदुद्दीन, आचार्य
2. श्री श्री गुरुदास, श्री जनसमाचार, नई दिल्ली
3. श्री श्री गुरुदास, श्री जनसमाचार, नई दिल्ली
4. श्री श्री गुरुदास, श्री जनसमाचार, नई दिल्ली
5. श्री श्री गुरुदास, श्री जनसमाचार, नई दिल्ली

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर निदेशक

हस्ताक्षर

Attested/True Copy


L. P. SHARMA
Advocate

पत्रांक एई/डीसीओ-यूपी/ए-

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश,
प्रशासनिक अनुभाग

ANNEXURE NO

A-29

25, नवल किशोर रेड,

लखनऊ-226001

दिनांक: , 1986

केन्द्रीय सिविल सेवा/अस्थायी सेवा/नियमावली 1965
के नियम 3 व 4 के अधीन नियुक्ति एवं घोषणा-पत्र।

केन्द्रीय सिविल सेवा/अस्थायी सेवा/नियमावली, 1965 के
नियम 3 व 4 के अनुसार में; किष्णु कुमार भार्गव, उपनिदेशक/कार्यालय अध्यक्ष
जनगणना कार्य, उत्तर प्रदेश, कार्य, आचरण एवं चरित्र की दृष्टि से
श्री **मोहन कुमार सिंह** की उपयुक्तता के बारे में संतुष्टि के
उपरान्त उपर्युक्त श्री **मोहन कुमार सिंह** को भारत सरकार के अधीन
ऑफिसर के पद पर वर्तमान 330-560 में दिनांक **13.4.86** से
अस्थायी रूप में नियुक्त करता हूँ।

किष्णु कुमार भार्गव
उपनिदेशक
कार्यालय अध्यक्ष

पत्रांक एई/डीसीओ-यूपी/ए-60/86

तदु दिनांक 27/11/86

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवायक कार्यवाही हेतु

1. श्री **मोहन कुमार सिंह**, ऑफिसर।
2. सहायक निदेशक/जनगणना, नई दिल्ली
3. भारत के सहायक निदेशक, नई दिल्ली
4. सहायक निदेशक/अस्थायी रजिस्टर में चिपकाये जाने हेतु
5. सेवा प्रतिपत्र हेतु

ड.श. मिश्रा/
26.9.86

करभजन सिंह
सहायक निदेशक

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

50025-292
28/11

AB3

8 30
56

पृष्ठांकन आई/डीसीओ-यूपी/ए-

ANNEXURE NO

A-30

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कायलिय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश,
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रेड,

लुधियाना-226001

दिनांक: , 1986

केन्द्रीय सिविल सेवा/अस्थायी सेवा/नियमावली 1965
के नियम 3 व 4 के अधीन नियुक्ति एवं घोषणा-पत्र।

केन्द्रीय सिविल सेवा/अस्थायी सेवा/नियमावली, 1965 के
नियम 3 व 4 के अनुसार मैं, किष्ण कुमार भार्गव, उपनिदेशक कायलिय अध्यक्ष
जनगणना कार्य, उत्तर प्रदेश, कार्य, आचरण एवं चरित्र की दृष्टि से
श्री ~~मती केचन आग्रसवाल~~ की उपयुक्तता के बारे में संतुष्टि के
उपरान्त उपर्युक्त श्री ~~मती केचन आग्रसवाल~~ को भारत सरकार के अधीन
ऑफिसर के पद पर वेतनमान 330-560 में दिनांक 13-4-86 से
अर्हस्थायीरूप में नियुक्त करता हूँ। 1200-2040

किष्ण कुमार भार्गव
उपनिदेशक
कायलिय अध्यक्ष

पृष्ठांकन आई/डीसीओ-यूपी/ए-6013 तद दिनांक 27/11/86

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित:-

1. श्री ~~मती केचन आग्रसवाल~~, ऑफिसर
2. वेतन एवं लेखाधिकारी जनगणना, नई दिल्ली
3. भारत के भूतत्वाधिकारी, नई दिल्ली
4. स्टाफ नॉटिस प्रकाशनी/अर्हस्थायी रजिस्टर में चिपकाये जाने हेतु
5. सेवाप्रोत्तका हेतु।

इ.श. मिश्रा/
26/9/86

हार्दय
हरभजन सिंह
सहायक निदेशक
जनगणना

Attested/True Copy

26/9/86

L. P. SHUKLA
Advocate

4025-294
28/11

57³¹

404

पत्रांक पद/ /डीसीओ-यूपी/ए-

ANNEXURE NO **A-31**

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश,
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रेड,
मुकाम 226001
दिनांक: 27/11/1986

केन्द्रीय सिविल सेवा/अस्थायी सेवा/नियमावली 1965
के नियम 3 व 4 के अधीन नियुक्त एवं छोड़ना-पत्र।

केन्द्रीय सिविल सेवा/अस्थायी सेवा/नियमावली, 1965 के
नियम 3 व 4 के अनुसार मैं, किष्ण कुमार भार्गव, उपनिदेशक कार्यालय अध्यक्ष
जनगणना कार्य, उत्तर प्रदेश, कार्य, आवरण एवं चरित्र की दृष्टि से
श्री कु० मीना गुप्ता की उपयुक्तता के बारे में संदृष्टि के
उपरान्त उपर्युक्त श्री कु० मीना गुप्ता को भारत सरकार के अधीन
ऑपरेटर के पद पर तैनातमान 330-560 में दिनांक 13-4-86 से
अर्द्धस्थायीरूप में नियुक्त करता हूँ। 1200-2040

॥ किष्ण कुमार भार्गव ॥
उपनिदेशक
कार्यालय अध्यक्ष

पुष्टांक पद/ /डीसीओ-यूपी/ए- 6015 तद दिनांक 27/11/86

प्रति/पत्रांक निम्नलिखित को सूचना के पद उपयुक्त कार्यवाही हेतु

1. श्री कु० मीना गुप्ता, ऑपरेटर
2. कार्यालय निदेशक जनगणना, नई दिल्ली
3. कार्यालय निदेशक जनगणना, नई दिल्ली
4. कार्यालय निदेशक जनगणना/उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रार में चिपकाये जाने हेतु
5. कार्यालय निदेशक जनगणना

॥ हरभजन सिंह ॥
सहायक निदेशक

इ.श. मिश्रा
26.9.86

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

10
32
58
AOS
10
32
58
AOS

पत्रांक ६६/डीसीओ-यूपी/ए-

ANNEXURE NO A-32

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश,
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रेड,
लखनऊ-226001
दिनांक: 1986

केन्द्रीय सिविल सेवा अस्थायी सेवा नियमावली, 1965
के नियम 3 व 4 के अधीन नियुक्त एवं घोषणा-पत्र।

केन्द्रीय सिविल सेवा अस्थायी सेवा नियमावली, 1965 के
नियम 3 व 4 के अनुसार मैं, किष्णु कुमार भार्गव, उपनिदेशक कार्यालय अध्यक्ष
जनगणना कार्य, उत्तर प्रदेश, कार्य, आचरण एवं चरित्र की दृष्टि से
श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय की उपायुक्तता के बारे में संतुष्टि के
उपरान्त उपायुक्त श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय को भारत सरकार के अधीन
ऑपरेटर के पद पर वेतनमान 330-560 में दिनांक 14-4-86 से
अर्द्धस्थायी रूप में नियुक्त करता हूँ।

किष्णु कुमार भार्गव
उपनिदेशक
कार्यालय अध्यक्ष

पृष्ठ संख्या ६६/डीसीओ-यूपी/ए- (601) तद दिनांक 27/11/86

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आकराक कार्यवाही हेतु

1. प्रदीप कुमार पाण्डेय, ऑपरेटर
2. सहायक निदेशक जनगणना, नई दिल्ली
3. सहायक निदेशक जनगणना, नई दिल्ली
4. सहायक निदेशक जनगणना, नई दिल्ली
5. सहायक निदेशक जनगणना, नई दिल्ली

ड. श. मिश्रा
26-9-86

हरभजन सिंह
सहायक निदेशक

Attested True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

28-4-86
29/3/86
28/11

18 33
59

106

पत्रांक एई/डीसीओ-सूपी/ए-

ANNEXURE NO A-32

भारत सरकार
सह सचिव
कार्यविधि निदेशक जनसंख्या परिवर्तन, उत्तर प्रदेश,
प्रशासनिक विभाग

25, नवल किशोर रोड,
लखनऊ-226001
दिनांक: , 1986

केन्द्रीय लिखित सेवा अध्यायी सेवा नियमावली 1965
के नियम 3 व 4 के अधीन नियुक्ति एवं छोड़ना-पूना

केन्द्रीय लिखित सेवा अध्यायी सेवा नियमावली, 1965 के
नियम 3 व 4 के अनुसार मैं, किष्ण कुमार भार्गव, उपनिदेशक कार्यविधि अध्याय
जनसंख्या कार्य, उत्तर प्रदेश, कार्य, आचरण एवं चरित्र की दृष्टि से
श्री कु० उर्मिला वर्मा की उभयसंमतता के बारे में संशुद्धि के
उपरान्त उपर्युक्त श्री कु० उर्मिला वर्मा को भारत सरकार के अधीन
ऑफिसर के पद पर तत्कालमान 330-560 में दिनांक 20-4-86 से
अर्द्धस्थायीरूप में नियुक्त करता हूँ। 1200-2540

हो/-
किष्ण कुमार भार्गव
उपनिदेशक
कार्यविधि अध्याय

पञ्चाङ्गिन एई/डीसीओ-सूपी/ए-6027 तद दिनांक 27/11/86

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- श्री कु० उर्मिला वर्मा, ऑफिसर
1. जनसंख्या विभाग, नई दिल्ली
 2. जनसंख्या विभाग, नई दिल्ली
 3. जनसंख्या विभाग, नई दिल्ली
 4. जनसंख्या विभाग, नई दिल्ली
 5. जनसंख्या विभाग, नई दिल्ली

हो/-
हरभजनसिंह
सह सचिव निदेशक

दिनांक
26-9-86

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

327
1/12

18 74
60

पृष्ठ सं. / डीसीओ-यूपी/ए-

ANNEXURE NO **A-34**

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनसूचना परिचालन, उत्तर प्रदेश,
प्रशासनिक अभाग

25, नवल किशोर रोड,
लखनऊ-226001
दिनांक: , 1986

केन्द्रीय सार्वजनिक सेवा अध्यायी सेवा नियमावली 1965
के नियम 3 व 4 के अन्तर्गत नियुक्ति एवं आवेदन।

केन्द्रीय सार्वजनिक सेवा अध्यायी सेवा नियमावली, 1965 के
नियम 3 व 4 के अन्तर्गत मैं, किष्ण कुमार भार्गव, उपनिदेशक कार्यालय अध्यायी
जनसूचना कार्य, उत्तर प्रदेश, झाँसी, आचरण एवं वित्त की दृष्टि से
श्री गोपाल सिंह खोला को उपयुक्तता के बारे में संशुद्धि के
उपरांत उपर्युक्त श्री गोपाल सिंह खोला को भारत सरकार के अधीन
अधीनस्थ के पद पर वेतनमान 330-560 में दिनांक 16-4-86 से
अस्थायी रूप से नियुक्त करना है। 12-2-86

हस्ताक्षर
किष्ण कुमार भार्गव
उपनिदेशक
कार्यालय अध्यायी

पृष्ठ सं. / डीसीओ-यूपी/ए-6082 तद दिनांक 1.12.86

प्रतिनिधि निदेशक के सूचनार्थ एवं आचरण के लिये

प्रति-
1.

श्री गोपाल सिंह खोला, अध्यायी

2. के. ए. ए. अध्यायी, जनसूचना, नई दिल्ली

3. भारत सरकार, जनसूचना, नई दिल्ली

4. उपर्युक्त अध्यायी के जस्टिस में विपणन जाने हेतु

5. निदेशक कार्यालय

हस्ताक्षर
हरभजन सिंह
सहायक निदेशक

ड. ए. मिश्रा
26.9.86

Attested/True Copy

हस्ताक्षर

L. P. SHUKLA
Advocate

13
61
15
25
11/12
KPS-225

पृष्ठांक पद/डीजीओ-यूपी/ए-

ANNEXURE NO A35

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश,
{प्रशासनिक अनुभाग}

25, नवल मिश्र रेड,
लुधियाना 141001,
दिनांक 1986

केन्द्रीय सिविल सेवा/अस्थायी सेवा/नियमावली 1965
के नियम 3 व 4 के अधीन नियुक्ति एवं धोखाधड़ी

केन्द्रीय सिविल सेवा/अस्थायी सेवा/नियमावली, 1965 के
नियम 3 व 4 के अनुसार में, किष्णु कुमार भार्गव, उपनिदेशक, कार्यालय अध्यापक,
जनगणना कार्य, उत्तर प्रदेश, कार्य, आचरण एवं चरित्र की दृष्टि से
श्री राजेन्द्र प्रसाद की उपयुक्तता के बारे में भ्रष्टाचार के
उपरान्त उपर्युक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद को भारत सरकार के अधीन
ऑपरेटर के पद पर वेतनमान 330-560 में दिनांक 19-4-86 से
अर्द्धस्थायी रूप में नियुक्त करता हूँ। 1200-2000

ह.प.
किष्णु कुमार भार्गव
उपनिदेशक
कार्यालय अध्यापक

पृष्ठांक पद/डीजीओ-यूपी/ए- 6060 तद दिनांक 1.12.86

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवायक कार्यवाही हेतु
प्रेषित:-

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद, डी.जी.ओ.
2. के.ए. एवं के.आ. अधिकारी, जनगणना, नई दिल्ली
3. भारत सरकार, नई दिल्ली
4. राज्य सरकार, नई दिल्ली/अर्द्धस्थायी रजिस्टर में प्रविष्टाये जाने हेतु
5. सेवागारिस्ता हेतु।

हरभजनसिंह
सहायक निदेशक

ड.श. मिश्रा
26.9.86

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

5025-326
1/12

14
36
62

A89

पत्रांक एई/डीसीओ-यूपी/ए-

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश,
प्रशासनिक अनुभाग

ANNEXURE NO A3

25. नवल किशोर रेड,
हृदयनगर 226001
दिनांक 1986

केन्द्रीय सिविल सेवा अस्थायी सेवा नियमावली 1965
के नियम 3 व 4 के अधीन नियुक्ति एवं ब्योका-पत्र ।

केन्द्रीय सिविल सेवा अस्थायी सेवा नियमावली, 1965 के
नियम 3 व 4 के अनुसार मैं, किष्ण कुमार भार्गव, उपनिदेशक कार्यालय अध्यापक
जनगणना कार्य, उत्तर प्रदेश, कार्य, आचरण एवं चरित्र की दृष्टि से
श्री उज्जवा श्रीवास्तव की उपयुक्तता के बारे में रजिस्ट्रार के
उपरान्त उपर्युक्त श्री कु० उज्जवा श्रीवास्तव को भारत सरकार के अधीन
ऑपरेटर के पद पर वेतनमान 330-560 में दिनांक 20-11-86 से
अर्द्धस्थायी रूप में नियुक्त करता हूँ । 12.00-20.00

किष्ण कुमार भार्गव
उपनिदेशक
कार्यालय अध्यापक

पृष्ठांकन एई/डीसीओ-यूपी/ए- 6081 तद दिनांक 1.12.86

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित:-

1. श्री कु० उज्जवा श्रीवास्तव, ऑपरेटर
2. के० एवं ले० अधिकारी जनगणना, नई दिल्ली
3. भारत सरकार, नई दिल्ली
4. नयापन विभाग, नई दिल्ली
5. सेवा विभाग, नई दिल्ली

हरभजन सिंह
सहायक निदेशक

इ.श. मिश्रा
26.9.86

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

15/4/86
63

A90

ANNEXURE NO A3

पत्रांक एई/डीसीओ-यूपी/ए-

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश,
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रेड,
लखनऊ-226001
दिनांक: 1/12/86

केन्द्रीय सिविल सेवा/अस्थायी सेवा नियमावली 1965
के नियम 3 व 4 के अधीन नियुक्त एवं छोड़ना-पत्र।

केन्द्रीय सिविल सेवा/अस्थायी सेवा नियमावली, 1965 के
नियम 3 व 4 के अनुसार मैं, किष्णु कुमार भार्गव, उपनिदेशक कार्यालय अध्यक्ष
जनगणना कार्य, उत्तर प्रदेश, कार्य, आचरण एवं चरित्र की दृष्टि से
श्री शिवानन्द पाठक की उपयुक्तता के बारे में संतुष्टि के
उपरान्त उपर्युक्त श्री शिवानन्द पाठक को भारत सरकार के अधीन
ऑफिसर के पद पर वेतनमान 330-565 में दिनांक 20-4-86 से
अर्द्धस्थायी रूप में नियुक्त करता हूँ। 1200-2040

हस्ताक्षर
किष्णु कुमार भार्गव
उपनिदेशक
कार्यालय अध्यक्ष

पृष्ठांकन एई/डीसीओ-यूपी/ए-6078 तद दिनांक 1.12.86

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आकराक कार्यवाही हेतु

- प्रेषित:-
1. श्री शिवानन्द पाठक, ऑफिसर
 2. वेतन एवं सेवा अधिकारी जनगणना, नई दिल्ली
 3. भारत के गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
 4. उपर्युक्त नियुक्ति के अधीन ऑफिसर में चिपकाये जाने हेतु
 5. सेवा निवेदन हेतु।

हस्ताक्षर
हरभजन सिंह
सहायक निदेशक

इ.पी. मिश्रा
26.9.86

Attested True Copy

हस्ताक्षर

L. P. SHUKLA
Advocate

पञ्चांक आई/डीसीओ-यूपी/ए-

भारत सरकार
युव सश्रान्त
कार्यालय निदेशक जनसंख्या परिचालन, उत्तर प्रदेश,
प्रशासनिक अनुभाग

ANNEXURE NO A-38

25, नवल किशोर रोड,
लखनऊ-226001
दिनांक 18-4-86, 1986

केन्द्रीय सिविल सेवा/अस्थायी सेवा/नियमावली, 1965
के नियम 3 व 4 के अधीन नियुक्ति एवं वर्गीकरण-पत्र।

केन्द्रीय सिविल सेवा/अस्थायी सेवा/नियमावली, 1965 के
नियम 3 व 4 के अनुसार मैं, किष्णु कुमार भार्गव, उपनिदेशक कार्यालय/जनसंख्या कार्य, उत्तर प्रदेश, कार्य, आदर्श एवं चरित्र की दृष्टि से
श्री सत्य नारायण की उपयुक्तता के बारे में संशुद्धि के
उपरान्त उपर्युक्त श्री सत्य नारायण को भारत सरकार के अधीन
ऑफिसर के पद पर वेतनमान 330-560 में दिनांक 18-4-86 से
अर्द्धस्थायी रूप में नियुक्त करता हूँ। 1200-2040

किष्णु कुमार भार्गव
उपनिदेशक
कार्यालय-जनसंख्या

पञ्चांक आई/डीसीओ-यूपी/ए- 5154 तद दिनांक 8/12/86

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित:-

1. श्री सत्य नारायण, ऑफिसर
2. कार्यालय निदेशक जनसंख्या, नई दिल्ली
3. भारत सरकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
4. उपर्युक्त कार्यालय/ऑफिसर में चिपकाये जाने हेतु
5. केन्द्रीय सिविल सेवा

हरभजन सिंह
सहायक निदेशक

डॉ. ए. मिश्रा
26/9/86

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

65-16
79

पत्रांक एड/डीसीओ-यूपी/ए-

A92

भारत सरकार
मुख्य सचिव
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश,
{प्रशासनिक अनुभाग}

ANNEXURE NO

A39

25, नवल विष्णोर रोड,
लखनऊ-225001

दिनांक 19/12/86

केन्द्रीय सिविल सेवा {अस्थायी सेवा} नियमावली 1965
के नियम 3 व 4 के अधीन नियुक्ति एवं घोषणा-पत्र।

केन्द्रीय सिविल सेवा {अस्थायी सेवा} नियमावली, 1965 के
नियम 3 व 4 के अनुसार मैं, किष्णु कुमार भार्गव, उपनिदेशक {कार्यालय अध्यक्ष}
जनगणना कार्य, उत्तर प्रदेश, कार्य, आपरण एवं दस्त्र की दृष्टि से
श्री अंशु चर पाण्डेय की उपयुक्तता के बारे में संशुद्धि के
उपरान्त उपर्युक्त श्री अंशु चर पाण्डेय को भारत सरकार के अधीन
ऑपरेटर के पद पर वेतनमान 330-560 में दिनांक 26-4-86 से
अर्द्धस्थायीरूप में नियुक्त करता हूँ। 1200-2040

{ किष्णु कुमार भार्गव }
उपनिदेशक
{ कार्यालय अध्यक्ष }

पृष्ठांकन एड/डीसीओ-यूपी/ए-6395 तद्विनांक 19/12/86

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्री अंशु चर पाण्डेय, उपनिदेशक
2. वेतन एवं लेखाधिकारी {जनगणना}, नई दिल्ली
3. भारत के कानून विभाग, नई दिल्ली
4. स्टाफ रिजर्व प्रकाशनी/अर्द्धस्थायी रजिस्टर में चिपकाये जाने हेतु
5. सेवा प्रतिष्ठा हेतु।

प्र. अ. भार्गव
अ. अ. भार्गव
{ कर भजन सिंह }
377 सहायक निदेशक

ड. श्री. मिश्रा/
26.9.86

Attested True Copy

[Signature]

L. P. SINGH
Advocate

पृष्ठ सं. १७/सीजीओ-गुपरी/३-

ANNEXURE NO

A 40

भारत सरकार
मुख्य निदेशक
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश,
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रेड,

लुधियाना-२२६००१

दिनांक:

1986

केन्द्रीय सार्वजनिक सेवा/अस्थायी सेवा, नियमावली 1965
के नियम 3 व 4 के अधीन नियुक्त एवं छोड़ा गया।

केन्द्रीय सार्वजनिक सेवा/अस्थायी सेवा, नियमावली, 1965 के
नियम 3 व 4 के अनुसार मैं, किष्ण कुमार भार्गव, उपनिदेशक कार्यालय अध्यापक
जनगणना कार्य, उत्तर प्रदेश, कार्य, आचरण एवं चरित्र की दृष्टि से
श्री सुरेशचन्द्राग ठाकुर सिंह की उपयुक्तता के बारे में स्तुष्टि के
उपरांत उपर्युक्त श्री सुरेशचन्द्राग ठाकुर सिंह को भारत सरकार के अधीन
के पद पर तत्कालमान 330-560 में दिनांक 26-4-86 से
नियुक्त करता हूँ। 1262-2040

किष्ण कुमार भार्गव
उपनिदेशक
कार्यालय अध्यापक

पृष्ठ सं. १७/सीजीओ-गुपरी/५- 6393 तद दिनांक 19/12/86

प्रति: उपनिदेशक निदेशक को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्री सुरेशचन्द्राग ठाकुर सिंह, कापड़वा
2. तत्काल एवं नियुक्ति/जनगणना, नई दिल्ली
3. भारत के महाराजगढ़, नई दिल्ली
4. प्रधान कार्यालय/अस्थायी रजिस्टर में चिपकाये जाने हेतु
5. सेवा प्रारम्भ हेतु।

निदेशक
जी. पी. भागवत
सहस्रजनसिंह
उपनिदेशक निदेशक

ह. प्र. मिश्रा
26/4/86

Attested/True Copy

L. P. ADVOCATE
Advocate

आर. प्र. ३५ / सीसीओ-यूपी/५-

भारत सरकार
राज्य सरकार
कार्यालय निदेशक जनसभा परिचालन, उत्तर प्रदेश,
प्रशासनिक अनुभाग

25, मकल किशोर रेड,
लखनऊ-226001
दिनांक: 1986

केन्द्रीय लिक्विड सेवा/अस्थायी सेवा/नियमावली 1965
के नियम 3 व 4 के अधीन नियुक्ति एवं घोषणा-पत्र।

केन्द्रीय लिक्विड सेवा/अस्थायी सेवा/नियमावली, 1965 के
नियम 3 व 4 के अनुसार में, किष्णु कुमार भार्गव, उपनिदेशक, कार्यलय अध्यक्ष,
जनसभा कार्य, उत्तर प्रदेश, कार्य, आचरण एवं चरित्र की दृष्टि से
श्री रमेश लाल चौरसिया की उपयुक्तता के बारे में संतुष्टि के
उपरान्त उपर्युक्त श्री रमेश लाल चौरसिया को भारत सरकार के अधीन
संप्रेषण के पद पर वेतनमान 330-560 में दिनांक 21-4-86 से
वर्द्धनीयता में नियुक्त करता है। 1200-2040

किष्णु कुमार भार्गव
उपनिदेशक
कार्यालय अध्यक्ष

पृष्ठांक एवं/सीसीओ-यूपी/ए. 6423 तद दिनांक 24/12/85

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्री रमेश लाल चौरसिया, अधिकारी
2. वेतन एवं वेतन अधिकारी, जनसभा, नई दिल्ली
3. भारत के न्यायिक सेवा, नई दिल्ली
4. न्यायिक सेवा/अस्थायी रजिस्टर में विपदाये जाने हेतु
5. सेवा सूचना हेतु।

किष्णु भार्गव
उपनिदेशक
कार्यालय अध्यक्ष

उ.प्र. सरकार

Congrats

Attested/True Copy

Signature

L. P. ...
Advocate

आर.एस. / डी.सी.ओ.-मुम्बई/ए-

भारत सरकार
राज्य सरकार
कार्यालय निदेशक जनशिक्षण परिचालन, उत्तर प्रदेश,
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रोड,
मुम्बई-400001
दिनांक: 22/12/80

केन्द्रीय शिक्षित सेवा अध्यायी सेवा नियमावली 1965
के नियम 3 व 4 के अर्धीन नियुक्ति एवं आवासीय पत्र।

केन्द्रीय शिक्षित सेवा अध्यायी सेवा नियमावली, 1965 के
नियम 3 व 4 के अन्तर्गत श्री. विक्रम कुमार भारति, उच्च शिक्षण विभाग,
जनशिक्षण कार्य, उत्तर प्रदेश, कार्य, आवासीय एवं वरिष्ठ की श्रेणी में
श्री. विक्रम कुमार को उपयुक्तता के बारे में लखनऊ के
उपस्थित उपस्थित श्री. निदेशक जनशिक्षण दो भारत सरकार के लखनऊ
आवासीय के पद पर वर्तमान 330-560 में रिजर्व 9/1/80 में
अध्यायीत्व में नियुक्ति करता है।

श्री. विक्रम कुमार भारति
उच्च शिक्षण विभाग
निदेशक जनशिक्षण

पृष्ठान्त आर.एस. / डी.सी.ओ.-मुम्बई/ए- 6430 तद दिनांक 22/12/80

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचार्थ एवं आवासीय कार्यवाही हेतु
1. श्री. निदेशक जनशिक्षण, उच्च शिक्षण विभाग, नई दिल्ली
 2. केन एवं केन अध्यायी जनशिक्षण, नई दिल्ली
 3. भारत में महारजिस्ट्रार, नई दिल्ली
 4. निदेशक जनशिक्षण, उच्च शिक्षण विभाग, लखनऊ में चिपकाये जाने हेतु
 5. अध्यायीत्व सेवा।

निदेशक जनशिक्षण
उच्च शिक्षण विभाग
निदेशक जनशिक्षण

दिनांक
25.12.80

Congrats

Attested/True Copy

[Signature]

L. P. [Signature]
Advocate

पत्रांक: एई/

डी०सी०ओ०-यू०पी०/ए-

ANNEXURE NO

A-43

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तरप्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, स्वतंत्र विश्वरूप रोड,
लखनऊ : 226001
दिनांक: मई 22, 1987

केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली 1965,
के नियम 3 व 4 के अधीन नियुक्ति एवं घोषणा पत्र।

केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली,
1965 के नियम 3 व 4 के अनुसार में, चन्दन गोपाल निदेशक
जनगणना कार्य, उत्तर प्रदेश, कार्य, आवरण एवं चरित्र की
दृष्टि से श्री जनार्दन सिंह, आपरेटर की उपयुक्तता के बारे में
संतुष्टि के उपरान्त उपर्युक्त श्री जनार्दन सिंह को भारत सरकार
के अधीन आपरेटर के पद पर वेतनमान 1200-2040 में दिनांक
26.4.86 से अर्द्धस्थायी रूप में नियुक्त करता हूँ।

एच

चन्दन गोपाल
निदेशक

पत्रांक: एई/

डी०सी०ओ०-यू०पी०/ए-2053 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित :-

1. श्री जनार्दन सिंह, आपरेटर (डी०सी०ओ० अनुभाग)।
2. वेतन एवं लेखाधिकारी (जनगणना), नई दिल्ली।
3. भारत के महारजिस्ट्रार, नई दिल्ली।
4. स्टाफ रिटर्न पत्रावली/अर्द्धस्थायी रजिस्टर में चिपकाये जाने हेतु।
5. सेवा पुस्तिका हेतु।

लाखन सिंह
सहायक निदेशक

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

पत्रांक: एई/११/डी०सी०ओ०-सू०पी०/ए-२०१७

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
जनसंचार निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रोड,
नम्बर : 220001
दिनांक: 2-6-1987

केन्द्रीय सिविल सेवा & अस्थायी सेवा & नियमावली 1965
के नियम 3 व 4 के अधीन नियुक्ति एवं छोड़ना पत्र।

केन्द्रीय सिविल सेवा & अस्थायी सेवा & नियमावली, 1965 के
नियम 3 व 4 के अन्तर्गत में, कन्दन गोपाल, निदेशक जनगणना कार्य, उत्तर
प्रदेश, कार्य, वास्तविक एवं सचिव की दृष्टि से की जा रही उत्तर-एक, आपरेटर
की प्रत्युत्तरता के कारणों में संशुद्धि के अनुरोध उपर्युक्त श्री कर्मि उत्तर-एक को
भारत सरकार के अधीन आपरेटर के पद पर वेतनमान 1200-2040 में दिनांक
8.4.86 से अस्थायी रूप में नियुक्त करता है।

कन्दन गोपाल
निदेशक

पत्रांक: एई/११/डी०सी०ओ०-सू०पी०/ए-२०१७ तद दि०

प्रतिनिधि निम्नलिखित को: सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही
लेह प्रेषित :-

1. श्री कर्मि उत्तर-एक, आपरेटर & डी०सी०ओ०
2. वेतन एवं लेखाधिकारी & जनगणना, नई दिल्ली।
3. भारत के महासचिव, नई दिल्ली।
4. स्टाफ रिटर्न कार्ड/अस्थायी रजिस्टर में चिपकाये जाने हेतु
5. सेवा प्रारम्भ लेह।

लाऊ सिंह
सहायक निदेशक

Attested/True Copy

L. P. SHARMA
Advocate

DDPS-357
8/10/87

71
45

पञ्चांक: एई/एन-5/पी.एफ./डीडीई/डीसीओ-सूपी/ए-399

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

ANNEXURE NO A-45

25, नवल विष्णोर रोड,
लुधियाना : 226001
दिनांक: अक्टूबर 8, 1987

केन्द्रीय सिविल सेवा अध्यायी सेवा निदेशक निदेशक
के निदेश 3 व 4 के अधीन घोषणा एवं नियुक्ति

केन्द्रीय सिविल सेवा अध्यायी सेवा निदेशक निदेशक 1965
के निदेश 3 व 4 के अनुसार में चन्दन गोपाल, निदेशक जनगणना
कार्य उत्तर प्रदेश, कार्य, आवरण एवं चरित्र की दृष्टि से श्री
संतोष कुमार श्रीवास्तव, आपरेटर की उपयुक्तता के बारे में संतुष्टि
के उपरान्त उपर्युक्त श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव को भारत सरकार
के अधीन आपरेटर के पद पर वेतनमान ₹ 1200-2040 में दिनांक
8.4.86 में अर्धस्थायी रूप में नियुक्त करता हूँ।

चन्दन गोपाल
निदेशक

पञ्चांक: एई/एन-5/पी.एफ./डीडीई/डीसीओ-सूपी/ए-399 तद दि०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित :-

1. श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, आपरेटर प्रभारी अधिकारी
के माध्यम से।
2. उप-निदेशक डीडीई/सहायक निदेशक सेवा।
3. वेतन एवं सेवाधिकारी जनगणना नई दिल्ली।
4. भारत के महारजिस्ट्रार, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली
को उनके दिनांक 11.9.87 के पत्र री० 12/21=पी/83-प्रशा०।
के माध्यम से।
5. राज्य रिटर्न पत्रावली/अर्धस्थायी रजिस्ट्रार में चिपकाने हेतु।
6. कार्यालय की सेवा पुस्तिका हेतु।

लालन सिंह
सहायक निदेशक

Attested True Copy
L. P. SINGH
Advocate

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
वायव्य निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

ANNEXURE NO

A 46

25 नवल विश्वोर रोड,
लखनऊ : 226001
दिनांक: अक्टूबर 8, 1987

केन्द्रीय सिविल सेवा अध्यायी सेवा नियमावली 1965 के
नियम 3 व 4 के अधीन घोषणा एवं नियुक्ति आदेश।

केन्द्रीय सिविल सेवा अध्यायी सेवा नियमावली 1965
के नियम 3 व 4 के अनुसार मैं, चन्दन गोपाल, निदेशक जनगणना
कार्य, उत्तर प्रदेश, कार्य, आचरण एवं चरित्र की दृष्टि से श्री
गोडा कृष्ण मूर्ति, आपरेटर की उपयुक्तता के बारे में संतुष्टि के
उपरान्त उपर्युक्त श्री गोडा कृष्ण मूर्ति को भारत सरकार के अधीन
आपरेटर के पद वेतनमान 1200-2040 में दिनांक 28.4.86 से
अर्धस्थायी रूप में नियुक्त करता हूँ।

चन्दन गोपाल
निदेशक

पृष्ठ संकेत: एई/जी-5/डी.डी.ई/डी.सी.ओ-सूची/ए-39/7 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
के लिए प्रेषित :-

1. श्री गोडा कृष्ण मूर्ति, आपरेटर प्रभारी अधिकारी के माध्यम से।
2. उप निदेशक डी.डी.ई/सहायक निदेशक लेखा।
3. वेतन एवं लेखाधिकारी जनगणना नई दिल्ली।
4. भारत के महारजिस्ट्रार 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली को उनके दिनांक 11.9.87 के पत्र सं० 12/21-सी/83-प्रशा० के संदर्भ में।
5. कर्मचारी की सेवा पुस्तिका हेतु।
6. एटाफ रिटर्न पत्रावली/अर्धस्थायी रजिस्टर में चिपकाने हेतु।

लाखन सिंह
सहायक निदेशक

Attested/True Copy

L. P. SHARMA
Advocate

A160

73

पत्रांक: एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए- 4937

भारत सरकार
मुख्य निदेशक
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
आधिकारिक अनुभाग

ANNEXURE NO

A-42

25, मकल विश्वीर रोड,
मुंबई : 220001
दिनांक: 31/12/87

-:: जाप ::-

विषय:- दिनांक 1.10.87 को आपरेटर के पद पर कार्यरत कर्म
की अनन्तिम वरीयता सूची ।

इस निदेशालय के आपरेटर संवर्ग में दिनांक 1.10.87 को कार्यरत
कर्मचारियों की अनन्तिम वरीयता सूची इस आशय से प्रसारित की जा रही
है कि यदि किसी सम्बन्धित कर्मचारी को उक्त सूची में दिये गये विवरणों
के बारे में कोई आपत्ति हो तो वे इस जाप के जारी होने के दो माह
के अन्दर अपनी आपत्ति लिखित रूप में अधीनस्थों के कार्यालय में
प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्तियों पर विचार होने के बाद सूची को अंतिम
रूप दिया जायेगा।

उपर्युक्त निर्धारित गत्या के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार
नहीं किया जायेगा।

संलग्नक : अनन्तिम वरीयता सूची ।

१ वरुण गोपाल १
निदेशक

पत्रांक: एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए- 4937 तद दिनांक

प्रेषित :- प्रतिलिपि निम्नलिखित, जो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. उप निदेशक {डीडीई} को इस आशय से कि वे समस्त आपरेटरों को
इसकी प्रति अपने स्तर से प्रसारित करावें तथा सूची की एक प्रति पर
सम्बन्धित कर्मचारियों की पावती लेकर उसे इस अनुभाग को वापस करें।
2. महामंत्री, जनगणना कर्मचारी संगठन, उ०प्र०, लखनऊ।
3. कार्यालय के सूचना पद पर चरपा करने हेतु।

१ लखन सिंह १
सहायक निदेशक

मुखरैया/
31/12/87

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

Tentative Seniority List of the Grade of Operator in the
Office of the Director of Census Operations, Uttar Pradesh, Lucknow
AS ON 1-10-1987

Sl.No.	Name of Officials	Date of birth	Educational Qualifications	Date of entry into Government Service.	Date of regular appointment in the grade.	Remarks	
1.	S/Shri	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Prabhu Nath	27-03-44	Inter	30-06-70	01-04-83	Appointed by Transfer;	
2.	Lalta Pd. Pandey	01-08-45	M.A. (Eco)	01-08-70	01-04-83	Ad-hoc J.S. W.e.f. 30.6.87	
3.	Jagdish Pd. Gupta	02-07-47	Hgh School	19-09-70	01-04-83	-do- W.e.f. 30.6.87	
4.	Medi Lal (S/C)	01-07-48	B.A.	14-01-71(AN)	01-04-83	-do- W.e.f. 30.6.87	
5.	Pooran Chand(S/C)	06-03-47	M.A. (Eco.)	01-05-71	01-04-83	-do- W.e.f. 30.6.87	
6.	Jai Prakash Porwal (Ex-Serviceman)	05-12-47	B.A., L.L.B. P.G.D.C.	01-05-71	01-04-83	-do- W.e.f. 30.6.87	
7.	Chhanga Lal(S/C)	06-01-49	Inter	03-05-71	01-04-83	-do- W.e.f. 30.6.87	
8.	Yamuna Prasad (S/C)	14-02-49	M.A.	22-06-71	01-04-83	-do- W.e.f. 30.6.87	
9.	Mita-n Ram Verma(S/C)	15-10-46	B.A., LLB	12-04-71	01-04-83	-do- W.e.f. 30.6.87	
10.	Vinod Kumar Srivastava	02-03-47	Inter	01-07-70	01-04-83	-do- W.e.f. 30.6.87	
11.	Hire Lal (S/C) (S/O Sri Dudhai)	01-01-52	(Surveyor Certificate) M.A.	04-07-72	01-04-83	-do- W.e.f. 30.6.87	
12.	Vijai Prakash (S/C)	10-03-49	Higher Seccon- dary.	01-01-73	01-04-83	Appointed by Transfer	
13.	Ram Kumar (S/C)	02-09-48	B.A.	18-06-70	01-04-83	-do-	
14.	Km. Sarita Jain	01-02-59	B.A.	01-07-82	04-04-83(AN)	Direct Recruit	
15.	Poop Kishore Nigam	18-01-53	B.A.	01-07-82	04-04-83	Direct Recruit	

Attested True Copy

Contd. ---2

L. P/SHUKLA

Advocate

Sl. No.	Name	Date	Qualification	Year	Remarks
16.	Pankaj Ram	01-01-56	B.A.	01-07-82	04-04-83
17.	Dilip Kumar	18-08-59	M.A. (Eco.)	08-04-83(AN)	08-04-83(AN)
18.	Shiv Charan Yadav	01-05-57	B.A.	05-03-80	04-04-83
19.	Dinesh Kumar Saxena	20-10-56	B.A.	18-04-83(AN)	18-04-83(AN)
20.	Ku. Girja Yadav	01-09-55	B.A.	12-4-83(AN)	12-04-83(AN)
21.	Mata Prasad	12-02-55	B.Com.	18-04-83(AN)	18-04-83(AN)
22.	Harsh Mani Sanyal	30-07-55	B.A.	12-04-83(AN)	12-04-83(AN)
23.	Ashok Kumar Singh Bhadoria	02-10-56	M.A.	16-04-83(AN)	16-04-83(AN)
24.	Smt. Vijai Laxmi Rajpoot	15-10-55	B.A.	23-4-83	23-04-83
25.	Akhilesh Chandra	15-01-62	B.A.	23-04-83	23-04-83
26.	Gaffar Ali	05-02-58	B.A.	18-04-83(AN)	18-04-83(AN)
27.	Sunil Dutt Sharma	09-08-59	B.A.	18-04-83	18-04-83
28.	Suresh Chandra Misra	05-03-58	B.Com.	19-04-83	19-04-83
29.	Gangotri Prasad	01-07-56	B.A.	27-04-83	27-04-83
30.	Ravindra Prakash Saxena	05-07-61	M.Com.	27-04-83	27-04-83
31.	Pranod Kumar Bajpai	30-07-55	B.A.	26-04-83	26-04-83
32.	Mod. Anish Siddiqui	21-05-56	M.A. (Eco.)	26-04-83	26-04-83
33.	Syed Zameer Haide Raza	15-04-57	M.A.	30-4-83(AN)	30-04-83(AN)
34.	Ram Prakash Saxena	09-06-55	B.A.	26-04-83(AN)	26-04-83(AN)
35.	Harish Chandra Prasad	10-03-57	B.A.	01-07-82	16-05-83
36.	Smt. Chitra Saxena	02-09-54	M.A.	16-03-83	16-05-83
37.	Mohd. Idrish	15-06-57	M.Com.	17-03-83	17-05-83
38.	Mahendra Dutt	05-01-57	B.A.	03-06-83(AN)	10-01-86

Attested True Copy

Contd. 3/-

L. P. SHUKLA

Advocate

3 :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	S/Shri					
39.	Ramesh Chandra Pandey	20-02-55	M.Com.	16-05-83	16-05-83	
40.	Mohd. Shahid	11-06-57	M.Com., LLB	18-05-83	18-05-83	
41.	Km. Meni Chakravarti	20-06-53	B.A.	16-05-83	16-05-83	
42.	Vacant					
43.	Vacant					To be filled up by eligible Candidate on the basis of Merit.
44.	Vacant					
45.	Vacant					
46.	Vacant					
47.	Ganesh Chandra Kandpal	26-11-58	B.A.	01-07-82	10-01-86	
48.	Vacant					
49.	Vacant					To be filled up by eligible Candidate on the basis of Merit.
50.	Vacant					
51.	Km. Michu Lata Singh	26-02-55	B.A.	13-04-83	13-04-83	
52.	Pradeep Kumar	16-10-58	M.A.	08-04-83	08-04-83	
53.	Subodh Dehari Sinha	19-06-61	B.A.	07-04-83	07-04-83	
54.	Vacant					
55.	Vacant					To be filled up by eligible Candidate on the basis of Merit.
56.	Vacant					
57.	Vacant					
58.	Santosh Kumar Srivastava	05-09-53	B.Sc., LLB	03-04-83	08-04-83	
59.	Vacant					

Attested True Copy

L.P. SHUKLA

To be filled up by eligible
Candidate on the basis
of Merit.

1. S/Shri 2. 3. 4. 5. 6. 7.

To be filled up by eligible candidate on the basis of Merit.

-dc-

60.	Subhash Singh	03-06-57	M.A.	07-04-83	07-04-83
61.	Vacant	--	--	--	--
62.	Vacant	--	--	--	--
63.	Km. Meena Gupta	13-07-60	B.A.	13-04-83	13-04-83
64.	Satya Marain	12-12-55	B.A.	18-04-83(AN)	18-04-83(AN)
65.	Waseemul Haq	20-02-55	B.Sc.	08-04-83	08-04-83
66.	Nagendra Kumar Singh	16-07-56	B.A.	13-04-83	13-04-83
67.	Smt. Kanchan Jaiswal	01-06-57	M.A.	13-04-83	13-04-83
68. (27)	Fareeduddin	30-12-61	B.Com.	12-04-83(AN)	12-04-83(AN)
69.	Pradeep Kumar Pandey	21-03-57	B.A.	14-04-83	14-04-83
70.	Km. Urmile Verma	04-06-59	B.A.	19-04-83(AN)	19-04-83(AN)
71.	Ramesh Lal Chaurasia	01-01-56	B.A.	21-04-83	21-04-83
72.	Ramesh Kumar Saxena	01-07-55	B.A.	18-04-83(AN)	18-04-83(AN)
73.	Parasu Ram(S/C)	13-07-60	B.A.	13-08-82	16-04-83(AN)
74.	Gopal Singh Banola	07-05-60	B.A.	01-07-82	16-04-83(AN)
75.	Rajendra Prasad	10-01-57	B.A., LLB	13-04-83(AN)	13-04-83(AN)
76.	Ratan Prakash	25-10-53	B.A.	22-04-83(AN)	22-04-83(AN)
77.	Smt. Mala Bhattacharya	10-05-53	M.A.	19-04-83	19-04-83
78.	Km. Archana Vidhyarthi	26-03-58	M.A.	19-04-83(AN)	19-04-83(AN)
79.	Km. Usha Srivastava	06-10-55	M.A., L.T.	19-04-83	19-04-83
80.	Siva Nand Pathak	30-01-57	B.A., LLB	19-04-83	19-04-83
81.	Km. Sobha Lani Shukla	05-08-55	M.A.	27-04-83	27-04-83
82.	Km. Kiran Bala	02-01-55	B.A.	26-04-83	26-04-83
83.	Gonda Krishnamurti	09-04-53	B.A.	27-04-83(AN)	27-04-83(AN)

Attested True Copy

Contd. 5/-

Recd L.P. SHUKLA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	S/Shri					
84.	Bansidhar Pandey	31-12-55	M.A.	26-04-83	26-04-83	
85.	Smt. Chhama Verma	03-01-56	B.A., B.Ed.	26-04-83	26-04-83	
86.	Rudra Prakash Verma	14-02-57	B.Com.	26-04-83	26-04-83	
87.	Nareesh Kumar	07-04-57	M.A. (Ecc.)	26-04-83	26-04-83	
88.	Purshotam Kumar Singh	01-02-53	B.Sc.	26-04-83	26-04-83	
89.	Janardan Singh	11-07-52	M.A.	26-04-83	26-04-83	
90.	Smt. Sushila Devi Spukl	20-10-53	B.A.	26-04-83	26-04-83	
91.	Smt. Sushma Misra	15-02-56	B.A.	16-05-83	16-05-83	
92.	Dilip Kumar S/o Smt G.S. Gupta	15-07-59	B.A.	16-05-83	16-05-83	
93.	Smt. Archana Gupta	09-06-53	B.A.	16-05-83	16-05-83	
94.	Smt. Sandhya Sinha	10-03-61	B.A.	13-05-83	13-05-83	
95.	Smt. Savita Davi (S/C)	06-07-54	B.A., B.Ed.	16-05-83	16-05-83	
96.	Mahendra Pratap Singh	01-07-56	M.A.	16-05-83	16-05-83	
97.	Smt. Mez Kazalbash	13-11-53	M.A. (Eng.)	16-05-83	16-05-83	
98.	Chunni Lal (S/C)	05-10-51	B.A.	26-07-73	04-04-83	
99.	Dilip Kumar S/O Sri Murnan	20-03-57	B.A.	05-07-83	05-07-83	
100.	Sohan Lal (S/C)	20-04-59	B.A.	20-07-83(AN)	20-07-83(AN)	
101.	Babu Ram (S/C) S/o Sri Pooan Lal	23-12-57	M.A.	05-07-83	05-07-83	
102.	Mahabir Prasad (S/C)	22-03-57	B.A.	03-07-83	03-07-83	
103.	Ram Khilawan (S/C)	15-07-56	B.A.	03-07-83	03-07-83	
104.	Amar Nayyan (S/C)	10-02-61	B.A.	07-07-83	07-07-83	
105.	Mani Ram Rawat (S/C)	05-10-53	B.A.	20-07-83(AN)	20-07-83(AN)	
106.	Vacant	--	--	--	--	

To be filled up by eligible
Candidate on the basis

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
S/Sri						
107. Shyam Kumar (S/C)	13-06-56	B.A.		19-09-83	19-09-83	
108. Hukun Singh (S/C)	23-08-51	B.A., LLB		17-09-83(AN)	17-09-83(AN)	
109. Srikrishna Azad (S/C)	15-03-56	B.A.		21-09-82	21-09-83	
110. Smt. Panno Sonker (S/C)	15-10-54	P.A.		20-09-83	20-09-83	
111. Mahendra Prasad (S/C)	15-07-59	B.A.		19-09-83	19-09-93	
112. Dilip Kumar Acharya	26-09-50	H.S.L.C.		22-04-69	17-10-83	Transferee

Note :- The vacant points (Sl.No. 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, & 106) are to be filled up by eligible candidates after decision regarding the issue about demerit reservation.

(Lokhan Singh)
Assistant Director

Attested True Copy


L.P. SHUKLA
Advocate

Sulhas Singh

4

सेवक,

निदेशक,

जनगणना परिचालन, उ०प्र०,

25 नवल किशोर रोड,

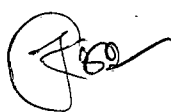
लखनऊ।

विषय:- दिनांक 31-12-87 को प्रकाशित अन्तिम वरीयता सूची के संबंध में।

कार्यालय पत्रांक एई/2-85/डो०सी०ओ०-यू०पी०/ए/4937 दिनांक 31-12-87 के द्वारा जो कर्मचारियों को अन्तिम वरीयता सूची प्रकाशित की गयी है वह वैधानिक नियमों के बिल्कुल विपरीत और संदिग्ध है। अतएव उक्त अन्तिम वरीयता सूची के निर्धारण करने में निम्न तथ्यों का कार्यालयादेशों एवं नियमों पर विचार नहीं किया गया है। इसके निर्धारण तथा प्रकाशन में निम्न तथ्य विचाराधीन हैं :-

- 1- यह कि प्रार्थी को नियुक्ति कार्यालय पत्रांक एई/डी.सी.ओ.-यू.पी./ए.1541 दिनांक 4/4/1983 के द्वारा अस्थाई रूप से दिनांक 7-4-1983 को हुई थी।
- 2- यह कि आपरैटर पद पर वांछित योग्यता पंचिंग मांगी गयी थी।
- 3- यह कि कार्यालय पत्रांक एई/डी.सी.ओ.-यू.पी./ए 768 दिनांक 10-2-82 के द्वारा आपरैटर पद पर वयन हेतु वांछित योग्यता में कोर्डिंग एवं पंचिंग योग्यता मांगी गयी थी।
- 4- यह कि उपर्युक्त परिपत्र के संबंध में निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 18-2-82 द्वारा निम्न संशोधन हुआ *The Punching qualification is necessary.*
- 5- यह कि निदेशालय के पत्रांक दिनांक 17 सितम्बर 1984 द्वारा एक सूची प्रकाशित की गयी जिसके द्वारा अनुभाग में कार्यरत आपरैटरों को नियमानुसार नियमित कर दिया गया। इस सूची के अनुसार आपत्तिकर्ता का नाम क्रम संख्या 6 पर दर्शाया गया था और नियमित करने की तिथि 7/4/1983 दर्शायी गयी थी।
- 6- यह कि सूची दिनांक 17 सितम्बर 1984 में 5 व्यक्ति आपत्तिकर्ता से वरिष्ठ माने गये और शेष सभी कनिष्ठ।
- 7- यह कि निदेशालय के पत्रांक एई/डी.सी.ओ.-यू.पी./ए-4520 द्वारा दिनांक 17 सितम्बर 84 द्वारा प्रार्थी को नियमित नियुक्ति किया गया। जिसमें प्रार्थी का नाम नं.-6 पर दर्शाया गया।
- 8- यह कि अन्तिम वरीयता सूची को तैयार करने में संविलयन विधि, रॉस्टर प्वाइन्ट, मेरिट का सिद्धान्त कर्मचारियों के वयन की वैधानिकता आदि के मूल सिद्धान्तों को नजरअंज किया गया है।

Attested/True Copy


L. P. SANYAL
Advocate

.....2/-

-: 2 :-

अन्तिम वरीयता सूची के निर्धारण का वैधानिक विश्लेषण

- 1- यह कि कार्यालय पत्रांक ए-768 दिनांक 10-2-82 द्वारा कार्यालय स्थापन द्वारा आपरेटर पद पर वांछित योग्यता में पंक्तिंग मांगी गयी है। इस आधार पर भी पंक्तिंग टेस्ट देने वाले कर्मचारियों को टाइप राइटिंग टेस्ट देने वाले कर्मचारियों के बाद नहीं रखा जाना चाहिए अतएव यह अन्तिम वरीयता सूची आधारहीन एवं गलत है।
- 2- यह कि उपर्युक्त कार्यालय परिपत्र ए-768 दिनांक 10-2-82 के संबंध में निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 18-2-82 द्वारा निम्न संशोधन हुआ।
The Punching qualifications is necessary for Operator 1st class
उपरोक्त निदेशक महोदय के आदेश के अनुसार भी पंक्तिंग टेस्ट देने वाले कर्मचारियों को समस्त टाइप टेस्ट देने वाले कर्मचारियों के बाद नहीं प्रतिस्थापित किया जा सकता। इस आदेश का भी इस प्रकाशित आपरेटर अन्तिम वरीयता सूची में सुला अल्लंघन किया गया है। अतएव यह अन्तिम आपरेटर वरीयता सूची सारहीन एवं तथ्यहीन है।
- 3- यह कि भिन्न भिन्न योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को अन्तिम वरीयता सूची निर्धारित करने की संविलयन विधि का अनुपालन भी नहीं किया गया है। जबकि चयनित कर्मचारियों के नामों को मेरिट आधार पर प्रकाशित एवं प्रचालित भी नहीं किया गया था इस लिए यह मेरिट लिस्ट अब सारहीन है। अलग अलग तिथियों में टेस्ट का नियम भी प्रतिपादित नहीं किया गया है। स्पष्टतः यह सूची तथ्यहीन है।
- 4- यह कि जैसा कि सूची से हो विदित है कि जो लोग सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए हैं उनकी पहली सरकारी सेवा यदि कोई है तो वह वरीयता सूची में उनका नाम वरिष्ठ दिखाने के लिए उस सेवा काल को जोड़ा जाना नियम विरुद्ध है बल्कि उनका सेवा काल जबकि वह सीधी भर्ती द्वारा सिद्ध गए हैं किसी एक तिथि या तो नियुक्ति की तिथि से या नियुक्ति को नियमित किये जाने की तिथि से जोड़ा जाना चाहिए न कि उन सेवाओं को जोड़ा जाय जो कि उन्होंने सीधी भर्ती की दिनांक से पहले की हों।
- 5- यह कि सूची में अन्य बहुत से वरिष्ठ आपरेटर जिसमें आपत्तिकर्ता भी है को कनिष्ठ दर्शाया गया है और जो उनसे बाद में नियुक्त किये गये हैं उन्हें वरिष्ठ दिखाया गया है। यह भी गलत है।

Attested/True Copy

.....3/-


 L. P. SINGLA
 Advocate

-: 3 :-

- 6- आपत्तिकर्ता इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता है कि आपरैटर के पद की कोई अन्य वर्गीकरण नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि दो अलग पद पर कार्य करने वाले आपरैटर को अलग-2 वर्ग में बाँट दिया गया हो और यदि ऐसा है भी तो वह भी नियम विरुद्ध है क्योंकि किसी भी नियम द्वारा वर्गों के आधार पर नियुक्ति की दिनांक और नियमित नियुक्ति की दिनांक को छोड़कर वर्गीकरण करना या वरीयता से वर्गों के आधार पर वरीयता देने का प्राविधान नहीं है। अतः नियुक्तियों की दिनांक एवं नियुक्तियों को नियमित करने की दिनांक के अतिरिक्त वरीयता सूची बनाने के लिए किसी और आधार का बना लेना धोर अनियमितता होगी। जैसा कि उल्लिखित वरीयता सूची में किया गया प्रतीत होता है।
- 7- यह कि अन्तिम वरीयता सूची के पढ़ने से यह ज्ञात ही नहीं होता कि वरीयता का आधार क्या माना गया है। प्रमाण के लिए निदेशालय के पत्रांक दिनांक 17 सितम्बर 1984 जिसके द्वारा नियुक्तियों नियमित की गई, श्री चुन्नी लाल आपरैटर की क्रम संख्या 1 है तथा अन्तिम वरीयता सूची में उसका नाम क्रम संख्या 98 पर दिखाया गया है जबकि उसकी सरकारी सेवाओं में जाने की दिनांक 26-7-73 दिखाई गयी है जबकि क्रम संख्या 14 एवं 15 की सरकारी सेवाओं में जाने की दिनांक 1-7-82 हो दिखाई गई है जबकि उनका नाम वरीयता सूची के क्रम 14 व 15 पर दिखाया गया है। जिसका कोई कारण व आधार प्रदर्शित नहीं होता है।
- 8- यह कि कार्यभार ग्रहण करने हेतु जो अलग अलग दिनांक 4-4-83, 11-4-83, 16-4-83, 26-4-83, 15-5-83, 3-6-83, 16-6-83 एवं 2-7-83, 16-9-83 का 9 बार नियुक्ति पत्र दिये गये उसमें पंचिंग और टाइप टेस्ट दोनों के ही चुने गये अभ्यर्थी थे। जिक्र कि आपके कार्यालय पत्रांक - AE (DOF) D.O. No. 112, dated 16.11.83 के अनुसार ही नियुक्ति मेरिट के आधार पर ही दिये गये थे। परन्तु आपकी अन्तिम वरीयता सूची में उपरोक्त पत्रांक के कोई भी आधार नहीं माना गया जो कि नियम के विरुद्ध है अतः यह अन्तिम वरीयता सूची आधारहीन एवं गलत है।
- 9- यह कि यदि नियमानुसार नियुक्ति की दिनांक या नियुक्तियों नियमित करने की दिनांक को आधार मानकर यदि वरीयता सूची बनाई जाती है तो प्रार्थी का नाम वरीयता सूची में क्र. संख्या ---6--- पर आना चाहिए।

.....4/-

Attested/True Copy


L. S. JHARIA
Advocate

-: 4 :-

- 10- यह कि क्रमांक 14 से 41 तक के आपरेटरों के नाम को मेरिट आधार पर ध्यान किये जाने के संबंध में विवरण नहीं अंकित है और न ही प्रकाशित कार्यालय शापन संख्या एई/डी.सी.ओ.-यू.पी./ए 4937 दिनांक 31-12-87 में यह स्पष्ट लिखा गया है कि अग्रे वरीयता सूची मेरिट आधार पर तैयार की गई है केवल रिक्त पदों क्रमांक 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59, 61 एवं 106 अनुक्रमांक के लिए मेरिट आधार रखा गया है। जबकि यह क्रम रॉस्टर प्वाइन्ट के हिसाब से सही आधार नहीं है।
- 11- यह कि अन्तिम वरीयता सूची से स्पष्ट है कि क्रमांक 1 से 10 के आपरेटरों को उनके जनगणना निदेशालय में सहायक संकलक/सहा.संग. पद को ध्यान में रख कर वरिष्ठ बना दिया गया है जो कि यही नियम आपत्तिकर्ता के संबंध में लागू नहीं किया गया है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा सेवा नियम नियुक्ति शर्तों के विपरीत है।
- 12- यह कि कार्यालय पत्रांक एई/सी.डी.ई/डी.सी.ओ. यू.पी. 2599 दिनांक 25-5-84 को यदि ध्यान से देखा जाय तो वरिष्ठता क्रम न होने के बावजूद भी अपना यह आधार है वह यह कि प्रत्येक अलग-अलग लिस्टों से ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को उनकी ज्वाइनिंग तिथि के अनुसार से क्रम में रखा गया है जो अपने में एक तथ्य मुक्त आधार पर आधारित है।
- 13- इस प्रकार यह आपरेटर अन्तिम वरीयता सूची विसंगतियों से परिपूर्ण है और वैधानिक आधारों से विहीन है क्योंकि कार्यालय आदेशों प्रमाणों को धियाया गया है। साथ ही साथ सिद्धान्तों को तोड़ मरोड़ कर रखा गया है। उदाहरणार्थ कार्य भार ग्रहण की तिथि का 74-03-व्यक्ति कर्मचारी क्रमांक 6 से 60 पर के सिद्धान्तों पर ऐसे प्रतिस्थापित किया है जिसमें न टेस्ट नम्बर का आधार है और न ही मेरिट का संविलयन आधार ही निरूपित करता है।

इस प्रकार यदि नियमानुसार नियुक्ति की तिथि या नियुक्तियों को नियमित करने को दिनांक के आधार मानकर यदि वरीयता सूची बनायी जाती है तो प्रार्थी का नम्बर वरीयता सूची में क्रम संख्या 6 पर आना चाहिए। उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए अन्तिम वरीयता सूची को अन्तिम रूप देने से पहले वरीयता सूची को कोई आधार नियमानुसार निर्धारित कर लिया जाय और तब अन्तिम वरीयता सूची तैयार की जाय ताकि प्रार्थी व अन्य के साथ न्याय हो सके।

Attached/True Copy

.....5/-



L. S. CHAKIA
Advocate

AM

84

-: 5 :-

उपरोक्त तथ्यों एवं विवरणों के आधार पर आपत्तिकर्ता के साथ
न्याय किया जाय ।

धन्यवाद,

आपत्ति कर्ता

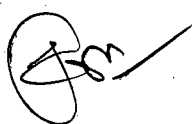
सुखलता देवी

दिनांक :

26/2/00

ब्रमांक-60-अन्तिम वरोपता सूची ।

Attested/True Copy



L. P. HUKLA
Advocate

सेवा में,

निदेशक,
जनगणना परिचालन, 3090,
25-नवल किशोर रोड,
लखनऊ ।

Subodh Bihari Singh 2
Representation + a.p. Letter

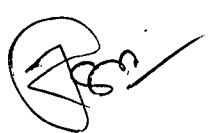
विषय: दिनांक 31.12.87 को प्रकाशित अनन्तिम वरीयता सूची के सम्बन्ध में ।
.....

कार्यालय पत्रांक ए ई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए/4937 दिनांक 31.12.87 के द्वारा जो कर्मचारियों की अनन्तिम वरीयता सूची Tentative Seniority List प्रकाशित की गई है वह संवैधानिक नियमों के बिल्कुल विपरीत और संदिग्ध है। अतएव उक्त अनन्तिम वरीयता सूची के निर्धारण करने में रूख निम्न तथ्यों/ कार्यालयादेशों एवं नियमों पर विचार नहीं किया गया है। इसके निर्धारण तथा प्रकाशन में निम्न तथ्य विचाराधीन हैं:-

- 111 यह कि प्राथी की नियुक्ति कार्यालय पत्रांक ए-1547 दिनांक 4-4-83 के द्वारा अस्थाई रूप से दिनांक 7-4-83 को हुई थी ।
- 121 यह कि आपरेटर पद पर वांछित योग्यता पंचिस मांगी गई थी ।
- 131 यह कि कार्यालय पत्रांक ए ई/डी0सी0ओ0यू0पी0/ए 768 दिनांक 10.02.82 के द्वारा आपरेटर पद पर चयन हेतु वांछित योग्यता में कोडिंग एवं पंचिंग योग्यता मांगी गई थी।
- 141 यह कि उपर्युक्त परिपत्र के संबंध में निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 18.2.82 द्वारा निम्न संशोधन हुआ " The Punching Qualification is necessary"
Sd/- Director 18/2/82
- 151 यह कि निदेशालय के पत्रांक दिनांक 17 सितम्बर, 1984 द्वारा एक सूची प्रकाशित की गई जिसके द्वारा अनुभाग में कार्यरत आपरेटरों को नियमानुसार नियमित कर दिया गया। इस सूची के अनुसार आपत्तिकता का नाम क्रम संख्या 7 (छ) पर दर्शाया गया था और नियमित करने की तिथि 7-4-83 दर्शायी गई थी।
- 161 यह कि सूची दिनांक 17 सितम्बर, 1984 में 6 (छ) व्यक्ति आपत्तिकता से वरिष्ठ माने गए और शेष सभी कनिष्ठ।
- 171 यह कि निदेशालय के पत्रांक दिनांक 27-11-84 द्वारा प्राथी को 7-4-86 से अर्द्ध स्थायी रूप से नियुक्त किया गया ।
- 181 यह कि अनन्तिम वरीयता सूची को तैयार करने में संविलयन विधि, रॉस्टर प्वाइन्ट, मेरिट का सिद्धान्त कर्मचारियों के चयन की वैधानिकता आदि के मूल सिद्धान्तों को नजरंदाज किया गया है।

.....

Attested True Copy



L. P. SHUKLA
Advocate.

I 2 I

अनन्तिम वरीयता सूची के निर्धारण का वैधानिक विश्लेषण

=====

- 111 यह कि कार्यालय पत्रांक ए 768 दिनांक 10.2.82 द्वारा कार्यालय ज्ञाप द्वारा आपरेटर पद पर वांछित योग्यता में पंचिंग मांगी गई है। इस आधार पर भी पंचिंग टेस्ट देने वाले कर्मचारियों को टाइप राइटिंग टेस्ट देने वाले कर्मचारियों के बाद नहीं रखा जाना चाहिए अतएव यह अनन्तिम वरीयता सूची आधारहीन एवं गलत है।
- 121 यह कि उपर्युक्त कार्यालय परिपत्र ए-768 दिनांक 10.2.82 के संबंध में निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 18.2.82 द्वारा निम्न संशोधन हुआ "The Punching qualification is necessary" sd/- Director 18/2/82
- उक्त निदेशक महोदय के आदेश के अनुसार भी पंचिंग टेस्ट देने वाले कर्मचारियों को समस्त टाइप टेस्ट देने वाले कर्मचारियों के बाद नहीं प्रतिस्थापित किया जा सकता। इस आदेश का भी इस प्रकाशित आपरेटर अनन्तिम वरीयता सूची में खूना उल्लंघन किया गया है। अतएव यह ~~अनन्तिम~~ अनन्तिम आपरेटर वरीयता सूची सारहीन एवं तथ्यहीन है।
- 131 यह कि भिन्न भिन्न योग्यता रखने वाले कर्मचारियों की अनन्तिम वरीयता सूची निर्धारित करने की संविलयन विधि का अनुपालन भी नहीं किया गया है। जब कि चयनित कर्मचारियों के नामों को मेरिट के आधार पर प्रकाशित एवं प्रचलित भी नहीं किया गया था इस लिए यह मेरिटलिस्ट अब सारहीन है। अतः अलग अलग तिथियों में टेस्ट का नियम भी प्रतिपादित नहीं किया गया है। स्पष्टतः यह सूची तथ्यहीन है।
- 141 यह कि जैसा कि सूची से ही विदित है कि जो लोग सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए हैं उनकी पहली सरकारी सेवा यदि कोई है तो वह वरीयता सूची में उनका नाम वरिष्ठ दिखाने के लिए उस सेवा काल को जोड़ा जाना नियम के विरुद्ध है बल्कि उनका सेवा काल जबकि वह सीधी भर्ती द्वारा लिए गए हैं किसी एक तिथि या तो नियुक्ति की तिथि से या नियुक्ति को नियमित किये जाने की तिथि से जोड़ा जाना चाहिए न कि उन सेवाओं को जोड़ा जाय जो कि उन्होंने सीधी भर्ती की दिनांक से पहले की हों।
- 151 यह कि सूची में अन्य बहुत से वरिष्ठ आपरेटर जिसमें आपत्तिकता भी है को कनिष्ठ दर्शाया गया है और जो उनसे बाद में नियुक्त किए गए आपरेटर हैं उन्हें वरिष्ठ दिखाया गया है।
- 161 आपत्तिकता इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता है कि आपरेटर के पद का कोई अन्य वर्गीकरण नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि दो अलग पर पर कार्य करने वाले आपरेटर को अलग-अलग वर्ग में बांट दिया गया हो और यदि ऐसा है भी तो यह भी नियम विरुद्ध है क्योंकि किसी भी नियम के विरुद्ध है क्योंकि किसी भी नियम द्वारा वर्गों के आधार पर नियुक्ति की दिनांक और नियमित नियुक्ति की दिनांक को छोड़कर वर्गीकरण करना या वरीयता में वर्गों के आधार पर वरीयता देने का प्राविधान नहीं है। अतः नियुक्तियों की दिनांक एवं नियुक्तियों को नियमित करने की दिनांक के अतिरिक्त वरीयता सूची बनाने के लिए किसी और आधार का बना लेना घोर

Attested True Copy



L. P. SHUKLA
Advocate

.....

अनियमितता होगी। जैसा कि उल्लिखित वरीयता सूची में किया गया प्रतीत होता है।

17। यह कि अनन्तिम वरीयता सूची के पढ़ने से यह ज्ञात ही नहीं होता कि वरीयता का आधार क्या माना गया है। प्रमाण के लिए निदेशालय के पत्रांक दिनांक 17 सितम्बर, 1984 जिसके द्वारा नियुक्तियों नियमित की गई, श्री चुन्नी लाल आपरेटर की क्रम संख्या 1 है तथा अनन्तिम वरीयता सूची में उसका नाम क्रम संख्या 98 पर दिखाया गया है जबकि उसकी सरकारी सेवाओं में आने की दिनांक 26.7.73 दिखाई गई है जबकि क्रम संख्या 14 एवं 15 की सरकारी सेवाओं में आने की दिनांक 1.7.82 ही दिखायी गई है जबकि उनका नाम वरीयता सूची में क्रमशः 14 व 15 पर दिखाया गया है। जिसका कोई कारण व आधार प्रदर्शित नहीं होता है।

18। यह कि कार्य भार ग्रहण करने हेतु जो अलग अलग दिनांकों 4.4.83, 11.4.83, 16.4.83, 26.4.83, 15.5.83, 3.6.83, 16.6.83 एवं 2.7.83, 16.9.83 को 9 बार नियुक्ति पत्र दिये गये उसमें पंचिंग और टाइप टेस्ट दोनों के ही चुने गये अभ्यर्थी थे, जिनको कि आपके कार्यालय पत्रांक ए ई/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए 4937 दिनांक 21 अप्रैल, 83 के अनुसार ही नियुक्ति मेरिट के आधार पर ही दिये गये थे। परन्तु आपकी अनन्तिम वरीयता सूची में उपरोक्त पत्रांक से कोई भी आधार नहीं माना गया जो कि नियम के विरुद्ध है अतः यह अनन्तिम वरीयता सूची आधारहीन एवं गलत है।

19। यह कि यदि नियमानुसार नियुक्ति की दिनांक या नियुक्तियों नियमित करने की दिनांक को आधार मानकर यदि वरीयता सूची बनाई जाती है तो प्राप्ति का नाम वरीयता सूची में क्रम संख्या 20 पर आना चाहिए।

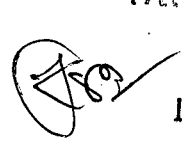
210। यह कि क्रमांक 14 से 41 तक के आपरेटरों के नाम को मेरिट आधार पर चयन किये जाने के संबंध में विवरण नहीं अंकित है और न ही प्रकाशित कार्यालय आप संख्या ए ई/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए 4937 दिनांक 31.12.87 में यह स्पष्ट लिखा गया है कि अमुक वरीयता सूची मेरिट आधार पर तैयार की गई है केवल रिक्त पदों क्रमांक 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59, 61 एवं 106 अनुक्रमांक के लिए मेरिट आधार रखा गया है। जबकि यह क्रम रोल्टर प्वाइन्ट के हिसाब से सही आधार नहीं है।

111। यह कि अनन्तिम वरीयता सूची से स्पष्ट है कि क्रमांक 1 से 13 के आपरेटरों को उनके जनगणना निदेशालय में सहायक संकलक / सह-संगणक पद को ध्यान में रख कर वरिष्ठ बना दिया गया है जो कि यही नियम आपत्तिकता के संबंध में लागू नहीं किया गया है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा सेवा नियम नियुक्ति शर्तों के विपरीत है।

112। यह कि कार्यालय पत्रांक ए ई/डी0सी0ओ0/डी0सी0ओ0यू0पी0 4590 दिनांक 25.5.84 को यदि ध्यान से देखा जाय तो वरिष्ठता क्रम न होने के बावजूद भी अपना एक आधार है वह यह कि प्रत्येक अलग अलग लिस्टों से ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को उनकी ज्वाइनिंग तिथि के अनुसार से क्रम में रखा गया है जो अपने में एक तथ्य युक्त आधार पर आधारित है।

Attested/True Copy

.....3.....


L. P. SHUKLA
Advocate

113। इस प्रकार यह अपरेटर अनन्तिम वरीयता सूची विसंगतियों से परिपूर्ण है और वैधानिक आधारों से विहीन है क्योंकि कार्यालय आदेशों प्रमाणों को छिपाया गया है। साथ ही साथ सिद्धान्तों को तोड़ गरोड़ कर रखा गया है। उदाहरणार्थ कार्य भार ग्रहण की तिथि 7-4-83 चयनित कर्मचारी क्रमांक 7 से 53 पर किन सिद्धान्तों पर कैसे प्रतिस्थापित किया है जिसमें न जेस्ट नम्बर का आधार है और ब्रह्म न ही मेरिट का संविलयन आधार ही निरूपित करता है।

इस प्रकार यदि नियमानुसार नियुक्ति की दिनांक या नियुक्तियों को नियमित करने की दिनांक को आधार मानकर यदि वरीयता सूची बनायी जाती है तो प्राथी का नम्बर वरीयता सूची में क्रम संख्या 20 पर आना चाहिए।

उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए अनन्तिम वरीयता सूची को अन्तिम रूप देने से पहले वरीयता सूची का कोई आधार नियमानुसार निर्णित कर लिया जाय और तब अन्तिम वरीयता सूची तैयार की जाय ताकि प्राथी व अन्य के साथ न्याय हो सके।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवरणों के आधार पर आपत्तिकता के साथ न्याय किया जाय।

धन्यवाद।

दिनांक: 15-2-88

आपत्तिकता
श्री. व. विहारी सिंह

क्रमांक 53 अनन्तिम वरीयता सूची।

Attested True Copy



L. P. SHUKLA
Advocate

(7)

ANNEXURE NO **A-50**

The Director,
Census Operations,
Uttar Pradesh,
LUCKNOW.

Preliminary objections against tentative
Seniority list of the Trade of Operators
as on 1.10.1937 circulated under your letter
No. E/2-85/D.C.O.-U.P./A-4937 dated 31.12.37.

Respected Sir,

Having gone through the provisional seniority list referred to above calling upon the Staffs aggrieved to file objections, if any, within two months next after its issue, it is respectfully submitted as under :-

1. That it is a settled law that seniority as a matter of an administrative nature depending on rules which have been framed by the Government under Article 309 of the Constitution of India and while assigning the same, there shall be no arbitrary exercise of discretion.
2. That it is also a settled law that when a Government servant is given an opportunity to show cause or make representation against any tentative decision of the Government, the servant is to be told in the clearest terms with full particulars about the action proposed to be taken and the basis on which such tentative decision has arrived at, otherwise the action would be in violation of the Rules of Natural Justice.
3. That since in the instant matter of seniority, both the afore-mentioned provisions have been ignored, the tentative seniority list referred to above is not in order and correct as would be seen from the facts mentioned below:-

- Received
on copy
16/12/83*
- (a) The tentative seniority list is based on the policy of pick & choose and not on the fundamental rules of seniority.
 - (b) Neither the tentative seniority list nor the letter under which the same has been circulated show the relevant rules framed by the Government under Article 309 of the constitution which have been made a basis to draw such seniority of the staffs. Therefore, the representationist are handicapped in making an effective representation.
 - (c) In most of the cases, it will be seen that persons, who, by virtue of their merit positions as circulated finally on 21.4.83 under your letter No. A E/D.D.E./D.C.O.-U.P./A-1931, in the selection held, were called

Attested/True Copy

....?

L. P. SHUKLA
Advocate

- 2 -

first in order of seriatim to resume their duty in pursuance of your letters dated 4.4.83, 11.4.83, 16.4.83, 26.4.83, 16.6.83 and 2.7.83, have not been given correct position in the tentative seniority list from the date of their joining the working post rather they have been made juniors to those persons, who were called and joined their duties later on much after the resumption of the representationist.

(d) Under the fundamental law of Seniority, the person who, after selection, joins his duty earlier, as per his merit position will rank senior to those who join later on as the earlier immediately acquires a legal right by virtue of his being a Government Servant prior to acquisition of such right by the later. Since the tentative seniority list in question has not been drawn in conformance with such principles, the same requires modification accordingly.

(e) The vacant places shown at serial No. 42 to 46, 48 to 50, 54 to 57, 59, 61, 62 & 106 for reserved candidates have also not been worked out correctly according to the roster point. Therefore they were liable to be modified.

(f) It is evident from the tentative seniority list in question that persons shown from S.No. 1 to 13 have been given seniority from the date of their joining but the same treatment has been denied in the case of the representationist which is discriminatory and violative of Article 14 & 16 of the constitution of India.

4. That under the facts and circumstances, the seniority list should have been drawn on the principle of first come first served i.e. from the date of joining the working post, which has been ignored in the instant tentative seniority list in so far as the representationist is concerned.

5. That the name of the representationist, after the modification of the list on the formula set forth in para-4 above should have been assigned at S.No. 21 in the aforesaid tentative seniority list.

Attested/True Copy

.....1.....



L. P. SHUKLA
Advocate

- 3 -

It is, therefore, most respectfully prayed that a judicious view of the matter may kindly be taken and in that the representationist be given seniority from the date of their joining the working post i.e. at S.No. 21 or in the alternative, the representationist may be apprised of the relevant rules having the statutory force which have been made a basis of the seniority list in question and after that he may be given further time and opportunity to make an effective representation. It is further prayed that till the disposal of this representation and the representation proposed to be made, the tentative seniority list under this representation may not be allowed to attain finality.

It is hoped that justice as prayed would be given to the representationist.

Thanking you,

Yours faithfully,

Sanjesh Kumar

Shown at S.No. 52

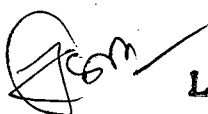
Tentative

Seniority list

Dated: 15/2/88

1.

Attested True Copy



L. P. SHUKLA
Advocate

सेवा में,

श्रीमान निदेशक महोदय,
जनगणना निदेशालय,
लखनऊ, यू०पी०

ANNEXURE NO **A-51**

विषय :- वरीयता सूची दिनांक 31.12.87 के विरुद्ध मांगी गयी आपत्ति
श्रीमानजी,

अन्तिम वरीयता सूची दिनांक 31.12.87 के विरुद्ध आपत्ति
कर्ता की आपत्तियाँ निम्न प्रकार है:-

111 यह कि प्राथी की नियुक्ति अर्थात् रूप से पत्र सं० दिनांक
4-4-1983 द्वारा की गयी थी। प्राथी ने दिनांक 4.4.1983 को अपना
कार्यभार संभाल लिया था परन्तु डाक्टरी प्रमाण पत्र आदि विलम्ब से
दिए जाने के कारण प्राथी की नियुक्ति दिनांक 8.4.83 से मानी गयी।

121 यह कि निदेशालय के पत्रांक दिनांक 17 सितम्बर, 1984 द्वारा
एक सूची प्रकाशित की गयी जिसके द्वारा अनुभाग में कार्यरत अपरेटरों
को नियमानुसार नियमित कर दिया गया। इस सूची के अनुसार आपत्तिकर्ता
का नाम क्रम संख्या-9 पर दर्शाया गया था और नियमित करने की
तिथि 8-4-1983 दर्शायी गयी थी।

131 यह कि सूची दिनांक 17 सितम्बर 1984 उपरोक्त में 8 व्यक्ति
आपत्तिकर्ता से वरिष्ठ माने गए और बाकी सभी कनिष्ठ।

141 यह कि निदेशालय के पत्रांक दिनांक 2-6-1986 द्वारा प्राथी
को 8-4-1986 से अर्थात् रूप से नियुक्त घोषित किया गया।

151 कार्यालय में कार्यरत समस्त अपरेटरों के पदों पर कार्यरत कर्मचारी-
रियों की अन्तिम वरीयता सूची दिनांक 31-12-1987 प्रकाशित की
गयी है तथा जिसपर आपत्तियाँ मांगी गयी है।

161 यह कि उक्त अन्तिम वरीयता सूची ने प्राथी को क्रम संख्या नं०
65 पर दर्शाया गया है अर्थात् 64 अपरेटर प्राथी से वरिष्ठ दर्शाये गए हैं।

171 यह कि सूची को देखने से क्रम संख्या 13 तक दिए गए नामों के
सामने अंकित कालमों में सरकारी सेवा में नियुक्ति का दिनांक तथा उससे
आगे अपरेटर की हैसियत से नियमित नियुक्ति का दिनांक दिया गया है
तथा विशेष कथ के कालम क्रम सं० 15 व उसके आगे सीधी भती द्वारा
नियुक्ति की गयी लिखा गया है।

Attested True Copy

===2पर

L. P. SHUKLA
Advocate

18। यह कि सूची में दर्शाये गए क्रम संख्या 13 तक के नामों में से भी पंजीकृत परीक्षा हुयी जिसमें से कुछ को क्रम संख्या 1 से 13 तक के मध्य दर्शाया है किन्तु उसी वर्ग के एक कर्मचारी श्री चुन्नी लाल को क्रम संख्या 98 पर दर्शाया गया है। क्रम संख्या 1 से 13 तक के अपरेटरों की वरीयता नियुक्ति की दिनांक से तथा श्री चुन्नीलाल को बिना किसी आधार के क्रम संख्या 98 पर रखा गया जो कि नियम के विरुद्ध है।

19। यह कि जैसा कि सूची से ही विदित है कि जो लोग सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किए गए हैं उनकी पहली सरकारी सेवा यदि कोई है तो वह वरीयता सूची में उनका नाम वरिष्ठ दिखाने के लिए उस सेवा काल को जोड़ा जाना नियम विरुद्ध है बल्कि उनका सेवाकाल जबकि वे सीधी भर्ती द्वारा लिए गए हैं किसी एक तिथि या तो नियुक्ति की तिथि से या नियुक्तियों को नियमित किए जाने की तिथि से जोड़ा जाना चाहिए न कि उन सेवाओं को जोड़ा जाए जो कि उन्होंने सीधी भर्ती की दिनांक से पहले की हों।

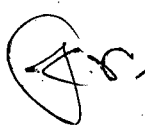
10। यह कि सूची में क्रम सं० नं० 17 पर दिखाये गए नाम श्री दिलीप निगम जिनकी सरकारी सेवाओं में नियुक्ति का दिनांक या सेवाओं को नियमित करने का दिनांक 8-4-1983 दिखाया गया है। और उसके बाद क्रम संख्या 18 पर श्री शिवचरण के नाम के आगे सेवाओं में आने का दिनांक 5-8-1980 तथा नियमित सेवा होने की तिथि दिनांक 4-4-1983 दर्शायी गयी है परन्तु श्री शिवचरण को कनिष्ठ व दिलीप निगम को वरिष्ठ दिखाया गया है जो कि न केवल नियम विरुद्ध है बल्कि किसी भी वैधानिक कारण के बिना ऐसा किया जाना प्रतीत होता है जिसका कोई कारण नहीं हो सकता।

11। इसी प्रकार सूची में अन्य बहुत से वरिष्ठ अपरेटर जिसमें कि आपत्तिकर्ता भी है को कनिष्ठ दर्शाया गया है और जो उनसे बाद में नियुक्त किए गए अपरेटर हैं उन्हें वरिष्ठ दिखाया गया है।

12। आपत्तिकर्ता इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता है कि अपरेटर के पद का कोई अर्थ वर्गीकरण नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जाए कि दो अलग पद पर कार्य करने वाले अपरेटरों को अलग-अलग वर्ग में

Attested/True Copy

--3



L. P. SHUKLA
Advocate

बांट दिया गया हो। और यदि ऐसा है भी तो वह भी नियम विरुद्ध है क्योंकि किसी भी नियम द्वारा वर्गों के आधार पर नियुक्ति की दिनांक और नियमित नियुक्ति की दिनांक को छोड़कर वर्गीकरण करना या वरीयता में वर्गों के आधार पर वरीयता देने का प्राविधान नहीं है।

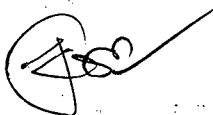
अतः नियुक्तियों की दिनांक एवं नियुक्तियों को नियमित करने की दिनांकों के अतिरिक्त वरीयता सूची बनाने के लिए किसी और आधार का बना देना धोरे अनियमितता होगी। जैसा कि उल्लिखित वरीयता सूची में किया गया प्रतीत होता है।

113। यह कि अन्तिम वरीयता सूची के पढ़ने से यह ज्ञात ही नहीं होता कि वरीयता का आधार क्या माना गया है। प्रमाण के लिए — निदेशालय के पत्रांक दिनांक 17 सितम्बर, 1984 जिसके द्वारा नियुक्तियाँ नियमित की गयी श्री चुन्नीलाल आपरेटर की क्रम संख्या-1, है तथा अन्तिम वरीयता सूची में उसका नाम क्रम संख्या 98 पर दर्ज किया गया है जबकि उसकी सरकारी सेवाओं में आने के दिनांक 26.7.1973 दिखायी गयी है जबकि कु0 सरिता जैन व श्री रूपकिशोर निगम की सरकारी सेवा में आने की दिनांक 1-7-1982 ही दिखायी गयी है जबकि उनका नाम अन्तिम वरीयता सूची में क्रम 14 व 15 पर दिखाया गया है जिसका कोई कारण व आधार प्रदर्शित नहीं होता है।

114। यह कि यदि नियमानुसार नियुक्ति की दिनांक या नियुक्ति को नियमित करने की दिनांक को आधार मानकर यदि वरीयता सूची बनाई जाती तो प्राथी का नम्बर वरीयता सूची में क्रम सं० 22 पर आना चाहिए।

115। यह कि अन्तिम वरीयता सूची में जो क्रम संख्याएँ रिक्त इस आशय के साथ छोड़ी गयी है कि उन क्रम संख्याओं पर उन आपरेटरों का नाम लिखा जाएगा जो सक्षम हों या जिनको बाद में नियमित किया जाएगा। ऐसा किया जाना भी नियम विरुद्ध है जिसके लिए कोई आधार नहीं है कि किसी किस क्रम संख्या पर रखा जाएगा और बीच वाली क्रम संख्याओं पर क्यों और किस आधार पर रखा जाएगा इसके लिए कोई आधार नहीं है। यदि ऐसा किया जाता है तो वह नियम विरुद्ध होगा तथा फिर एक बार वरीयता सूची में अनियमितता हो जाएगी।

Attested True Copy



L. P. SHUKLA
Advocate

116। यह कि उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखाते हुए अन्तिम वरीयता सूची को अन्तिम रूप देने से पहले वरीयता का कोई आधार नियमानुसार निर्णय कर लिया जाए और तब अन्तिम सूची तैयार की जाए ताकि प्राथीय अन्य के साथ न्याय हो सके।

117। यह कि अन्तिम वरीयता सूची में दर्शाये गए क्रम सं० 11 तक आपरैटरों की उन्नति उच्च पद पर हो चुकी है और भास अप्रैल 1988 तक या बाद में जूनियर सुपरवाइजर के 19 पद रिक्त होंगे जिनपर आपरैटरों में से पदोन्नति वरीयता के आधार पर की जाएगी। आपत्तिकर्ता का स्थान वरीयता सूची में 22वें नम्बर पर होगा यदि वे नियमानुसार बनायी जाती हैं। अतः प्राथी/आपत्तिकर्ता की पदोन्नति की संभावना है जो कि वरीयता के आधार पर होनी है।

अतः प्राथी है कि अन्तिम वरीयता सूची नियमानुसार बनाकर प्राथी को उसके स्थान क्रम संख्या 22 पर दर्शाया जावे यह भी प्राथी की जाती है कि इस आपत्ति के निवारण के समय यदि उचित समझे तो आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर भी प्रदान कर दें।

धन्यवाद,

आपत्तिकर्ता
[Signature]

वसीम उलहक

आपरैटर

दिनांक:- 17-2-1989

Attested True Copy

[Signature]

L. P. SHUKLA
Advocate

Despatches No
A-779

सेवा में,

Des No - 256 वरीयता (अनन्तिम) 18/2

निदेशक,
जनगणना परिचालन, 3090,
25-नवल किशोर रोड,
लखनऊ ।

विषय: दिनांक 31.12.87 को प्रकाशित अनन्तिम वरीयता सूची के सम्बन्ध में ।

कार्यालय पत्रांक ए ई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए/4937 दिनांक 31.12.87

के द्वारा जो कर्मचारियों की अनन्तिम वरीयता सूची प्रकाशित की गई है वह सैधानिक नियमों के बिल्कुल विपरीत और संश्लिष्ट है। अतएव उक्त अनन्तिम वरीयता सूची के निर्धारण करने में उक्त निम्न तथ्यों/ कार्यालयादेशों एवं नियमों पर विचार नहीं किया गया है। इसके निर्धारण तथा प्रकाशन में निम्न तथ्य विचाराधीन हैं:

- 11। यह कि प्राचीन की नियुक्ति कार्यालय पत्रांक ए ई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए/4937 दिनांक 4/4/83 के द्वारा अस्थाई रूप से दिनांक 08/04/83 को हुई थी ।
- 12। यह कि आपरेटर पद पर वांछित योग्यता पंचिख मांगी गई थी ।
- 13। यह कि कार्यालय पत्रांक ए ई/डी0सी0ओ0यू0पी0/ए 768 दिनांक 10.02.82 के द्वारा आपरेटर पद पर चयन हेतु वांछित योग्यता में कोडिंग एवं पंचिख योग्यता मांगी गई थी।
- 14। यह कि उपर्युक्त परिपत्र के संबंध में निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 18.2.82 द्वारा निम्न संशोधन हुआ कि *Refranching Qualification is necessary* -
Sd/ Director :
- 15। यह कि निदेशालय के पत्रांक दिनांक 17 सितम्बर, 1984 द्वारा एक सूची प्रकाशित की गई जिसके द्वारा अनुभाग में कार्यरत आपरेटरों को नियमानुसार नियमित कर दिया गया। इस सूची के अनुसार आपत्तिकता का नाम क्रम संख्या 10 पर दर्शाया गया था और नियमित करने की तिथि 8/4/83 दर्शायी गई थी।
- 16। यह कि सूची दिनांक 17 सितम्बर, 1984 में 9 (नौ) व्यक्ति आपत्तिकता से वरिष्ठ माने गए और शेष सभी कनिष्ठ।
- 17। यह कि निदेशालय के पत्रांक दिनांक 27/11/86 द्वारा प्राचीन को 8/4/86 से अर्द्ध स्थायी रूप से नियुक्त किया गया ।
- 18। यह कि अनन्तिम वरीयता सूची को तैयार करने में संविलयन विधि, रॉस्टर प्वाइन्ट, मेरिट का सिद्धान्त कर्मचारियों के चयन की वैधानिकता आदि के मूल सिद्धान्तों को नजरंदाज किया गया है।

Attested True Copy

L. P. SINGLA
Advocate

अनन्तिम वरीयता सूची के निर्धारण का वैधानिक विश्लेषण

- 11। यह कि कार्यालय पत्रांक ए 768 दिनांक 10.2.82 द्वारा कार्यालय ज्ञाप द्वारा आपरेटर पद पर वांछित योग्यता में पंचिंग मांगी गई है। इस आधार पर भी पंचिंग टेस्ट देने वाले कर्मचारियों को टाइप राइटिंग टेस्ट देने वाले कर्मचारियों के बाद नहीं रखा जाना चाहिए अतएव यह अनन्तिम वरीयता सूची आधारहीन एवं गलत है।
- 12। यह कि उपर्युक्त कार्यालय परिपत्र ए-768 दिनांक 10.2.82 के संबंध में निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 18.2.82 द्वारा निम्न संशोधन हुआ है। *The Punching Qualification is necessary. Sd/ Director.* उक्त निदेशक महोदय के आदेश के अनुसार भी पंचिंग टेस्ट देने वाले कर्मचारियों को समस्त टाइप टेस्ट देने वाले कर्मचारियों के बाद नहीं प्रतिस्थापित किया जा सकता। इस आदेश का भी इस प्रकाशित आपरेटर अनन्तिम वरीयता सूची में सुझा उल्लंघन किया गया है। अतएव यह ~~अनन्तिम वरीयता सूची~~ अनन्तिम वरीयता सूची तारहीन एवं तथ्यहीन है।
- 13। यह कि भिन्न भिन्न योग्यता रखने वाले कर्मचारियों की अनन्तिम वरीयता सूची निर्धारित करने की संविलयन विधि का अनुपालन भी नहीं किया गया है। ज कि चयनित कर्मचारियों के नामों को मेरिट के आधार पर प्रकाशित एवं प्रचलित भी नहीं किया गया था इस लिए यह मेरिटलिस्ट अब तारहीन है। अलग अलग तिथियों में टेस्ट का नियम भी प्रतिपादित नहीं किया गया है। स्पष्टतः यह सूची तथ्यहीन है।
- 14। यह कि जैसा कि सूची से ही विदित है कि जो लोग सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए हैं उनकी पहली सरकारी सेवा यदि कोई है तो वह वरीयता सूची उनका नाम वरिष्ठ दिखाने के लिए उस सेवा काल को जोड़ा जाना नियम विरुद्ध है बल्कि उनका सेवा काल जबकि वह सीधी भर्ती द्वारा लिए गए हैं किसी एक तिथि या तो नियुक्ति की तिथि से या नियुक्ति को नियमित करने की तिथि से जोड़ा जाना चाहिए न कि उन सेवाओं को जोड़ा जा जो कि उन्होंने सीधी भर्ती की दिनांक से पहले की हों।
- 15। यह कि सूची में अन्य बहुत से वरिष्ठ आपरेटर जिनमें आपत्तिकता भी है को कनिष्ठ दर्शाया गया है और जो उनसे बाद में नियुक्त किए गए आपरेटर हैं उन्हें वरिष्ठ दिखाया गया है।
- 16। आपत्तिकता इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता है कि आपरेटर के पद का कोई अन्य वर्गीकरण नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि दो अलग पद पर कार्य करने वाले आपरेटर को अलग-अलग वर्ग में बांट दिया गया हो और यदि ऐसा है भी तो वह भी नियम विरुद्ध है, क्योंकि किसी भी नियम के विरुद्ध है क्योंकि किसी भी नियम द्वारा वर्गों के आधार पर नियुक्ति की दिनांक और नियमित नियुक्ति की दिनांक को छोड़कर वर्गीकरण करना या वरीयता में वर्गों के आधार पर वरीयता देने का प्राविधान नहीं है। अतः नियुक्तियों की दिनांक एवं नियुक्तियों को नियमित करने की तिथि के अतिरिक्त वरीयता सूची बनाने के लिए किसी और आधार का प्रयोग लेना घोर

Attested True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

। 3 ।

अनियमितता होगी। जैसा कि उल्लिखित वरीयता सूची में किया गया प्रतीत होता है।

- 171 यह कि अनन्तिम वरीयता सूची के पढ़ने से यह ज्ञात ही नहीं होता कि वरीयता का आधार क्या माना गया है। प्रमाण के लिए निदेशालय के पत्रांक दिनांक 17 सितम्बर, 1984 जिसके द्वारा नियुक्तियों नियमित की गई, श्री चुन्नी लाल आपरेटर की क्रम संख्या 1 है तथा अनन्तिम वरीयता सूची में उसका नाम क्रम संख्या 98 पर दिखाया गया है जबकि उसकी सरकारी सेवाओं में आने की दिनांक 26.7.73 दिखाई गई है जबकि क्रम संख्या 14 एवं 15 की सरकारी सेवाओं में आने की दिनांक 1.7.82 ही दिखायी गई है जबकि उनका नाम वरीयता सूची में क्रमशः 14 व 15 पर दिखाया गया है। जिसका कोई कारण व आधार प्रदर्शित नहीं होता है।
- 181 यह कि कार्य भार ग्रहण करने हेतु जो अलग-अलग दिनांकों 4.4.83, 11.4.83, 16.4.83, 20.4.83, 25.4.83, 3.6.83, 16.6.83 एवं 2.7.83, 16.9.83 को 9 बार नियुक्ति पत्र दिये गये उसमें पंचिंग और टाइप टेस्ट दोनों के ही चुने गये अभ्यर्थी थे, जिनको कि आपके कार्यालय पत्रांक ए डी/सी0डी0ओ0यू0पी0/ए 4937 दिनांक 31.12.83 के अनुसार ही नियुक्ति मेरिट के आधार पर ही दिये गये थे। परन्तु आपकी अनन्तिम वरीयता सूची में उपरोक्त पत्रांक से कोई भी आधार नहीं माना गया जो कि नियम के विरुद्ध है अतः यह अनन्तिम वरीयता सूची आधारहीन एवं गलत है।
- 191 यह कि यदि नियमानुसार नियुक्ति की दिनांक या नियुक्तियों नियमित करने की दिनांक को आधार मानकर यदि वरीयता सूची बनाई जाती है तो प्राथी का नाम वरीयता सूची में क्रम संख्या 23 पर आना चाहिए।
- 1101 यह कि क्रमांक 14 से 41 तक के आपरेटरों के नाम को मेरिट आधार पर चयन किये जाने के संबंध में विवरण नहीं अंकित है और न ही प्रकाशित कार्यालय छाप संख्या ए डी/डी0सी0ओ0यू0पी0/ए 4937 दिनांक 31.12.87 में यह स्पष्ट लिखा गया है कि अमुक वरीयता सूची मेरिट आधार पर तैयार की गई है केवल रिक्त पदों क्रमांक 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59, 61 एवं 106 अनुक्रमांक के लिए मेरिट आधार रखा गया है। जबकि यह क्रम रोलस्टर प्वाइन्ट के हिसाब से सही आधार नहीं है।
- 1111 यह कि अनन्तिम वरीयता सूची से स्पष्ट है कि क्रमांक 1 से 13 के आपरेटरों को उनके जनगणना निदेशालय में सहायक संकलक / सह संगणक पद को ध्यान में रख कर वरिष्ठ बना दिया गया है जो कि यही नियम आपत्तिकता के संबंध में लागू नहीं किया गया है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा सेवा नियम नियुक्ति शर्तों के विपरीत है।
- 1121 यह कि कार्यालय पत्रांक ए डी/सी0डी0ओ0यू0पी0/ए 2599 दिनांक 25.5.84 को यदि ध्यान से देखा जाय तो वरिष्ठता क्रम न होने के बावजूद भी अपना एक आधार है वह यह कि प्रत्येक अलग अलग लिस्टों से ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को उनकी ज्वाइनिंग तिथि के अनुसार से क्रम में रखा गया है जो अपने में एक तथ्य युक्त आधार पर आधारित है।

Attested/True Copy

..... 4.....



L. P. SHUKLA
Advocate

113। इस प्रकार यह आपरेटर अनन्तिम वरीयता सूची विसंगतियों से परिपूर्ण है और वैधानिक आधारों से विहीन है क्योंकि कार्यालय आदेशों प्रमाणों को छिपाया गया है। साथ ही साथ सिद्धान्तों को तोड़ मरोड़ कर रखा गया है। उदाहरणार्थ कार्य भार ग्रहण की तिथि का २६/०५/८३ चयनित कर्मचारी क्रमांक १० से ५२ पर किन सिद्धान्तों पर ऐसे प्रतिस्थापित किया है जिसमें न टेस्ट नम्बर का आधार है और ब्रह्म न ही मेरिट का संविलयन आधार ही निरूपित करता है।

इस प्रकार यदि नियमानुसार नियुक्ति की दिनांक या नियुक्तियों को नियमित करने की दिनांक को आधार मानकर यदि वरीयता सूची बनायी जाती है तो प्रार्थी का नम्बर वरीयता सूची में क्रम संख्या २३ पर आना चाहिए।

उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए अनन्तिम वरीयता सूची को अन्तिम रूप देने से पहले वरीयता सूची का कोई आधार नियमानुसार निर्धारित कर लिया जाय और तब अन्तिम वरीयता सूची तैयार की जाय ताकि प्रार्थी व अन्य के साथ न्याय हो सके।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवरणों के आधार पर आपत्तिकता के साथ न्याय किया जाय।

धन्यवाद।

दिनांक: 16/02/1983

आपत्तिकता

(प्रदीप कुमार)

क्रमांक ५२ अनन्तिम वरीयता सूची। 31/02/83

Attested/True Copy



L. P. SHUKLA
Advocate

The Director,
Census Operations,
Uttar Pradesh,
LUCKNOW.

Preliminary objections against tentative
Seniority list of the Trade of Operators
as on 1.10.1987 circulated under your letter
No.E/2-85/D.C.O. U.P./A-4937 dated 31.12.87.

Respected Sir,

Having gone through the provisional seniority list referred to above calling upon the staffs aggrieved to file objections, if any, within two months next after its issue, it is respectfully submitted as under :-

1. That it is a settled law that seniority as a matter of an administrative nature depending on rules which have been framed by the Government under Article 309 of the Constitution of India and while assignine the same, there shall be no arbitrary exercise of discretion.
2. That it is also a settled law that when a Government servant is given an opportunity to show cause or make representation against any tentative decision of the Government, the servant is to be told in the clearest terms with full particulars about the action proposed to be taken and the basis on which such tentative decision has arrived at, otherwise the action would be in violation of the Rules of Natural Justice.
3. That since in the instant matter of seniority, both the afore-mentioned provisions have been ignored, the tentative seniority list referred to above is not in order and correct as would be seen from the facts mentioned below :-

- (a) The tentative seniority list is based on the policy of pick & choose and not on the

Attested/True Copy

Contd.....2

L. P. SHUKLA
Advocate

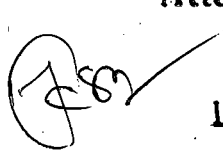
:: 2 ::

fundamental rules of seniority.

- (b) Neither the tentative seniority list nor the letter under which the same has been circulated show the relevant rules framed by the Government under Article 309 of the Constitution which have been made a basis to draw such seniority of the staffs. Therefore, the representationist are handicapped in making an effective representation.
- (c) In most of the cases, it will be seen that persons, who by virtue of their merit positions as circulated finally on 21.4.83 under your letter No. AE/D.D.E./DCO-U.P./A-1931 in the selection held, were called first in order of seriatim to resume their duty in pursuance of your letters dated 4.4.1983, 11.4.1983, 16.4.1983, 26.4.1983, 15.5.1983 and 3.7. 1983, have not been given correct position in the tentative seniority list from the date of their joining the working post rather they have been made juniors to those persons, who were called and joined their duties later on much after the resumption of the representationist.
- (d) Under the fundamental law of Seniority, the persons, who after selection, joins his duty earlier, will rank senior to those who join later on as the earlier immediately acquires a legal right by virtue of his being a Government servant prior to acquisition of such right by the later. Since the tentative seniority list in question has not been drawn in conformity with such principles, the same requires

Attested/True Copy

Contd.....3


L. P. SHUKLA
Advocate

:: 3 ::

with such principles, the same requires modification accordingly.

(e) The vacant places shown at serial No.42 to 46, 48 to 50, 54 to 57, 59, 61, 62 & 106 for reserved candidates have also not been worked out correctly according to the roster point. Therefore they are liable to be modified.

(f) It is evident from the tentative seniority list in question that persons shown from S.No. 1 to 13 have been given seniority from the date of their joining but the same treatment has been denied in the case of there representationist which is discriminatory and violative of Article 14 & 16 of the constitution of India.

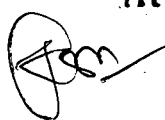
4. That under the facts and circumstances, the seniority list should have been drawn on the principle of first come first served i.e. from the date of joining the working post which has been ignored in the instant tentative seniority list in so far as the representationist is concerned.

5. That the name of the representationist, after the modification of the list on the formula set forth in para-4 above, should have been assigned at S.No. 27 in the aforesaid tentative seniority list.

It is, therefore, most respectfully prayed that a judicious view of the matter may kindly be taken and in that the representationist be given seniority from the date of their joining the working post i.e. at S.No. 27 or in the alternative, the representationist may be apprised of the relevant rules having the statutory force which have

Attested True Copy

Contd.....4



L.P. SHUKLA
Advocate

:: 4 ::

have made a basis of the seniority list in question and after that he may be given further time and opportunity to make an effective representation. It is further prayed that till the disposal of this representation and the representation proposed to be made, the tentative seniority list under this representation may not be allowed to attain finality.

It is hoped that justice, as prayed, would be given to the representationist.

Thanking you,

Yours faithfully,

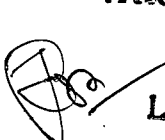
for and on behalf of

Dated : 09/02/80

Shown at S.No. 68
Tentative
Seniority list

received by 9/2/80

Attested/True Copy


L. P. SHUKLA
Advocate

सेवा में .

A131

104

श्रीमान् निदेशक महोदय ,
प्रमाणना निदेशालय ,
उत्तर प्रदेश ,
25, नवल किशोर रोड ,
लखनऊ

ANNEXURE NO A-54

विषय:-

दिनांक 1-10-87 की आपरेटर के पद पर कार्यरत
कर्मचारियों की अनन्तिम वरीयता सूची के
सम्बन्ध में आपत्ति ।

महोदय ,

आपके कार्यालय के पत्रांक एई/2-85/डी0सी0डी0
यूपी/ए- 4937 दिनांक 31-12-87 के द्वारा जो कर्मचारियों की
अनन्तिम वरीयता सूची प्रकाशित की गयी है वह सकेधानिक नियमों
के विरुद्ध विरहीत, नदिगता एवं आधारहीन प्रतीत होती है । अतएव
उक्त वरीयता सूची को अनन्तिम रूप से निधारिण करने के सम्बन्ध में
प्रार्थी जोगिन्द्र कुमार सिंह का निम्न निवेदन प्रस्तुत है :-

1- यह कि प्रार्थी की नियुक्ति कार्यालय पत्रांक सीक्या एई/
डीसीसी-यूपी/ए- 1652 दिनांक 11/4/83 के द्वारा अस्थायी
रूप से आपरेटर के पद पर वेतनमान 330-560 में हुई थी तथा प्रार्थी
ने अपना कार्यभार दिनांक 13.4.83 को प्रारम्भ किया ।

2- यह कि प्रार्थी की नियमित नियुक्ति कार्यालय पत्रांक सी
एई/डीसीसी/डी0डी0ई-यूपी/ए- 4520 दिनांक 17-9-84 के द्वारा
दिनांक 13.4.83 } कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं जन्म तिथि
में प्रदान की गयी जिसमें प्रार्थी का नाम क्रम सीक्या 16 पर
दर्शाया गया ।

3- यह कि प्रार्थी की कार्यालय पत्रांक एई/डीसीसी-यूपी
ए- 6012 दिनांक 27.11.86 के द्वारा दिनांक 13.4.86 से
अस्थायी रूप में नियुक्त घोषित किया गया ।

4- यह कि कार्यालय पत्रांक एई/डीसीसी-यूपी/ए- 768 द्वारा
एक परिपत्र निकाला गया जिसमें निदेशालय के डी0डी0ई सिस्टम में
530-560 वेतनमान में आपरेटर के अस्थायी पदों के हेतु विभिन्न श्रेणी
सारणीयन कार्यालय/आकड़ा प्रक्रिया अनुभाग एवं अन्य अनुभागों में
कार्यरत ऐसे कर्मचारियों से जिन्होंने निम्नलिखित वांछित योग्यताएं
एवं अर्हताएं रजाने हैं जैसाकि नीचे वर्णित है, प्रार्थना पत्र आमंत्रित
कर सकते हैं :-

{क} जिन्होंने वेतनमान/स्थिर वेतन पद दिनांक 31-1-82
तक 6 माह की सेवा अवधि पूर्ण करनी है ।

{ख} किसी मान्यता प्राप्त विनियमानय से स्नातक की
उपाधि या समकक्ष ।

{ग} आयुसीमा- 18 से 28 वर्ष हो ।

{घ} प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनन्तिम तिथि

25-2-82 तक ।

Attested/True Copy

क्रमांक-2-----

L. P. SHUKLA
Advocate

तथा टंकण परीक्षा द्वारा चयनित आपरेटरों को नत्वाचाव क्रम 40 67 से लेकर 112 तक में रखना चाहिये क्योंकि निर्देशांक प्रहोदय के 18-2-82 के संशोधित आदेशानुसार टंकण के मुद्राको में प्रमाण के आपरेटरों को करीयता। *Reference*। मिलना चाहिए।

11- यह कि यदि नियमानुसार ही नियुक्त के दिनांक या निमित्त नियुक्ति के दिनांक को आधार मानकर करीयता सूची बनायी जाती है तो भी प्रार्थी का नाम क्रम संख्या 16 पर ही आना चाहिए न कि क्रम संख्या 66 पर।

12- यह कि उक्त न्याय संगत आधार को अपनाने हुए पहले कार्यभार ग्रहण करने वाले आपरेटरों को यदि पहले रखा जाये और बाद में कार्यभार ग्रहण करने वाले आपरेटरों को बाद में रखा जाये तो डी0डी0ई0 सिस्टम के प्रत्येक आपरेटरों को अपना वही स्थान मिल सकेगा।

13- यह कि क्रमांक 14 से 41 तक के आपरेटरों के नाम की मेरिट के आधार पर चयन किये जाने के सम्बन्ध में विवरण नहीं अंकित है और न ही प्रकाशित कार्यालय ज्ञाप संख्या एई/डी0सी0ओ0-यूपी/ए-4957 दिनांक 31-12-87 में यह स्पष्ट लिखा गया है कि अमुक अनन्तिम करीयता सूची मेरिट के आधार पर तैयार की गयी है, केवल रिक्त पदों क्रमांक 42 से 46, 48 से 50, 54 से 57, 59, से 61, 62 एवं 106 अनुक्रमांक के लिये मेरिट आधार रखा गया है जबकि यह क्रम रोस्टर प्लावन्ट के विभाष से सही आधार नहीं है।

14- यह कि अनन्तिम करीयता सूची में जो स्थान रिक्त जोड़े गये हैं उन स्थानों को भी करीयता सूची में मौजूदा आपरेटरों को ही नियमानुसार अधिकार से प्रदान करना चाहिये तथा जो आपरेटर बाद में नियुक्त किया जायेगा वह करीयता सूची में बाद में स्थान पायेगा।

15- यह कि अनन्तिम करीयता सूची में दर्शाये गये आपरेटरों की पदोन्नति कनिष्ठ सुपरवाइजर के पद पर ही चुकी है तथा माह अप्रैल 1988 से कनिष्ठ सुपरवाइजर के 19 रिक्त पद होगें जिसपर *Direct Recruits* आपरेटरों में से ही पदोन्नति की जानी चाहिये क्योंकि माह अप्रैल 1988 में प्रार्थी कनिष्ठ सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति पाने का अधिकारी हो जायेगा।

16- यह कि भारत महारजिस्ट्रार कार्यालय नई दिल्ली के पत्रांक 4/1/80-ए0डी0-प्रथम दिनांक 18-3-80 द्वारा आपरेटर के पद पर नियुक्ति हेतु स्थानान्तरण के आधार पर भी कर्मचारियों को परीक्षा एवं टंकण परीक्षा देना अनिवार्य था, लेकिन उपरोक्त अनन्तिम करीयता सूची के क्रमांक 1 से 13 तक के कुछ कर्मचारियों को कोई भी परीक्षा नहीं ली गयी थी फिर भी उपरोक्त कर्मचारियों को किस आधार पर सर्वोच्च करीयता क्रम में रखा गया है।

17- इस प्रकार उक्त अनन्तिम करीयता सूची विगतियों में परिपूर्ण है और वैधानिक आधारों से विहीन है क्योंकि कार्यालय आदेशों/प्रमाणों को ध्यान में रखा गया है साथ ही साथ विद्वान्तों को तोड़ मरोड़ कर रखा गया है।

Attested/True Copy

क्रमांक---4-----



L. P. SHUKLA
Advocate

18-

यह कि यदि अनन्तिम वरीयता सूची को अनन्तिम रूप देने के पहले न्याय को ध्यान में रक्ताकर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का आधार लेकर वरीयता सूची का आधार निश्चित किया जाये तो प्रार्थीको न्याय मिल सकेगा ।

अतः श्रीमान् जी ये विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों एवं आपत्तियों पर विचार करते हुए अनन्तिम वरीयता सूची बनायी जाये जिससे प्रार्थी को न्याय मिल सके ।

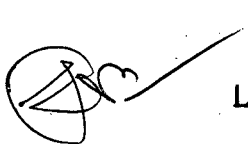
प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा ।

प्रार्थी,
म. सि. ए.

! नमोन्द कुमार् सिंह !
वापरेटर, डी 0 डी 0 50 मिस्टम

दिनांक: फरवरी 19, 1988

Attested/True Copy



L. P. SHUKLA
Advocate

सेवा में .

श्रीमान् निदेशक महोदय ,
जनगणना निदेशालय,
उत्तर प्रदेश
25, नवम किमी रोड ,
लखनऊ

ANNEXURE NO A-55

विषय:-

दिनांक 1-10-87 को अपरेटर के पद पर स्था-
रत कर्मचारियों की अनन्तिम वरीयता सूची के
सम्बन्ध में आपत्ति ।

महोदय .

आपके कार्यालय पत्रांक ए/2-85/डीसीजी-यूपी

ए-4937 दिनांक 31-12-87 के द्वारा जो कर्मचारियों की अनन्तिम
वरीयता सूची प्रकाशित की गयी है वह खैदानिक नियमों के विन्यक्त
विषयों में विद्यमान एवं आधारहीन प्रतीत होते हैं । अतः उक्त
वरीयता सूची को अनन्तिम रूप से निष्काशन करने के सम्बन्ध में
प्राथमिकता का निम्न निवेदन प्रस्तुत है :-

1- यह कि प्राथमिकता नियमित कार्यालय पत्रांक ए/डीसीजी-यूपी
यूपी/ए- 1653 दिनांक 11.4.1983 के द्वारा सन्धि/अस्थाई रूप
से अपरेटर के पद पर वेतनमान 330-560 में हुई थी तथा प्राथमिकता
अपना कार्यभार दिनांक 13.4.83 को प्रारम्भ प्रारम्भ किया ।

2- यह कि प्राथमिकता नियमित नियमित कार्यालय पत्रांक
ए/डीसीजी-यूपी/ए-4920 दिनांक 17-9-84 के द्वारा दिनांक
1 कार्यभार प्रारम्भ करने की तिथि एवं जन्म तिथि में प्रदान की गयी
जिसमें प्राथमिकता नाम वृत्त संख्या 17 पर दर्शाया गया ।

3- यह कि प्राथमिकता कार्यालय पत्रांक ए/डीसीजी-यूपी
ए- 6013 दिनांक 27.11.86 के द्वारा दिनांक 13.4.86 से
अर्धस्थायी रूप में नियुक्त घोषित किया गया ।

4- यह कि कार्यालय पत्रांक ए/डीसीजी-यूपी/ए-768 दिनांक
10-2-82 द्वारा एक परिपत्र निकाला गया जिसमें निदेशालय के
डी0डी0ई सिस्टम में 330-560 वेतनमान में अपरेटर के अस्थाई पदों के
हेतु विभिन्न क्षेत्रीय सारणीयन कार्यालय/आस्था प्रक्रिया अनुभाग एवं
अन्य अनुभागों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों से जिन्होंने निम्नलिखित
व्यक्ति योग्यताएं एवं अर्हताएं रखाते हैं जैसा कि नीचे वर्णित है प्राथमिकता
पत्र आश्रित कर सकते हैं :-

{क} जिन्होंने वेतनमान/स्थिर वेतन पद दिनांक
31-1-82 तक 6 माह की सेवा अवधि पूर्ण करली है ।

{ख} किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
की उपाधि या समकक्ष ।

{ग} आयुसीमा- 18 से 28 वर्ष हो ।

{घ} प्राथमिकता पत्र प्रस्तुत करने की अनन्तिम तिथि 25-2-82

तक

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

॥ड॥ चयन प्रक्रिया परीक्षा/माझात्कार के आधार पर सम्पादित की जायेगी ।

॥च॥ वाङ्मनीय- जोडिंग एवं पचिंग का कार्य में दो वर्ग का अनुभव ।

॥उ॥ परीक्षा ॥ हेण्ड पन्नेज ॥ के परिचालन में ही ली जायेगी

5- यह कि पत्रांक 768 दिनांक 10-2-82 के परिपत्र पर लाजित योग्यताओं के सम्बन्ध में निदेशक महीदय के आदेश दिनांक 18-2-82 द्वारा संगोधान किया गया "The Punching qualification is necessary" sd. Director 18/2

6- यह कि उक्त परिपत्र के आधार पर ही पचिंग की परीक्षा कई भिन्न-2 तिथियों में ली गयी तथा परीक्षा में पास उम्मीदवारों को चुना गया इसके अलावा कुछ कर्मचारियों की टंकण की परीक्षा ली गयी यद्यपि संबंधित परिपत्र में टंकण परीक्षा का कोई उल्लेख नहीं था ।

7- यह कि परीक्षा के उपरान्त चयन किये गये कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र क्रमांक: दिनांक 4-4-83 को 17, 11-4-83 को 12, 16-4-83 को 16, 20-4-83 को 18, 28-4-83 को 18, 3-6-83 को 10, 16-6-83 को 16, 2-7-83 को 10, एवं 5 कर्मचारियों को 16-9-83 को जारी किये गये तथा आदेशानुसार कर्मचारियों ने अपने नियुक्ति पत्र में दी गयी तिथियों के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

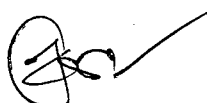
8- यह कि अपरेटर अनन्तम वरीयता सूची मेरिट के आधार पर बनाये जाने के पहले प्रत्येक अलग-2 हुए टेस्टों में चयनित कर्मचारियों के नाम की मेरिट आधार पर प्रकाशित एवं प्रचालित किया जाना परमावश्यक था, लेकिन मेरिट लिस्ट प्रकाशित एवं प्रचालित नहीं की गयी है तो मेरिट आधार मान्य नहीं होगा । न ही सभी अलग-2 बेंचों में नियुक्त किये गये कर्मचारियों को मनमाने ढंग से वरीयता छिन्दु पर एक क्रम पर रक्खा जा सकता है ।

9- यह कि 31-12-87 को प्रकाशित अनन्तम वरीयता सूची में प्रार्थीका नाम क्रम संख्या 67 पर रक्खा गया है तथा वरीयता सूची का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि कुल हुए 82 अपरेटरों में से सभी टंकण परीक्षा द्वारा चयन किये गये 29 अपरेटरों को क्रम संख्या 14 से 41 व 47 पर ऊपर रक्खा गया है तथा नीचे सभी हेण्ड पचिंग परीक्षा द्वारा चयनित 53 अपरेटरों को क्रम संख्या 51 से 53, 58, 60, 63, से 105 तथा 107 से 111 पर रक्खा गया है जो कि अतैधानिक एवं निराधार है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद की धारा 14 एवं 16 का स्पष्ट उल्लंघन है ।

10- यह कि चूंकि परिपत्र में निदेशक महीदय द्वारा संगोधान किया गया था कि "The Punching qualification is necessary" और टंकण के सम्बन्ध में कोई भी उल्लेख नहीं था इसी लिए उक्त वरीयता सूची का आधार पहले सभी पचिंग परीक्षा द्वारा चयनित

Attested/True Copy

क्रमांक-----3-----



L. P. SHUKLA
Advocate

आपरेटरों को क्रम संख्या 14 से लेकर 66 तक का स्थान मिलना चाहिए तथा टंकण परीक्षा द्वारा चयनित आपरेटरों को तत्पश्चात् क्रमांक 67 से लेकर 112 तक में रखना चाहिये क्योंकि निदेशांक महीदय के 18-2-82 के संशोधित आदेशानुसार टंकण के मुकाबले में पक्तिंग के आपरेटरों को वरीयता *Preference* मिलना चाहिये।

11- यह कि यदि नियमानुसार ही नियुक्त के दिनांक या नियमित नियुक्त के दिनांक को आधार मानकर वरीयता सूची बनायी जाती है तो भी पृथार्थी का नाम क्रम सं० 14 पर ही आना चाहिए न कि क्रम संख्या 67 पर।

12- यह कि उक्त न्याय संगत आधार को अपनाने हुए पहले कार्यभार ग्रहण करने वाले आपरेटरों को यदि पहले रखा जाये और बाद में कार्यभार ग्रहण करने वाले आपरेटरों को बाद में रखा जाये तो डी0डी0ई0 मिस्टम के प्रत्येक आपरेटरों को अपना सही स्थान मिल सकेगा।

13- यह कि क्रमांक 14 से 41 तक के आपरेटरों के नामों में मेरिट के आधार पर चयन किये जाने के सम्बन्ध में तिवरण नहीं अंकित है और न ही प्रकाशित कार्यालय जाप संख्या एई/डीपीजी-यूपी ए- 4937 दिनांक 31-12-87 में यह स्पष्ट लिखा गया है कि अमुक अनन्तिम वरीयता सूची मेरिट आधार पर तैयार की गयी है, केवल रिक्त पदों क्रमांक 42 से 46, 48 से 50, 54 से 57, 59, 61, 62 एवं 106 अनुक्रमांक के लिये मेरिट आधार रखा गया है जबकि यह क्रम रीस्टर प्लान्ट के हिसाब से सही आधार नहीं है।

14- यह कि अनन्तिम वरीयता सूची में जो स्थान रिक्त छोड़े गये हैं उन स्थानों को भी वरीयता सूची में मौजूदा आपरेटरों को ही नियमानुसार अधिकार से प्रदान करना चाहिये तथा जो आपरेटर बाद में नियुक्त किया जायेगा वह वरीयता सूची में बाद में स्थान पायेगा।

15- यह कि अनन्तिम वरीयता सूची में दर्शाये गये आपरेटरों की पदोन्नति कनिष्ठ सुपरवाइजर के पद पर हो चुकी है तथा माह अप्रैल 1988 से कनिष्ठ सुपरवाइजर के 19 पर रिक्त होंगे जिनपर *Direct Recruits* आपरेटरों में से ही पदोन्नति की जानी चाहिये क्योंकि माह अप्रैल 1988 में पृथार्थी कनिष्ठ सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति पाने का अधिकारी हो जायेगी।

16- यह कि भारत के महारजिस्ट्रार, नई दिल्ली के कार्यालय पत्र सं० 4/1/80-एडी-प्रथम दिनांक 18-3-80 द्वारा आपरेटर के पद पर नियुक्ति हेतु स्थानान्तरण के आधार पर ही कर्मचारियों को पक्तिंग एवं टंकण परीक्षा देना अनिवार्य था, लेकिन उपरोक्त अनन्तिम वरीयता सूची सूची में क्रमांक 1 से 13 के कुछ कर्मचारियों को कोई भी परीक्षा नहीं ली गयी थी फिर भी उपरोक्त कर्मचारियों को किस आधार पर सर्वोच्च क्रम में रखा गया है जबकि उपरोक्त कर्मचारियों ने माह अगस्त 1983 तक प्रतिनियुक्ति भत्ता भी लिया है।

Attested/True Copy

क्रमांक-4-----



L. P. SHUKLA
Advocate

17- इस प्रकार उक्त अनन्तिम वरीयता सूची विषयवस्तुओं में परिपूर्ण है और वैधानिक आधारों में ज़िहिन है क्योंकि कार्यालय आदेशों/प्राप्तियों को प्रियाया गया है साथ ही साथ विद्वानों को तौह मरोड़ कर रखा गया है ।

18- यह कि यदि अनन्तिम वरीयता सूची की अनन्तिम रूप देने से पहले न्याय की ध्यान में रखाकर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का आधार लेकर के वरीयता सूची का आधार निर्धारित किए जाये तो प्रार्थी को न्याय मिल सकेगा ।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्याएँ एवं आपत्तियों पर विचार करते हुए अनन्तिम वरीयता सूची बनायी जाये जिससे प्रार्थी को न्याय मिल सके ।

प्रार्थी आपसे मदद आभारी रहेगी ।

प्रार्थी A

दिनांक: फरवरी , 1988

! *Forward*
(अन्तिम प्रमाणित) !
आपरेटर, डी.डी. 080 विस्टम

*Received one copy
from
22/2*

Attested/True Copy

[Signature]
L. P. SHUKLA
Advocate

A-39

112

श्रीमान

निदेशक

जनगणना परिचालन, 3090

25, वातल विज्ञान रोड

महानगर

ANNEXURE NO **A-56**

विषय- दिनांक 1.10.57 के आफरटर के पद पर कार्यरत
कार्यरतों की अनुसूचित वरीयता सूची को निम्नानुसार
निर्धारण करने के संबंध में।

महोदय,

कार्यालय पत्रांक: 25/2-55/डी.सी.ओ.-यूपी/2-

4937 दिनांक 31/12/57 के द्वारा की जा रही है।

अनुसूचित वरीयता सूची (Tentative Sonmady List) प्रमाणित
की गयी है वह संवैधानिक नियमों के तहत निर्धारित और
संशोधित है। इस प्रकार अनुसूचित वरीयता सूची के निर्धारण
करने में निम्न तथ्यों का ध्यान रखा गया है कि निम्न पर कोई
विचार किया गया है। इसके निर्धारण तथा पुष्कल में निम्न
तथा विचारणीय है-

- 1- यह कि आफरटर पद पर चयन हेतु चार बार इकाई-2
तिथियों में टेस्ट लिए गए हैं।
- 2- यह कि आफरटर पद पर निर्धारित योग्यता पत्रिका/3 डीसीओ/25
गोता गयी गयी है।
- 3- यह कि कार्यालय पत्रांक 25/डी.सी.ओ.-यूपी/2-765
दिनांक 10/2/82 के द्वारा आफरटर पद पर चयन हेतु
निर्धारित योग्यता के निर्धारण एवं पत्रिका योग्यता गयी गयी है।

- 4- यह कि उपर्युक्त पत्रिका के सम्बन्ध में निदेशक महोदय
आदेश दिनांक 18/2/82 द्वारा संज्ञाएन हुआ है-

The Punching qualification is necessary.
Sd/- Director 15/2/82

- 5- यह कि अनुसूचित वरीयता सूची के तयार करने
में गूल सिद्धांतों को नोट किया गया है यथा-

Attested True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

Received
one copy
11/2/88
2-55 P.M.

मंजिलपन (Mangul Silily) विद्वा. रीटर लाइटर गैर
का सिद्धान्त, अर्थात्तः के चान की वैधानिकता आदि।

अनीन्तम तरीका सूची के निर्धारण का विधान,
निश्चयता:-

- 1- यह कि चार बार अलग-2 विधियों के लिए रीटों को
गैर है उनकी मैरि सूची अलग-2 ही होनी चाहिए।
कि न तो प्रकाश ही की गयी है और न ही वैधानिक
निर्धारण सिद्धान्त का पालन ही किया गया है। अतः
आदेश पत्रोंक सं 12-85/ वीसी ओ. यू पी / 1-1937
दिनांक 31/12/87 पूर्ण रूप से तथ्यहीन एवं अशुद्ध।
- 2- यह कि आदेश पत्रोंक सं-768 दिनांक 10/2/82 द्वारा
आपरेटर पर पर आदेश जारी किया गया है। इस आधार पर भी
पंचिका/अंग्रेजी टाइप गैर गयी है। इस आधार पर भी
पंचिका रीटर देने वाले अर्थात्तः के रीटों के तथ्यहीन
अर्थात्तः के तथ्य ही राका जाना चाहिए। अतः यह
अनीन्तम तरीका सूची आधार हीन एवं गलत है।
- 3- यह कि उपर्युक्त आदेश पत्रोंक सं-768 दिनांक 10/2/82
के संदर्भ में निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 18/2/82
द्वारा निम्न संशोधन हुआ है- "The Punching qualification
is necessary" Sd/- Director 18/2/82। उक्त निदेशक
महोदय के आदेशानुसार भी पंचिका रीटर देने वाले अर्थात्तः
का समस्त टाइप रीटर देने वाले अर्थात्तः के तथ्य ही राका
अर्थात्तः (Pis) किता जा सकता है। इस आदेश का भी आ
प्रकाश अनीन्तम आपरेटर तरीका सूची में खुला उल्लेख
किया गया है। अतः यह अनीन्तम आपरेटर तरीका सूची
तथ्यहीन एवं तथ्य ही है।
- 4- यह कि विन्न-2 योजना राते वाले अर्थात्तः की
पंचिका/अंग्रेजी टाइप गैर अनीन्तम तरीका सूची
निर्धारित करने की मंजिलपन विद्वा. (Mangul Silily)
का अनुपालन भी नहीं हुआ गया है। और न ही
अलग-2 बार बार रीटों के निर्धारण का निर्धारण
ही निर्धारित किया गया है। अतः यह सूची तथ्य ही है।

Attested True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

5- यह कि आपरेशन अनिवार्यतः प्रयोगित करीया गयी है।
क्रमिक 1 से 13 तक की निर्दिष्ट स्थानानुसार आपरेशन
पर है। जिसके क्रमांक 1 से 11 तक के आपरेशनों का
तथ्य कॉन्ट्रोल परीक्षण पर पर प्रमाणित किया गया है।
शेष दो क्रमांकी 12 वीं की आपरेशन पर पर कॉन्ट्रोल
क्रमिक 14 से 112 तक के आपरेशन पर पर कॉन्ट्रोल
शरीर दर्जिया गया है।

6- यह कि क्रमांक 14 से 112 तक के आपरेशनों के नाम का
गैर आपरेशन पर नामित किया जाये के विवरण नहीं
अभिहित है और न ही प्रयोगित क्रमांक आपरेशनों की सीधी
सूची / 1-4937 दिनांक 31/12/87 के पर स्पष्ट लिखा
गया है। इसमें प्रमाणित गयी गैर आपरेशन पर पर क्रमांक
54, 55, 56, 57, 59, 61, 62 एवं 106 क्रमांक क्रमांक
गैर आपरेशन राखा गया है। (क्योंकि ये क्रमांक आपरेशन के
प्रमाण से गयी आपरेशन नहीं है।)

7- यह कि आपरेशन पर पर क्रमांक 1-4935
दिनांक 6/8/81 के पर स्पष्ट अपने वांछित है। प्रमाणित
लिखा जाये के क्रमांक 30 कांस्टेबल, जिसमें 80 कांस्टेबल का वांछित
है, 30 कांस्टेबल का समान क्रमांक प्रमाणित करी गयी के लिए
5% कांस्टेबल किया जाये। प्रमाणित तथ्य प्रमाणित के प्रमाणित
आपरेशन अंग्रेजी रख पर पर 30 कांस्टेबल प्रमाणित के प्रमाणित
प्रमाणित किया जाये की योग्यता गयी गयी है।

8- यह कि इन प्रकार के प्रमाणित प्रमाणित के प्रमाणित
प्रकार की प्रमाणित का आपरेशन क्रमांक 1-4935
का आपरेशन क्रमांक का क्रमांक-2 क्रमांक आपरेशन है।
इन प्रकार क्रमांक के (Muster Policy) का निर्धारण
क्रमांक क्रमांक/क्रमांक क्रमांक क्रमांक क्रमांक क्रमांक
युने क्रमांक क्रमांक का क्रमांक क्रमांक क्रमांक क्रमांक
का क्रमांक है। इन सूची के क्रमांक क्रमांक क्रमांक क्रमांक
नहीं राखा गया है। इन पर सूची क्रमांक क्रमांक क्रमांक क्रमांक
प्रमाणित आपरेशन से पर है। इन प्रमाणित सूची क्रमांक
क्रम से क्रमांक है।

9- यह कि आपरेशन पर पर क्रमांक 1-4935
Attested / True Copy

जाने की प्रतीति अलग-2 हुए चार दिनों में सुनने
 को अनिवार्य है कि वह जिस आदेश पर प्रभावित /
 प्रभावित किया जाना परावर्तक है। यदि मैरिज लिस्ट प्रकाशित
 नहीं की जाती है तो मैरिज आदेश नहीं माना होगा। न ही
 सभी अलग-2 दिनों में चुने गए कमिश्नरी को भगवाने
 देना से सीनिशरी आता बिना पर एक एक पर सूचना
 जा सकता है।

इस प्रकार यह कि आपरेटर उन्निवत करीबना सूची
 तिसगीतों में परिपूर्ण है और वैधानिक आदेशों से मिली है।
 को भी आपाला आदेशों / प्रमाणों को दिया जा रहा है। साथ ही
 साथ सिद्धान्तों को तौड़ गरीब कर रहा जा रहा है। इस प्रकार
 समाज को भी देकर है चुने गए कमिश्नरी पत्रिका / अंग्रेजी
 राजमहल की अलग-2 मैरिज आदेश पर संविलान निधि
 (marriage policy) का उन्निवत करीबना सूची प्रकाशित
 किया जाए।

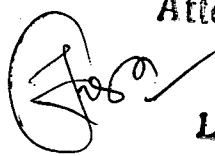
भावदीया

दिनांक - 11.2.88

मीन गुप्ता
 (मीन गुप्ता)

260/ D.Cof U.P / DDE / 260 dated 12.2.88

Attested/True Copy



L. P. SHARMA
 Advocate

सिधार्थ,

श्रीमान निदेशक महादय,

उत्तर प्रदेश निदेशालय,

उत्तर प्रदेश

25, नवल गैंगौर रोड

लखनऊ

ANNEXURE NO. A-57

विषय : —

दिनांक - 01-10-87 को ऑफिसर के पद पर कार्यरत
कर्मचारियों की अनान्तिग वरीयता सूची के सम्बन्ध
में आपत्ति ।

महादय,

आपके कार्यालय पतांक रुई/2-85/डी.सी.ओ.-यूपी

ए-4937 दिनांक 31-12-87 के द्वारा जो कर्मचारियों की अनान्तिग
वरीयता सूची प्रकाशित की गयी है वह सैवधानिक नियमों के विरुद्ध
विपरीत आदेश एवं आधारहीन प्रतीत होती है। अतः एवं अनान्तिग वरीयता सूची
को अन्तिम रूप से निरस्त करने के सम्बन्ध में प्रार्थी प्रदीप कुमार पोखरा
का निम्न निवेदन प्रस्तुत है : —

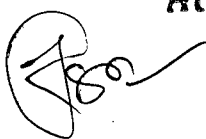
1- यह कि प्रार्थी की नियुक्ति कार्यालय पतांक रुई/डी.सी.ओ.-यूपी
ए-1659 दिनांक-11-04-1983 के द्वारा अस्थायी रूप से ऑफिसर के पद पर
वैतनमान 330-560 में हुई थी तथा प्रार्थी ने अपना कार्यभार दिनांक-
14-04-83 को पूर्वाह्न ग्रहण किया ।

2- यह कि प्रार्थी की नियमित नियुक्ति कार्यालय पतांक रुई/
डी.सी.ओ.-यूपी/ए-4520 दिनांक-17-09-84 के द्वारा दिनांक (कार्यभार
ग्रहण करने की तिथि एवं पद का तिथि से) पदान की गयी जिसमें प्रार्थी
का नाम क्रम संख्या 20 पर दर्शाया गया ।

3- यह कि प्रार्थी का कार्यालय पतांक : रुई/डी.सी.ओ.-यूपी
ए-6017 दिनांक-27-11-86 के द्वारा दिनांक-14-04-86 से अस्थायी
रूप से नियुक्त घोषित किया गया ।

4- यह कि परीक्षा के उपरान्त चयन किये गये कर्मचारियों का
नियुक्ति पत्र क्रमशः दिनांक-04-04-83 को 17, 11-04-83 को 12,
16-04-83 को 16, 20-04-83 को 18, 28-04-83 को 18,
03-06-83 को 10, 16-06-83 को 16, 02-07-83 को 10, एवं 5
कर्मचारियों को 16-09-83 को जारी किये गये तथा आदेशानुसार

Attested/True Copy



L. P. SHUKLA
Advocate

क्रमशः-2-

कार्यभारों ने अपने नियुक्ति पत्र में दी गयी तिथियों के अन्तर अपने-अपने पर कार्यभार ग्रहण कर दिया जिससे दाखल एवं पंचिंग दोनों के भिन्न-भिन्न अनुभागों में फिर से बांटा अलग-अलग करना आधारहीन प्रतीत होता है।

5- यह कि दिनांक 31-12-87 को प्रकाशित अनन्तिम वरीयता सूची में प्रार्थी का नाम क्रम संख्या 69 पर रखा गया है तथा वरीयता सूची का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि यूनैट्स 82 अप्रैट्स में से सभी टंकण परीक्षा द्वारा चयन किये गये 29 अप्रैट्स को क्रम संख्या 14 से 41 व 47 पर उपर रखा गया है तथा शेष सभी हेंड पंचिंग परीक्षा द्वारा चयनित 53 अप्रैट्स को क्रम संख्या 51 से 53, 58, 60, 63, से 105 तथा 107 से 111 पर रखा गया है जो कि अवैधानिक एवं निराधार है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का स्पष्ट उल्लंघन है।

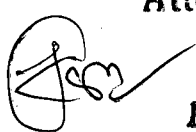
6- यह कि फरफर में निदेशक महोदय द्वारा संज्ञापन किया गया था कि "The punching qualification is necessary" dt. 18/2 और टंकण के सम्बन्ध में कोई भी उल्लेख नहीं था इसी लिए उक्त वरीयता सूची का आधार पहले सभी पंचिंग परीक्षा द्वारा चयनित अप्रैट्स को क्रम संख्या 14 से लेकर 66 तक का स्थान मिलना चाहिए तथा टंकण परीक्षा द्वारा चयनित अप्रैट्स को तत्पश्चात् क्रमांक पर रखते हुए पंचिंग के अप्रैट्स को वरीयता (Preferance) मिलना चाहिए।

7- यह कि यदि नियमानुसार ही नियुक्ति के दिनांक मा निर्धारित नियुक्ति के दिनांक को आधार मानकर वरीयता सूची बनायी जाती तो प्रार्थी का नाम क्रम संख्या 20 पर ही आना चाहिए न कि क्रम संख्या 69 पर।

8- यह कि उक्त व्यापक संगत आधार को अपनाते हुए पहले कार्यभार ग्रहण करने वाले अप्रैट्स को यदि पहले रखा जाये और बाद में कार्यभार ग्रहण करने वाले अप्रैट्स को बाद में रखा जाय तो 31/03/88 अनुभाग के प्रत्येक अप्रैट्स को अपना सही स्थान मिल सकेगा।

9- इस प्रकार उक्त अनन्तिम वरीयता सूची विरसंगतियों से

Attested/True Copy



L. P. SHUKLA
Advocate

कमेश: — 3 —

परिपूर्ण हैं और वैधानिक आधारों से विहीन हैं क्योंकि-
न्यायिक आदेशों/प्रमाणों को दिया गया है साथ ही साथ
सिद्धान्तों को लोड़-भरोड़ कर रखा गया है।

10. यह कि अन्तिम वरीयता सूची को अन्तिम रूप
देने से पहले न्याय को ध्यान में रखकर के पद पर कायम
ग्रहण करने का आधार लेकर के वरीयता सूची का
आधार निर्धारित किए जायें तो प्रार्थी को न्याय मिल सकेगा।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त
तथ्य एवं आपत्तियों पर विचार किये हुए अन्तिम वरीयता सूची
बनायी जाये जिससे प्रार्थी को न्याय मिल सके।

प्रार्थी का सदैव आभारी रहेगा,

दिनांक - 24.02.88

प्रार्थी:

(प्रदीप कुमार पाण्डेय)
ऑफिसर - डी.डी. ई.ए.

Attested/True Copy

26/2

L. P. SHUKLA
Advocate

सेवा में ,

A146

119

श्रीमान् निदेशक महोदय ,
अनगणना निदेशालय ,
उत्तर प्रदेश ,
25 नवम्बर किर्लोस्कर रोड ,
लखनऊ

ANNEXURE NO

A-58

विशेष:-

दिनांक 1-10-87 को आपरेटर के पद पर कार्यरत
कर्मचारियों की अनन्तिम वरीयता सूची के
सम्बन्ध में आपत्ति ।

महोदय ,

आपके कार्यालय के पत्रांक एई/2-85/डी0सी0ओ0
यूपी/ए- 4937 दिनांक 31-12-87 के द्वारा जो कर्मचारियों की
अनन्तिम वरीयता सूची प्रकाशित की गयी है वह मकेधानिक नियमों
के विरुद्ध विरहीत, गदगद एवं आधारहीन प्रतीत होती है । अतएव
उक्त वरीयता सूची को अन्तिम रूप में निर्धारण करने के सम्बन्ध में
प्रार्थी जीपाल सिंह बनौला का निम्न निवेदन प्रस्तुत है :-

1- यह कि प्रार्थी की नियुक्ति कार्यालय पत्रांक संख्या एई/
डीसीओ-यूपी/ए- 1867 दिनांक 16.4.83 के द्वारा अस्थाई
रूप में आपरेटर के पद पर वेतनमान 330-560 में हुई थी तथा प्रार्थी
ने अपना कार्यभार दिनांक 16.4.83 को आपराह ग्रहण किया ।

2- यह कि प्रार्थी की नियुक्ति नियुक्ति कार्यालय पत्रांक नं०
एई/डीसीओ/डी0डी0ई-यूपी/ए- 4520 दिनांक 17-9-84 के द्वारा
दिनांक 16.4.83 } कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं जन्म तिथि
में प्रदान की गयी जिसमें प्रार्थी का नाम क्रम संख्या 273 पर
दर्शाया गया ।

3- यह कि प्रार्थी को कार्यालय पत्रांक एई/डीसीओ-यूपी
ए- 6082 दिनांक 1.12.86 के द्वारा दिनांक 16.4.86 में
अस्थाई रूप में नियुक्त धोशित किया गया ।

4- यह कि कार्यालय पत्रांक एई/डीसीओ-यूपी/ए- 768 द्वारा
एक परिपत्र निकाला गया जिसमें निदेशालय के डी0डी0ई सिस्टम में
330-560 वेतनमान में आपरेटर के अस्थाई पदों के हेतु विभिन्न श्रेणी
सारणीयन कार्यालय/आँकड़ा प्रक्रिया अनुभाग एवं अन्य अनुभागों में
कार्यरत ऐसे कर्मचारियों से जिन्होंने निम्नलिखित व्यक्ति योग्यताएं
एवं अर्हताएं रखाने हैं जैसा कि नीचे वर्णित है, प्रार्थना पत्र आमंत्रित
कर सकते हैं :-

{क} जिन्होंने वेतनमान/स्थिर वेतन पद दिनांक 31-1-82
तक 6 माह की सेवा अवधि पूर्ण करली है ।

{ख} किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक की
उपाधि या समकक्ष ।

{ग} आयुसीमा- 18 18 से 28 वर्ष हो ।

{घ} प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि

25-2-82 तक ।

Attested/True Copy

क्रमांक---2-----

L. P. SHUKLA
Advocate

§३: जयन प्रक्रिया परीक्षा/साक्षात्कार के आधार पर समाहित की जायेगी ।

§४: वांछनीय-- लीडिंग एवं पकिंग का कार्य में दो वर्षों का अनुभव ।

§५: परीक्षा हेण्ड-बुक्स के परिचालन में ही ली जायेगी

5- यह कि पत्रांक ए- 768 दिनांक 10-2-82 के परिपत्र के पर लागू योग्यताओं के सम्बन्ध में निर्देशक महोदय के आदेश दिनांक 18-2-82 द्वारा संगोष्ठित किया गया "The Punching qualification is necessary" ed. Director, 18.2

6- यह कि उक्त परिपत्र के आधार पर ही पकिंग की परीक्षा कई भिन्न-2 तिथियों में ली गयी तथा परीक्षा में नाम उम्मीदवारों को बुना गया इसके अलावा कुछ कर्मचारियों की टंकण की परीक्षा ली गयी यद्यपि संबंधित परिपत्र में टंकण परीक्षा का कोई उल्लेख नहीं था ।

7- यह कि परीक्षा के उपरान्त चयन किये गये कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र क्रमांक: दिनांक 4-4-83 को 17, 11-4-83 को 12, 16-4-83 को 16, 20-4-83 को 18, 28-4-83 को 18, 3-6-83 को 10, 16-6-83 को 16, 2-7-83 को 10, एवं पाँच कर्मचारियों को 16-9-83 को जारी किये गये तथा आदेशानुसार कर्मचारियों ने अपने नियुक्ति पत्र में दो गयी तिथियों के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

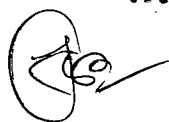
8- यह कि आपरेटर अनन्तितम करीयता सूची मेरिट के आधार पर बनाये जाने के पहले प्रत्येक अलग-2 हुए टेस्टों में चयनित कर्मचारियों के नाम की मेरिट आधार पर प्रकाशित एवं प्रमाणित किया जाना परमावश्यक था, लेकिन मेरिट लिस्ट प्रकाशित एवं प्रमाणित नहीं की गयी है तो मेरिट आधार मान्य नहीं होगी न ही सभी अलग-2 तैलों में नियुक्त किये गये कर्मचारियों को मनमाने ढंग से करीयता बिन्दु पर एक क्रम पर रक्खा जा सकता है ।

9- यह कि 31-12-87 को प्रकाशित अनन्तितम करीयता सूची में प्रार्थी का नाम क्रम संख्या 34 पर रक्खा गया है तथा करीयता सूची का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि चुने हुए 82 आपरेटरों में से सभी टंकण परीक्षा द्वारा चयन किये गये 29 आपरेटरों को क्रम संख्या 14 से 41 व 47 पर ऊपर रखा गया है तथा जो न सभी हेण्ड पकिंग परीक्षा द्वारा चयनित 53 आपरेटरों को क्रम संख्या 51, 53, 58, 60, 63, 105 तथा 107 से 111 पर रखा गया है जो कि अवैधानिक एवं निराधार है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद की धारा 14 एवं 16 का स्पष्ट उल्लंघन है ।

10- यह कि चूंकि परिपत्र में निर्देशक महोदय द्वारा संगोष्ठित किया गया था कि "The Punching qualification is necessary" और टंकण के सम्बन्ध में कोई भी उल्लेख नहीं था इसी लिये उक्त करीयता सूची का आधार पहले सभी पकिंग परीक्षा द्वारा चयनित आपरेटरों को क्रम संख्या 14 से लेकर 66 तक का स्थान मिलना चाहिए

Attested/True Copy

क्रमांक---3---



L. P. SHUKLA
Advocate

तथा दण्ड परीक्षा द्वारा चयनित आपरेंटर्स को तत्पश्चात् क्रम सं० 67 से लेकर 112 तक में रखा जाहिये क्योंकि निदेशक महोदय के 18-2-82 के संशोधित आदेशानुसार दण्ड के मुकामों में परीक्षा के आपरेंटर्स को करीयता *Preference* मिलना चाहिये।

11- यह कि यदि नियमानुसार ही नियुक्त के दिनांक या नियमित नियुक्ति के दिनांक को आधार मानकर करीयता सूची बनायी जाती है तो भी प्राप्ति का नाम क्रम संख्या 213 पर ही आना चाहिये न कि क्रम संख्या 214 पर।

12- यह कि उक्त न्याय समत आधार को अपनाते हुए पहले कार्यभार ग्रहण करने वाले आपरेंटर्स को यदि पहले रखा जाये और बाद में कार्यभार ग्रहण करने वाले आपरेंटर्स को बाद में रखा जाये तो डी०डी०ई० डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक आपरेंटर्स को अपना सही स्थान मिल सकेगा।

13- यह कि क्रमांक 14 से 41 तक के आपरेंटर्स के नाम को गेरिट के आधार पर चयन किये जाने के सम्बन्ध में विवरण नहीं अंकित है और न ही प्रकाशित कार्यालय नाम संख्या एई/डी०पी०ओ०-सूची/ए-4037 दिनांक 31-12-87 में एक स्पष्ट लिखा गया है कि अगले अनन्तिम करीयता सूची गेरिट के आधार पर तैयार की गयी है, केवल रिक्त पदों क्रमांक 42 से 46, 48 से 50, 54 से 57, 59 से 61, 62 एवं 106 अनुक्रमांक के बिना गेरिट आधार रखा गया है जबकि यह क्रम रोस्टर प्वाइन्ट के हिसाब से नहीं आधार नहीं है।

14- यह कि अनन्तिम करीयता सूची में जो स्थान रिक्त छोड़े गये हैं उन स्थानों को भी करीयता सूची में मौजूदा आपरेंटर्स को ही नियमानुसार अधिकार से प्रदान करना चाहिये तथा जो आपरेंटर बाद में नियुक्त किया जायेगा वह करीयता सूची में बाद में स्थान पायेगा।

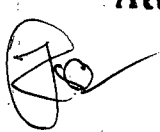
15- यह कि अनन्तिम करीयता सूची में दर्शाये गये आपरेंटर्स की पदोन्नति कनिष्ठ सुपरवाइजर के पद पर हो चुकी है तथा माह अप्रैल 1988 से कनिष्ठ सुपरवाइजर के 19 रिक्त पद दोमें सिगर *Direct Recruits* आपरेंटर्स में से ही पदोन्नति की जानी चाहिये क्योंकि माह अप्रैल 1988 में प्राप्ति कनिष्ठ सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति पाने का अधिकारी हो जायेगा।

16- यह कि भारत महारजिस्ट्रार कार्यालय नई दिल्ली के पत्रांक 4/1/80-ए०डी०-प्रथम दिनांक 18-3-80 द्वारा आपरेंटर के पद पर नियुक्ति हेतु स्थानान्तरण के आधार पर भी कर्मचारियों को परीक्षा एवं दण्ड परीक्षा देना अनिवार्य था, लेकिन उपरोक्त अनन्तिम करीयता सूची के क्रमांक 1 से 13 तक के कुछ कर्मचारियों को कोई भी परीक्षा नहीं की गयी थी फिर भी उपरोक्त कर्मचारियों को जिस आधार पर सर्वोच्च करीयता क्रम में रखा गया है।

17- इस प्रकार उक्त अनन्तिम करीयता सूची विमंगलियों से परिपूर्ण है और वैधानिक आधारों से त्रुटिहीन है क्योंकि कार्यालय आदेशों/प्रमाणों को ध्यान में रखा गया है साथ ही साथ सिद्धान्तों को तोड़ मरोड़ कर रखा गया है।

Attested/True Copy

क्रमांक---4---



L. P. SHUKLA
Advocate

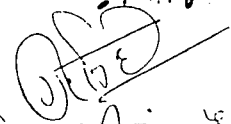
18-

वह कि यदि अनन्तिम तरीकता सूची को तन्तिम रूप देने के पहले न्याय को ध्यान में रक्ताकर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का आधार केर तरीकता सूची का आधार निम्न निर्णित किया जाये तो ग्रार्थीको न्याय मिल गयेगा ।

अतः श्रीमान् जी मे दिनग्र निवेदन हे कि उपरोक्त तथ्यों एवं आपत्तियों पर विचार करते हुए अनन्तिम तरीकता सूची क्तापी जाये किन्ते ग्रार्थी को न्याय मिल जाये ।

ग्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा ।

ग्रार्थी,



॥ गोपाल सिंह पनीसा ॥

आपरेटर, डी०डी०ई० सिस्टम

दिनांक: फरवरी 17, 1988

Attested/True Copy



L. P. SHUKLA
Advocate

सेवा में,

निदेशक महोदय,
जनगणना परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
25, नवलखोर् रोड,
लखनऊ 1

ANNEXURE NO

A-59

विषय:

दिनांक 1-10-87 को अपरेटर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की
अन्तिम परीक्षा सूची के सम्बन्ध में आपरिष्ट ।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्रांक संख्या एड/डीसीओ/यूपी/ए-4937 दिनांक 31-12-87 के द्वारा जो कर्मचारियों की अन्तिम परीक्षा सूची प्रकाशित की गयी है वह सैधानिक नियमों के बिल्कुल विपरीत, संदिग्ध एवं आधारहीन प्रतीत होती है। अतएव उक्त परीक्षा सूची को अन्तिम रूप से निर्धारण करने के सम्बन्ध में प्रार्थी सचिव-नियंत्रण का निम्न निवेदन प्रस्तुत है:-

1. यह कि प्रार्थी को नियुक्ति कार्यालय पत्रांक एड/डीसीओ/यूपी/ए-1552 दिनांक 4-4-83 के द्वारा अर्थात् रूप से अपरेटर के पद पर वेतनमान 330-560 में हुई थी तथा प्रार्थी ने अपना कार्यभार दिनांक 18-4-83 को अपराल गृहण किया।
2. यह कि प्रार्थी को नियुक्ति कार्यालय पत्रांक एड/डीसीओ/यूपी/ए-4520 दिनांक 17-9-84 के द्वारा दिनांक 18-4-83 से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं जन्म तिथि से 8 प्रदान की गयी जिसे प्रार्थी का नाम क्रम संख्या 28 पर दर्शाया गया है।
3. यह कि प्रार्थी को कार्यालय पत्रांक एड/डीसीओ/यूपी/ए-6154 दिनांक 8-12-86 के द्वारा दिनांक 18-4-86 से अर्धस्थायी रूप में नियुक्त घोषित किया गया।
4. यह कि कार्यालय पत्रांक एड/डीसीओ/यूपी/ए-768 दिनांक 10-2-82 द्वारा एक परिपत्र निकाला गया जिसमें निदेशावली के डीडीओईओ सिस्टम में 330-560 वेतनमान में अपरेटर के अस्थाई पदों के हेतु विभिन्न क्षेत्रीय तारणीयन कार्यालय/आँकड़ा प्रक्रिया अनुभाग एवं अन्य अनुभागों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों से जिन्होंने निम्नलिखित पाँछित योग्यताएं एवं अर्हताएं रखते हैं जैसा कि नीचे वर्णित है, प्रार्थना पत्र आगम्य कर सकते हैं:-
 - क) जिन्होंने वेतनमान/स्थिर वेतन पर दिनांक 31-1-82 तक 6 माह की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है।
 - ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समकक्ष।
 - ग) आयुसीमा - 18 से 28 वर्ष हो।
 - घ) प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 25-2-82 तक।

Attested True Copy

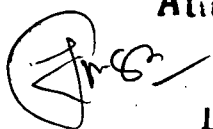
क्रमः...2

L. P. SHUKLA
Advocate

1. चयन प्रक्रिया परीक्षा/साक्षात्कार के आधार पर सम्पादित की जायेगी ।
2. वांछनीय-कोटिंग एवं पंचिंग का कार्य में दो वर्ष का अनुभव ।
3. परीक्षा हैण्ड पन्चेज के परिचालन में ली ली जायेगी ।
5. यह कि पत्रांक स-768 दिनांक 10-2-82 के परिपत्र पर वांछित योग्यताओं के सम्बन्ध में निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 18-2-82 के द्वारा संशोधित किया गया कि :- "The punching qualification is necessary" sd/ Director 18/2
6. यहकि उक्त परिपत्र के आधार पर ली पंचिंग की परीक्षा कई भिन्न-2 शिथियों में ली गयी तथा परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवारों को चुना गया इसके अलावा कुछ कर्मचारियों की टंकन की परीक्षा ली गयी यद्यपि संबंधित परिपत्र में टंकन परीक्षा कोई उल्लेख नहीं था ।
7. यहकि परीक्षा के उपरान्त चयन किये गये कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र क्रमशः दिनांक 4-4-83 को 17, 11-4-83 को 12, 16-4-83 को 16, 20-4-83 को 18, 28-4-83 को 18, 3-6-83 को 10, 16-6-83 को 13, 2-7-83 को 10, एवं 5 कर्मचारियों को 16-9-83 को जारी किये गये तथा आदेशानुसार कर्मचारियों के अपने नियुक्ति पत्र में दी गयी शिथियों के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था ।
8. यहकि आपरेटर अनन्तिम परीक्षा सूची मेरिट के आधार पर बनाये जाने के पहले प्रत्येक अलग-2 हुए टेस्टों में चयनित कर्मचारियों के नाम को मेरिट आधार पर प्रकाशित एवं परिचालित किया जाना परमावश्यक था, लेकिन मेरिट लिस्ट प्रकाशित एवं परिचालित नहीं की गयी है । न ही सभी अलग-2 बैचों में नियुक्त किये गये कर्मचारियों को मनमाने ढंग से बरीयता बिन्दु पर एक क्रम पर रखा जा सकता है ।
9. यहकि 31-12-87 को प्रकाशित अनन्तिम परीक्षा सूची में प्राथी का नाम क्रम संख्या 64 पर रखा गया है तथा परीक्षा सूची का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि कुल हुए 82 आपरेटरों में से 29 आपरेटरों को जो कि टंकन परीक्षा द्वारा चयनित किये गये हैं उन्हें परीक्षा सूची में क्रम संख्या 14 से 41 व 47 पर यानि अंतर रखा गया है तथा शेष सभी हैण्ड पंचिंग परीक्षा द्वारा चयनित 53 आपरेटरों को क्रम संख्या 51 से 53, 58, 60, 63, से 105 तथा 107 से 111 पर रखा गया है जोकि अवैधानिक एवं निराधार है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद की धारा 14 एवं 16 का स्पष्ट उल्लंघन है ।
10. यहकि परिपत्र में निदेशक महोदय द्वारा संशोधित किया गया कि "The punching qualification is necessary" sd/ Director 18/2 और टंकन के सम्बन्ध में कोई भी उल्लेख नहीं था इसी लिए उक्त परीक्षा सूची का

Attested/True Copy

क्रमांक:..3

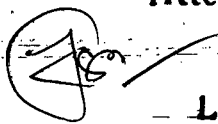


L. P. SHUKLA
Advocate

आधार पहले सभी पंथीय परीक्षा द्वारा चयनित आपरेटरों को क्रम सं० 1 से लेकर 53 तक का स्थान मिलना चाहिए तथा वंश परीक्षा द्वारा चयनित आपरेटरों को तत्पश्चात् क्रम सं० 54 से लेकर 112 तक में रखना चाहिए क्योंकि निदेशक महोदय के 18-2-82 के संशोधित आदेशानुसार वंश के मुकाबले में पंथीय के आपरेटरों को प्राथमिकता। Preference मिलना चाहिए।

11. यह कि नियमानुसार ही नियुक्ति के दिनांक या नियमित नियुक्ति के दिनांक को आधार मानकर घरीयता सूची बनायी जाती है तो भी प्राथी का नाम क्रम संख्या 28 पर ही आना चाहिए न कि क्रम संख्या 64 पर।
12. यह कि उक्त न्यायालय आधार को अपनाते हुए पहले कार्यभार ग्रहण करने वाले आपरेटरों को यदि पहले रखा जाये और बाद में कार्यभार ग्रहण करने वाले आपरेटरों को बाद में रखा जाये तो डी०डी० 0850 तिरुम के प्रत्येक आपरेटरों को अपना सही स्थान मिल सकेगा।
13. यह कि क्रम संख्या 14 से 41 तक के आपरेटरों के नाम को मेरिट के आधार पर चयन किये जाने के सम्बन्ध में विवरण नहीं अंकित है और न ही प्रकाशित कार्यालय आप संख्या एड/डी०सी०ओ०-यू०पी०/ए-4937 दिनांक 31-12-87 में यह स्पष्ट लिखा है कि अमुक अनन्तिम परीक्षा सूची मेरिट आधार पर तैयार की गयी है, केवल रिक्त पदों क्रम संख्या 42 से 46, 48 से 50, 54 से 57, 59, 61, 62, एवं 106 अनुक्रमों के लिए मेरिट आधार रखा गया है जबकि यह रोस्टर बिन्दु के हिसाब से सही नहीं है।
14. यह कि अनन्तिम परीक्षा सूची में जो स्थान रिक्त छोड़े गये हैं उन स्थानों को भी घरीयता सूची में मौजूदा आपरेटरों को ही नियमानुसार अधिकारसे प्रदान करना चाहिए तथा जो आपरेटर बाद में नियुक्ति किया जायेगा वह घरीयता सूची में बाद में स्थान पायेगा।
15. यह कि अनन्तिम घरीयता सूची में दर्शाये गये आपरेटरों की पदोन्नति कनिष्ठ सुपरवाइजर के पद पर हो चुकी है तथा माह अप्रैल 1988 से कनिष्ठ सुपरवाइजर के 19 पद रिक्त होंगे जिन पर (Direct Recruits आपरेटरों में से ही पदोन्नति की जानी चाहिए क्योंकि माह अप्रैल 1988 में प्राथी कनिष्ठ सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति पाने का अधिकारी हो जायेगा।
16. यह कि भारत के महा राजस्वार कार्यालय, नई दिल्ली के पत्रांक 4/1/80/एड-111-121 दिनांक 18-3-80 तथा कार्यालय पत्रांक एड/डी०सी०ओ०-यू०पी०/डी०डी० 0850/ए-3995 दिनांक 6-8-81 द्वारा आपरेटर के पद पर नियुक्ति हेतु स्थानान्तरण के आधार पर भी आये हुए सभी कर्मचारियों को पंथीय/वंश की परीक्षा लेना उद्घोषित था। पंथीय/वंश में उत्तीर्ण कर्मचारियों को ही आपरेटर पद पर नियुक्त किया जाना था, लेकिन उक्त क्रम संख्या 1 से 13 तक के कुछ कर्मचारियों को कई भिन्न-2 तिथियों

Attested/True Copy



L. P. SHUKLA
Advocate

क्रम सं० ११५

L. P. SHUKLA
Advocate

::5::

A154

अनिवार्य था लेकिन कम संख्या 1 से 13 तक के आपरैटर को 4 साल नियमित सेवा के बाद ही प्रोन्नति कर दिया गया है जोकि गलत है।

21. यह कि भारत के महा रजिस्ट्रार कार्यालय नई दिल्ली के पत्रांक 4/1/80-एडी/प्रथम दिनांक 1-1-81 के द्वारा जूनियर सुपरवाइजर के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति : Selection Committee द्वारा कार्यवाहियों को चयन किया जाना था लेकिन पत्रांक एड/2-81/डी.डी.030/डी.डी.030-यू.पी./ए-2571 दिनांक 29-6-87 द्वारा कम संख्या (1) से (11) तक के सभी कार्यवाहियों को प्रोन्नति कर दिया गया है जिसका कोई आधार नहीं है। जूनियर सुपरवाइजर पद पर प्रोन्नति चयन छ समिति द्वारा ही किया जाना चाहिए न कि धरीयता कम में।
22. इस प्रकार उक्त अनन्तिम धरीयता सूची विभागियों से परिपूर्ण है और वैधानिक आधारों से विहीन है क्योंकि कार्यालय आदेशों / प्रमाणों को दिखाया गया है साथ ही साथ रिक्तानों को तोड़ सरोड़ कर रखा गया है जिसकी जानकारी निदेशक महोदय को भी नहीं दी गयी है।
23. यह कि ^{यदि} अनन्तिम धरीयता सूची को अन्तिम रूप देने से पहले पत्रांक संख्या एड/डी.डी.030/डी.डी.030-यू.पी./ए-1931 दिनांक 21-4-83 को मेरिट आधार मानकर धरीयता सूची का आधार निर्णीत किया जाय तो प्रार्थी को न्याय मिल सकेगा।

अतः प्रार्थना की है कि उपरोक्त आपत्तियों एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अनन्तिम धरीयता को अन्तिम धरीयता सूची का रूप देने की कृपा करें जिससे प्रार्थी को अन्याय की जगह न्याय मिल सके।

न्याय की आज्ञा में,

प्रार्थी

Sherain

। सत्य नारायण

आपरेटर, डी.डी.030/तिरुवा,
क्रमांक 64 अनन्तिम धरीयता सूची में।

दिनांक : 25/2/88

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

The Director,
Census Operations,
Uttar Pradesh,
LUCKNOW

ANNEXURE NO

A-60-120

Rajendra Pr Shrivastava

MISS

64

Preliminary objections against tentative
Seniority list of the Trade of Operators,
as on 1.10.1987 circulated under your letter
No. E/2-85/D.C.O. U.P./A-4937 dated 31.12.87

Respected Sir,

Having gone through the provisional seniority &
list referred to above calling upon the Staffs aggrieved
to file objections, if any, within two months next
after its issue, it is respectfully submitted as
under:-

1. That it is a settled law that seniority as a
matter of an administrative nature depending on rules
which have been framed by the Government under
Article 309 of the Constitution of India and
while assigning the same, there shall be no arbitrary
exercise of discretion.

2. That it is also a settled law that when a Govern-
ment servant is given an opportunity to show cause or
make representation against any tentative decision of
the Government, the servant is to be told in the
clearest terms with full particulars about the action
proposed to be taken and the basis on which such
tentative decision has arrived at, otherwise the
action would be in violation of the Rules of Natural
Justice.

3. That since in the instant matter of seniority, ~~but~~
both the afore mentioned provisions have been ignored,
the tentative seniority list referred to above is not
order and correct as would be seen from the facts men-
tioned below:-

(a) That tentative seniority list is based on the
policy of pick & choose and not on the fundamental
rules of seniority.

(b) Neither the tentative seniority list nor the

Attested/True Copy

contd.2

L. P. SHUKLA
Advocate

Received

One copy

12/2/88

12-4083/1

letter under which the same has been circulated show the relevant rules framed by the Government under Article 309 of the Constitution which have been made a basis to draw such seniority of the staff. Therefore the representationist are handicapped in making an effective representation.

- (c) In most of the cases, It will be seen that persons, who, by virtue of their merit positions as circulated finally on 21.4.83 under your Letter No. AE/DDE/DOO-U.P/A-1931 in the selection held, were called first in order of seriatim to resume their duty in pursuance of your letter dated 4.4.1983, 11.4.83, 16.4.1983, 20.4.1983, 15.5.1983 and 3.7.1983 have not been given correct position in the tentative seniority list from the date of their joining the working post rather they have been made juniors to those, persons, who were called and joined their duties later on much after the resumptions of the representationist.
- (d) Under the fundamental law of Seniority, the person who after selection, joins his duty earlier, will rank senior to those who join later on as the earlier immediately acquires a legal right by virtue of his being a Government Servant prior to acquisition of such right by the later. Since the tentative ^{seniority} ~~seniority~~ list in question has not been drawn in conformity with such principles, the same requires modification accordingly.
- (e) The vacant places shown at serial No. 42 to 46, 48 to 50, 54 to 57, 59, 61, 62 & 106 for reserved candidate have also not been worked out correctly according to the roster point. Therefore they are liable to be modified.
- (f) It is evident from the tentative seniority list in question that persons shown from S.No. 1 to 13 have been given seniority from the date of their joining but the same treatment has been denied in the case of these representationist which is discriminatory and violative of Article 14 & 16 of the constitution of India.

Attested True Copy

contd.3



L. P. BHUKLA
Advocate

A157

130

4. That under the ³⁻Facts and circumstances, the Seniority list should have been drawn on the ^{principle} ~~principal~~ of first come first served i.e. from the date of joining the working post which has been ignored in the instant tentative seniority list in so far as the representationist is concerned.

5. That the name of the representationist, after the ~~modification~~ modification of the list on the formula set forth in para-4 above, should have been assigned at S.No. 41 in the aforesaid tentative seniority list.

It is, therefore, most respectfully prayed that a judicious view of the matter may kindly be taken and in that the representationist be given seniority from the date of ^{his} ~~their~~ joining the working post i.e. at S.No. 41 or in the alternative, the representationist may be apprised of the relevant rules having the statutory force which have been made a basis of the seniority list in question and after that he may be given further time and opportunity to make an effective representation. It is further prayed that till the disposal of this representation and the representation proposed to be made, the tentative seniority list under this representation may not be allowed to attain finality.

It is hoped that justice, as prayed, would be given to the representationist.

Thanking you,

Yours faithfully,

Rajendra Prasad
(Rajendra Prasad)

1. Shown at S.No. 75

Tentative
Seniority list.

Dated: 11/2/88

Attested/True Copy



L. P. SHUKLA
Advocate

सौभाग्य,

निदेशक

जनगणना परिचात्मन इ० प्र०

25 नवम्बर ई.श. 1987

लखनऊ

विषय - दिनांक 1.10.1987 को ऑफिसर के पद पर कार्यरत कर्म-
चारियों की अग्रिम वरीयता सूची के नियमानुसार
निर्धारण करने के संबंध में -

गोपनीय

कार्यालय पत्रांक एड/2-85/डीसीआ-मुम्बई/ए-113

दिनांक 31.12.87 के आण द्वारा जो कर्मचारियों की अग्रिम वरीयता
सूची (Tentative Seniority List) प्रकाशित की गयी है वह
सांकेतिक नियमों के बिल्कुल विपरीत और संदिग्ध है अतः उक्त
अग्रिम वरीयता सूची के निर्धारण करने में निम्न तथ्यांक, कार्यस्थल
आदेशों एवं नियमों पर नहीं विचार किया गया है इससे निर्धारण
तथा प्रकाशन में निम्न तथ्या विचारणीय हैं -

- 1- यह कि ऑफिसर पद पर चयन हेतु चार बार अलग-अलग श्रेणियों में टेस्ट दिये गये हैं।
- 2- यह कि ऑफिसर पद पर वांछित योग्यता पाँचों/अंग्रेजी भाषा
गोत मांगी गयी थी।
- 3- यह कि कार्यालय पत्रांक एड/डीसीआ-मुम्बई/ए-768 दिनांक
10.2.82 के द्वारा ऑफिसर पद पर चयन हेतु वांछित योग्यता
में कोडिंग एवं पाँचों योग्यता मांगी गयी है।

Received one
copy
25/11/88

- 1- यह कि उपर्युक्त परिपत्र के सम्बन्ध में निदेशक महोदय के
आदेश दिनांक 18.2.82 द्वारा निम्न संशोधन हुआ "The Re-
quiring qualifications necessary" Sd/ Director 18/2
- 2- यह कि अग्रिम वरीयता सूची को तैयार करने में मूल सिद्धान्तों
को नज़रान्दाज किया गया है। यथा - सांकेतिक (Majority Policy)
निर्धार, रोस्टर प्वाइंट, मेरिट का विधान, कर्मचारियों के चयन की
वैधानिकता आदि।

अग्रिम वरीयता सूची के निर्धारण सूची का वैधानिक विवेक्षण

- 1- यह कि चार बार अलग-अलग श्रेणियों में जो टेस्ट दिये गये हैं उनकी
मेरिट सूची द्वारा अंग्रेजी भाषा जो कि न तो प्रकाशित की

Attested/True Copy



L. P. SHUKLA
Advocate

गयी है और न ही वैधानिक निर्धारण सिद्धांत का पालन ही किया गया है।
अतएव कार्यवाही क्रमांक एई/2-85/डी(1) आ-ग्रामी/ए-1431, दिनांक
31.12.87 पूर्ण रूप से तथ्यादीन एवं अशुद्ध है।

2- यह कि कार्यवाही क्रमांक ए-768 दिनांक 10/2/82 द्वारा ऑपरेटर
पद पर कार्यवाही जाण द्वारा तोकित योग्यताएं (पंचिंग/अग्रणी गजप
गोत गंभी गयी थी इस आधार पर भी पंचिंग देख देने वाले
कर्मचारियों को टाईशेडिंग देस्ट देने वाले कर्मचारियों के बाद ही
रखा जाना चाहिये। अतएव यह अनन्तम सूची आधार लीन
रत गलत है।

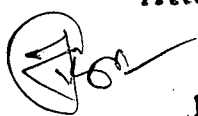
3- यह कि अशुद्ध कार्यवाही क्रमांक ए-768, दिनांक 10.2.82 के
समस्त में निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 18.2.82 द्वारा गजप
संशोधन हुआ है ("The Punching Modification is now being"
3d/ Director 10.2.82) उक्त निदेशक महोदय के अनुसार भी
पंचिंग देस्ट देने वाले कर्मचारियों को समस्त टाईशेड देस्ट देने
वाले कर्मचारियों के बाद गली प्रतीपादित (118) के अनुसार समस्त है।
इस आदेश का भी प्रकाशित अनन्तम ऑपरेटर वरीयता सूची
में शुद्धा उल्लेख किया गया है। अतएव यह अनन्तम ऑपरेटर
वरीयता सूची सारलीन रत तथ्यादीन है।

4- यह कि भिन्न - 2 योग्यता रखने वाले कर्मचारियों की पंचिंग
टाईशेड अर्ध अनन्तम वरीयता सूची निर्धारित करने की
संविधान विधि का अनुपालन भी गली किया गया है। और
गली अलग - 2 चार बार होने वाले पंचिंगों के देस्ट का
नियम ही प्रतीपादित किया गया है। अतः यह सूची तथ्या-
दीन है।

5- यह कि ऑपरेटर्स अनन्तम प्रकाशित वरीयता सूची
में क्रमांक 1 से 13 तक की नियुक्ति स्थानान्तरण आधार
पर है। जिसमें क्रमांक 1 से 11 तक के ऑपरेटर्स का तदर्थ
कनिष्ठ पर्यवेक्षक पद पर जेबोत किया गया है। शेष दो
कर्मचारी अत भी ऑपरेटर पद पर कार्यरत हैं।
क्रमांक 14 से 112 तक के ऑपरेटर कर्मचारियों की शीघी
भर्ती दर्शाया गया है।

6- यह कि क्रमांक 114 से 111 तक के ऑपरेटर्स के नाम को
गेरिस्ट आधार पर चयन किये जाने के विषय नहीं उल्लेख

Attested/True Copy



L. P. SHUKLA
Advocate

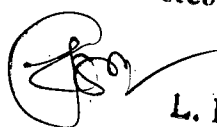
- है और न ही प्रकाशित कार्यालय शाप संख्या एड/डी/आ/ए
एपी/ए 11937 दिनांक 31/12/87 में यह स्पष्ट लिखा गया है कि
आयुक्त वरीयता सूची मेरिट आधार पर तैयार की गई है। केवल
रिक्त पदों क्रमांक 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 55
56, 57, 59, 61, 62 एवं 176 अनुक्रमों के लिए मेरिट आधार
रखा जाएगा। जबकि ये क्रम सेक्टर प्वाइंट के हिसाब से नहीं
आधार नहीं है।

7- यह कि कार्यालय पत्रांक एड/सीओ-यूपी/डी/डी/ए 31/12/87
दिनांक 6.0.81 में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि पॉइंटिंग के
लिए कम से कम 30 कांस्टेबल, जिसमें 80 कांस्टेबल का प्रोबेशन
हो, 30 मिनट का समय तथा प्रत्येक वर्ष गलती के लिए 50
करीब किया जाना चाहिए तथा दूसरे श्रेणी के मशीन का उपयोग
कांस्टेबल टैस्ट 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से मांग किया जाना
की मांगता मांगी जाती है।

8- यह कि इस प्रकार दो भिन्न प्रकार के मशीनों पर भिन्न
प्रकार की प्रक्रिया का अपनाया जाना है। अतः मेरिट का
आधार दोनों का अलग-अलग आवश्यक है। इस प्रकार
दोनों में (Major Policy) का निर्धारण होना चाहिए। साथ
ही साथ अलग-अलग टैस्टों में चुन गया कर्मचारियों की
एक क्रम में साथ नहीं रखा जा सकता है। इस सूची में
वैधानिकता का कोई स्वरूप नहीं रखा गया है। अतः यह
सूची पूर्ण रूप से तथ्यों और वैधानिक आधारों से परे है।
अतः वरीयता सूची पूर्ण रूप से अशुद्ध है।

9- यह कि ऑपरेटर वरीयता सूची मेरिट शब्द पर तैयार किया
जाए प्रत्येक अलग-अलग टैस्टों में चुन गया कर्मचारियों
के नाम का मेरिट आधार पर प्रकाशित किया जाना परमावश्यक है।
यदि मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं की जाती है तो मेरिट आधार
नहीं मान्य होगी। न ही सभी अलग-अलग टैस्टों में चुन गया
कर्मचारियों का मजगान देना से सीनियाटी वरीयता विन्दु पर एक

Attested/True Copy



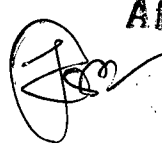
L. P. SHUKLA
Advocate

उग पर करता जा सकता है।

10- यह कि ~~कार्यालय पत्रांक २६/३३३~~
 इस प्रकार यह कि ऑफिसर अनन्तिम तरीक़ा से
 तिसंगीतियों से परिपूर्ण है और वैधानिक आदेशों से
 तहीन है। क्योंकि कार्यालय आदेशों / प्रमाणों को दिया
 गया है। साथ ही साथ रिद्धों को जो मंगेड कर करता
 गया है। अतः प्रत्येक समान किंवा जो रेट में चुन गया
 कर्मचारी पंक्ति / गडीपस्ट की अलग- २ गैरिड आदेश पर
 शीतलपत्र विधि (Master Policy) का अनन्तिम तरीक़ा से
 प्रकाशित किया जाय।

दिनांक - 11.2.88

गलदीया
 उपाधीवास्तवा
 (उपाधीवास्तवा)
 ऑफिसर

Attested/True Copy

 L. P. SHUKLA
 Advocate

The Director,
General Operation
Nagar Pradesh,
Lucknow.

ANNEXURE NO **A-62**

Preliminary objections against tentative seniority list of
the Trade of Operators, as on 1.10.1987 circulated under
your letter No. U/2-85/ D.C.O. U.P./ A- 4937 dated 31.12.87

Respected Sir,

Having gone through the provisional seniority list referred to above calling upon the Staffs aggrieved to file objections, if any, within two months next after its issue, it is respectfully submitted as under :-

1. That It is a settled law that seniority is a matter of an administrative nature depending on rules which have been framed by the Government under Article 309 of the Constitution of India and while assigning the same, there shall be no arbitrary exercise of discretion.

2. That it is also a settled law that when a Government servant is given an opportunity to show cause or make representation against any tentative decision of the Government, the servant is to be told in the clearest terms with full particulars about the action proposed to be taken and the basis on which such tentative decision has arrived at, otherwise the action would be in violation of the Rules of Natural Justice.

3. That since in the instant matter of seniority both the afore mentioned provisions have been ignored, the tentative seniority list

referred to above is not order and correct as would be seen from the facts mentioned below :-

a) That tentative seniority list is based on the policy of pick & choose and not on the fundamental rules of seniority.

b) Neither the tentative seniority list nor the letter under which the same has been circulated show the rules and rules framed by the Government under Article 309 of the Constitution which have

Attested/True Copy

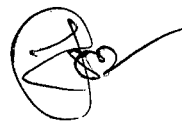
(contd.2)



L. P. SHUKLA
Advocate

been made a basis to draw such seniority of the staff. Therefore the representationist are handicapped in making an effective representation.

- c) In most of the cases, It will be seen that persons, who by virtue of their merit positions as circulated finally on 21.4.83 under your letter No. AE/ DDE/ DCO- U.P./ A-1931 in the selection held, were called first in order of serialisation to resume their duty in pursuance of your letter dated 4.4.1983. 11.4.83, 16.4.1983, 20.4.1983, 15.5.1983 and 3.7.1983 have not been given correct position in the tentative seniority list from the date of their joining the working post rather they have been made juniors of those persons, who were called and joined their duties later on much after the resumption of the representationist.
- d) Under the fundamental law of seniority, the person who after selection, joins his duty earlier, will rank senior to those who join later on as the earlier immediately acquires a legal right by virtue of his being a Government servant prior to acquisition of such right by the later. Since the tentative seniority list in question has not been drawn in conformity with such principles, the same requires modification accordingly.
- e) The vacant place shown at Serial No. 42 to 46, 48 to 50, 54 to 58, 59, 61, 62 and 106 for reserved candidates have also not been worked out correctly according to the roster point. Therefore they are liable to be modified.
- f) It is evident from the tentative seniority list in question that persons shown from S.No. 1 to 13 have been given seniority from the date of their joining but the same treatment has been denied in the case of those representationist who



A164

137

11 3 11

is discriminatory and violative of Article 14 & 16 of the constitution of India.

4. That under the facts and circumstances, the Seniority list should have been drawn on the principle of first come first served i.e. from the date of joining the working post which has been ignored in the instant tentative seniority list in so far as the representationist is concerned.
5. That the name of the representationist, after the modification of the list on the formula set forth in para -4 above, should have been included at S.No. 45 in the aforesaid tentative seniority list.

It is, therefore, most respectfully prayed that a judicious view of the matter may kindly be taken and in that the representationist be given seniority from the date of their joining the working post i.e. at S.No. 45 or in the alternative, the representationist may be apprised of the relevant rules having the statutory force which have been made a basis of the seniority in question and after that he may be given further time and opportunity to make an effective representation. It is further prayed that till the disposal of this representation and the representation proposed to be made, the tentative seniority list under this representation may not be allowed to attain finally.

It is hoped that justice, as prayed, would be given to the representationist.

Thanking you,

Yours faithfully,

Dated 27. 11. 2011

1. Shown at S.No. 60
Tentative
Seniority List.

Attested/True Copy


L. P. SHUKLA
Advocate

सेवा में

ANNEXURE NO **A-63**

निदेशक
जन गणना परिचालन, ३०.३०
१५ नवम्बर तिथि और ३५
लखनऊ

विवरण - दिनांक 1-10-1987 को आर्चिटर के पद पर कार्यरत
कर्मचारियों की अनन्तिम तथ्यता सूची को निम्नानुसार
निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

महोदय

कार्यालय पत्रांक एड/2-85/डी.जी.ओ. यू.पी./ए.ए.३७

दिनांक 31-12-87 के आदेश द्वारा जो कर्मचारियों की अनन्तिम
तथ्यता सूची (Tentative Seniority List) प्रकाशित की गई
है वह अंतर्धानिक नियमों के विपरीत और

अतः उक्त अनन्तिम तथ्यता सूची को निम्न
निम्न तथ्यों का आधार आदेशों एवं नियमों पर नहीं
विचार किया गया है। उनमें निर्धारित तथा प्रकाशन में
निम्न तथ्य विचारणीय है -

१. यह कि आर्चिटर पद पर कार्यरत हेतु चार बार अवकाश-२
विशेषों में टेस्ट लिये गये हैं।

२. यह कि आर्चिटर पद पर वर्तमान में कार्यरत आर्चिटर/अंग्रेजी/उर्दू
गैत सींगी गई थी।

३. यह कि कार्यालय पत्रांक एड/डी.जी.ओ.-यू.पी./ए.ए.६८
दिनांक 10-2-82 के द्वारा आर्चिटर पद पर नियुक्त हेतु
योग्यता में कौटुम्बिक एवं वार्षिक योग्यता मांगी गई है।

४. यह कि उपर्युक्त पत्रांक के सम्बन्ध में निदेशक महोदय
के आदेश दिनांक 18-2-82 द्वारा निम्न अंगोदान हुआ है
"The Punching qualification is necessary" एड-1 Director 18/2

५. यह कि अनन्तिम तथ्यता सूची को तैयार करने में मूल
विधानों को गौरवपूर्ण किया गया है तथा - अंतर्धानिक
(Major Policy) विधि के तहत एड/३२ और का विधान
कर्मचारियों के चयन की वैधानिकता आदि।

L. P. ...

अनन्तिम तरीका से सूची के निर्धारण का तैयारी कर लेना

1. यह कि चार बार अलग-अलग लिखितों में जो टेस्ट लिखे जाते हैं उनकी मेरिट सूची अलग-2 ही होगी - चारों ही, जो कि न तो प्रकाशित ही की गई है और न ही तैयारी के निर्धारण के बाद का चलन से किया गया है। अतः कार्यलय पत्रांक पृष्ठ 12-87 डी.सी.ओ. - यू.पी./P-4937, दिनांक 31-12-87 पूर्ण अवधि तथा तीन एवं अंगुष्ठ है।

2.

यह कि कार्यलय पत्रांक P-768 दिनांक 10-2-82 द्वारा जारी पद पर कार्यलय जाव द्वारा लांघित योग्यताओं (पंचिंग/अंगुष्ठी टाइप गति मांगी गयी है) इस आधार पर भी पंचिंग टेस्ट देने वाले कर्मचारियों को टाइप गडिंग टेस्ट देने वाले कर्मचारियों के बाद नहीं रखा जाना चाहिए। अतः यह अनन्तिम सूची आधार हीन प्रस्ताव है।

3.

यह कि उपर्युक्त कार्यलय पत्रांक P-768, दिनांक 10-2-82 के सम्बन्ध में निदेशक महोदयों के आदेश दिनांक 18-2-82 तथा निम्न आशयान हुआ है "The Punching Qualification is necessary" sd Director 18-2-82। उक्त निदेशक महोदयों के आदेशानुसार भी पंचिंग टेस्ट देने वाले कर्मचारियों को अगस्त टाइप टाइप टेस्ट देने वाले कर्मचारियों के बाद नहीं प्रतिस्थापित (fix) किया जा सकता है। इस आदेश का भी प्रकाशित अनन्तिम आदेशों तरीका से सूची में शुद्ध अन्वयन किया गया है। अतः यह अनन्तिम आदेशों तरीका से सूची जारी होना तथा हीन है।

4-

यह कि निम्न-2 योग्यता रखने वाले कर्मचारियों की पंचिंग/टाइपिंग अनन्तिम तरीका से सूची निर्धारित करने की संवित्तीय विधि (Manager Policy) का अनुपालन भी नहीं किया गया है और न ही अलग-अलग चार बार होने वाले लिखितों के टेस्ट का भी नियम ही प्रतिपादित किया गया है अतः यह सूची तथ्य हीन है।

5.

यह कि आदेशों अनन्तिम प्रकाशित तरीका से सूची में क्रमांक 1 से 13 तक की नियुक्ति संज्ञानांतरण आदेश में क्रमांक 1 से 13 तक के आदेशों को तदर्थ कनिष्ठ सहायक पद पर प्रोन्नति किया गया है अतः दो कर्मचारी अब भी आदेशों पद पर कार्यरत हैं।

क्रमांक 14 से 12 तक के आदेशों कर्मचारियों को भी भी दर्शाया गया है।

6. यह कि क्रमांक 14 से 61 तक के आवेदनों के नाम को मैरिट आधार पर चयन किया जाने के विवरण नहीं आंकित है और नही प्रकाशित कार्यालय डाक संख्या 03/डीसीओ, यूपी/ए-एनएच दिनांक 31-12-87 में यह संवाद किया गया है कि अनुक्रमीयता सूची मैरिट आधार पर तैयार होगी है केवल निम्न सूची क्रमांक 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 106 अनुक्रमीयता के बिना मैरिट आधार दिया गया है। एनकि है क्रम सेक्टर टाइट के हिसाब से नहीं आधार नहीं है।

7. यह कि कार्यालय पत्रांक 03/डीसीओ-यूपी/डीडी/ए 3995 दिनांक 6-8-81 में है स्पष्ट रूप से वर्णित है कि परिणाम के लिये कम से कम 30 कार्ड पेशों 80 कालम का प्रतिदान है 30 मिनट का समय तथा प्रत्येक लड़ी गलती के लिये 5% कमी किया जाना चाहिए तथा इसके अलावा के महीने का आशुत राइट है 30 शब्द प्रतिमिनट के हिसाब से चयन किया जाने लिये की योग्यता मांगी गई है।

8. यह कि इस प्रकार दो भिन्न प्रकार के महीने पर भिन्न प्रकार की प्रक्रिया का आयोजन होगा है अतः इस मैरिट को आधार दोनों में (Merged Policy) का निर्धारण होना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा समी आला-आला दुये हैलों में चुने गये कर्मचारियों को एक का में राश नहीं रखा जा सकता है। इस सूची में वैधानिकता का कोई अंक नहीं रखा जा सकता है। अतः यह सूची पूर्ण अंश में अशुद्ध है। तथों और वैधानिक आधारों से है है अतः वरीयता सूची पूर्ण रूप से अशुद्ध है।

9. यह कि आवेदक वरीयता सूची मैरिट शब्द पर बनाये जाने की प्रत्येक आला-आला दुये चार हैलों में चुने गये कर्मचारियों के नाम का मैरिट आधार पर प्रकाशित प्रकाशित किया जाना आवश्यक है यदि मैरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं की गई है तो मैरिट आधार नहीं मान्य होगी। न ही समी आला-2 हैलों में चुने गये कर्मचारियों को अनामित ढंग से सीटि यार्ड वरीयता लिस्ट पर एक क्रम पर रखा जा सकता है।

इस प्रकार यह कि आवेदक अनन्त वरीयता सूची विमंगलित है। अतः परिपूर्ण है और वैधानिक आधारों से विहीन है अतः कार्यालय आदेशों / प्रमाणों को ही लेंगे।

Attested True Copy



L. P. SHUKLA
Advocate

A168

141

गया है। साथ ही साथ सिद्धान्तों को लागू करने पर रखा गया है।
 अतः प्रत्येक सम्पन्न किया गया है। यह जो चुन गये कग-वारी
 ली-चिंग / राडी-विल-ट की अलग-2 में रिट-आधार पर ली-विल-मन
 विधि (Major Policy) का अन्तिम तरीका सूची प्रकाशित
 प्रकाशित ।

दिनांक :- 11-2-88

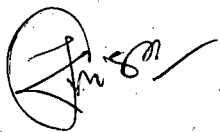
भवदीया

उम्मीलावारी

(उम्मीलावारी)

(आतरेर)

Attested/True Copy



L. P. SHARMA
 Advocate

सेवा में,

निदेशक महोदय,
जनशक्ता परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
25, नवजागरो रोड,
कानपुर।

ANNEXURE NO

A-64

विषय: दिनांक 1-10-87 को आपरेटर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों
अन्तिम परीक्षा तारीख के सम्बन्ध में आपरित।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्रांक संख्या एस/2-35/डीसीओओ-यूपी/ए-127 दिनांक 31-12-87 के द्वारा जो कर्मचारियों की अन्तिम परीक्षा हुई प्रमाणित किया गया है वह औद्योगिक विभागों के मिलान विपरीत, तद्विषय एवं आधार तीन प्रमाणित किया है। आपसे उक्त परीक्षा हुई जो अन्तिम रूप से निर्धारण करने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र का निम्न निवेदन प्रस्तुत है:-

1. यह कि प्रार्थी की नियुक्ति कार्यालय पत्रांक एस/डीसीओओ-यूपी/ए-137 दिनांक 16.04.83 के द्वारा अर्थात् रूप से आपरेटर के पद पर के तमान 330-560 में हुई थी तथा प्रार्थी ने अपना कार्यभार दिनांक 21.04.83 को शुरू कर दिया।
 2. यह कि प्रार्थी का नियुक्ति नियुक्ति कार्यालय पत्रांक एस/डीसीओओ-यूपी/ए-4520 दिनांक 17-9-84 के द्वारा दिनांक 21.04.83 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं जन्म तिथि से। प्रदान की गयी जिसमें प्रार्थी का नाम इस संख्या 38 पर दर्शाया गया है।
 3. यह कि प्रार्थी को कार्यालय पत्रांक एस/डीसीओओ-यूपी/ए-6423 दिनांक 22.12.86 के द्वारा दिनांक 21.04.86 से अर्थात् तारीख रूप में नियुक्ति घोषित किया गया।
 4. यह कि कार्यालय पत्रांक एस/डीसीओओ-यूपी/ए-768 दिनांक 10-2-82 द्वारा एक फॉरेम निकाला गया जिसमें निदेशालय के डीसीओओ सिस्टम में 330-560 वेतनमान में आपरेटर के अर्थात् पदों के हेतु विभिन्न क्षेत्रीय तारणीयन कार्यालय/आँकड़ा प्रक्रिया अनुभाग एवं अन्य अनुभागों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों से जिन्होंने निम्नलिखित पाँचों योग्यताएं एवं अर्थात् रखते हैं जैसा कि नीचे वर्णित है, प्रार्थना पत्र आगमिता कर लेंगे:-
- क) जिन्होंने वेतनमान/स्थिर वेतन पर दिनांक 31-1-82 तक 6 मा. की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है।
 - ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि का सम्बन्ध।
 - ग) आयुसीमा - 18 से 28 वर्ष हो।
 - घ) प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 25-2-82 तक।

Attested True Copy

पृष्ठ: 2

L. P. SHUKLA
Advocate

- 15। चयन प्रक्रिया परीक्षा/साक्षात्कार के आधार पर सम्पादित की जायेगी।
- 16। वांछनीय-पंक्ति एवं पंक्ति का कार्य में दो वर्ष का अनुभव।
- 17। परीक्षा (पेण्ड पन्नेज) के परिचालन में दी जायेगी।
5. यह कि पत्रांक ए-763 दिनांक 10-2-02 के परिणाम पर वांछनीय योग्यताओं के सम्बन्ध में निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 18-2-32 के द्वारा संशोधित किया गया कि :- "The Punching qualification is necessary"
6. यह कि उक्त परिणाम के आधार पर ही पंक्ति की परीक्षा की विनियम-2 विधियों में दी गयी तथा परीक्षा में पास उम्मीदवारों को प्राप्त गये उनके अनायास कर्मचारियों को तैयार की परीक्षा की गयी क्योंकि संशोधित परिणाम में तैयार परीक्षा कोई उल्लेख नहीं था।
7. यह कि परीक्षा के उपरान्त चयन किये गये कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रेषित दिनांक 4-4-83 को 17, 11-4-83 को 12, 16-4-83 को 16, 20-4-83 को 18, 28-4-83 को 18, 3-6-83 को 10, 16-6-83 को 13, 2-7-83 को 10, एवं 5 कर्मचारियों को 16-9-83 को जारी किये गये तथा आदेशानुसार कर्मचारियों के अपने नियुक्ति पत्र में दी गयी विधियों के अन्तर्गत अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था।
8. यह कि आपरेटर अनन्तिम परीक्षा सूची मेरिट के आधार पर बनाये जाने के पहले प्रत्येक अलग-2 हुए टैरटों में चयनित कर्मचारियों के नाम को मेरिट आधार पर प्रकाशित एवं परिचालित किया जाना परमादेशवशक था, लेकिन मेरिट लिस्ट प्रकाशित एवं परिचालित नहीं की गयी है। न ही सभी अलग-2 टैरटों में नियुक्त किये गये कर्मचारियों को मनाने टैरट से परीक्षा बिन्दु पर एक क्रम पर रखा जा सकता है।
9. यह कि 31-12-97 को प्रकाशित अनन्तिम परीक्षा सूची में प्राप्ति का नाम क्रम संख्या 71 पर रखा गया है तथा परीक्षा सूची का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि चुने हुए 82 आपरेटरों में से 29 आपरेटरों को जो कि तैयार परीक्षा द्वारा चयनित किये गये हैं उन्हें परीक्षा सूची में क्रम संख्या 14 से 44 व 47 पर पानि अमर रखा गया है तथा शेष सभी हैण्ड पंक्ति परीक्षा द्वारा चयनित 53 आपरेटरों को क्रम संख्या 51 से 53, 58, 60, 63, से 105 तथा 107 से 111 पर रखा गया है जो कि अध्यात्मिक एवं निराधार है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद की धारा 14 एवं 16 का स्पष्ट उल्लंघन है।
10. यह कि परिणाम में निदेशक महोदय द्वारा संशोधित किया गया कि "The Punching qualification is necessary" और तैयार के सम्बन्ध में कोई भी उल्लेख नहीं था इसी लिए उक्त परीक्षा सूची का

Attested/True Copy



L. P. SHUKLA
Advocate

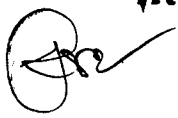
प्रमाण: ...3

आधार पदों की पंक्ति परीक्षा द्वारा चयनित आपरेटरों को क्रम सं० 1 से लेकर 53 तक का स्थान मिलना चाहिए तथा तैकन परीक्षा द्वारा चयनित आपरेटरों को तत्पश्चात् क्रम सं० 54 से लेकर 112 तक में रचना चाहिए क्योंकि निदेशक महोदय के 18-2-82 के संशोधित आदेशानुसार टैकन के मुताबिक में पंक्ति के आपरेटरों को परीक्षा। Preference मिलना चाहिए।

11. यह कि नियमानुसार ही नियुक्ति के दिनांक या नियमित नियुक्ति के दिनांक को आधार मानकर परीक्षा सूची बनायी जाती है तो प्रार्थी का नाम क्रम संख्या 38 पर ही आना चाहिए न कि क्रम संख्या 71 पर।
12. यह कि उक्त न्यायतंत्र आधार को अपनाते हुए पहले का फैसला ग्रहण करने वाले आपरेटरों को यदि पहले रखा जाये और बाद में का फैसला ग्रहण करने वाले आपरेटरों को बाद में रखा जाये तो डी०सी० 030 विभाग के प्रत्येक आपरेटरों को अपना तभी स्थान मिल सकेगा।
13. यह कि क्रम संख्या 14 से 41 तक के आपरेटरों के नाम को मेरिट के आधार पर चयन किये जाने के सम्बन्ध में विवरण नहीं अंकित है और न ही प्रकाशित कार्यालय काप संख्या एच/डी०सी०ओ०-यू०पी०/ए-4937 दिनांक 31-12-87 में यह स्पष्ट लिखा है कि मूख अनन्तिम परीक्षा सूची मेरिट आधार पर तैयार की गयी है, केवल रिक्त पदों क्रम संख्या 42 से 46, 48 से 50, 54 से 57, 59, 61, 62, एवं 106 अनुक्रमिक के लिए मेरिट आधार रखा गया है जबकि यह रोलर थिन्दु के हिसाब से तभी नहीं है।
14. यह कि अनन्तिम परीक्षा सूची में जो स्थान रिक्त छोड़े गये हैं उन स्थानों को भी परीक्षा सूची में मौजूदा आपरेटरों को ही नियमानुसार अधिकार से प्रदान करना चाहिए तथा जो आपरेटर बाद में नियुक्ति किया जायेगा वह परीक्षा सूची में बाद में स्थान पायेगा।
15. यह कि अनन्तिम परीक्षा सूची में दर्शाये गये आपरेटरों की पदोन्नति कनिष्ठ सुपरवाइजर के पद पर हो चुकी हैं तथा माह अक्टूबर 1980 से कनिष्ठ सुपरवाइजर के 19 पद रिक्त होंगे जिन पर [Direct Recruits] आपरेटरों में से ही पदोन्नति की जानी चाहिए क्योंकि माह अक्टूबर 1988 में प्रार्थी कनिष्ठ सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति पाने का अधिकारी हो जायेगा।
16. यह कि भारत के महा रजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली के पत्रांक 4/1/80/एडी-111-12 दिनांक 18-3-80 तथा कार्यालय पत्रांक एच/डी०सी०ओ०-यू०पी०/डी०सी०ओ०/ए-3995 दिनांक 6-8-81 द्वारा आपरेटर के पद पर नियुक्ति हेतु स्थानान्तरण के आधार पर भी आये हुए सभी कर्मचारियों से पंक्ति/टैकन की परीक्षा लेना ज़रूरी था। पंक्ति/टैकन में उच्चतम कर्मचारियों को ही आपरेटर पद पर नियुक्त किया जाना था, लेकिन उक्त क्रम संख्या 1 से 13 तक के कुछ कर्मचारियों को कई भिन्न-2 तिथियों

Attested/True Copy

क्रमशः...4



L. P. SHUKLA
Advocate

L. P. SHUKLA
Advocate

::5::

- अनिवार्य था लेकिन पूरा नहीं था । से 13 तक के अपरेटर जो 4 तक नियमित सेवा के बाद ही प्रोन्नति कर दिया गया है जो कि गलत है ।
21. यद्यपि भारत के महा राजस्व कार्यालय नई दिल्ली के पत्रांक 4/1/80-एडी।प्रका। दिनांक 1-1-81 के द्वारा जूनियर सुपरवाइजर के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति । Selection Committee. । द्वारा कार्यवाहियों का चयन किया जाना था लेकिन पत्रांक एड/2-31/डी डी 000 /डी डी 000-पूना/ए-2571 दिनांक 29-6-87 द्वारा पूरा संकेत (1) से (11) तक के सभी कार्यवाहियों को प्रोन्नति कर दिया गया है जिसका कोई आधार नहीं है । जूनियर सुपरवाइजर पद पर प्रोन्नति चयन छ समिति द्वारा ही किया जाना चाहिए न कि वरीयता क्रम में ।
22. इस प्रकार उक्त अनन्तिम वरीयता सूची वित्तगतियों से परिपूर्ण है और वैधानिक आधारों से विहीन है क्योंकि कार्यालय आदेशों / प्रमाणों को दिखाया गया है साथ ही साथ विद्वानों को जोड़ मरोड़ पर रखा गया है जिसकी जानकारी निदेशक महोदय को भी नहीं दी गयी है ।
23. यद्यपि अनन्तिम वरीयता सूची को अनन्तिम रूप देने से पहले पत्रांक एड/डी डी 000/डी डी 000-पूना/ए-1931 दिनांक 21-4-83 को रेफरिट आधार मानकर वरीयता सूची का आधार निर्णय किया जाय तो प्राप्ति को न्याय मिलेगा ।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त आपत्तियाँ एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अनन्तिम वरीयता को अनन्तिम वरीयता सूची का रूप देने की कृपा करें जिससे प्राप्ति को अन्याय की जगह न्याय मिल सके ।

न्याय की आशा में ।

दिनांक : 25.2.88.

Received
25/2/88

प्राप्ति
[रमेश खाल-रसिया]
अपरेटर, डी 001 000 000
क्रमांक 11 अनन्तिम वरीयता सूची में ।

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

आपत्तिकर्ता से वरिष्ठ माने गये और शेष सभी को निष्ठ ।

7- यहकि निदेशालय के पत्रांक एई/डीसीओओ-यूजीओ/ए-2055, दिनांक 28-05-87 द्वारा आपत्तिकर्ता को 26-4-86 से अर्द्धस्थायी रूप से नियुक्त किया गया ।

8- यहकि अनन्तम वरिष्ठता सूची को तैयार करने में लीकेशन विधि, रोस्टर वाइजेंट, मेरिट का विधदान्त कर्मचारियों के चयन की वैधानिकता आदि के मूल विधदान्तों को नजरन्दाज किया गया है । अनन्तम वरिष्ठता सूची के निष्कारण का वैधानिक विश्लेषण :-

1- यहकि कार्यालय पत्रांक ए-768, दिनांक 10-2-82 द्वारा कार्यालय ज्ञापन द्वारा जब आपरेटर पद पर वर्जित योग्यता स्नातक तथा "की" पॉचिंग मांगा गई थी फिर टाइप का टेस्ट देने वाले कर्मचारियों को पहले तथा पॉचिंग का टेस्ट देने वाले कर्मचारियों को बाद में नहीं रखा जाना चाहिए । अतएव यह अनन्तम वरीयता सूची आधारहीन है ।

2- यहकि उपर्युक्त कार्यालय परिपत्र ए-768 दिनांक 10-2-82 के सम्बन्ध में निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 18-2-82 द्वारा निम्न संतोधान हुआ कि The Punching Qualification is necessary SD/ Director

निदेशक महोदय के उक्त आदेश के अनुसार भी पॉचिंग टेस्ट देने वाले कर्मचारियों को समस्त टाइप टेस्ट देने वाले कर्मचारियों के बाद प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता । अतएव निदेशक महोदय के आदेश का भी वरीयता सूची में बुरा उल्लंघन किया गया है । अतएव यह सूची तथ्यहीन है ।

3- यहकि भिन्न भिन्न योग्यता रखने वाले कर्मचारियों की अनन्तम वरीयता सूची निष्कारित करने की लीकेशन विधि का अनुपालन भी नहीं किया गया है जबकि चयनित कर्मचारियों के नामों को मेरिट के आधार पर प्रकाशित एवं प्रचारित भी नहीं किया गया था । इसलिये यह मेरिट लिस्ट अब गारहीन है । अलग अलग तिथियों में टेस्ट का नियम भी प्रतिपादित नहीं किया गया है । स्पष्टतः यह सूची गलत है ।

4- यहकि जैसा सूची से ही विदित है कि जो कर्मचारी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं उनकी पहली सरकारी सेवा यदि

Attested True Copy

क्रमशः --- पेज-3



L. P. SHUKLA
Advocate

कोई है तो यह वसीयत सूची में उसका नाम वरिष्ठ दिखाने के लिये उस सेवाकाल को जोड़ा जाना नियम के विरुद्ध है। बल्कि उसका सेवाकाल जबकि वह सीधी भर्ती द्वारा मिले गये है किसी एक तिथि या तो नियुक्ति की तिथि से या नियुक्ति को नियमित मिले जाने की तिथि से जोड़ा जाना चाहिये, न कि उसकी सेवाओं को जोड़ा जाये जो कि इनकी सीधी भर्ती की दिनांक से पहले की हो।

5- यहाँके सूची में अन्य वरिष्ठ आपरेटर जिमें आपत्तिस्तर्फी भा है को क्रमबद्ध दर्शाया गया है और उन्हें वरिष्ठ दिखाया गया है, जोकि अतुल्य गत है।

6- आपत्तिस्तर्फी इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता है कि आपरेटर के पद का और कोई अन्य वर्गीकरण नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि दो अलग-2 वर्ग में बाँट दिया गया हो और यदि ऐसा है तो नियम के विरुद्ध है, क्योंकि किसी भी नियम द्वारा वर्गों के आधार पर नियुक्ति की दिनांक और नियमित नियुक्ति की तिथि को गेड़ कर वर्गीकरण करना या प्रोफेशन में वर्गों के आधार पर बढावा देने का प्रावधान है। अतः नियुक्तियों की तिथि एवं नियुक्तियों को नियमित करने की तिथि के अतिरिक्त प्रोफेशन सूची बनाने के लिये किसी और आधार का बनाना अनियमितता होगी। जैसाकि उल्लिखित सूची में किया गया है।

7- यहाँके अनियमित वसीयत सूची के पढ़ने से यह बात ही नहीं होता कि वसीयत का आधार क्या माना गया है। प्रमाण के लिये निदेशालय के पत्रांक 17 सितम्बर, 1984 जिसके द्वारा नियुक्तियाँ नियमित की गई, श्री चुन्नी लाल की क्रम संख्या 1 है तथा अनियमित वसीयत सूची में उनका नाम क्रम संख्या-98 पर दिखाया गया है जबकि सरकारी सेवाओं में आने की तिथि 26-7-73 दिखाई गई है। लेकिन क्रम सं० 14 एवं 15 की सरकारी सेवाओं में आने की दिनांक 1-7-82 ही दर्शाया गया है, लेकिन उनका नाम क्रम संख्या 14 व 15 पर ही दिखाया गया है जिससे कोई आधार प्रदर्शित नहीं होता।

8- यहाँके कार्यक्रम प्रारण करने हेतु जो अलग अलग दिनांकों 4-4-83, 11-4-83, 16-4-83, 20-4-83, 28-4-83, 3-6-83, 16-6-83, 2-7-83 एवं 16-9-83 को 9 बार नियुक्ति पत्र दिये गये उसमें यहाँ

Attested/True Copy

प्रमाण: -----पेज-4



L. P. SHUKLA
Advocate

और टाइप टेस्ट दोनों के हो चुने गये अर्थात् को जिनको कि आपके कार्यालय पत्रांक-एई/डी०डी०ई०/डी०सी०ओ०-यू०पी०/ए-१९३१ दिनांक २१-४-८३ के अनुसार ही मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति पत्र दिये गये थे, परन्तु उपरोक्त पत्रांक से कोई भी आधार नहीं माना गया है जो कि नियमतः गलत है।

९- यह कि यदि नियमानुसार नियुक्ति की तिथि या नियुक्तियों के नियमित करने के दिनांक को आधार मान कर वरीयता सूची बनाई जाती है तो आपत्तिकर्ता का नाम वरीयता सूची में क्रम संख्या-५५ पर आना चाहिए।

१०- यह कि क्रम संख्या १४ से ४१ तक के आपरेटरी के नाम को मेरिट आधार पर ध्यान किये जाने के सम्बन्ध में विवरण अंकित नहीं है और नही कार्यालय आप संख्या एई/डी०सी०ओ०-यू०पी०/ए-४९३७ दिनांक ३१-१२-८७ में यह स्पष्ट लिखा गया है कि आर्य वरीयता सूची मेरिट के आधार पर तैयार की गई है केवल रिक्त पदों क्रमांक ४२ से ४६, ४८ से ५०, ५४ से ५७, ५८, ५९, एवं १०६ अनुक्रमांक के विषये मेरिट का आधार रखा गया है। अतः यह क्रम सूची स्टाफ सिलेक्शन के विषय से सही आधार नहीं है।

११- यह कि अमान्य वरीयता सूची से स्पष्ट है कि क्रमांक १ से १३ के आपरेटरी को उनके जनगणना निदेशालय के सहायक संप्लनकर्ता पद को ध्यान में रखा कर वरिष्ठ बना दिया गया है जो कि सही नियम आपत्तिकर्ता के सम्बन्ध में लागू नहीं किया गया है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद १४ व १६ का छूटा उल्लंघन है, तथा सेवा शर्तों के विरुद्ध है।

१२- यह कि कार्यालय पत्रांक-एई/सी०डी०ई०/डी०सी०ओ०-यू०पी०/ए-२५९३, दिनांक २५-५-८४ को ध्यान से देखा जाये तो वरिष्ठता क्रम न होने के बावजूद भी अपना एक आधार है वह यह कि प्रत्येक अलग-२ लिस्टों से पदभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों को उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक के अनुसार से क्रम में रखा गया है, जो अपने में एक तथ्य युक्त आधार पर आधारित है।

१३- इस प्रकार यह अनन्तिम सूची विस्मृतियों से परिपूर्ण है और वैधानिक आधार से विहीन है क्योंकि कार्यालय आदेशों तथा प्रमाणों को छिपाया गया है साथ ही साथ सिद्धान्तों को तोड़-

Attested/True Copy प्रमाण: ————— पेज-५



L. P. SHUKLA
Advocate

तोड़-मरोड़ कर रखा गया है। उदाहरणार्थ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 26-4-83 यथोक्त कर्मचारी क्रमांक 42 से 89 पर किन सिद्धान्तों पर प्रतिस्थापित किया गया है, जिनके न टेस्ट का नम्बर का आधार है और न ही मेरिट का संकलन आधार ही निरूपित करता है।

इस प्रकार यदि श्री मान जी नियमानुसार नियुक्ति की दिनांक या नियुक्तियों को नियमित करने के दिनांक को आधार मानकर वरीयता सूची बनाई जाती है तो प्रार्थी का नम्बर वरीयता सूची में क्रम संख्या-55 या उससे पहले होना चाहिए। क्योंकि पहले के दो अपरेटर त्यागपत्र देकर बाहर चले गये हैं। इस प्रकार उक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुये आपत्तिकर्ता के साथ तथा अन्य के साथ नियमानुसार वरीयता सूची बनाकर श्रीमान जी न्याय करने की कृपा करें।

आभार।

भावदीप

जनार्दन सिंह
आपत्तिकर्ता

दिनांक : 21.12.88

Attested/True Copy

Rem

L. P. SHUKLA
Advocate

*Received by
copy given
22/12/88*

सेवा में:

ANNEXURE NO

A-66

152

श्रीमान निदेशक महोदय,
जनगणना परिचालन,
25, नवल किशोर रोड, लखनऊ,

विषय:- दिनांक 1.10.87 को आपरेटर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों
की अन्तिम वरीयता सूची के सम्बन्ध में आपत्ति।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्रांक ए.ई/2-85/डी0सी0ओ0 यू0पी0/ए-

4937 दिनांक 31.12.87 के द्वारा जो कर्मचारियों की अन्तिम वरीयता
सूची प्रकाशित की गयी है वह सवैधानिक नियमों के बिल्कुल विपरीत,
सिद्धि एवं आधारहीन प्रतीत होती है। अतएव उक्त वरीयता सूची को
अन्तिम रूप से निधारित करने के सम्बन्ध में प्रार्थी न्यायिक प्रारोपण

का निम्न निवेदन प्रस्तुत है:-

1- यह कि प्रार्थी की नियुक्ति कार्यालय पत्रांक ए0ई/डी0सी0ओ0
यू0पी0/ ए 1979, दिनांक 20.4.83 के द्वारा तदर्थक थाई रूप
से आपरेटर के पद पर वेतनमान 330-560 में हुयी थी तथा प्रार्थी ने
अपना कार्यभार दिनांक 26.4.83 को ग्रहण किया।

2- यह कि प्रार्थी की नियमित नियुक्ति कार्यालय पत्रांक ए0ई/डी0
डी0ई/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए 4520 दिनांक 17.9.84 के द्वारा दिनांक
26.4.83 का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं जन्म तिथि से प्रदान की
गयी जिसमें प्रार्थी का नाम क्रम संख्या 45 पर दर्शाया गया।

3- यह कि प्रार्थी को कार्यालय पत्रांक ए-ई/ — / डी0सी0ओ0
यू0पी0/ ए-6395 दिनांक 19.12.86 के द्वारा दिनांक 26.4.86 से भी
स्थायी रूप में नियुक्त घोषित किया गया।

4:- यह कि कार्यालय पत्रांक एई/ — /डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए
768 दिनांक 10-2-82 द्वारा एक परिपत्र निकाला गया जिसमें निदेशालय
के डी0डी0डी0 सिस्टम में 330-560 वेतनमान में आपरेटर के अर्थात् पदों
के हेतु विभिन्न क्षेत्रीय सारणीयण कार्यालय/ आकड़ा प्रक्रिया अनुभाग
एवं अन्य अनुभागों में कार्यरत सै कर्मचारियों से जिन्होंने निम्नलिखित
वांछित योग्यताएं एवं अर्हताएं रखते हैं जैसा कि नीचे वर्णित है, प्रार्थना
पत्र अर्जित कर सकते हैं:-

Attested/True Copy

-2

L. P. SHUKLA
Advocate

क। जिन्होंने वेतनमान स्थिर वेतन पर दिनांक 31-1-82 तक 6 माह की सेवा अवधि पूर्ण करती है।

ख। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समतुल्य।

ग। आयु सीमा - 18 से 28 वर्ष की।

घ। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 25-2-82 तक

इ। चयन प्रक्रिया परीक्षा / साक्षात्कार के आधार पर सम्पादित की जावेगी।

च। पाठनीय -- कीटिंग एवं पंचिंग का कार्य में दो वर्ष का अनुभव।

उ। परीक्षा। हेण्ड पन्चेस के परिचालन में ही ली जावेगी।

5- यह कि पत्रांक 8768 दिनांक 10-2-82 के परिपत्र पर वाचित योग्यताएं सम्बन्ध में निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 18-2-82 द्वारा सन्तुष्ट किया गया "The Punching qualification is necessary." Self-Director, 18/2

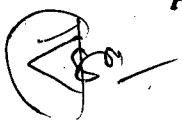
6- यह कि उक्त परिपत्र के आधार पर ही पंचिंग की परीक्षा वर्ष भिन्न-2 तिथियों में ली गयी तथा परीक्षा में पास उम्मीदवारों को चुना गया इसके अलावा कुछ कर्मचारियों की टैण्ड की परीक्षा ली गयी यद्यपि संबंधित परिपत्र में टैण्ड परीक्षा का कोई उल्लेख नहीं था।

7- यह कि परीक्षा के उपरान्त चयन किये गये कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र द्वारा दिनांक 4-4-83 को 17, 11-4-83 को 12, 16-4-83 को 16, 20-4-83 को 18, 28-4-83 को 18, 3-6-83 को 10, 16-6-83 को 16, 2-7-83 को 10, एवं 5 कर्मचारियों को 16-9-83 को जारी किये गये तथा आदेशानुसार कर्मचारियों ने अपने नियुक्ति पत्र में दी गयी तिथियों के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया।

8- यह कि अपरेटर अन्तिम सरियता सूची मेरिट शब्द पर बनाये जाने के पहले प्रत्येक अलग-2 हुए टेस्टों में चयनित कर्मचारियों के नाम को मेरिट आधार पर प्रकाशित एवं प्रचालित किया जाना

Attested/True Copy

-3



L. P. SHUKLA
Advocate

परमावश्यक था, लेकिन मेरिट लिस्ट प्रकाशित एवं प्रचालित नहीं की गयी है तो मेरिट आधार मान्य नहीं होगी। न ही सभी अग-2 सूची में नियुक्त किये गये कर्मधारियों को मनमाने ढंग से परीयता बिन्दु पर एक क्रम पर रखा जा सकता है।

9- यह कि 31-12-87 को प्रकाशित अन्तिम परीयता सूची में प्राथी का नाम क्रम सं० 84 पर रखा गया है तथा परीयता सूची का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि चुने हुए 82 अपरैटरों में से सभी टंकण परीक्षा द्वारा चयन किये गये 29 अपरैटरों को क्रम सं० 14 से 41 व 47 पर आर रखा गया है तथा शेष सभी हैंड पंचिंग परीक्षा द्वारा चयनित 53 अपरैटरों को क्रम सं० 51 से 53, 58, 60, 63 से 105 तथा 107 से 111 पर रखा गया है जो कि औद्योगिक निराधार है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का स्पष्ट उल्लंघन है।

10- यह कि चूंकि परिपत्र में निदेशक महोदय द्वारा संशोधन किया गया था कि "The Punching qualification is necessary" और टंकण के सम्बन्ध में कोई भी उल्लेख नहीं था इसी तथ्ये उक्त परीयता सूची का आधार पहले सभी पंचिंग परीक्षा द्वारा चयनित अपरैटरों को क्रम सं० -14 से लेकर 66 तक का स्थान मिलना चाहिये तथा टंकण परीक्षा द्वारा चयनित अपरैटरों को तत्पश्चात् क्रम सं० 68 से लेकर 112 तक में रखना चाहिये क्योंकि निदेशक महोदय के 18-2-82 के संशोधित आदेशानुसार टंकण के मुकाबले में पंचिंग के अपरैटरों को परीयता : Preference : मिलना चाहिये।

11:- यह कि यदि नियमानुसार ही नियुक्त के दिनांक या नियमित नियुक्त के दिनांक को आधार मानकर परीयता सूची बनायी जाती है तो भी प्राथी का नाम क्रम सं० 45 पर ही आना चाहिये न कि क्रम सं० 84 पर।

12- यह कि उक्त न्याय संगत आधार को अपनाते हुए पहले का कार्यभार ग्रहण करने वाले अपरैटरों को यदि पहले रखा जाये और बाद में कार्यभार ग्रहण करने वाले अपरैटरों को बाद में रखा जाये

Attested/True Copy

तो डी0डी0डी0 सिस्टम के प्रत्येक अपरेटरों को अपना सही स्थान मिल सकेगा ।

43- यह कि क्रमांक 14 से 41 तक के अपरेटरों के नाम को मेरिट के आधार पर चयन किये जाने के सम्बन्ध में विवरण नहीं अंकित है और न ही प्रकाशित कार्यालय ज्ञाप संख्या ए0ई/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए4937 दिनांक 31-12-87 में यह स्पष्ट लिखा गया है कि अमुक अन्तिम परीयता सूची मेरिट आधार पर तैयार की गयी है, तैयार रिक्त पदों क्रमांक 42 से 46, 48 से 50, 54 से 57, 59, 61, 62 एवं 106 अनुक्रमांक के तहत मेरिट आधार रखा गया है जब कि यह क्रम रीस्टर प्रवाइन्ट के हिसाब से सही आधार नहीं है ।

14- यह कि अन्तिम परीयता सूची में जो स्थान रिक्त छोड़े गये हैं उन स्थानों को भी परीयता सूची में मौजूदा अपरेटर को ही नियमानुसार अधिकार से प्रदान करना चाहिये तथा जो अपरेटर बाद में नियुक्त जायेगा वह परीयता सूची में बाद में स्थान पायेगा ।

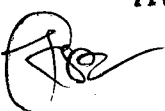
15- यह कि अन्तिम परीयता सूची में दर्शाये गये अपरेटरों की पदोन्नति कनिष्ठ सुपरवाइजर के पद पर हो चुकी है तथा माह अप्रैल 1988 से कनिष्ठ सुपरवाइजर के 19 पद रिक्त होंगे (Direct Recruits) अपरेटरों में से ही पदोन्नति की जानी चाहिये क्योंकि माह अप्रैल 1988 में प्राथी कनिष्ठ सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति पाने का अधिकारी हो जायेगा ।

16 :- यह कि भारत के महा पंजीकार कार्यालय नं0 4/1/80-2/ए मानसिंह रोड नयी दिल्ली दिनांक 18-3-80 द्वारा अपरेटर के पद पर नियुक्ति हेतु स्थानान्तरण के आधार पर भी कर्मचारियों को पॉपिंग एवं टंकण परीक्षा देना अनिवार्य था, लेकिन उपरोक्त अन्तिम परीयता सूची में क्रमांक 1 से 13 तक के कुछ कर्मचारियों को कोई भी परीक्षा नहीं ली गयी थी फिर भी उपरोक्त कर्मचारियों को वित्त आधार पर सर्वोच्च परीयता क्रम में रखा गया है ।

17 :- इस प्रकार उक्त अन्तिम परीयता सूची विसंगतियों से परिपूर्ण

Attested True Copy

-5



L. P. SHUKLA
Advocate

4183

156

151

है और वैधानिक आधारों से विहीन है क्योंकि कि कार्यालय आदेशों प्रमाणों को छिपाया गया है साथ ही साध सिद्धान्तों को तोड़ गरीब कर रखा गया है ।

10- यह कि यदि अन्तिम वरीयता सूची को अन्तिम रूप देने से पहले न्याय को ध्यान में रखा कर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का आधार लेकर के वरीयता सूची का आधार निर्णित किया जाये तो प्राथी को न्याय मिल सकेगा ।

आ : श्रीमान् जी से विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों एवं आपत्तियों पर विचार करते हुए अन्तिम वरीयता सूची बनायी जाये जिससे प्राथी को न्याय मिल सके ।

प्राथी आपका सदैव आभारी रहेगा।

प्राथी,
वैशालीकर यादव

दिनांक फरवरी 19, 1988

। अपरैटर . डी0डी0डी0सिस्टम।

Attested True Copy



L. P. SHUKLA
Advocate

ANNEXURE NO

A-67

मेरा मे

जो ना वरिष्ठा 3050.
पता पोर रोड.
मिड

दिनांक 31.12.87 को प्रकाशित अनन्तिय परीक्षा सूची के संबंध में ।

विषय,

निवेदन है कि कायलिय पत्रांक-एड/2-85/डी0डी0जी0-यू0पी0/ए/4937, दिनांक 31.12.87 के द्वारा जो डी0डी0डी0 अनुभाग के आपरेटरों की परिष्ठाता सूची प्रकाशित की गई है, उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ आपत्तियां हैं । जिन पर बिना धिक्कार किये परिष्ठाता सूची तैयार की गई है । जिन तथ्यों को मददेनजर रखकर परिष्ठाता सूची का निर्धारण तथा प्रकाशन किया गया है निम्नगत है :-

- 1- यह कि प्राची की नियुक्ति कायलिय पत्रांक-एड/डी0डी0जी0-यू0पी0/ए-1976 के द्वारा तदर्थ रूप से दिनांक 26.4.83 को हुई थी ।
- 2- यह कि आपरेटर पद पर वांछित योग्यता वैकल्पिक मांगी गई थी ।
- 3- यह कि कायलिय पत्रांक-एड/डी0डी0जी0यू0पी0/ए-768, दिनांक 10.02.84 के द्वारा आपरेटर पद पर क्यन हेतु वांछित योग्यता में कोटिंग एवं पंक्ति योग्यता मांगी गई थी ।
- 4- यह कि उपर्युक्त परिष्ठा के संबंध में निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 18.2.82 द्वारा निम्न संशोधन हुआ :-
- 5- यह कि निदेशालय के पत्रांक-दिनांक 17 सितम्बर, 1984 द्वारा एड सूची प्रकाशित की गई जिसके द्वारा अनुभाग में कार्यरत आपरेटरों को निम्नानुसार नियमित कर दिया गया । उस सूची के अनुसार आपत्तिकां का नाम एड दिनांक-48 पर दर्शाया गया था नियमित करने का तिथि 26.4.1983 दर्शाई गई थी ।
- 6- यह कि सूची दिनांक 17 सितम्बर, 1984 में 47 व्यक्तियों को दर्शाया है जो परिष्ठा माने गये और वे सब अभी कर्मचारी हैं ।
- 7- यह कि निदेशालय के पत्रांक-एड/डी0डी0जी0-यू0पी0/ए-4937, दिनांक 22.12.86 द्वारा आपत्तिकां की 26.4.86 से अर्हतायें रूप से नियुक्त किया गया ।
- 8- यह कि अनन्तिय परिष्ठाता सूची को तैयार करने में सीमांतक समय, रीट र व्यापक, मेरु व आदि कर्मचारियों के काल का ध्यान नही रखा गया ।

Attested True Copy

L. P. SHUKLA

2/

अनन्ततः परिष्कृत सूची के निर्धारण का विधान विधीयत :-

1- यह कि कार्यवाही पत्र-768, दिनांक 10.2.82 द्वारा आदेशित द्वारा जो लगे जाये वह पत्र पर वांछित यो-वता स्वरूप तथा "डी" चीज मांगी गई थी फिर लाइन का टेस्ट देने वाले कार्यवाहियों को पहले तथा वंशिन का टेस्ट देने वाले कार्यवाहियों को बाद में नहीं रखा जाना चाहिए । अतएव यह अनन्ततः परीयता सूची आधारहीन है ।

2- यह कि उपर्युक्त कार्यवाही पत्र-768 दिनांक 10.2.82 के संबंध में निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 18.2.82 द्वारा निम्न संशोधन हुआ कि
The Pending Qualification is
necessary Self Director

निदेशक महोदय के उक्त आदेश के अनुसार भी वंशिन टेस्ट देने वाले कार्यवाहियों को समस्त लाइन टेस्ट देने वाले कार्यवाहियों के बाद प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता । अतएव निदेशक महोदय के आदेश को भी परीयता सूची में सुना उल्लेख किया गया है । अतएव यह सूची तथ्यहीन है ।

3- यह कि भिन्न-भिन्न योग्यता रखने वाले कार्यवाहियों की अनन्ततः परीयता सूची निर्धारित करने की संवित्तिधन विधि का अनुमान भी नहीं किया गया है । जबकि यथानित कार्यवाहियों के बड़े नामों को मेरिट आधार पर प्रकाशित एवं प्रकाशित भी नहीं किया गया था । अतएव यह मेरिट सिस्टम आधारहीन है । अलग-अलग तिथियों में टेस्ट का नियम भी प्रतिष्ठापित नहीं किया गया है । स्पष्टतः यह सूची गलत है ।

4- यह कि ऐसा सूची से ही विदित है कि जो कार्यवाही तीथी क्षीं द्वारा नियुक्त किये गये हैं । उनकी पडली तरफ़ारा सेवा यदि कोई है तो यह परीयता सूची में उनका नाम वरिष्ठ दिखाने के लिये उक्त सेवा कास को जोड़ा जाना नियम के विरुद्ध है । बल्कि उनका सेवाकाल जबकि वह तीथी क्षीं द्वारा किये गये हैं किसी एक तिथि या तो नियुक्त की तिथि से या नियुक्ति की तिथि से किये जाने की तिथि से जोड़ा जाना चाहिए । य कि उन सेवाओं को जोड़ा जाये जो कि उन्होंने तीथी क्षीं की दिनांक से पहले की हो ।

5- यह कि सूची में अन्य वरिष्ठ आदेशों के अन्तर्गत कार्य भी है जो कि वरिष्ठ दर्शाया गया है उन्हें वरिष्ठ दिखाया गया है, जो कि भिन्न-भिन्न हैं ।

6- आपत्तिकाएँ इस ओर भी ध्यान दिलाया जाता है कि आदेशों के पत्र का और कोई अन्य वर्गीकरण नहीं है बल्कि यह अनुमान लगाया जा सके कि टी अलग-2 वी में बाँट दिया गया हो और यदि ऐसा है भी तो नियम के विरुद्ध है, क्योंकि किसी भी नियम द्वारा जहाँ के आधार पर नियुक्ति की दिनांक और

Attested/True Copy

Page: ... 3:



L. P. SHUKLA
Advocate

[illegible]

... यह कि अनन्तिम परीयता सूची के पाने से यह ज्ञात होता कि परीयता का आधार कत माना गया है । प्रमाण के लिये निदेशावली के पान-17 तितम्बर, 1984 जितरे द्वारा निशुकिता निशित की गई, श्री पुन्नीलाम, की कुम संख्या 1 है तयी अनन्तिम परीयता सूची में उनका नाम प्र संख्या-98 पर दिखाया गया है जबकि सरकारी सेवाओं में आने की तिथि 26.7.72 दिखाय गई है लेकिन प्र संख्या 14 एवं 15 की सरकारी सेवाओं में आने का दिन 1.7.82 ही दर्शाया गया है, लेकिन उनका नाम प्र संख्या 14 व 15 पर ही दिखाया गया है जितरे ोई आधार प्रदर्शित नहीं होता ।

8- यह कि कार्यभार ग्रहण करने हेतु जो अलग-2 दिनांकों 4.4.83, 11.4.83, 16.4.83, 20.4.83, 28.4.83, 3.6.83, 16.6.83, 27.83 एवं 16.9.83 को 9 बार नियुक्ति पत्र दिये गये उत्तमें वॉरिंग और लाइव टेस्ट दोनों के ही पुने गये अभ्यर्थी को जिनको कि आपके कार्यालय पत्रांक-एई/डी०डी०ई/डी०सी०ओ०-पू०बी०-ए-1991, दिनांक 21.4.83 के अनुसार ही मैरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति पत्र दिये गये थे । परन्तु उपरोक्त पत्रांक से कोई भी आधार नहीं माना गया है जो कि नियमतः गलत है ।

9- यह कि यदि नियमानुसार निगुक्ति की तिथि या निगुक्तियों के नियमत करने के दिनांक को आधार मानकर वरीयता सूची बनाई जाती है तो आपतिपत्रों का नाम वरीयता सूची में क्रम संख्या-59 पर आना चाहिए ।

10- यह कि क्रमांक-14 से 41 तक के आपरेटरों के नाम को मेरिट आधार पर
चयन करने जाने के संबंध में विवरण प्रेषित नहीं है और न ही डायालिज ग्राम संख्या-
एड/डीएसीओ-गुवाहाटी/ए-4937 दिनांक 1.12.87 में यह स्पष्ट किया गया है
कि प्रमुख वरीयता सूची मेरिट के आधार पर तैयार की गई है देखा जाता है कि
क्रमांक-42 से 46, 48 से 50, 54 से 57, 59, 61 एवं 106 अनुक्रमांक के लिये मेरिट
आधार रखा गया है। जबकि यह प्रमुख रोलर घाटन के दिनांक से तारीख
नहीं है।

11- यह कि अन्तिम परीक्षा सूची में स्पष्ट है कि क्रांति । से 13 के
द्वारा जो उनके वास्तविक अदिमान के तहत संबंधित पदों के पत्र में
वास्तविक बना दिया गया है जो कि सभी नियम अपरिचितों के बीच में ला

Attested/True Copy

Enon

L. P. C.

किया गया है जो कि भारतीय विधि, न के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन है, तथा वेगवर्द्ध गतों के विरुद्ध है।

12- यह कि कायस्थ पत्रांक-25/सी.डी.डी. /डी.पी.डी. 10-पू.पी.डी. 2595 दिनांक 25.5.84 को यदि ध्यान से देखा जाये तो वारंवारता कम न होने के बावजूद भी अपना एक आधार है वह यह कि प्रत्येक जंग-2 सिद्धों से पदभार ग्रहण करने वाली कर्मचारियों को उनके पद भार कम करने के दिनांक के अनुसार से कम में रखा गया है, जो अपने में एक तथ्य युक्त आधार पर आधारित है।

13- इस प्रकार यह अनन्तित सूची किंगमियों से परिपूर्ण है और वेगवर्द्ध आधार से सिद्ध है क्योंकि कायस्थ आदेशों तथा प्रमाणों को किया गया है। साथ ही साथ सिद्धांतों को तोड़-मरोड़ कर रखा गया है। उदाहरणार्थ कायस्थ प्रमाण की तिथि 26.4.83 अनन्तित कर्मचारी क्रमांक-48 से 87 पर किन सिद्धांतों पर प्रतिस्थापित किया गया है। इनके नंबर का नम्बर का आधार है और न ही मेरिट का संविलयन आधार ही निरूपित करता है।

इस प्रकार यदि श्रीमान जी नियमानुसार नियुक्ति की दिनांक का निर्धारण को नियमित करने के दिनांक को आधार मानकर वरीयता सूची तैयार होती है तो प्राचीन का नम्बर वरीयता सूची में कम संख्या-59 या उससे पहले होना चाहिए। क्योंकि पहले के दो आउटलेट आधारों को बाहर कले गये हैं। इस प्रकार उक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए आपत्तिकाओं के साथ तथा अन्य के साथ नियमानुसार वरीयता सूची बनाकर श्रीमान जी न्याय करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

दिनांक- 19/1/86

संदीप

आज्ञा- 19/1/86

Attested/True Copy



L. P. SHUKLA
Advocate

सेवा में .

ANNEXURE NO

A-60

20
60

1188

161

श्रीमान् निदेशक महोदय ,
जनगणना निदेशालय,
उत्तर प्रदेश ,
25, नक्का किशोर रोड ,
लखनऊ

विषय:-

दिनांक 1-10-87 को आपरेटर के पद पर कार्यरत
कर्मचारियों की अनन्तिम वरीयता की आपत्ति
के सम्बन्ध में ।

महोदय ,

कार्यालय पत्रांक संख्या एई/2-85/डीसीओ-यूपी

ए- 4937 दिनांक 31-12-87 के द्वारा जो कर्मचारियों की अनन्तिम
वरीयता सूची प्रकाशित की गयी है वह संवैधानिक नियमों के विरुद्ध
विरुद्ध सिद्ध एवं आधारहीन प्रतीत होती है । अतएव उक्त वरी-
यता सूची को अन्तिम रूप से निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रार्थी
पुरुषोत्तम कुमार सिंह का निम्न निवेदन प्रस्तुत है :-

1- यह कि प्रार्थी को नियुक्ति कार्यालय पत्रांक संख्या एई/डीसीओ-यूपी/ए- 1989 दिनांक 20-4-83 के द्वारा तदर्थ/अस्थाई रूप से आपरेटर
के पद पर वेतनमान 330-560 में दुई थो तथा प्रार्थी ने अपना कार्यभार
दिनांक 26-4-83 को पूर्वान्ध में ग्रहण कर लिया था ।

2- यह कि प्रार्थी को नियुक्ति कार्यालय पत्रांक एई/
डीसीओ-यूपी/ए-4920 दिनांक 17-9-84 के द्वारा दिनांक 26-4-83
॥ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं जन्म तिथि में ॥ प्रदान की गयी
जिसमें प्रार्थी का नाम कुल संख्या 50 पर दर्शाया गया ।

3- यह कि प्रार्थी को कार्यालय पत्रांक एई/डीसीओ-यूपी/ए-6393
दिनांक 19-12-86 के द्वारा दिनांक 26-4-86 से अस्थाई रूप में
नियुक्त घोषित किया गया ।

4- यह कि कार्यालय पत्रांक संख्या एई/डीसीओ-यूपी/768 दिनांक
10-2-82 द्वारा एक परिपत्र निकाला गया जिसमें निदेशालय के
डी०डी०ई सिस्टम में 330-560 वेतनमान में आपरेटर के अस्थाई पदों के
हेतु विभिन्न क्षेत्रीय सारणीयन कार्यालय/आकड़ा प्रक्रिया अनुभाग एवं
अन्य अनुभागों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों से जिन्होंने निम्नलिखित
वांछित योग्यताएं एवं अर्हताएं रक्खते हैं जैसा कि नीचे वर्णित है, प्रार्थी
पत्र आश्रित कर सकती है ।

॥क॥ जिन्होंने वेतनमान स्थिर वेतन पर दिनांक

31-1-82 तक 6 माह की सेवाअवधि पूर्ण कर ली है

॥ख॥ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की
उपाधि या समकक्ष ।

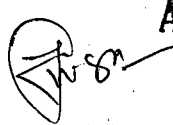
॥ग॥ आयुसीमा- 18 से 28 वर्ष हो ।

॥घ॥ प्रार्थी पत्र प्रस्तुत करने की अनन्तिम तिथि 25-2-82 तक

॥ङ॥ वयन प्रक्रिया परीक्षा/साक्षात्कार के आधार पर

सम्पादित की जायेगी ।

Attested/True Copy



L. P. SHUKLA
Advocate

च॥ वाछनीय-कोठिंग एवं पचिंग का कार्य में दो वर्ग का अनुभव ।

उ॥ परीक्षा॥ हेन्ड पन्वेज॥ के परिचालन में ही ली जायगी ।

5- यहकि पत्रांक ए- 768 दिनांक 10-2-82 के परिपत्र पर वाछित योग्यताओं के सम्बन्ध में निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 18-2-82 द्वारा संशोधन किया गया है "The Punching qualification is necessary" 3d. Director, 18/2

6- यहकि उक्त परिपत्र के आधार पर ही पचिंग की परीक्षा कई भिन्न-2 तिथियों में ली गयी तथा परीक्षा में पास उम्मीदवारों को चुना गया इसके अलावा कुछ कर्मचारियों की टक्का की परीक्षा ली गयी यद्यपि संबंधित परिपत्र में टक्का परीक्षा का कोई उल्लेख नहीं था ।

7- यहकि परीक्षा के उपरान्त चयन किये गये कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र क्रमांक दिनांक 4-4-83 को 17, 11-4-83 को 12, 16-4-83 को 16, 20-4-83 को 18, 28-4-83 को 18, 3-6-83 को 10, 16-6-83 को 13, 2-7-83 को 10, एवं 5 कर्मचारियों को 16-9-83 को जारी किये गये तथा आदेशानुसार कर्मचारियों ने अपने नियुक्ति पत्र में दी गयी तिथियों के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था ।

8- यहकि आपरेटर अनन्तिम वरीयता सूची मेरिट के आधार पर बनाये जाने के पहले प्रत्येक अलग-2 हुए टेस्टों में चयनित कर्मचारियों के नामों के मेरिट आधार पर प्रकाशित एवं प्रचालित किया जाना परमावश्यक था, लेकिन मेरिट लिस्ट प्रकाशित एवं प्रचालित नहीं की गयी तो मुझे मेरिट आधार मान्य नहीं है । न ही सभी अलग-2 बेंचों में नियुक्त किये गये कर्मचारियों को सम्मान देना से वरीयता बिन्दु पर एक क्रम पर रखा जा सकता है ।

9- यहकि पत्रांक संख्या ए- 147 दिनांक 10-1-86 द्वारा सर्वश्री गणेश चन्द्र काण्डपाल एवं सर्वश्री महेन्द्र दत्त को नियमित नियुक्ति प्रदान की किया गया है । नियमित नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर वरिष्ठ होने के नाते प्रदान किया गया न कि मेरिट आधार पर । सर्वश्री गणेश चन्द्र काण्डपाल से मेरिट के आधार पर कर्मचारियों अभी वरिष्ठ है जो अब भी तर्क है लेकिन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर उनकी कनिष्ठ होने के नाते ही सर्वश्री गणेश चन्द्र काण्डपाल को वरिष्ठ मानकर नियमित नियुक्ति प्रदान किया गया है । अतः इस आधार पर भी उक्त अनन्तिम वरीयता सूची आधारहीन एवं पूर्ण रूप से गलत है ।

10- यहकि 31-12-87 को प्रकाशित अनन्तिम वरीयता सूची में प्रार्थी का नाम क्रम संख्या- 88 पर रखा गया है तथा वरीयता सूची का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि चुने हुए 82 आपरेटरों में से सभी टक्का परीक्षा द्वारा चयन किये गये 29 आपरेटरों को क्रम संख्या 14 से 41 व 47 पर ऊपर रखा गया है तथा शेष सभी हेन्ड पचिंग परीक्षा द्वारा चयनित 53 आपरेटरों को क्रम संख्या 51 से 53, 58, 60, 63 से 105 तथा 107 से 111 पर रखा गया है ।

Attested True Copy

क्रम---3---

L. P. SHUKLA
Advocate

जो कि अवैधानिक एवं निराधार है तथा भारतीयसंविधान की धारा 14 एवं 16 का स्पष्ट उल्लंघन है।

11- यह कि चूंकि परिपत्र में निदेशक महोदय द्वारा सौंपा-
 धि किया गया था कि "The funding qualification is necessary"
 और टीका के सम्बन्ध में कोई भी उल्लेख नहीं था इसलिए उक्त
 वरीयता सूची का आधार पहले सभी पश्चिम परीक्षा द्वारा चयनित
 आपरेंटर्स को क्रम संख्या 14 से लेकर 66 तक का स्थान मिलना चाहिए
 तथा टीका परीक्षा द्वारा चयनित आपरेंटर्स को तत्पश्चात् क्रम सं
 67 से लेकर 112 तक में रखना चाहिये क्योंकि निदेशक महोदय के
 18-2-82 के सौंपा-धि आदेशानुसार टीका के मुकाबले में पश्चिम के
 आपरेंटर्स को वरीयता मिलना चाहिये।

12- यह कि यदि नियमानुसार ही नियुक्ति के दिनांक या
 नियमित नियुक्ति के दिनांक को आधार मानकर वरीयता सूची तैयार
 जाती है तो भी प्रार्थी का नाम क्रम संख्या 50 पर ही आना चाहिये
 न कि क्रम संख्या 88 पर।

13- यह कि तब न्याय मंत्रालय को अपनाते हुए पहले
 कार्यभार ग्रहण करने वाले आपरेंटर्स को यदि पहले रखा जाये और
 बाद में कार्यभार ग्रहण करने वाले आपरेंटर्स को बाद में रखा जाये
 तो डी०डी० निलम के प्रत्येक आपरेंटर्स को अपना सही स्थान मिल
 सकेगा।

14- यह कि क्रमांक 14 से 41 तक के आपरेंटर्स के नाम को
 मेरिट के आधार पर चयन किये जाने के सम्बन्ध में विवरण नहीं
 अंकित है और न ही प्रकाशित कथालय साफ संख्या रहे/डी०डी०-न्यूपी
 ए-4937 दिनांक 31-12-87 में यह स्पष्ट लिखा गया है कि अमुक
 अनन्तिम वरीयता सूची मेरिट आधार पर तैयार की गयी है, केवल रिक्त
 पदों क्रमांक 42 से 46, 48 से 50, 54 से 57, 59, 61, 62 एवं 106
 अनुक्रमांक के लिये मेरिट आधार रखा गया है जबकि यह क्रम रोल्टर
 प्वाइन्ट के विचार से सही आधार नहीं है।

15- यह कि अनन्तिम वरीयता सूची में जो स्थान रिक्त छोड़े
 गये हैं उन स्थानों को भी वरीयता सूची में मौजूदा आपरेंटर्स को ही
 नियमानुसार अधिकार से प्रदान करना चाहिये तथा जो आपरेंटर्स बाद
 में नियुक्त किया जायेगा वह वरीयता सूची में बाद में स्थान पायेगा।

16- यह कि अनन्तिम वरीयता सूची में दर्शाये गये आपरेंटर्स
 को पदोन्नति जूनियर सुपरवाइजर के पद पर हो चुकी है तथा माह
 अप्रैल 1988 से जूनियर सुपरवाइजर के 19 रिक्त पद रिक्त होंगे
 जिनपर Direct Recruits आपरेंटर्स में से ही पदोन्नति की जानी
 चाहिए क्योंकि माह अप्रैल 1988 में प्रार्थी जूनियर सुपरवाइजर के पद
 पर पदोन्नति पान का हकदार हो जायगा।

17- यह कि भारत के महारजिस्ट्रार कागानिस, नई दिल्ली के
 पत्रांक सं० 4/1/एडी-प्रथम दिनांक 18-3-80 द्वारा आपरेंटर्स के पद पर
 नियुक्ति हेतु स्थानान्तरण के आधार पर भी कर्मचारियों को सीवेन
 एवं टीका परीक्षा देना अनिवार्य था, लेकिन उपरोक्त अनन्तिम
 वरीयता सूची में क्रमांक 1 से 13 तक के कुछ कर्मचारियों को कोई भी

Attested True Copy



L. P. SHUKLA
 Advocate

परीक्षा नहीं ली गयी थी फिर भी उपरोक्त कर्मचारियों को किम आधार पर सर्वोच्च वरीयता क्रम में रखा गया है जबकि उपरोक्त कर्मचारियों ने माह अगस्त 1988 तक प्रतिनियुक्ति भस्ता भी लिया है। जो माह सितम्बर 1983 के वेतन से बढ़ती दिखाया गया है।

18- इस प्रकार उक्त अनन्तिम वरीयता सूची विमर्शितियों से परिपूर्ण है और वैधानिक आधारों से विहीन है क्योंकि कार्यालय आदेशों/प्रमाणों को छिपाया गया है साथ ही साथ सिद्धान्तों को तोड़ मरोड़ कर रखा गया है।

19- अनन्तिम वरीयता सूची को अन्तिम रूप देने से पहले पत्रांक संख्या एई/डी0डी0ई/डी0मो0ओ0-यूपी/ए- 1931 दिनांक 21-4-83 को ध्यान में रखाकर आपरेटर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का आधार मानकर वरीयता सूची का आधार निर्णित किया जाये तो प्रार्थी को न्याय मिल सकेगा।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों एवं आपत्तियों पर विचार करते हुए अन्तिम वरीयता सूची बनाये जाये जिससे प्रार्थी को न्याय मिल सके।

प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।

Received on 23/2/88
23/2/88

दिनांक 23/2/88

प्रार्थी

23/2/88

परूषोत्तम कुमार सिंह
ऑपरेंटर डीडीई सिस्टम
अनन्तिम वरीयता सूची
क्रम संख्या - 88

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

The Director,
Census Operation,
Uttar Pradesh,
LUCKNOW.

ANNEXURE NO

A-69

G.L. Murty 69
17

165

Preliminary objections against tentative
Seniority list of the Trade of Operators
as on 1.10.1987 circulated under your letter
No.E/2-85/D.C.O.-U.P./A-4937 dated 31.12.87.

Respected Sir,

Having gone through the provisional seniority list referred to above calling upon the Staffs aggrieved to file objections, if any, within two months next after its issue, it is respectfully submitted as under :-

1. That it is a settled law that seniority as a matter of an administrative nature depending on rules which have been framed by the Government under Article 309 of the Constitution of India and while assigning the same, there shall be no arbitrary exercise of discretion.
2. That it is also a settled law that when a Government servant is given an opportunity to show cause or make representation against any tentative decision of the Government, the servant is to be told in the clearest terms with full particulars about the action proposed to be taken and the basis on which such tentative decision has arrived at, otherwise the action would be in violation of the Rules of Natural Justice.
3. That since in the instant matter of seniority, both the afore-mentioned provisions have been ignored, the tentative seniority list referred to above is not in order and correct as would be seen from the facts mentioned below:-
 - (a) The tentative seniority list is based on the policy of pick & choose and not on the fundamental rules of seniority.
 - (b) Neither the tentative seniority list nor the letter under which the same has been circulated show the relevant rules framed by the Government under Article 309 of the Constitution which have been made a basis to draw such seniority of the staffs. Therefore, the representationist are handicapped in making an effective representation.

Attested True Copy

....2....

L. P. SHUKLA
Advocate

Received
15/2/88

(c) In most of the cases, it will be seen that persons, who, by virtue of their merit positions as circulated finally on 21.4.83 under your letter No. AE/D.D.E/D.C.O.-U.P./A 1931 in the selection held, were called first in order of seriatim to resume their duty in pursuance of your letters dated 4.4.1983, 11.4.83, 16.4.83, 26.4.83, 13.5.83 and 3.7.83, ^{16.4.83, 27.8.83, 16.9.83} have not been given correct position in the tentative seniority list from the date of their joining the working post rather they have been made juniors to those persons, who were called and joined their duties later on much after the resumption of the representationist.

(d) Under the fundamental law of Seniority, the person, who, after selection, joins his duty earlier, as per his merit position will rank senior to those who join later on as the earlier immediately acquires a legal right by virtue of his being a government servant prior to acquisition of such right by the later. Since the tentative seniority list in question has not been drawn in conformity with such principles, the same requires modification accordingly.

(e) The vacant places shown at serial No. 42 to 46, 48 to 50, 54 to 57, 59, 61, 62 & 106 for reserved candidates have also not been worked out correctly according to the roster point. Therefore they were liable to be modified.

(f) It is evident from the tentative seniority list in question that persons shown from S.No. 1 to 13 have been given seniority from the date of their joining but the same treatment has been denied in the case of there representationist which is discriminatory and violative of Article 14 & 16 of the constitution of India.

4. That under the facts and circumstances, the seniority list should have been drawn on the principle of first come first served i.e. from the date of joining the working post, which has been ignored in the instant tentative seniority list in so far as the representationist is concerned.

Attested True Copy

.....3.....



L. P. SHUKLA
Advocate

5. That the name of the representationist, after the modification of the list on the formula set forth in para-4 above, should have been assigned at S.No. 67 in the afore-said tentative seniority list.

It is, therefore, most respectfully prayed that a judicious view of the matter may kindly be taken and in that the representationist be given seniority from the date of their joining the working post i.e. at S.No. 67 or in the alternative, the representationist may be apprised of the relevant rules having the statutory force which have been made a basis of the seniority list in question and after that he may be given further time and opportunity to make an effective representation. It is further prayed that till the disposal of this representation and the representation proposed to be made, the tentative seniority list under this representation may not be allowed to attain finality.

It is hoped that justice as prayed would be given to the representationist.

Thanking you,

Chanda K. D. Sharma
Yours faithfully,

Dated : 18/2/88

1.

Shown at S.No. 83
Tentative
Seniority list.

Attested True Copy

[Signature]
L. P. SHUKLA
Advocate

Regularisation of Adverts Candidates

(17)

160

डी०सी०ओ०-रू०पी०/ए-882

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रोड,
लखनऊ : 226001
दिनांक : मार्च 15, 1988

-:: आदेश ::-

इस निदेशालय के डी०सी०ओ० अनुभाग में कार्यरत निम्नलिखित तदर्थ पदावस्थाओं का केन्द्रीय वेतनमान 1200-30-1560-द० रों-40-2040 में दिनांक 10.1.86 से उक्त पद पर अस्थायी तौर पर क्रिस्तित किया जा रहा है :-

वर्ग	वर्गी
1. च. हूराम पुत्र श्री गुलाब चन्द्र	10. श्रीमती सुजाता चक्रवर्ती
2. सुरेश नारायण मिश्रा	11. हीरालाल सावनानी
3. सु. सुमन श्रीवास्तव	12. सुनील सिंह फर्तवाल
4. गोविन्द सिंह विष्ट	13. नि. नारायण
5. दिनेश्वर मिश्रा	14. 3-तम कुमार राहा
6. सुभाष मोर	15. मनीष कुमार
7. अशोक कुमार सक्सेना	16. सु. सुमन लता अवस्थी
8. इन्द्र शर्मा	17. श्रीमती नलिनी सिन्हा
9. लोम प्रकाश श्रीवास्तव	

उक्त वेतन सम्बन्धी शर्तें समय-समय पर लागू होने वाले नियमों तथा आदेशों से अभिनिमित्त होंगी।

चन्दन गोपाल
निदेशक

पृष्ठ संख्या: एई/5-81/डी०सी०ओ०-रू०पी०/ए-882 तद दिनांक

प्रतिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संबंधित कर्मचारी
2. उप निदेशक/सहायक निदेशक (डी०सी०ओ०)
3. सहायक निदेशक (लेखा)
4. वेतन एवं लेखाधिकारी (जनगणना) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. भारत के महारजिस्ट्रार, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011।
उनके पत्रांक 18/57/86-प्रशा० दिनांक 5.2.88 के संदर्भ में।
6. कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
7. सहायक, समूह बी मा योजना (श्री अनन्तराम)।
8. डाफ रिटर्न पत्रावली।

Attested True Copy

लखन सिंह
सहायक निदेशक

15386

L. P. SHUKLA
Advocate

4937-एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए- 985-

169

भारत सरकार
कार्यालय निदेशक जनगणना परिसंचन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रोड,
लखनऊ - 226001
दिनांक: मार्च 22, 1988

-:: ज्ञाप ::-

विषय:- दिनांक 1.10.87 को आपरेटर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की अन्तिम तारीफना सूची।

उपर्युक्त विषयक ज्ञाप संव0 एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए-4937 दिनांक 31.12.87 प्रतिलिपि संलग्न के अन्तर्गत आपरेटरों की अन्तिम तारीफना सूची में रिक्त दर्शाए गए दिवसों के विपरीत संगणन सूची के अनुसार विवरण पढ़े जावें। यदि किसी सम्बन्धित कर्मचारी को संगणन सूची में दिखे गए विवरण के बारे में कोई आपत्ति हो तो वे इस ज्ञाप के जारी होने के 15 दिनों के अन्दर अपनी आपत्ति लिखित रूप में अधोपस्थापति के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपर्युक्त निष्पत्ति संबंधित अपरास्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा तारीफना सूची को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

चन्द्र गोपाल
निदेशक

पृष्ठांकन: एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए-985- ॥ तद दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित सूची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप निदेशक (डीडीई), इस आशय के साथ कि वे सम्बन्धित आपरेटरों को इसकी प्रति अपने स्तर से प्रसारित कराएं तथा सूची की एक प्रति पर सम्बन्धित कर्मचारियों से पावती लेकर उसे इस अनुभाग को वापस लौटावे।
2. महासूची, जनगणना कर्मचारी संगठन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

लाखन सिंह
सहायक निदेशक

मुख्य
21388

Attested True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

Tentative Seniority List of the Grade of Operator in
the Office of the Director of Census Operations, Uttar Pradesh, Lucknow

AS ON 01.10.1987

dated 31.12.87)

(In continuation of Memo No. AE/2-85/DCO-UP/A-4937

Sl. No.	Name of Officials	Date of birth	Educational Qualifications	Date of entry in to Government Service	Date of regular appointment in the grade.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
42	Babu Ram S/c Sri Gulab Chandra	6.6.55	B.A.	10.6.83	10.1.86	
43	Suresh Narain Misra	2.2.57	B.A.	7.6.83	10.1.86	
44	Km. Suman Srivastava	10.7.57	Acharya	25.6.83	10.1.86	
45	Govind Singh Bist	15.7.59	B.A., L.L.B.	4.6.83	10.1.86	
46	Dineshwar Misra	15.7.59	B.Com.	4.6.83	10.1.86	
47	Surya Bhan Meurya	15.7.56	B.A.	9.6.83	10.1.86	
49	Ashok Kumar Saxena	1.7.56	B.A.	4.7.83	10.1.86	
50	Uma Sekher	1.8.57	B.A.	17.6.83(AN)	10.1.86	
51	Om Prakash Srivastava	1.7.56	M.A.(Eco.)	18.6.83	10.1.86	
53	Smt. Sujata Chakraverty	20.2.62	M.A.	17.6.83	10.1.86	
56	Him Lal Sawani	4.9.59	B.A.	20.6.83(AN)	10.1.86	
57	Sunil Singh Fartiyal	22.4.58	B.A.	17.6.83	10.1.86	
59	Narain	6.8.58	B.A.	22.6.83(AN)	10.1.86	
61	Uttam Kumar Paha	25.6.56	B.A.	18.6.83(AN)	10.1.86	
62	Munish Kumar	7.9.55	B.A.	23.6.83	10.1.86	
101	Km. Suman Lata /wasthi	15.3.62	M.A.(Hindi)	4.7.83	10.1.86	
113	Smt. Nalini Sinha	25.9.55	B.A.	19.9.83	10.1.86	

Attested True Copy

L.P. SHUKLA
Advocate

(Lakhnan Singh)
Asstt. Director

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रोड,
सुनंज : 226001
दिनांक: अगस्त 11, 1988

-:: ज्ञाप ::-

ANNEXURE NO. A-72

Collector

आपरेटर श्रेणी की अनंतिम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में श्री सुभाष सिंह आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 26-2-88 में आपत्ति की है कि उनकी वरिष्ठता सभी स्थान पर निर्धारित नहीं हुई है।

2. वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने हेतु आदेश सं० एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए-810 दिनांक 7-3-88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अभ्यावेदकताओं को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के परिपेक्ष्य में गहराई से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अभ्यावेदनों में कोई बल नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पस्यया।

3. अधोहस्ताक्षरी ने भी पत्रावली का अवलोकन कर मामले पर विधिवत विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए श्री सुभाष सिंह आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक के अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

॥ चन्दन गोपाल ॥
निदेशक

श्री सुभाष सिंह

आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक
॥ उप निदेशक डीडीई के माध्यम से ॥

सुरेया/
16888

Attested True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रोड,
सुबर्बन : 226001
दिनांक: अगस्त 19, 1988

-:: जाप ::-

ANNEXURE NO

आपरेटर श्रेणी की अनंतिम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में श्री सुकाय विहारी सि-एर आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक ने अपने अभ्यावेदन दिनांक में आपत्ति की है कि उनकी वरिष्ठता सही स्थान पर निर्धारित नहीं हुई है।

2. वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने हेतु आदेश सं० एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए-810 दिनांक 7.3.88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अभ्यावेदनकारियों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के परिपेक्ष्य में गहराई से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अभ्यावेदनों में कोई बल नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पाया।

3. अधोहस्ताक्षरी ने भी पत्रावली का अवलोकन कर मामले पर विधिवत विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए श्री सुकाय विहारी सि-एर आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक के अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

॥ चन्दन गोपाल ॥
निदेशक

श्री सुकाय विहारी सि-एर आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक
॥ उप निदेशक डीडीई के माध्यम से ॥

मुखरिया/
19888

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कोषालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रोड,
बुलंदशहर : 226001
दिनांक: अगस्त, 1988

-:: ज्ञाप ::-

ANNEXURE NO.....

आपरेटर श्रेणी की अनोत्तम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव, आपरेटर/कनिष्ठ पथविश्व ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 15-2-88 में आपत्ति की है कि उनकी वरिष्ठता सही स्थान पर निर्धारित नहीं हुई है।

2. वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने हेतु आदेश सं० एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए-819 दिनांक 7-3-88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अभ्यावेदकताओं को समुचित सुन्वाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के परिपेक्ष्य में गहराई से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अभ्यावेदनों में कोई बल नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पाया।

3. अधोहस्ताक्षरी ने भी पत्रावली का अवलोकन कर मामले पर विधिपूर्वक विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव, आपरेटर/कनिष्ठ पथविश्व के अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

॥ चन्दन गोपाल ॥
निदेशक

✓ श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव आपरेटर/कनिष्ठ पथविश्व
॥ उप निदेशक डीडीई के माध्यम से ॥

मुखैया/
10888

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रोड,
सुखनरु : 226001
दिनांक: अगस्त 19, 1988

-:: ज्ञाप ::-

ANNEXURE NO

आपरेटर श्रेणी की अनर्नित वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी उल हरे आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 17-2-88 में आपत्ति की है कि उनकी वरिष्ठता सही स्थान पर निर्धारित नहीं हुई है।

2° वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने हेतु आदेश सं० एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए-819 दिनांक 7-3-88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अभ्यावेदनकर्ताओं को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के परिपेक्ष्य में गहराई से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अभ्यावेदनों में कोई बल नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पाया।

3° अधोहस्ताक्षरी ने भी पत्रावली का अवलोकन कर मामले पर विधिवत विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए श्री लक्ष्मी उल हरे आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक के अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

॥ चन्दन गोपाल ॥
निदेशक

श्री लक्ष्मी उल हरे आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक
॥ उप निदेशक डीडीई के माध्यम से ॥

Attested/True Copy

मुहरेया/
10808

L. P. SHUKLA
Advocate

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रोड,
बलरामपुर : 226001
दिनांक: अगस्त, 1988

- :: ज्ञाप :: -

ANNEXURE NO.....

- आपरेटर श्रेणी की अनौत्तम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में श्री फरीद-उद्दीन आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 9-2-88 में आपत्ति की है कि उनकी वरिष्ठता सभी स्थान पर निर्धारित नहीं हुई है।
2. वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने हेतु आदेश सं० एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए-810 दिनांक 7.3.88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अभ्यावेदकताओं को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के परिपेक्ष्य में गहराई से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अभ्यावेदनों में कोई बल नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पाया।
3. अधोहस्ताक्षरी ने भी पत्रावली का अवलोकन कर मामले पर विवेक विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए श्री फरीद-उद्दीन आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक के अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

॥ चन्दन गोपाल ॥
निदेशक

श्री फरीद-उद्दीन

॥ उप निदेशक डीडीई के माध्यम से ॥

मुखरैया/
1988

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

पत्रांक: एई/2-85/डी०सी०ओ०-यू०पी०/ए- 3635

1204

177

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कायालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

ANNEXURE NO.....

25, नवल किशोर रोड,
बखनपुर : 226001
दिनांक: अगस्त 11, 1988

-:: ज्ञाप ::-

आपरेटर श्रेणी की अनर्न्तम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में श्री नगे-प्र कुमार सिंह आपरेटर/कनिष्ठ पब्लिशक ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 19-2-88 में आपत्ति की है कि उनकी वरिष्ठता सूची स्थान पर निर्धारित नहीं हुई है।

2° वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने हेतु आदेश सं० एई/2-85/डी०सी०ओ०-यू०पी०/ए-816 दिनांक 7-3-88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अभ्यावेदनकर्ताओं को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के परिपेक्ष्य में गहराई से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अभ्यावेदनों में कोई झल नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पाया।

3° अधोहस्ताक्षरी ने भी पत्रावली का अवलोकन कर मामले पर विधिवत विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए श्री नगे-प्र कुमार सिंह, आपरेटर/कनिष्ठ पब्लिशक के अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

चन्दन गोपाल
निदेशक

श्री नगे-प्र कुमार सिंह आपरेटर/कनिष्ठ पब्लिशक
॥ उप निदेशक डीडीई के माध्यम से ॥

मुखरिया/
10888

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

पत्रांक: एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए-3635

2205

170

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कायालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रोड,
खजुरा: 226001
दिनांक: अगस्त 11, 1988

-:: ज्ञाप ::-

आपरेटर श्रेणी की अनर्न्तम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में श्रीमती कंचन जीएसवाल, आपरेटर/कनिष्ठ पयविक्षक ने अपने अ-यावेदन दिनांक 22-2-88 में आपत्ति की है कि उनकी वरिष्ठता सही स्थान पर निर्धारित नहीं हुई है।

2. वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अ-यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी अ-यावेदनों पर विचार करने हेतु आदेश सं० एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए-810 दिनांक 7-3-88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अ-यावेदकताओं को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के परिपेक्ष्य में गहराई से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अ-यावेदनों में कोई बल नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पाया।

3. अधोहस्ताक्षरी ने भी पत्रावली का अवलोकन कर मामले पर विविध विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए श्रीमती कंचन जीएसवाल, आपरेटर/कनिष्ठ पयविक्षक के अ-यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

॥ चन्दन गोपाल ॥
निदेशक

श्रीमती कंचन जीएसवाल, आपरेटर/कनिष्ठ पयविक्षक
॥ उप निदेशक डीडीई के माध्यम से ॥

मुखरिया/
19888

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रोड,
खुनसु : 226001
दिनांक: अगस्त 11, 1988

-: : ज्ञाप :-

आपरेटर श्रेणी की अनौत्तम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में श्री कुं० भीना गुप्ता, आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 11-2-88 में आपत्ति की है कि उनकी वरिष्ठता सूची स्थान पर निर्धारित नहीं हुई है।

2. वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने हेतु आदेश सं० एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए-810 दिनांक 7-3-88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अभ्यावेदकताओं को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के परिपेक्ष्य में गहराई से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अभ्यावेदनों में कोई बल नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पाया।

3. अधोहस्ताक्षरी ने भी पत्रावली का अवलोकन कर मामले पर विधिवत विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए श्री कुं० भीना गुप्ता, आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक के अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

॥ चन्दन गोपाल ॥
निदेशक

श्री कुं० भीना गुप्ता, आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक
॥ उप निदेशक डीडीई के माध्यम से ॥

मुख्य/ 10888

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25 नवल किशोर रोड,
सुनता : 226001
दिनांक: अगस्त 1988

-:: ज्ञाप ::-

आपरेटर श्रेणी की अनन्तिम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक ने अपने अ-यावेदन दिनांक 24-2-88 में आपत्ति की है कि उनकी वरिष्ठता सभी स्थान पर निर्धारित नहीं हुई है।

2. वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अ-यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी अ-यावेदनों पर विचार करने हेतु आदेश सं० एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए-810 दिनांक 7.3.88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अ-यावेदकताओं को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के परिपेक्ष्य में गहराई से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अ-यावेदनों में कोई बल नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पाया।

3. अधोहस्ताक्षरी ने भी पत्रावली का अवलोकन कर मामले पर विधिवत विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक के अ-यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

॥ चन्दन गोपाल ॥
निदेशक

श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक
॥ उप निदेशक डीडीई के माध्यम से ॥

Attested/True Copy

मुद्रा/ 16888

L. P. SHUKLA
Advocate

पत्रांक: एई/2-85 /डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए- 3635

A 2008/101

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25 नवल किशोर रोड,
खुनउ : 226001
दिनांक: अगस्त 11, 1988

-:: ज्ञाप ::-

आपरेटर श्रेणी की अनर्गल वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह कर्मा, आपरेटर/कनिष्ठ पञ्चविक ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 19-2-88 में आपत्ति की है कि उनकी वरिष्ठता सूची स्थान पर निर्धारित नहीं हुई है।

2. वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने हेतु आदेश सं० एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए-810 दिनांक 7-3-88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अभ्यावेदनकर्ताओं को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के परिपेक्ष्य में गहराई से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अभ्यावेदनों में कोई बल नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पाया।

3. अधोहस्ताक्षरी ने भी पत्रावली का अवलोकन कर मामले पर विधिवत विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए श्री गोपाल सिंह कर्मा, आपरेटर/कनिष्ठ पञ्चविक के अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

॥ चन्दन गोपाल ॥
निदेशक

श्री गोपाल सिंह कर्मा, आपरेटर/कनिष्ठ पञ्चविक
॥ उप निदेशक डीडीई के माध्यम से ॥

मुखर्ष्या/
10888

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

1209

25, नवल किशोर रोड,
बल्लभपुर : 226001
दिनांक: अगस्त 11, 1988

:-: ज्ञाप :-:

आपरेटर श्रेणी की अनन्तिम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में श्री 21/25-11/27/27/27 आपरेटर/कनिष्ठ पर्सनल ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 25-2-88 में आपत्ति की है कि उनकी वरिष्ठता सही स्थान पर निर्धारित नहीं हुई है।

2. वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने हेतु आदेश सं० ई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए-810 दिनांक 7-3-88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अभ्यावेदनकर्ताओं की समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के परिपेक्ष्य में गहराई से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अभ्यावेदनों में कोई बल नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पाया।

3. अधोहस्ताक्षरी ने भी पत्रावली का अवलोकन कर मामले पर विधिवत विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए श्री 21/25-11/27/27/27 आपरेटर/कनिष्ठ पर्सनल के अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

॥ चन्दन गोपाल ॥
निदेशक

श्री 21/25-11/27/27/27 आपरेटर/कनिष्ठ पर्सनल
॥ उप निदेशक डीडीई के माध्यम से ॥

मुखैया/
10888

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

फ़ाइल: एई/2-85 /डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए-

183

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल विश्वर रोड,
सुनित : 226001
दिनांक: अगस्त, 1988

-:: ज्ञाप ::-

आपरेटर श्रेणी की अनौत्सम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, आपरेटर/कनिष्ठ पंचविक ने अपने अ-यावेदन दिनांक 11-2-88 में आपत्ति की है कि उनकी वरिष्ठता सभी स्थान पर निर्धारित नहीं हुई है।

2° वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अ-यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी अ-यावेदनों पर विचार करने हेतु आदेश सं० एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए-810 दिनांक 1-3-88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अ-यावेदकताओं को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के परिपेक्ष्य में गहराई से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अ-यावेदनों में कोई बल नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पाया।

3° अधोहस्ताक्षरी ने भी पत्रावली का अवलोकन कर मामले पर विधिवत विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, आपरेटर/कनिष्ठ पंचविक के अ-यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

चन्दन गोपाल
निदेशक

श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, आपरेटर/कनिष्ठ पंचविक
उप निदेशक डीडीई के माध्यम से।

सुरेय
1988

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

184

25, नवल विश्वर उड,
खुनख : 226001
दिनांक: अगस्त 11, 1988

:-: ज्ञाप :-:

ANNEXURE NO.....

- आपरेटर श्रेणी की अनंतिम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में
श्री श्रीमती उषा श्रीवास्तव आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक ने अपने
अ-यावेदन दिनांक 11-2-88 में आपत्ति की है कि उनकी वरिष्ठता
सही स्थान पर निर्धारित नहीं हुई है।
2. वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अ-यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी
अ-यावेदनों पर विचार करने हेतु आदेश सं० एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/
ए-810 दिनांक 7.3.88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति
ने अ-यावेदकताओं को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत
आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के
परिपेक्ष्य में गहराई से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अ-यावेदनों
में कोई बल नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता
के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर ही
वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पाया।
3. अधोहस्ताक्षरी ने भी पत्रावली का अवलोकन कर मामले पर विधिवत
विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार
नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए
श्री श्रीमती उषा श्रीवास्तव आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक के अ-यावेदन
को अस्वीकार किया जाता है।

॥ चन्दन गोपाल ॥
निदेशक

श्री श्रीमती उषा श्रीवास्तव आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक
॥ उप निदेशक डीडीई के माध्यम से ॥

मुद्रा/16888

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रोड,
खुर्दवा : 226001
दिनांक: अगस्त 11, 1988

- :: ज्ञाप :: -

आपरेटर श्रेणी की अनर्जित वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में श्री शिवानन्द पाठक आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 11-2-88 में आपत्ति की है कि उनकी वरिष्ठता सूची स्थान पर निर्धारित नहीं हुई है।

2. वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने हेतु आदेश सं० एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए-810 दिनांक 7-3-88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अभ्यावेदकताओं को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के परिपेक्ष्य में गहराई से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अभ्यावेदनों में कोई बल नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पाया।

3. अधोहस्ताक्षरी ने भी पत्रावली का अवलोकन कर मामले पर विधिवत विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए

श्री शिवानन्द पाठक आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक के अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

॥ चन्दन गोपाल ॥
निदेशक

श्री शिवानन्द पाठक, आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक
॥ उप निदेशक डीडीई के माध्यम से ॥

मुखरिया/
16888

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रोड,
सुखनर 226001
दिनांक: अगस्त 11, 1988

-:: जाप ::-

आपरेटर श्रेणी की अनंतिम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में
श्री लुण्डा उर्मिला वर्मा आपरेटर/कनिष्ठ पयविक्षक ने अपने
अ-यावेदन दिनांक 11-2-88 में आपत्ति की है कि उनकी वरिष्ठता
सही स्थान पर निर्धारित नहीं हुई है।

2. वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अ-यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी
अ-यावेदनों पर विचार करने हेतु आदेश सं० एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/
ए-810 दिनांक 7-3-88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति
ने अ-यावेदकताओं को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत
आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के
परिपेक्ष्य में गहराई से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अ-यावेदनों
में कोई बल नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता
के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर ही
वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पस्यया।

3. अधोहस्ताक्षरी ने भी पत्रावली का अवलोकन कर मामले पर विधिवत
विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार
नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए

श्री लुण्डा उर्मिला वर्मा आपरेटर/कनिष्ठ पयविक्षक के अ-यावेदन
को अस्वीकार किया जाता है।

॥ चन्दन गोपाल ॥
निदेशक

श्री लुण्डा उर्मिला वर्मा आपरेटर/कनिष्ठ पयविक्षक
॥ उप निदेशक डीडीई के माधुराम से ॥

मुद्रा/16888

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

24
107

फाइल: एच/2-85/डी0सी0ओ-यू0पी0/ए-24/85

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनसंपर्क एवं सार्वजनिक सम्बन्ध, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अड्डा

25, नवल बिहार रोड,
बनारस-226001
दिनांक: अगस्त 11, 1988

- :: आप :: -

आपरेटर श्रेणी की अनौत्तम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में श्री 2अश माल चौधरी, आपरेटर/कनिष्ठ पब्लिक ने अपने अ-यावेदन दिनांक 25-2-88 में आपत्ति की है कि उनकी वरिष्ठता सही स्थान पर निर्धारित नहीं हुई है।

2° वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अ-यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी अ-यावेदनों पर विचार करने हेतु आदेश सं० एच/2-85/डी0सी0ओ-यू0पी0/ए-810 दिनांक 7-3-88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अ-यावेदकताओं को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के परिपेक्ष्य में गहराई से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अ-यावेदनों में कोई बल नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पाया।

3° अधोहस्ताक्षरी ने भी पत्रावली का अवलोकन कर मामले पर विधिवत विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए श्री 2अश माल चौधरी, आपरेटर/कनिष्ठ पब्लिक के अ-यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

॥ चन्दन गोपाल ॥
निदेशक

श्री 2अश माल चौधरी, आपरेटर/कनिष्ठ पब्लिक
॥ उप निदेशक डीडीई के माध्यम से ॥

मुद्रा/ 10808

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

भारत सरकार
राज्य मंत्रालय
आयुक्त निदेशक, अनुसूचित जातों के परिवारों, उत्तर प्रदेश
औद्योगिक अनुभाग

25, नवल किशोर रोड
आपरेटर : 220001
दिनांक : अगस्त 1985

सं. : आ/प : :-

आपरेटर श्री जी. अनिलराम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में
श्री. अनिलराम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक ने अपने
अप-याचन दिनांक 19/8/85 में आपत्ति की है कि उनकी पत्नी
श्री. अनाम पर नियमित नहीं हुई है।

2. वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अप-याचन भी प्राप्त हुए हैं। यदि
अप-याचनों पर विचार करने हेतु आदेश सं. एई/2-85/सी0सी0ओ0-यू0सी0/
ए-810 दिनांक 7.3.88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। सभी क्षेत्रों
में अप-याचनकर्ताओं को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत
आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के
परिपेक्ष्य में गहराई से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अप-याचनों
में कोई बल नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता
के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर श्री
वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पाया।

3. अधोहस्ताक्षरी ने भी पत्रावली का अस्वीकरण कर मामले पर विचार
विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार
नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए
श्री. अनिलराम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक के अप-याचन
को अस्वीकार किया जाता है।

॥ चन्दन गोपाल ॥
निदेशक

श्री. अनिलराम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक
॥ उपा निदेशक सीडीई के माध्यम से ॥

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

फाइल: एई/2-85 /डी०सी०ओ०-ए०पी०/ए-

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनसूचना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रोड,
लखनऊ : 226001
दिनांक: अगस्त, 1988

-:: जाप ::-

- आपरेटर श्रेणी की अनिश्चित वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में श्री 21/2/85 के आदेश के अन्तर्गत आपरेटर/कॉन्सल्ट पर्सनल ने अपने अ-यावेदन दिनांक 19-2-88 में आपत्ति दी है कि उनकी वरिष्ठता सूची ध्यान पर निर्धारित नहीं हुई है।
2. वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अ-यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी अ-यावेदनों पर विचार करने हेतु आदेश सं० एई/2-85/डी०सी०ओ०-ए०पी०/ए-811 दिनांक 7-3-88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अ-यावेदकताओं को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के परिपेक्ष्य में गहराई से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अ-यावेदनों में कोई कम नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पाया।
3. अधोहस्ताक्षरी ने भी पत्रावली का अवलोकन कर मामले पर विवेक विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए श्री 21/2/85 के आदेश के अन्तर्गत आपरेटर/कॉन्सल्ट पर्सनल के अ-यावेदन को बर्लीकार किया जाता है।

चन्दन गोपाल

आपरेटर/कॉन्सल्ट पर्सनल
उप निदेशक डी डी ई के माध्यम से।

मुद्रांक/ 10808

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

पत्रांक: एई/2-85/डी0सी0ओ0-सू0पी0/ए- 3723

R220
193

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
काबालिब निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल निशोर रोड,
लखनऊ : 226001
दिनांक: अगस्त 18, 1988

-:: शाय ::-

विषय:- दिनांक 1.10.87 को आपरेटर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की अन्तिम बरीयता सूची।

आपरेटर संग्रह की बरीयता से सम्बन्धित प्राप्त समस्त आपत्तियों के विधिपूर्व निस्तारण के उपरान्त इस निदेशालय में दिनांक 1.10.87 को कार्यरत आपरेटरों की अन्तिम बरीयता सूची संग्रह प्रसारित की जाती है।

संग्रह : अन्तिम बरीयता सूची।

॥ चन्दन गोपाल ॥
निदेशक

पृष्ठांकन: एई/ /डी0सी0ओ0-सू0पी0/ए-3723 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. उप निदेशक ॥ डीडीई ॥ को इस अनुरोध के साथ कि वे समस्त आपरेटरों में परिचालित करा दें।
2. सहाय्यी, जनगणना कर्मचारी संग्रह, 3030, लखनऊ।
3. काबालिब के सूचना पट पर चरसा करने हेतु।

॥ लखन सिंह ॥
सहायक निदेशक

गुप्रेया/
18888

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रोड,
सुखनर : 226001
दिनांक: अगस्त, 1988

:-: ज्ञाप :-:

आपरेटर श्रेणी की अनौत्तम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में श्री पुरुषोत्तम कुमार सिंह, आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 23-2-88 में आपत्ति की है कि उनकी वरिष्ठता सही स्थान पर निर्धारित नहीं हुई है।

2. वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने हेतु आदेश सं० एई/2-85/डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए-816 दिनांक 1-3-88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अभ्यावेदकताओं को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के परिपेक्ष्य में गहराई से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अभ्यावेदनों में कोई बल नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पाया।

3. अधोव्यवस्थाक्षरी ने भी पत्रावली का अवलोकन कर मामले पर विधिवत विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए श्री पुरुषोत्तम कुमार सिंह, आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक के अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

॥ चन्दन गोपाल ॥
निदेशक

श्री पुरुषोत्तम कुमार सिंह, आपरेटर/कनिष्ठ पर्यवेक्षक
॥ उप निदेशक डीडीई के माध्यम से ॥

मुखरिया/
10888

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

पत्रांक: एई/2-85 /डी0सी0ओ0-यू0पी0/ए- 3631

229

192

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय निदेशक जनगणना परिचालन, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग

25, नवल किशोर रोड,
बनारस : 226001
दिनांक: अगस्त 15, 1988

-:: ज्ञाप ::-

आपरेटर श्रेणी की अनौत्तम वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में श्री गोडा कृष्ण शर्मा आपरेटर/कनिष्ठ पयविक्षक ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 15-2-88 में आपत्ति की है कि उनकी वरिष्ठता सभी स्थान पर निर्धारित नहीं हुई है।

2. वरिष्ठता के बारे में कुछ अन्य अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने हेतु आदेश सं० एई/2-85/सी0सी0ओ0-यू0पी0/ए-818 दिनांक 7-3-88 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अभ्यावेदकताओं को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रस्तुत आपत्तियों के बारे में सम्बन्धित नियमों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के परिपेक्ष्य में महसूस से समिति द्वारा जांच की गयी। समिति ने अभ्यावेदनों में कोई बल नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों एवं तत्कालीन लागू अनुदेशों के आधार पर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है, जिसे समिति ने पूर्णतः सही पस्यया।

3. अधोहस्ताक्षरी ने भी पत्रावली का अवलोकन कर मामले पर विधिवत विचार किया। समिति की संस्तुतियों से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया गया। अतएव, समिति की संस्तुति से सहमत होते हुए श्री गोडा कृष्ण शर्मा आपरेटर/कनिष्ठ पयविक्षक के अभ्यावेदन को अस्वीकार किया जाता है।

॥ चन्दन गोपाल ॥
निदेशक

श्री गोडा कृष्ण शर्मा

॥ उप निदेशक डीडीई के माध्यम से ॥ 1.

मुरेया/
10888

Attested/True Copy

L. P. SHUKLA
Advocate

Letter No. — A-3423 Dated 18.8.88

**Final Seniority List of the Grade of Operator in the Office of the
Director of Census Operations, Uttar Pradesh, Lucknow as on 1-10-1987.**

Sl.No.	Name of Official	Date of birth	Educational Qualification	Date of entry into Government Service	Date of regular appointment in the grade.	Remarks.
1.	S/Shri Prabh Nath	27-03-52	Inter	30-06-70	01-04-83	Appointed by Transfer; Ad-hoc J.S. w.e.f. 30-6-83
2.	Lalta Pd. Pandey	01-08-48	M.A.(Eco.)	01-08-70	01-04-83	-do-
3.	Jagdish Pd. Gupta	02-07-47	High School	19-09-70	01-04-83	-do-
4.	Medi Lal (S/C)	01-07-48	B.A.	14-01-71(AN)	01-04-83	-do-
5.	Pooran Chand (S/C)	06-08-47	M.A.(Eco.)	01-05-71	01-04-83	-do-w.e.f. 6.7.87
6.	Jai Prakash Porwal (Ex-Serviceman)	05-12-47	B.A., L.L.B., F.G.D.C.	01.05.71	01.04.83	-do-w.e.f. 30.6.87
7.	Chhanga Lal (S/C)	06-01-48	Inter	03-05-71	01-04-83	-do-
8.	Yamuna Prasad (S/C)	14-02-45	M.A.	22-06-71	01-04-83	-do-
9.	Milan Ram Verma (S/C)	15-10-46	B.A., LLB	12-04-71	01-04-83	-do-
10.	Vinod Kumar Srivastava	02-03-47	Inter (Surgeon Certificate)	01-07-70	01-04-83	-do-
11.	Hira Lal (S/C) S/O Sri Dudhai	01-01-52	M.A.	04-07-72	01-04-83	-do-
12.	Vijai Prakash (S/C)	10-03-49	Higher Secn- day.	01-01-73	01-04-83	Appointed by transfer.
13.	Ram Kumar (S/C)	02-09-48	B.A.	18-06-70	01-04-83	-do-
14.	Km. Sarita Jain	01-02-59	B.A.	01-07-82	04-04-83(AN) Direct Recruit	-do-
15.	Roop Kishore Nigam	18-01-53	B.A.	01-07-82	04-04-83	-do-

Contd.....2/-

Attested True Copy


L. P. SHUKLA
Advocate

1994

1.	2.	3.	4.	5.	6.
15.	S/Shri Pancham Ram	01.01.56	M.A.(Eco.)	24-08-81	04-04-83 Direct Recruit.
16.	Dilip Nigam	18.08.59	M.A.(Eco.)	08-04-83(AN)	-do-
17.	Shiv Charan	01-05-57	B.A.	05-08-80	-do-
18.	Dinesh Kumar Saxena	20-10-56	B.A.	18-04-83(AN)	-do-
19.	Km.Girja Yadav	01-09-55	B.A.	12-04-83(AN)	-do-
20.	Mata Prasad	12-02-55	B.Com.	18-04-83(AN)	-do-
21.	Harsh Mani Suyal	30-07-56	B.A.	12-04-83(AN)	-do-
22.	Ashok Kumar Singh Bhadoria	02-10-56	M.A.	16-04-83(AN)	-do-
23.	Smt.Vijai Laxmi Rajpoot.	15-10-55	B.A.	23-04-83	-do-
24.	Akhilesh Chandra	15-01-62	B.A.	23-04-83	-do-
25.	Gaffar Ali	05-02-58	B.A.	18-04-83(AN)	-do-
26.	Sunil Dutt Sharma	09-08-59	B.A.	18-04-83	-do-
27.	Suresh Chandra Misra	05-02-58	B.Com.	19-04-83	-do-
28.	Gangotri Prasad	01-07-56	B.A.	27-04-83	-do-
29.	Ravindra Prakash Saxena	05-07-61	M.Com.	27-04-83	-do-
30.	Pramod Kumar Bajpai	30-07-55	B.A.	26-04-83	-do-
31.	Mohd.Amish Siddiqui	21-05-56	M.A.(Eco.)	26-04-83	-do-
32.	Ram Prakash Saxena	09-06-55	B.Sc.	26-04-83(AN)	-do-
33.	Harish Chandra Prasad	10-03-57	B.A.	01-07-82	-do-
34.	Smt.Chittira Saxena	02-09-54	M.A.	16-05-83	-do-
35.	Mohd. Idriish	15-06-57	M.Com.	17-05-83	-do-
36.	Mahendra Dutt	05-01-57	B.A.	03-06-83(AN)	-do-
37.					

Attested True Copy

L. P. SHUKLA

Advocate

41

~~SECRET~~

-: 4 :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	S/Shri				Direct Recurit.
59.	Subhash Singh	03-06-57	M.A.	07-04-83	-do-
60.	Uttam Kumar Faha	25-06-56	B.A.	18-06-83(AN)	-do-
61.	Munish Kumar	07-09-55	B.A.	28-06-83	-do-
62.	Km. Meena Gupta	13-07-60	B.A.	13-04-83	-do-
63.	Satya Narain	12-12-55	B.A.	18-04-83(AN)	-do-
64.	Waseemul Haq	20-02-55	B.Sc.	08-04-83	-do-
65.	Nagendra Kumar Singh	16-07-56	B.A.	13-04-83	-do-
66.	Smt. Kanchan Jaiswa 1	01-06-57	M.A.	12-04-83(AN)	-do-
67.	Fareeduddin	30-12-61	B.Com.	14-04-83	-do-
68.	Pradeep Kumar Pandey	21-03-57	B.A.	19-04-83(AN)	-do-
69.	Km. Urmila Verma	04-06-59	B.A.	21-04-83	-do-
70.	Ramesh Lal Chaurasia	01-01-56	B.A.	18-04-83(AN)	-do-
71.	Ramesh Kumar Saxena	01-07-55	B.A.	13-08-82	-do-
72.	Parasu Ram (S/C)	18-07-60	B.A.	01-07-82	-do-
73.	Gopal Singh Banola	07-05-60	B.A.	18-04-83(AN)	-do-
74.	Rajendra Prasad	10-01-57	B.A., LLB	22-04-83(AN)	-do-
75.	Ratan Prakash	25-10-53	B.A.	19-04-83	-do-
76.	Smt. Mala Bhattacharya	10-05-53	M.A.	19-04-83(AN)	-do-
77.	Smt. Archana Nigam	26-03-58	M.A.	19-04-83	-do-
78.	Km. Usha Srivastava	06-10-55	M.A., L.T.	19-04-83	-do-
79.	Siva Nand Pathak	30-01-57	B.A., LLB	19-04-83	-do-
80.	Smt. Sobha Rani Sharma	05-08-55	M.A.	27-04-83	-do-
81.	Km. Kiran Bala	02-01-58	B.A.	26-04-83	-do-
82.	Gonda Krishnamurti	09-04-53	B.A.	27-04-83(AN)	-do-

Accessed 11/05/2019

5/-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	S/Shri					Direct Recruit.
83.	Bansidhar Pandey	31-12-55	M.A.	26-04-83	26-04-83	-do-
84.	Smt. Ohama Verma	03-01-56	B.A., B.Ed.	26-04-83	26-04-83	-do-
85.	Rudra Prakash Verma	14-02-57	B.Com.	26-04-83	26-04-83	-do-
86.	Naresh Kumar	07-04-57	M.A. (Eco.)	26-04-83	26-04-83	-do-
87.	Purshotam Kumar Singh	01-02-58	B.Sc.	26-04-83	26-04-83	-do-
88.	Janardan Singh	11-07-52	M.A.	26-04-83	26-04-83	-do-
89.	Smt. Sushila Davi Shukla	20-10-53	B.A.	16-05-83	16-05-83	-do-
90.	Smt. Sushma Misra	15-02-56	B.A.	16-05-83	16-05-83	-do-
91.	Dilip Kumar S/O Sri G.S. Gupta	15-07-59	B.A.	16-05-83	16-05-83	-do-
92.	Smt. Archana Gupta	09-06-58	B.A.	16-05-83	16-05-83	-do-
93.	Smt. Sandhya Sinha	10-03-61	B.A.	18-05-83	18-05-83	-do-
94.	Smt. Savita Davi (S/C)	06-07-54	B.A., B.Ed.	16-05-83	16-05-83	-do-
95.	Mahendra Pratap Singh	01-07-56	M.A.	16-05-83	16-05-83	-do-
96.	Smt. Naz Zafari	18-11-58	M.A. (Eng.)	16-05-83	16-05-83	-do-
97.	Chunni Lal (S/C)	05-10-51	B.A.	26-07-73	04-04-83	-do-
98.	Dilip Kumar (S/C) S/O Sri Munhan	20-08-57	B.A.	05-07-83	05-07-83	-do-
99.	Sohan Lal (S/C)	20-04-59	B.A.	20-07-83(AN)	20-07-83(AN)	-do-
100.	Babu Ram (S/C) S/O Sri Pooran Lal	28-12-57	M.A.	05-07-83	05-07-83	-do-
101.	Mahabir Prasad (S/C)	22-08-57	B.A.	08-07-83	08-07-83	-do-
102.	Ram Khilawan (S/C)	15-07-56	B.A.	08-07-83	08-07-83	-do-
103.	Amar Nayyar (S/C)	10-02-61	B.A.	07-07-83	07-07-83	-do-
104.	Mani Ram Rawat (S/C)	05-10-53	B.A.	20-07-83(AN)	20-07-83(AN)	-do-

.....6/-

Admitted/To: Copy

L. J. SHUKLA
Advocate

:- 6 :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						Direct Recruit.
105.	S/Shri Km. Suman Lata Awasthi	15-08-62	M.A. (Hindi)	04-07-83	10-01-86	-do-
106.	Shyam Kumar (S/C)	15-06-56	B.A.	19-09-83	19-09-83	-do-
107.	Hukum Singh (S/C)	23-08-51	B.A., LLB	17-09-83(AN)	17-09-83(AN)	-do-
108.	Sri Krishna Azad (S/C)	15-08-56	B.A.	21-09-83	21-09-83	-do-
109.	Smt. Ranno Sonker (S/C)	15-10-54	B.A.	20-09-83	20-09-83	-do-
110.	Mahendra Prasad (S/C)	15-07-55	B.A.	19-09-83	19-09-83	-do-
111.	Dilip Kumar Acharya	26-09-50	H.S.L.C.	22-04-69	17-10-85	Transferee
112.	Smt. Nalini Saxena	25-09-56	B.A.	19-09-83	10-01-86	-do-

(CHANDAN GOPAL)
DIRECTOR

Handwritten Copy

L. S. SUDHIA

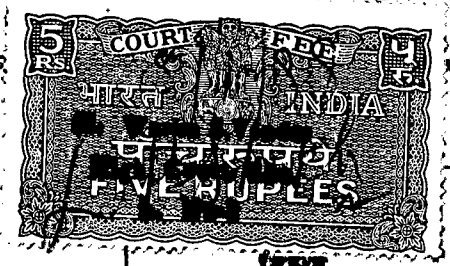
Advocate

A227 200.

In the Central Administrative Tribunal, Allahabad
 Circuit Bench Lucknow

व कवालत घोषण महोदय

[वादी] अपीलान्ट
 प्रतिवादी [रेषाडेण्ट]



वकालतनामा

O.A. No 4 1988

Satish Singh & others

वादी (अपीलान्ट)

Director Census operation
 & an others

प्रतिवादी (रेखाडेण्ट)

नं० मुकद्दमा तम पेची की ता० १६ ई०

ऊपर लिखे मुकद्दमा में अपनी ओर से धो

Sri L. P. Shukla

वकील

महोदय

Advocate

एडवोकेट

नाम अदाकार
 मुकद्दमा नं०
 नाम फरीकिस

को अपना वकील नियुक्त करके प्रतिज्ञा (इकरार) करता हूं और लिखे
 देता हूं इस मुकद्दमा में वकील महोदय स्वयं अथवा अन्य वकील
 द्वारा जो कुछ पैरवी व जबाब देही व प्रश्नोंत्तर करें या कोई कामज बाखिल
 करें या लौटावें या हमारी ओर से डिगरी जारी करावे और रुपया वसूल
 करें या मुलहनामा व इकवाल दावा तथा अपील निगरानी हमारी ओर
 से हमारी या अपने हस्ताक्षर से बाखिल करें और तसदीक करें मुकद्दमा
 उठावें या कोई रुपया जमा करें या हमारी बिपक्षी (फरीकसानी) का
 बाखिल किया हुआ रुपया अपने या हमारे हस्ताक्षर युक्त (वस्तुस्थिति)
 रसीद से लेबे या बंच नियुक्त करें—वकील महोदय द्वारा की गई वह
 सब कार्यवाही हमको सर्वथा स्वीकार है और होगा मैं यह भी स्वीकार
 करता हूं कि मैं हर पेची पर स्वयं या किसी अपने पैरोकार को भेजता
 रहूंगा अगर मुकद्दमा अदम पैरवी में एक तरफा मेरे खिलाफ फैसला हो
 जाता है उसकी जिम्मेदारी मेरे वकील पर नहीं होगी इसलिए यह
 वकालतनामा लिख दिया प्रमाण रहे और समय पर काम आबे।

Accepted
 Karan Singh

W. Kumar

S. L. Srivastava, G. H. Murthy.

हस्ताक्षर

Sharma

साक्षी (गवाह)

साक्षी (गवाह)

दिनांक

महीना

सं० १६

1/1/88

S. L. Srivastava, G. H. Murthy, R. P. Srivastava, M. Singh

S. L. Srivastava, G. H. Murthy, S. L. Srivastava, G. H. Murthy

1228

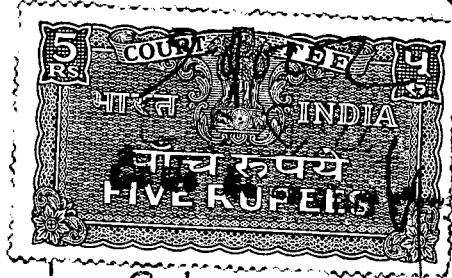
In the Central Administrative Tribunal
 Circuit Bench Lucknow महोदय

व अवलत ओमान

[वादी] अपीलान्ट

प्रतिवादी [रैस्पान्डेंट]

वकालतनामा



दी (अपीलान्ट)

Sukhesh Singh & Co
 बनाव

प्रतिवादी (रैस्पान्डेंट)

Director Coma operation & Co

नं० मुकद्दमा

सम

पेशी की ता०

१६ ई०

ऊपर लिखे मुकद्दमा में अपनी ओर से श्री

Sri L. P. Shukla

वकील

महोदय

एडवोकेट

नाम अदाकर	मुकद्दमा नं०	बनाम
काम फरीकाना		

को अपना वकील नियुक्त करके प्रतिज्ञा (इकरार) करता हूं और लिखे देता हूं इस मुकद्दमा में वकील महोदय स्वयं अथवा अन्य वकील द्वारा जो कुछ पैरवी व जबाब देही व प्रश्नोंत्तर करें या कोई कामज बाखिल करें या लौटावें या हमारी ओर से डिगरी जारी करावे और रुपया वसूल करें या सुलहनामा व इकबाल दावा तथा अपील निगरानी हमारी ओर से हमारी या अपने हस्ताक्षर से बाखिल करें और तसदीक करें मुकद्दमा उठावें या कोई रुपया जमा करें या हमारी बिपक्षी (फरीकसानों) का बाखिल किया हुआ रुपया अपने या हमारे हस्ताक्षर युक्त (वस्तुसती) रसीद से लेवे या बच नियुक्त करें—वकील महोदय द्वारा की गई यह सब कार्यवाही हमको सर्वथा स्वीकार है और होगा मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि मैं हर पेशी पर स्वयं या किसी अपने पैरोकार को भेजता रहूंगा अगर मुकद्दमा अदम पैरवी में एक तरफा मेरे खिलाफ फैसला हो जाता है उसको जिम्मेवारी मेरे वकील पर नहीं होगी इसलिए यह वकालतनामा लिख दिया प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर

साक्षी (गवाह)

साक्षी (गवाह)

दिनांक

महोना

सं० १६

ई०

(Signature)

अमिता बर्म

(Signature)

Accepted
 (Signature)

5. That contents of p-ara 6(viii) of the application are admitted. It is clarified that after Punching and Typewriting tests a panel of selected candidates was prepared based on their respective merits and offers of appointment were made according to requirement. B232

6. That contents of paras 6(ix) to 6(xxi) of the application are admitted.

7. That parawise reply to various sub-paras of para 6(xxii) is submitted as under:

(a) It is denied that the seniority list was drawn on the policy of pick and choose. The seniority list was prepared according to merits of the candidates which was based on their performance in the Punching or Typewriting test.

(b) It is denied that punching was the only exclusive necessary qualification for the post of Operators. It was considered necessary to insist upon their proficiency in the operation of Hand Punching/Typewriting (English) as a part of essential qualification. Candidates were not required to be proficient both in Punching and Typewriting.

(c) It is admitted that in the tentative seniority list, seventeen places were left vacant for reserved category candidates. Since the same were not available, these were filled in from the panel of selected candidates after these vacancies were got dereserved.

(d) & (e) It is denied that the applicants were assigned seniority in the seniority list in an arbitrary manner. All the names were assigned



hagh

in accordance with their merit evaluated at the time of their test in Punching or Typewriting.

8. That the contents of para 6(xxiii) of the application are partly admitted. The following applicants had filed preliminary objections against the tentative seniority list which shows that something more was to follow which had been kept back by the applicants and will be submitted later on.

- (1) Sri Santosh Kumar Srivastava
- (2) Sri Fareeuddin
- (3) Sri Rajendra Prasad
- (4) Sri Shiv Nand Pathak
- (5) Sri G.K.Murti

No further representation was received from them.

9. That the contents of paras 6(xxiv) of the application are admitted. However, it is submitted that the 17 employees as indicated in the application were appointed against the reserved category and their seniority was fixed according to their respective placement in the panel of selected candidates.

10. That while partly admitting the contents of paras 6(xxv) to 6(xxvii) of the application it is submitted that 17 employees as referred to in the application were initially selected for appointment and were brought on the selection list. Their appointments were, however, regularised when the vacancies were cleared as a result of de-reservation of the reserved vacancies. Their placement in the seniority list was made against such de-reserved vacancies.



haigh

A 234

11. That the contention of the applicants contained in para 6(xxviii) of the application is denied. The circular issued from the Registrar General, India regarding the method of recruitment to temporary Group B and Group C posts created for Direct Data Entry System was not a secret document and was available in the office of the Director of Census Operations, U. P., Lucknow.

12. That the contents of paras 6(xxix) and 6(xxx) of the application are admitted.

13. That the contents of para 6(xxxi) of the application are denied. Since the appointments were made on the basis of competitive test, the seniority was assigned in accordance with their placement in the panel of selected candidates which was drawn on the basis of their respective merit.

14. That the contention of the applicants as stated in para 6(xxxii) of the application is denied. The names of the applicants are shown at correct places in the seniority list as explained in the above paragraphs. Hence no change in the seniority list is called for.

15. That the contents of paras 6(xxxiii) and 6(xxxiv) of the application are denied. The allegations are baseless. The Seniority List was finalised by a committee of high ranking officers of the department after scrutinising the representations of the aggrieved persons.



Wagh

A 235

16. That in reply to the contents of para 7 of the application it is stated that in view of the submissions made above, the grounds mentioned by the applicants are untenable in law, the application lacks merit and is liable to be dismissed with cost.

17. That the contents of para 8 of the application need no comment.

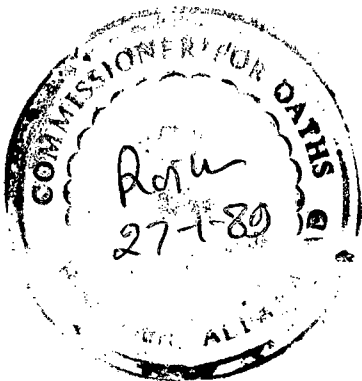
18. That in reply to the contents of para 9 of the application it is stated that the applicants have not appealed against the order of the Director of Census Operations, U.P. to the Registrar General, India and as such have not availed of the alternative remedy available to them.

19. That the contents of paras 10 to 13 need no comment.

Lakhan Singh
Deponent

I, Lakhan Singh, the deponent do hereby verify that the contents of paras 11 of the ~~application~~ affidavit are true to my own knowledge, while those of paras 10, 12, 13 are based on records and those of paras 16 are based on legal advice which I believe to be true. No part of it is false and nothing material has been concealed. So help me God.

Lakhan Singh
Deponent



I identify the deponent who has signed before me. He is personally known to me.

D. (Lawyer)
Advocate

Solemnly affirmed before me on 27-1-89 at 11:15

A 23C

by....Lakman S. S. S. the deponent who has
been identified by D. N. M. Chandra Advocate.

I have satisfied myself by examining the deponent
that he understands the contents of the affidavit
which have been read over and explained to him
by me.

leaf,



Rorw
(R) Rorw
OATH COMPLETION
U. H. COURT
JALGAON
8/1/705
No. 27-1-89

A237

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, ALLAHABAD,

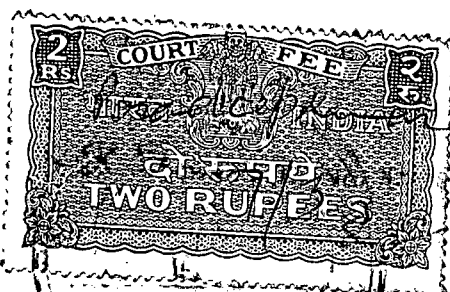
Circuit Bench, Lucknow.

O.A. No. 151 of 1988 (L)

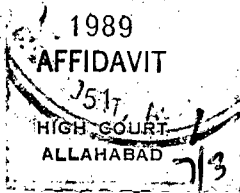
Subhash Singh & others ... Applicants.

Versus

Director of Census Operations, ... Respondents.
U.P. and another.



REJOINDER TO THE WRITTEN STATEMENT
OF RESPONDENTS.



I, Pradeep Kumar, aged about 30 years, son
Sri Kamleshwar Misra, resident of Rani Saheba Ki
Baghia near Girdhara Singh Inter College, Ashar-
fabad, Lucknow, do hereby solemnly affirm and
state on oath as under :-

1. That the deponent is applicant no. 5
in the above application and as such is fully
conversant with the facts deposed to herein. He
has been duly instructed and authorised by other
applicants to file this rejoinder affidavit on
their behalf also.

Preliminary objections.

1. That the written statement having been

...2.

(2)

filed by one Sri Lakhon Singh, Assistant Director of Census Operations, who is not party to the case nor has been authorised by the respondents to file such written statement on their behalf is no written statement and cannot be read in pleadings being violative of provisions contained in rule 12 of Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987 read with provisions contained in Order VI, Rule 15 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Act 5 of 1908).

2. That no document referred to in the pleadings having been filed, the written statement is not valid and maintainable being violative of sub rule 3 of rule 12 of Central Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1987.

Without prejudice to the above pleas, the deponent files parawise reply to the written statement as under :-

3. That the contents of para I of the preliminary objections are denied. While filing the written statement, the provisions of section 20 of the Administrative Tribunals Act, 1985 have been misread and mis-interpreted. Further, the respondents have neither mentioned nor filed the ^{alleged} relevant service rules for being availed of by the applicants as to redressal of their grievances. The application under section 19 has been filed by the applicants strictly

...3.

in accordance with the provisions contained in section 20 of the Act, and as such the application ^{has been} ~~stands~~ admitted by this Hon'ble Tribunal.

4. That the contents of para II of the Preliminary objections are denied. In view of the relief sought for, necessary parties have been impleaded in the case.

5. That the contents of para III of the preliminary objections are denied as stated. The respondents have twisted and mis-represented the facts in their written statement. A perusal of the representations made by S/Shri Santosh Kumar Srivastava, Farid-uddin, Rajendra Prasad, Shiv Nand - Pathak and G.K. Murti which are Annexures Nos. A-50, A-53, A-60, A-62 and A-69 to the application under section 19 of the Act, will reveal that they had prayed for the following reliefs :-

" IT is most respectfully prayed that a judicious view of the matter may kindly be taken ⁱⁿ and ⁱⁿ that the representationist ~~may~~ be given seniority from the date of their joining the working post i.e. at S.No. 21 or in the alternative, the ~~respondent~~ representationist may be apprised of the relevant rules having the statutory force which have been made a basis of the seniority list in

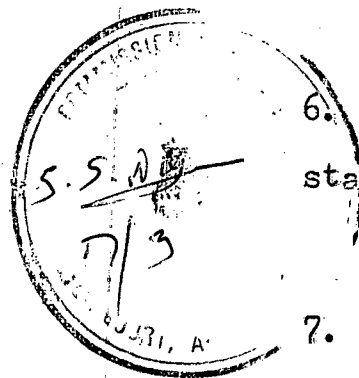
S.S. Dig
7/3

7/3

question and after that he may be given further time and opportunity to make an effective representation. It is further prayed that till the disposal of this representation and the representation proposed to be made, the tentative seniority ^{under this representation} list may not be allowed to attain finality."

It may be mentioned that the afore-mentioned relief was sought by Sri Santosh Kumar Srivastava in his representation dated 15.2.1988 and similar relief ^{by} was also sought/S/Sri Farid-uddin, Rajendra Prasad, Shiv Nand Pathak and G.K. Murti in thier representations with change of their seniority position.

From the afore-mentioned relief, it will be seen that further representations were to be made only on furnishing of relevant rules which were made [✓] ~~made~~ basis of the tentative seniority list by the respondents. Since no rule was furnished and final order was passed by the respondents, there remained nothing to represent before the departmental authorities but to challenge the order before this Hon'ble Tribunal.



6. That the contents of para 1 of the written statement call for no remarks.

7. That the contents of para 2 of the written statement call for no reply.

8. That the contents of para 3 of the written

[Handwritten signature]

statement in so far as they relate to Typewriting (English) being one of the essential qualifications for the post are denied. Annexure-A-1 to the application under section 19 of the Act evidently shows that 'PUNCHING' was the only essential qualification for the post. Rest of the contents of the para under reply call for no remarks.

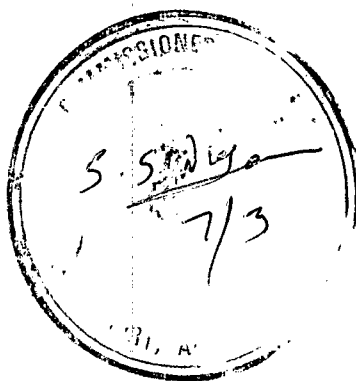
9. That the contents of para 4 of the written statement are denied as stated and the averments made in paras 6(vi) and 6(vii) of the application are reiterated.

10. That the contents of para 5 of the written statement, if any contrary to the averments made in para 6(viii) of the application, are denied. Rest are admitted.

11. That the contents of para 6 of the written statement call for no remarks as the averments made in paras 6(ix) to 6(xxi) of the application have been admitted by the respondents.

12. That the contents of para 7(a) of the written statement are denied as stated and the averments made in para 6(xxii)(a) of the application are reiterated.

13. That the contents of para 7(b) of the written statement are denied and the averments made in para



400

in para 6(xxii)(b) of the application are reiterated.

14. That in reply to contents of para 7(c) of the written statement, it is respectfully submitted that the respondents arbitrarily filled up the vacant places of the tentative seniority by such staff, who, by virtue of the facts mentioned in paras 6(xiii), 6(xix) and 6(xx) of the application, have no better claim of seniority over and above the applicants under the law.

15. That the contents of paras 7(d) and (e) of the written statement are denied and the averments made in paras 6(xxii)(d) and (e) of the application are reiterated. The respondents have given evasive reply to the facts mentioned in the said paras of the application. However, in view of the facts mentioned in paras 6(ix) to 6(xxi), 6(xxiii), 6(xxiv) and 6(xxv) of the application having been admitted by the respondents, the contention put forth in the para under reply has got no force.

16. That in reply to contents of para 8 of the written statement, averments made in para 5 of this rejoinder affidavit may kindly be perused in so far as they relate to filing of preliminary objections against the tentative seniority list by some respondents. Rest of the contents of the para

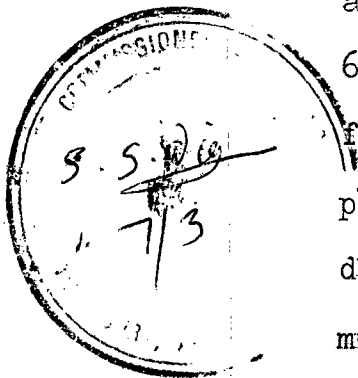
S. S. D. G.
7/3

[Signature]

under reply call for no remarks as the averments made in para 6(xxiii) of the application have been admitted by the respondents.

17. That the contents of para 9 of the written statement do not deny the averments made in para 6(xxiv) of the application, hence they do not call for any remark. However, the placement of names of 17 employees and many others in the seniority list over and above the names of the applicant, which is not in accordance with the dates of joining the working post, is arbitrary and illegal. It may be mentioned that the respondents, at no stage, declared the panel or merit positions of the staff selected. However, the applicants, by virtue of their having been given offer of appointments on the basis of selection held earlier in Ist. to IV batches, ~~they~~ are meritorious and senior to those candidates, who were given offer of appointments in Vth. to IX th. batches and appointed later on.

18. That the contents of para 10 in so far as they are contrary to the averments made in paras 6(xxv) to (xxvii) of the application are denied. Even from the evasive reply given by the respondents in the para under reply, it is evidently clear that they have drawn the seniority list in an arbitrary and illegal manner contrary to the principles laid down by Hon'ble Supreme Court of India and this they have done with an



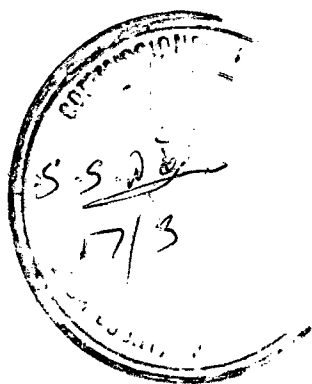
[Handwritten signature]

ulterior motive to favour their own men. The facts remains that the seniority list in question has been drawn on the basis of no rules at all. Under the law laid down by the Hon'ble Supreme Court of India, the staff should have been given seniority from the dates of their joining the working post, which has not been followed in the instant case.

19. That the contents of para 11 of the written statement are denied and the averments made in para 6(xxviii) of the application are reiterated.

20. That the contents of para 12 of the written statement call for no remarks as the averments made in paras 6(xxix) and 6(xxx) of the application have been admitted by the respondents.

21. That the contents of para 13 of the written statement are denied and the averments made in para 6(xxxi) of the application are reiterated. It may be mentioned that no panel or merit position of the selected candidates was ever declared by the respondents. However, the applicants were given offer of appointments in Ist. to IVth batches, which is indicative of the fact that they were appointed according to their merit position. It is further submitted that the respondents have not filed or mentioned the specific rules in support of their contentions that the seniority of the staff was to be assigned on the ~~xxx~~ basis of merit position and not according to date of their joining the working post.



[Handwritten signature]

22. That the contents of para 14 of the written statement are denied and the averments made in para 6(xxxiii) of the application are reiterated. The seniority position as assigned in the seniority list being based on no rules is wholly arbitrary and illegal. The seniority of the staff should have been assigned from the date of joining the working post as per principle laid down by the Hon'ble Supreme court of India.

23. That the contents of para 15 of the written statement are denied and the averments made in para 6(xxxiii) and 6(xxxiv) are reiterated.

24. That the contents of para 16 of the written statement are denied. In the facts and grounds mentioned in this rejoinder affidavit as well as in the application, the applicants are entitled to the reliefs claimed and their application is liable to be allowed with cost/special cost.

25. That the contents of para 17 of the written statement call for no remarks.

26. That the contents of para 18 of the written statement being frivolous are denied and the averments made in para 9 of the application are reiterated.

A245

27. That the contents of para 19 of the written statement call for no remarks.

Lucknow:
Dated 7th-3-1989.


Deponent.

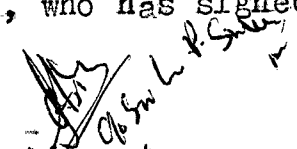
Verification:

I, the above-named deponent, do hereby verify that the contents of paragraphs 5^h to 18, 20 & 27 of this affidavit are true to my knowledge and those of paragraphs 1^h to 4^h are believed to be true by the deponent. No part of it is false and nothing material has been concealed. So help me God.

Lucknow:
Dated 7th-3-1989.


Deponent.

I know the deponent, who has signed before me.

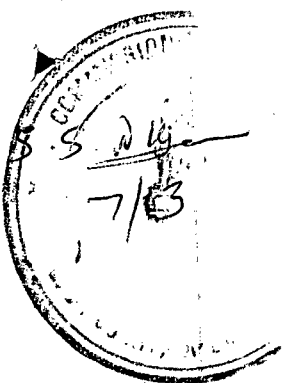

Advocate.

Solemnly affirm before me on 7.3.89 at 3.02 pm by Sri Pradeep Kumar, the deponent who is identified by Sri C. P. Asthana c/o Sri L. P. Shukla^h I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which have been read out and explained by me.


SATYA SUMAN NIGAM
OATH COMMISSIONER

High Court, Lucknow.

51/05 7/3/89



IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL AT ALLAHABAD,
CIRCUIT BENCH, LUCKNOW.

O.A. NO. 151 of 1988

As per

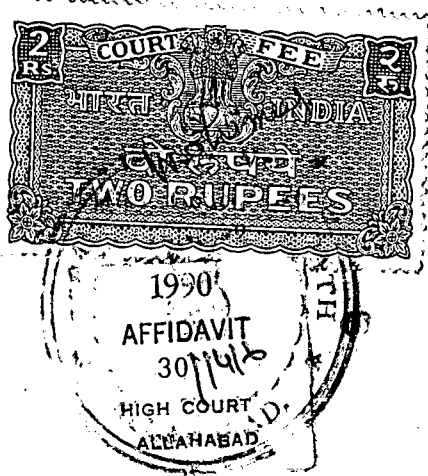
Subhash Singh & others ...

.. Applicants.

Versus

Director, Census Operations
and others ...

.. Respondents.



REJOINDER AFFIDAVIT TO THE COUNTER -
AFFIDAVIT FILED ON BEHALF OF RESPON-
DENTS 3 to 6.

I, Wasimul Haque, aged about 35 years, son
of Sri Shujaul Haque, resident of C 2353 Mini L.I.E. Rajaji Puram
Lucknow, do hereby solemnly affirm and state on oath
as under :-

26/1/88

1. That the deponent is the applicant no. 4 in
the above case and as such is fully conversant with
the facts deposed hereinafter :-
2. That the deponent has gone through the averments
made in the counter affidavit filed on behalf of res-
pondents 3 to 6 and has understood the same. He has been
authorised by other applicants to file this rejoinder
affidavit.
3. That the contents of para 1 of the counter
reply call for no remarks.
4. That the contents of para 2 of the counter
affidavit call for no reply.



4247

5. That the contents of para 3 of the counter affidavit are denied and the averments made in paras 6(i) and (ii) are reiterated.

6. That the allegations contained in para 4 of the counter affidavit are false and mis-leading, hence they are vehemently denied. The Annexure No. A-4 1 to the application u/s 19 of the Act stands admitted by the respondents 1 and 2.

✓ With regard to contents of sub paras of ~~2~~ ✓ para 4 of the counter affidavit, it is submitted that they are irrelevant, vague and mis-leading, hence they are denied. It is incorrect to allege that Annexure No. C-2 to the counter affidavit, which is the confirmation list issued on 16.11.1990 that is during the pendency of the case, contains the name of the Operators in the order of merit position. The said list (Annexure No. C-2) itself contains a note that the seniority of the operators would be assigned after the decision of the present case. Thus it is subject to ultimate decision of the case by this Hon'ble Tribunal.

7. That the contents of para 5 of the counter affidavit are false, hence they are vehemently denied and the averments made in para 6(iv) of the application are reiterated.

8. That the contents of para 6 of the counter affidavit are denied ^{✓ as stated ✓} and the averments made in paras 6(v), (vi) and (vii) of the application are reiterated.

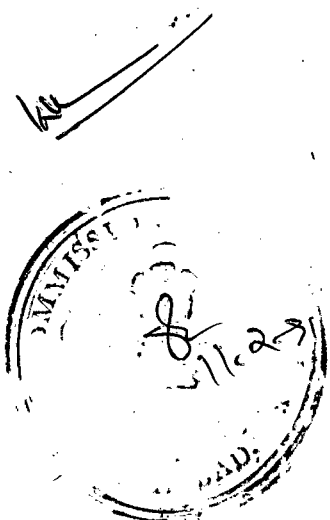
9. That the contents of para 7 of the counter reply which are contrary to the averments made in paras

11-2-21

A248

6(viii) and (ix) of the application are denied and the averments made in the said paras of the application are reiterated. The allegations contained in the para under reply are absolutely false, baseless, hence they are vehemently denied. It is pertinent to mention here that the respondents, at no stage, raised objections or made representation or sought for legal remedy against the injustice alleged to have been caused to them as mentioned, for the first time, in the para under reply. The appoint^{ment} of the applicants and others was made according to their merit position and it was never objected upon by the respondents and others. The plea taken by the respondents is without basis and based on after-thoughts.

10. That the contents of para 8 of the counter affidavit are denied as stated and the averments made in paras 6(x) to (xviii) of the application are reiterated. It is admitted that no merit list was declared but it is vehemently denied that the persons, who had better approach, got letters of their appointment issued. Since the applicants were given letters of their appointment earlier than the respondents and they resumed duty prior to them, it is reasonably inferred that the applicants had secured better position in the selection. The contention of the respondents that they had secured better merit in the selection is merely a presumption and has no leg to stand. Fact is that the respondents and many others junior to the applicants, at the time of issue of tentative list of seniority, got the thing manipulated and in connivance with the office of the respondent nos. 1 and 2 got



A249

their names placed over and above the applicants in said list of seniority which was immediately challenged by the applicants. It is pertinent to mention here that the respondents made no objection when the applicants were given letters of their appointment. The respondents further made no objection when the applicants were made quasi permanent in the year 1986/87 and also in the year 1984 when the appointments of the applicants were regularised by the respondents 1 and 2 as mentioned in paras 6(xx) and 6(xix) of the application. Under these circumstances, it is evidently clear that the respondents were fully satisfied with the earlier appointment of the applicants.

11. That the contents of para 9 of the counter affidavit which are not contrary to the averments made in para 6(xix) are not denied. Rest are vehemently denied. It is further submitted that the respondents, even at the stage of issue of Annexure No. A-24 to the application regularising the services of the applicants and many others, did not raise any objection or made representation on the alleged grounds as mentioned in the para under reply.

12. That the contents of para 10 of the counter affidavit call for no remarks. It is, however, clarified that declaration of the applicants being quasi permanent is most relevant in the case for the purpose of seniority also.

13. That the averments made in para 11 of the counter affidavit that the name of the appointees were arranged in order of merit position in the tentative



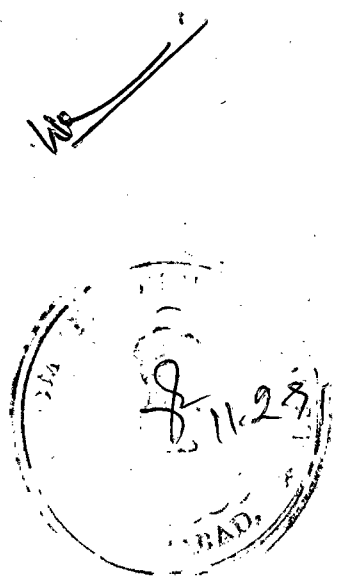
seniority list (Annexure No. A-47 to the application) are absolutely false, baseless and mis-leading, hence they are vehemently denied. Fact is that the said list, in connivance with the respondents and many others juniors, was got issued by them in an arbitrary manner and on the policy of pick and choose and as such the applicants had to challenge the same firstly by way of representations and lastly by filing the present case before this Hon'ble Tribunal.

14. That the contents of para 12 of the counter affidavit are wrong and mis-leading, hence they are denied and the averments made in para 6 (xxii) of the application are reiterated. It is, however, admitted that sub para (f) has wrongly been numbered as para (d) at page 17 of the application. The averments made in all the sub paras are correct and they are reiterated.

15. That the contents of para 13 of the counter affidavit which are not contrary to the averments made in para 6 (xxiii) of the application are not denied. Rest are vehemently denied. It is absolutely incorrect to allege that reckoning of seniority in the tentative seniority list was in accordance with law. Fact is that it was prepared in an arbitrary manner and in gross violation of law.

16. That the contents of para 14 of the counter affidavit are vehemently denied and the averments made in para 6 (xxiv) are reiterated.

17. That the contents of para 15 of the counter affidavit are incorrect, hence they are denied and the averments made in para 6 (xxv) of the application are reiterated.



A257

18. That the contents of para 16 of the counter affidavit are denied as stated and the averments made in para 6 (xxvi) of the application are reiterated.

19. That the contents of para 17 of the counter affidavit are denied and the averments made in para 6 (xxvii) of the application are reiterated.

20. That the submissions made in para 18 of the counter affidavit are incorrect both in law and merit and as such they are vehemently denied. Since the applicants had secured better position as compared to the respondents and others, they were given appointments prior to the respondents. Thus in the circumstances of the case, the applicants are entitled to their seniority according to their dates of appointment as per principle laid down by the Hon'ble Supreme Court.

21. That the contents of para 19 of the counter affidavit are misleading and without basis, hence they are vehemently denied. The seniority position has been assigned in an arbitrary manner and on the policy of pick and choose.

22. That the contents of para 20 of the counter affidavit are absolutely false, baseless and mis-leading, hence they are vehemently denied and the averments made in paras 6 (xxxi) and (xxxii) of the application are reiterated.

23. That the contents of para 21 of the counter affidavit are absolutely incorrect rather false, baseless, ^{vague} and mis-leading, hence they are denied and the averments

8/11/23/1

(7)

A252

made in para 6 (xxxiii) and (xxxiv) of the application are reiterated.

Lucknow :
Dated: 11-2-1991.

W
Deponent.

V e r i f i c a t i o n .

I, the above-named deponent do hereby verify that the contents of 1 to 23 of this affidavit are true to my knowledge and no part of it false and nothing material has been concealed. So help me God.

Lucknow:
Dated: 11-2-1991.

W
Deponent.

I know the deponent who has signed before me.

W
Advocate.

2 11-2-91
Solemnly affirmed before me on 11-2-91 at 2:00 pm by Sri Wasimul Haque, the deponent who is identified by Sri C.P. Adhikari to L.P. Shukla Advocate, High Court, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which have been read out and explained by me to him.

Defender
OATH COMMISSIONER Adv.
High Court, Allahabad
Lucknow Bench

No. 30/11-91

Date 17-2-91

7253

~~Central Administrative Tribunal~~
In the Hon'ble High Court of India at Allahabad
Circuit Bench, Lucknow

Misc. Application ²⁹ of 1990 (C) By Respondants

Case No. O.A. 151 of 1988

Subhash Singh and 21 Others ..

Applicant

Versus

Director of Census Operations,

U.P and another. ..

Respondants

Application For Filing of Documents Referred to In the Counter-affidavit

The respondents most respectfully beg to submit as under :-

1. That vide order dated 26.4.89 this Hon'ble Tribunal directed the respondents to supply the copies of documents referred to in the counter-affidavit to the petitioners' learned counsel.

2. That in compliance with the above said order, the respondents are enclosing herewith the copies of the following documents referred to in the Counter-affidavit:-

1.	Photo Staté copy of Circular dated 18.3.80.
2.	" " " " " " 27.5.80.
3.	" " " " " " 6.2.81.
4.	" " " " " " 1.8.81.
5.	" " " " " " 11.3.82.

3. That the copies of the above documents have already been supplied to the petitioners' learned counsel.

WHEREFORE, it is requested that the aforesaid documents may kindly be ordered to be placed on record.

12
Dated: 10/1.1990

D. G. ...
Counsel for Respondants

2/A, Mansingh Road

C I R C U L A R

For the processing of data to be collected during the 1981 Census operations, it has been decided to instal thirty-two (32) Units of Direct Data Entry System at different Stations in the country, each Unit with sixteen (16) key terminals, under the Plan Scheme "Computerisation of 1981 Census Data". With the installation of this system, the data to be collected on the household, the household schedule, and the individual slip (universal and sample), at the 1981 Census, will, after editing and coding, be transferred to magnetic tapes directly, for storage and subsequent processing without first punching the coded data on punch cards and then transferring the data from the punched cards to magnetic tapes as in the past. In the first phase, which will be during the current financial year 1980-81, eleven (11) Units are proposed to be installed at the following stations:-

2. The staff pattern proposed for each Unit of the Direct Data Entry System, for a single shift, is as follows:

S.No.	Name of post(s)	Classification	Scale of pay	No. of post(s)
1.	Assistant Director (Data Processing)	Group 'A' Gazetted	Rs.700-1300	One(1)
2.	Senior Supervisor	Group 'B'	Rs.550-900	One(1)

[Handwritten signatures and stamps]

- (v) Educational and other qualifications required for direct recruits : Essential:
(1) Master's Degree in Statistics or Operations Research or Mathematics/Economics (with Statistics) from a recognised University or equivalent.
OR
Degree in Engineering or Electronics from a recognised University or equivalent.
(2) Training in Electronic Data Processing System.
- (vi) Age limit for direct recruits : Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants).
- (2) JUNIOR SUPERVISOR:
- (i) Method(s) of recruitment : By promotion, failing which by transfer on deputation/transfer, and failing both by direct recruitment.
- (ii) Grade(s) from which promotion/transfer on deputation/transfer to be made : Promotion: Operators with 5 years' regular service in the grade (Rs. 330-560).
Transfer on deputation/transfer: Statistical Assistants appointed on regular basis to the grade (Rs. 425-700) with one year's experience in Punch Card Equipment or Computers with 5 years' regular service in the grade (Rs. 330-560) and at least one year's experience in Punch Card Equipment, failing whom officials holding analogous posts under the Central Government, State Governments and Union Territory Administrations and possessing one year's experience in Punch Card Equipment.
Selection.
- (iii) Whether selection or Non-selection post : Selection.
- (iv) Period of deputation : Ordinarily not exceeding three years.
- (v) Educational and other qualifications required for direct recruits : Essential:
(1) Degree with Statistics or Mathematics or Economics (with Statistics) as a subject, of a recognised University or equivalent.
(2) Five years' experience of supervision of work in a punch card installation.

(vi) Age limit for direct recruits

Between 18 and 25 years (up to 35 years in the case of Government servants).

(3) OPERATORS:

(i) Method(s) of recruitment

By transfer on deputation/transfer, failing which by direct recruitment.

(ii) Grade(s) from which transfer on deputation transfer to be made

Computers with two years' regular service in the grade (Rs. 330-560) or Assistant Compilers/Typists/Lower Division Clerks (not belonging to Central Secretariat Clerical service) with 5 years' regular service in their respective grades (Rs. 260-400) failing whom officials holding analogous posts in the Central Government/State Governments and U.T. Administrations with at least two years' regular service in such posts subject to their qualifying a prescribed test designed to open their proficiency in the operation of hand punches/in typing (in English).

(iii) Period of deputation

Ordinary years not exceeding three.

(iv) Educational and other qualifications required for direct recruits

Essential: Degree with Statistics or Mathematics or Economics (with recognition a subject, of a university or

(v) Age limit for direct recruits

Desirable: 15 years' experience in coding/typing work.

Between 25 years (Relaxable up to 35 years in the case of Government servants).

3. For making appointments to the above categories of posts for maintaining the Units of one installed at the Stations mentioned in paragraph above, it is proposed to group the offices, on a regional basis indicated

.....

selecting suitable candidates from among officials holding analogous posts in other Central Government offices/State Governments and UT.Administrations and fulfilling the requirements prescribed in paragraph 2(3) above.

4. In respect of the grade of Operators it has been mentioned in paragraph 2(3) above that appointment of officials by transfer on deputation/transfer will be subject to their qualifying in a prescribed test designed to assess their proficiency in the operation of hand punches/typewriting (in English). It is proposed to hold a qualifying test for selecting candidates for appointment to the grade of Operator in the DDE Units to be installed in the eleven (11) stations mentioned in paragraph 2 above, sometime in May, 1980, at the respective stations. The test may be of an hour's duration, of which about half an hour will be for testing the machine themselves for their operational - fitness and the remaining half an hour for the actual test which will be designed to assess both speed and quality of performance by the candidate. The actual details of the test will be announced separately, through another circular. The officials who may be desirous of appearing for the test either in hand punching or in typewriting (in English) will have to equip themselves for it at their own expense, and, in no circumstances, shall any facilities therefor be provided by the offices concerned. The officials who appear for the test, will, however, be paid TA/DA, as may be admissible therefor, under the rules of the Central Government. The details in this regard will also be announced separately.

5. The contents of this circular may be given wide publicity among the members of staff concerned so that such of those as are desirous of being considered for appointment to the posts in question may submit their applications as and when the vacancies are circulated. In the case of those officials who wish to be considered for the posts of Operator particularly, the intention behind the issue of this circular in advance is to afford them sufficient time and opportunity to equip themselves adequately for the test in the operation of hand punches/typewriting, as they may choose for themselves.

/(in English)

6. It may be mentioned that the staffing pattern and the number of posts are still tentative.

(P. Padmanabha)
Registrar General, India

Copy to:-

1. Directors of Census Operations in States/UTs.
2. Heads of Divisions, RG's office.
3. Deputy Director(DP), RG's office.
4. Administrative Officer, RG's office.

17258

-: 7 :-

5. General Secretary, All-India Census Employees' Federation, Chandigarh, with the request that the contents of the circular may be brought to the notice of the Constituents of the Federation.
6. General Secretary, RG's Office Class II Employees' Association, R.K. Puram, New Delhi.
7. General Secretary, RG's Office Class III Employees' Association, R.K. Puram, New Delhi.
8. P.S. to Registrar General.
9. P.A. to DRG(I).
10. RG's Personal Section (with 4 spare copies).
11. Deputy Director(S), RG's office.
12. Assistant Director(P), RG's office.
13. Assistant Director(B), RG's office.
14. Order File.


(S. Rajagopalan)
Deputy Director

6

No. 4/1/80-Ad.I
Government of India
Ministry of Home Affairs
Office of the Registrar General, India

2/A, Mansingh Road,
New Delhi-110011, the
Dated : 27 May, 1980

C I R C U L A R

In this office circular No. 4/1/80-Ad.I(1) dated 18 March, 1980, the method(s) of recruitment to temporary Group B and Group C posts to be created for manning the different Units of the Direct Data Entry System to be installed at different stations in the country has/have been indicated. Further, in this office circular No. 4/1/80/Ad.I(2) dated 18 March, 1980, the syllabus for the qualifying test in the operation of hand punches/typewriter(in English), for the selection of candidates for a-ppointment to the grade of Operators in the different Units of the D.D.E. System has been spelt out.

2. Insofar as posts in the grade of Senior Supervisors, which are Group B posts, are concerned, appointments in different Units of the D.D.E. System located at different stations in the country will be made by the Registrar General, India, since he is the appointing authority for Group B posts. For this purpose, vacancies will be circulated by the office of the Registrar General, India, as and when they arise, to the different Census Directorates and/or in the office of the Registrar General, India, as the case may be.

3. In regard to appointments to the Group C posts of Junior Supervisor and Operator, respectively, in the different Units of the D.D.E. System to be installed at different stations in the country, the following procedure is proposed to be followed in the selection of candidates and their appointment :-

(1) JUNIOR SUPERVISOR:

It is proposed to entrust the responsibility for the selection of candidates for, and making appointments to, this grade in the different Units of the D.D.E. System to the Directors of Census Operations concerned, under whose charge the particular Units of the System will function. As and when the Units are installed at different Stations in the country, and posts created, the vacancies in a particular Unit will be circulated by the Director of Census Operations concerned in his own Directorate, as well as in the other Directorates which have been grouped with his own Directorate, for the purpose of making selections for appointments to posts under the particular Unit of the D.D.E. System, as indicated in paragraph 3 of this office circular No. 4/1/80-Ad.I(1) dated 18.3.80. In doing so, the details regarding method(s) of recruitment conditions of eligibility, etc., as specified in this office circular No. 4/1/80-Ad.I(1) dated 18.3.1980, will be spelt out clearly. Where there is no grouping of Directorates and a single Directorate has been

7

etc., when circulating the vacancies (as indicated above in respect of the Junior Supervisors' grade), the syllabus for the qualifying test in hand punches/typewriters (in English) in respect of the Operators' grade as specified in this office circular No. 4/1/80-Ad.I(2) dated 18.3.1980, shall also be spelt out. An officer from the Data Processing Division of this office will assist the Director of Census Operations concerned in the actual holding of the test in hand-punches and evaluation of performance of the candidates. This, again, is intended to secure uniformity of standard in the holding of the qualifying test as well as the evaluation of performance of candidates. The qualifying test in typewriting (in English) will, of course, be held by the Director concerned himself as this does not require any technical expertise and can be handled by him easily. Selections for appointment, thereafter, will, of course, be handled by the Director concerned himself, in consultation with the Selection Committee, as already explained above.

4. In the light of the procedure outlined above, the need for drawing up and forwarding lists of eligible officials in the grades of Computers, Assistant Computers, and Lower Division Clerks, who may be eligible and willing to take the prescribed qualifying test for consideration for appointment to the grade of Operators, to the Deputy Director (Data Processing), RG's office, by the Directors of Census Operations concerned, as indicated in the endorsement on this office circular No. 4/1/80-Ad.I(2) dated 18.3.80 will not arise.

5. Shri S. Rajagopalan, Deputy Director in the office of the Registrar General, India, will function as the Coordinating Officer.

6. This issues with the approval of Registrar General, India.

sd/-

V.P. Pandey

Deputy Registrar General, India.

Copy to :-

1. Directors of Census Operations in States/UTs.
2. Heads of Divisions, RG's office.
3. Administrative Officer, RG's office.
4. Deputy Director (DP), RG's office. This disposes of his note dated 11.4.1980.
5. General Secretary, All-India Census Employees' Federation, Chandigarh. The contents of this circular may please be brought to the notice of the constituents of the Federation.
6. General Secretary, RG's office Class II Employees' Association, R.K. Puram, New Delhi.
7. General Secretary, RG's office Class III Employees' Association, R.K. Puram, New Delhi.
8. P.S. To Registrar General.
9. P.A. to DRG(I).
10. Assistant Director (P), RG's office.
11. RG's Personal Section (with 4 spare copies).
12. Order File.

sd/-

S. Rajagopalan

Deputy Director

34

14

AD 6

8

AD 60087

No.4/1/80-Ad.I
Government of India
Ministry of Home Affairs
Office of the Registrar General, India

2/A, Mansingh Road

New Delhi-110011, the

C I R C U L A R

6 FEB 1981

Subject:-Method(s) of recruitment to temporary Group 'C' posts of Junior Supervisor and Operator, respectively, created/to be created for manning the Units of the Direct Data Entry System installed/to be installed at different stations in India, under the Plan Scheme "Computerisation of 1981 Census Data".

In accordance with the executive instructions contained in this office Circular No.4/1/80-Ad.I(1) dated 18.3.1980, vacancies in the Group 'C' posts of Junior Supervisor and Operator, respectively, under the Direct Data Entry System, are required to be filled in by the following method(s) of recruitment:-

Junior Supervisor: By promotion, failing which by transfer on deputation/transfer, and failing both by direct recruitment.

Operator: By transfer on deputation/transfer, failing which by direct recruitment.

2. According to the executive instructions contained in this office Circular No.4/1/80-Ad.I dated 18.3.1981, appointments by transfer on deputation/transfer to vacancies in the posts of Junior Supervisor have to be made from among the following categories of officials:-

Statistical Assistants appointed on a regular basis to the grade (Rs.425-700) or Computers with 5 years' regular service in the grade (Rs.330-560), failing which officials holding analogous posts under the Central Government/State Governments/Union Territory Administrations and possessing one year's experience in tabulation of statistical data or officials of the Central Government/State Governments/Union Territory Administrations with 5 years' regular service in posts carrying the scale of pay of Rs.330-560 or equivalent with at least one year's experience in tabulation of statistical data.

Preference may be given to eligible officials who possess experience in punch card equipment.

Ar 62

Operator, respectively, under the Direct Data Entry System, stand(s) modified as under:-

1. Junior Supervisor:

(i) Method(s)
recruitment

By promotion, failing which by transfer on deputation/transfer of officials in the office of the Registrar General, India, and/or in the respective offices of the Directors of Census Operations in States/UTs., as the case may be, failing which by direct recruitment, and failing all these three by transfer on deputation/transfer of officials from Central Government Offices/State Govts./Union Territory Administrations.

(ii) Grade(s) from which promotion/transfer on deputation/transfer to be made

Promotion: Operators with 3 years' regular service in the grade (Rs. 330-560).

Transfer on deputation/transfer of officials in the office of the Registrar General, India and/or in the respective offices of the Directors of Census Operations in States/UTs. concerned:

Statistical Assistants appointed on a regular basis to the grade (Rs. 425-700) or Computer with 3 years' regular service in the grade (Rs. 330-560).

Preference may be given to eligible officials who possess experience in Punch Card equipment.

Transfer on deputation/transfer of officials from Central Govt. Offices/State Govts./UT. Administrations:

Officials holding analogous posts under the Central Govt. State Governments/UT. Administrations and possessing at least one year's experience in tabulation of statistical data or officials of the Central Government/State Governments/UT. Administrations with at least 3 years' regular service in posts carrying the scale of pay of Rs. 330-560 or equivalent and possessing at least one year's experience in tabulation of statistical data.

Preference may be given to eligible officials who possess experience in punch-card equipment.

The other executive instructions regarding recruitment to vacancies in the posts of Junior Supervisor and Operator, respectively, contained in this office circulars issued from time to time remain unchanged.

6. The modified instructions contained in paragraph 4 above take effect from the date of issue of this circular.

7. This circular issues with the approval of the Registrar General, India.

(V.P. Pandey)
Deputy Registrar General, India

No.4/1/80-Ad.I

New Delhi-110011, the

Copy to:-

1. Directors of Census Operations in States/UTs.
2. Director(EDP), RG's office.
3. Heads of Divisions, RG's office.
4. Deputy Director(S), RG's office.
5. Assistant Director(P), RG's office.
6. Assistant Director(D), RG's office.
7. General Secretary, All-India Census Employees' Federation, Chandigarh. The contents of this circular may please be brought to the notice of the constituents of the Federation.
8. General Secretary, RG's office Class II Employees' Association, R.K.Puram, New Delhi.
9. General Secretary, RG's office Class III Employees' Association, R.K.Puram, New Delhi.
10. P.S. to Registrar General.
11. P.A. to DRG(I).
12. RG's personal section (with 4 spare copies).
13. Order File.

(S. Rajagopalan)
Deputy Director

2/A, Mansingh Road,
New Delhi, the 1.8.81.

C I R C U L A R

SUB:- Methods of recruitment to temporary Group 'D' and Group 'C' posts created/ to be created for manning the Units of the Direct Data Entry System installed/ to be installed at different stations in India under the Plan scheme "Computerisation of 1981 Census Data".

In the marginally noted circulars issued by this Office, from time to time executive instructions have been laid down for making recruitment to the temporary posts of Senior Supervisor, Junior Supervisor, and Operator, respectively, created/ to be created for manning the Units of the Direct Data Entry System installed/ to be installed in different stations in India, under the Plan Scheme "Computerisation of 1981 Census Data".

2. The aforesaid executive instructions were reviewed recently. As a result of this review, it has been decided to substitute the existing entries under the method of "transfer on deputation/ transfer" in respect of the posts of Senior Supervisor, and Junior Supervisor, respectively, by the following:-

(1) Senior Supervisor :

"Transfer on deputation/ transfer: Investigators / Console Operators appointed on a regular basis to the grade (Rs. 550-900) with experience in tabulation of statistical data or Tabulation Officers with 3 years' regular service in the grade (Rs. 550-900) with experience in tabulation of statistical data or Statistical Assistants with 5 years regular service in the grade (Rs. 425-700), of which 3 years' should be in the tabulation of statistical data, failing whom officials holding analogous posts under the

recruits to the grade of Operators, specified in this office Circular No. 4/1/80-Ad. I dated 16.3.81, last cited above, shall be substituted by the following :-

" Educational and other Essential : Degree of a recognised University or equivalent qualifications required for direct recruits :-

Desirable : Two years' experience in coding/ uncoding work".

4. In this office Circular No. 4/1/80- Ad. I dated 16.3.81, last cited above, the age limits for the direct recruits to the grade of Operators has been prescribed as "Between 18 and 25 years". It has since been decided to raise the maximum age limit for direct recruits to the grade of Operators to 28 years. In other words, the age limits for direct recruitments / to the grade of Operators, will now be "Between 18 and 28 years". Needless to say the upper age limit is relaxable upto 35 years in the case of Government servants, as usual.

5. This issues with the approval of the Registrar General, India.

Sd/-

(V. P. PANDEY)

DEPUTY REGISTRAR GENERAL, INDIA

No. 4/1/80- Ad. I

Dated the ,

Copy to :-

1. Director of Census Operations in States / Uts.
2. Director (CDP), RG's office.
3. Heads of Division, RG's office.
4. DD(S) RG's office.
5. AD(P), RG's office.
6. General Secretary, All India Census Employees' Federation, Chandigarh. The contents of this circular may please be brought to the notice of the constituents of the Federation.
7. General Secretary, RG's office Class II Employees' Association, R. K. Puram, New Delhi.
8. General Secretary, RG's office Class III Employees' Association, R. K. Puram, New Delhi.
9. P.S. to DRG. The instructions may please be brought to the notice of the staff of this Directorate.
10. P.A. to DRG (I) receipt of the letter may please be acknowledged.
11. RG's Personnel Section (with 4 spare copies).
12. Order file.

Sd/- (S. Rajagopalan)

13
A286

2/A Mansingh Road,
New Delhi- 11, the 11.5.1982

C I R C U L A R

Subj- Methods of recruitment to temporary Group BA C
Posts created for DOE System.

.....
In continuation of this office Circular No. 4/1/80-Ad. I
dated 6.2.1981, it may be clarified that in case
of direct recruitment of Operators also it is necessary
to insist upon their proficiency in the Operation of Hand
Punching/ Typewriting (English). It is, therefore, requested
that under the Essential Qualifications against item (3) (iv)
of para 2 of this Circular No. 4/1/80-Ad. I dated 18.3.1980.
Following may be inserted before the "Desirable" Qualifications.

Handwritten

"2. Proficiency in the operation of Hand Punching /
Type-writing (English)."

Guided 2.

This issues with the approval of Registrar General,
India.

Sd/-

(B. D. DARGAN)

Assistant Director

Copy to :-

1. Directors of Census Operations in States / UTs.
2. Heads of Divisions, RG's office.
3. Director (EDP), RG's office.
4. Administrative Officer, RG's office.
5. General Secretary, All India Census Employees' Federation
Chandigarh, with the request that the contents of
the circular may be brought to the notice of the Consti-
tuents of the Federation.
6. General Secretary, RG's Office Class II Employees'
Association, R. K. Puram, New Delhi.

...2/-----

f.c. 11-2-91

A267

BEFORE THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, ALLAHABAD

CIRCUIT BENCH LUCKNOW:

M. P. No. 70/91 (2) ✓
O.A. NO. 151/88/(L).

Subhash Singh & others Petitioners.

Vs.

Director, Census Operations
and others Opp. parties.

APPLICATION FOR RE-CALL OF THE ORDER
DATED 28.9.1990.

The applicants (opposite parties 3 to 6) most respectfully submit as under:-

1. That the applicants were impleaded as opposite parties on their application, under the orders of the Hon'ble Tribunal, as they were considered to be the necessary parties to the case.

2. That the applicants, thereafter, were required to file the counter affidavit but since most of the papers relating to the case had to be arranged by them, they could not file the counter affidavit.

3. That because of the confusion, the

Filed today
8/2/91

[Signature]

A269

: 2 :

applicants or their learned counsel could not attend the case on 28.9.90 on which date the Hon'ble Tribunal was pleased to order the case to proceed ex-parte against the applicants for want of any counter affidavit on their behalf.

4. That the slip on the part of the applicants on 28.9.90 was only in advertent and accidental.

5. That the counter affidavit which has been prepared by the applicants (opposite parties 3 to 6) is being filed with this application.

6. That in the interest of justice, it is essential for the applicants to have their counter affidavit taken on record.

P R A Y E R:

WHEREFORE, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may be pleased to re-call the order dt. 28.9.90 regarding the direction for proceeding ex-parte against the applicants and direct, the counter affidavit which is being filed with this ~~application~~ application to be taken on record.

LUCKNOW:

DATED: 6.2.1991.

S. B. Singh
ADVOCATE:

COUNSEL FOR THE APPLICANTS
(opp. parties 3 to 6)

A269

BEFORE THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL ALLAHABAD/
CIRCUIT BENCH LUCKNOW:

CLAIM PETITION NO. 151 OF 1980. (L)

Subhash Singh & others....

...Petitioners.

Vs.

Director, Census Operations
and others.....

...Opp. parties.

COUNTER AFFIDAVIT:

(On behalf of opp. parties 3 to 6)

I, R.P. Saxena, aged about 36 years,
son of Sri O.P. Saxena, R/O 206, New Hyderabad, Lucknow,
do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That the deponent is the respondent no. 4
in the above noted case and is thus thoroughly conversant
with the facts stated hereinafter.

2. That the deponent has gone through the
averments made in the reference petition and has
understood the same.

3. That the averments of para 6 (i) (ii)
of the claim petition are not admitted. In any case,

the fixed pay engagement of the petitioners on the posts of Coders or Tabulators is quite irrelevant for the purpose of their seniority on the post of Operators which is to be reckoned after the regular selection. It is also submitted that although some persons working as Checkers or Supervisors had the experience of the work of Coders/Tabulators, but that is not a fact about all of them.

4. That the contents of para 6 (iii) being the matters of record call for no reply. It may, however, be submitted that the order/remark purporting to have been made by the Director on 18/2 in the margin of Annexure-A-1 has been forged by the petitioners for the dis-honest purpose of misleading this Hon'ble Tribunal to challenge the legality of the selection of the persons on the basis of typing proficiency. It may be specifically stated that no such remark of the Director of 18/2 or any other date exists anywhere on the Circular dt. 10.3.82. Since, the petitioners have forged these remarks for an ulterior motive, they are liable to be prosecuted for purgery and misleading this Hon'ble Tribunal. Under the circumstances, it is essential that the petitioners are put to be strict proof of this portion of Annexure A-1 mentioned

3

in the margin thereof.

It may be specifically stated that the Key Board of Computers on which the Operators work, is identical to the English Type Machines and any person knowing English Type Writing will have an added advantage in discharging the duties of an Operator. It may also be specifically stated that by a Circular letter dt. 11.3.82, a copy of which is being filed as Annexure C-1 hereto, proficiency in ^{operation} ~~question~~ of Hand-punching / English Typewriting was prescribed as essential qualification.

It may also be mentioned that it is rather quite late for the petitioners to challenge the legality or validity of the appointment/regularisation of the answering opposite parties in the present collateral proceedings relating to the question of inter se seniority. It would not be out of place to mention on this very juncture that the answering opposite parties and other Operators of 1982 Batch have been even confirmed on their posts of Operators by an order dt. 16.11.90, with effect from 14.9.90 and ^{names} ~~news~~ of the Operators have been arranged in the order of merit in the list of confirmation, as would be evident from a perusal of Annexure C-2 to this affidavit, which is a copy of the confirmation order.

5. That the contents of para 6 (iv) are denied, as false and fabricated. The petitioners have fabricated the remarks as mentioned in the margin of Annexure A-1 in an effort to mislead this Hon'ble Tribunal and, therefore, they are guilty of gross purgery and the petition is liable to be dismissed for this fabrication alone.

6. That the contents of paras 6 (v), (vi) and (vii) are denied and it is submitted that the answering opposite parties were fully eligible and qualified and had also applied and appeared and successfully completed in the typing test. The answering opposite parties were fully eligible and were, therefore, called for test/interview, as would be evident from Annexure C-3 to this affidavit. It may be submitted that some of the answering opposite parties knew punching also but they commanded a better efficiency in the typing and, therefore, they preferred to appear in the typing test as compared to punching. It may be specifically denied that the persons well-up in type writing were not eligible to appear in the selection for the post of Operators, in view of Annexure C-1.

7. That the contents of para 6 (viii) and (ix) are emphatically denied. The Competitive

Tests in Punching or Type-writing were conducted on different dates. It is, however, admitted that the department did not notify or publish the list of the Selectees, despite specific requests made by the staff. As a matter of fact, the merit list was not published deliberately in order to give appointment to the candidates having lower merit, prior to the candidates having higher merit because this manipulation would not have been possible if the select list had been published. In other words, instead of issuing the letters of appointment to the selectees in the order of their merit, some persons of lower merit were offered appointment earlier than the persons securing higher merits. This was done for illegally favouring a few persons. Thus, the appointment orders of many persons of higher merit had been held back for none of their faults. Hence, the persons who had been given letters of appointment earlier than others having better merit, can not ~~be~~ claim a premium for the illegal favour shown to them. Under the circumstances, fixation of inter se seniority on the basis of merit list is the only way to ensure justice to the constituents in the matter of ~~seniority~~ seniority.

8. That the contents of paras 6 (x) to (xviii) are also denied. Neither any merit/selection

list was declared or notified in the first batch nor in the second batch. The persons who had better approach got letters of appointment in the first instance and the persons mustering some approach a little later got their appointment letters in second batch and so on. However, the selectees who had no approach were given appointments in the last batches even though their merits were far higher than the ~~Appointees~~ ~~approaches~~ of the earlier batches. This will be quite clear from a comparative perusal of the merit list and the appointment orders issued to the selectees of the batch in question. Under the circumstances, it is emphatically denied that the petitioners getting the favour of being given appointment letters or being permitted to join earlier got any such legal status by which they could in any manner harm the merit position or seniority of those persons whose merits were higher but because of their having no approach in the department they were given letters of appointment in the fourth or fifth batch., particularly in view of the fact that the appointment of the persons of the first, second and third batches had not been made on any reasonable basis but on the basis of ^{Pick} ~~pitch~~ and choose. It is once again denied that any merit list or select list was ever published. ~~by~~

9. That the contents of paras 6 (xix), being matters of record call for no reply except the submission that the department had applied only a clever trick in making the appointments of the selectees only on ad-hoc basis initially, however, while regularising the appointees, 17 persons who were appointed in the sixth, seventh or eighth batches, were omitted from requisition although they had already been appointed such prior to 17.9.84 and there was no good reason for not regularising them also under the very order dt. 17.9.84 .

10. That the contents of paras 6 (xx), being matters of record call for no reply. The declaration of ~~quasi~~ quasi permanency is rather least~~ly~~ relevant for the purpose of the seniority.

11. That the contents of para 6 (xxi) are not denied. It may be submitted that the names of the appointees on the post of Operators was arranged in order of their merit position in the merit list which was the very basis of their induction into the department.

12. That the contents of para 6 (xxii) are denied. For the purpose of reckoning the inter se seniority, the date of joining could

17276

not have been relied upon as a just and legal basis in view of the gross favouritism shown to the various persons like the petitioners who were able to get appointment letters issued in their favour much earlier to those selectees who were having far higher merits. That is why, in order to avoid any injustice to those selectees whose merit although was far higher and who should have been given letters of appointment in first batch but were ignored for none of their faults and the letters of the appointment were given to the persons of lower merit on account of the favouritism, the merit position was considered to be the just and safe basis and was, therefore, adopted as the criterion for deciding the inter se seniority of the Operators. Any formula for deciding the inter se seniority will have to be just and reasonable also. Similarly, the averments of sub para-B of the paragraph under reply is also denied as incorrect. As submitted above, the remark 'providing' as punching is the necessary qualification' mentioned in the margin of Annexure-A-1 is pure and simple fabrication as already submitted in this affidavit. In fact, the persons proficient in typing were as much eligible as the persons knowing punching and the candidates were allowed to compete either in type-

A277

: 9 :

writing or in punching. It is also denied that the tentative seniority list was bad for the reason that the names of these persons who had competed in type-writing was placed at serial no. 14 to 41 with the tentative seniority list i.e. at higher seniority than the petitioners in as much as those names were arranged directly in order of merit which, under the peculiar circumstances/attendant upon the appointments of the Operators, was the only just and legal basis for deciding the inter se seniority.

As far as the averments of sub para (c) are concerned, the fact is that after the appointment of the higher merit persons in the sixth, 7th or 8th batches were made on ad-hoc basis in the first instance like all the previous batches. However, some objection regarding the non-accomplishment of Schedule Caste quota was raised against the appointees of these batches. Hence, the question of regularisation of these high merit appointees of 6th to 8th batches remained in abeyance for some time. Subsequently, Schedule Caste candidates were appointed in the 9th batch and according to the roaster, some posts were de-reserved after getting the concurrence of the SC/ST Commissioner in March 1988 and thereafter the ad-hoc appointments of

A279

: 10 :

those 17 persons were also regularised in 1988, as would be evident from Annexure ~~A-70~~ to ^{the} ~~this~~ writ petition. Hence, the averments that any post out of these 17 persons (which had already been occupied by high merit appointees on ad-hoc basis) were reserved for Schedule Caste ~~xxxxxx~~ Candidates.

Similarly, the averments of sub-para D are also denied. It was none of the faults of the selectees having secured higher merit than the petitioners that despite their high merit warranting their appointments to be made in the first batch, they were made to wait and were given their appointments after low merit persons like the petitioners. Hence, the petitioners having illegally reaped financial advantage over the high merit selectees (because of their having secured appointment letters earlier in time than the high merit selectees) can not be permitted to get a premium of their manipulations in the matter of seniority and steal a march over the high merit selectees in that respect also.

 In view of what has been stated above, the averments of sub paras (E & F) (erroneously mentioned as D at page no. 17 of the petition) are denied as incorrect. The names have been arranged in the seniority list in the order of merit of the appointees. The ~~xxxxxx~~ name of the

A279

: 11 :

petitioner no. 1 (whose case has been illustrated in the paragraph under reply) had been given appointment in the first batch although he had qualified in subsequent batches i.e. 5th batch or so. That is why, his name has been arranged where his merit stood.

13. That the contents of para (6 (xxiii) being matters of record call for no reply except that the principle of 'reckoning the seniority in order of merit' adopted in the preparation of the tentative seniority list in question was quite in accordance with law and only that principle under the peculiar circumstances of the case, could subserve objects and requirements of the Article 14 & 16 of the Constitution of India.

14. That the contents of para 6 (xxiv) are not admitted. The circumstances leading to the delay in the regularisation of the 17 appointees has been mentioned in reply to the averments of para 22 above.

15. That the contents of para 6(xxv) are denied. These 17 persons were occupying high places in the merit list but the delay had been

A280

committed by the department in issuing the appointment letters to them as compared to the appointees like the petitioners who were although lower in merit but were given appointment letters in the first ~~to~~ four batches. These 17 persons had to face another hurdle in the matter of regularisation, on account of the aforesaid delay in getting appointment letters, however, as soon as the hurdle of SC/ST quota was removed, these persons were regularised. Thus, these persons ~~was regularised~~ became entitled to get senior posts according to their merit ranking in relation to other selectees.

16. That the contents of para 6 (xxvi) call for no reply except the submission that the declaration of person as quasi ~~permanent~~ permanent is not essential for his being included in the seniority list. What is essential in his merit ranking which becomes the main criterion for his seniority. Hence, the remaining averments of para (xxvi) are denied as incorrect.

17. That the contents of para 6 (xxvii) are denied as incorrect. The circumstances, leading to the delay in the issuance of the appointment letters to these 17 selectees, despite, their having secured higher merit positions and a temporal

A287

objection to their regularisation on the score of SC/ST quota and their regularisation after the abatement of that hurdle have already been explained in the preceding paragraph. That narration is being re-iterated in reply to this paragraph also. It would, thus, be clear that the seniority positions that were awarded to these 17 and other similar appointees on the basis of the merit ranking is quite in accordance with law and is not amenable to any challenge on the basis of Article 14 & 16 of the Constitution of India.

18. That the contents of para 6 (xxviii) call for no reply except the submission that the department has not framed any Service Rules so far. In that situation, there is all the more necessity for doing the justice with these high ranking merit ~~selection~~ selectees who were given appointment letters subsequent to the various appointees who had comparatively lower ranking in the merit or who had been ~~size~~ selected in subsequent batches.

19. That the contents of paras 6 (xxix) & (xxx) being matters of record call for no reply except the submission that the seniority positions awarded to the different appointees

A282

: 14 :

of the cadre on the basis of their merit ranking is quite just and legal.

20. That the contents of paras 6 (xxxi) and (xxxii) are denied as incorrect. The date of joining can become the criterion for reckoning the seniority only when the appointments were offered in accordance with the merit ranking. Those persons, however, who, because of their approaches in the department, could manipulate to get appointment orders issued in their favour earlier than those selectees who had secured better merit positions, can not claim a premium for their manipulations even in the matter of the seniority. Under the peculiar circumstances, if the seniority of the petitioners is to be decided on the basis of the date of their joining that would perpetrate yet another injustice upon these high merit selectees, who were given appointment letters later on although ~~now~~ for none of their faults.

21. That the contents of paras 6 (xxxiii) and (xxxiv) are denied as incorrect. The grounds mentioned in the petition are not sustainable in law. If the claim of the petitioners for

A233

: 15 :

reckoning the inter se seniority on the basis of the date of birth is ^{accepted} ~~occupied~~, serious injustice would be caused to those who had been selected in first three batches and had secured higher ranks in the merit list but were issued the appointment ^{orders} ~~letters~~ later than the ~~selectees~~ of the subsequent batches or the ~~xxx~~ selectees having for lower merit rankings. Under the circumstances, the position deserves to be dismissed with costs to the opposite parties.

LUCKNOW:

DATED: 6-2-1994.


DEPONENT:

VERIFICATION:

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of paras 1 to 2/ are true to my own knowledge, and those of paras X are based on the record and those of paras X are based on legal advice.

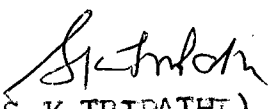
No part of it is false and nothing material has been concealed. So help me god.

LUCKNOW:

DATED: 6-2-1994.


DEPONENT:

I IDENTIFY THE DEPONENT WHO
HAS SIGNED BEFORE ME.


(S.K. TRIPATHI)

CLERK TO SRI S.P. SHUKLA ADVOCATE:

Ann. C-1
R284 13
16

No. 4/1/80-Ad. I
Government of India
Ministry of Home Affairs
Office of the Registrar General, India

2/A Mansingh Road,
New Delhi- 11, the 11.3.1982

C I R C U L A R

Sub:- Methods of recruitment to temporary Group B & C
Posts created for DDE System.

.....
In continuation of this office Circular No. 4/1/80-Ad. I dated 6.2.1981, it may be clarified that in case of direct recruitment of Operators also it is necessary to insist upon their proficiency in the Operation of Hand Punching/ Typewriting (English). It is, therefore, requested that under the Essential Qualifications against item (3) (iv) of para 2 of this Circular No. 4/1/80-Ad. I dated 18.3.1980. Following may be inserted before the "Desirable" Qualifications.

Vasude
Gulab 2.

"2. Proficiency in the operation of Hand Punching /
Type-writing (English)."

This issues with the approval of Registrar General,
India.

Sd/-

(B. D. DARGAN)

Assistant Director

Copy to :-

1. Directors of Census Operations in States / UTs.
2. Heads of Divisions, RG's office.
3. Director (EDP), RG's office.
4. Administrative Officer, RG's office.
5. General Secretary, All India Census Employees' Federation Chandigarh, with the request that the contents of the circular may be brought to the notice of the Constituents of the Federation.
6. General Secretary, RG's Office Class II Employees' Association, R.K. Puram, New Delhi.

...2/-----

TRU E Copy at Ksh
S. P. Singh

भारत सरकार
गृह मंत्रालयकार्यालय निदेशक जनगणना कार्य, उत्तर प्रदेश
प्रशासनिक अनुभाग25, नवल किशोर रोड,
लखनऊ, दिनांक 16/90

16/11/90

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर उनके नाम के विपरीत स्तम्भ-3 में अंकित पद पर, स्तम्भ-4 में दर्शायी गई तिथि से, स्थाई किया जाता है।

=====

क्रमांक	नाम व पद	पद एवं वेतनमान जिस पर स्थाई नियुक्ति किये गये हैं।	स्थाईकरण की तिथि

=====

	सर्वश्री		
1-	कु० सरिता जैन	आपरेटर	14-9-1990
2-	रम किशोर निगम	"	"
3-	पंचम राम	"	"
4-	दिलीप निगम	"	"
5-	शिवचरन	"	"
6-	दिनेश कुमार तक्सेना	"	"
7-	कु० गिरजा यादव	"	"
8-	माता प्रसाद	"	"
9-	हर्षमणि सुवाल	"	"
10-	अशोक कुमार सिंह भदौरिया	"	"
11-	श्रीमती विजय लक्ष्मी राजपूत	"	"
12-	अखिलेश चन्द्र	"	"
13-	गफ्फार अली	"	"
14-	सुनील दत्त शर्मा	"	"
15-	सुरेश चन्द्र मिश्रा	"	"
16-	गंगोत्री प्रसाद	"	"
17-	रवीन्द्र प्रकाश तक्सेना	"	"
18-	प्रमोद कुमार बाजपेई	"	"
19-	मो० अनीस तिटदीकी	"	"
20-	राम प्रकाश तक्सेना	"	"

-PRUEGpyateshu-

S.P.S. Singh

A. J.

21/11/90

1	2	3	4
	सर्वश्री		
21-	हरीश चन्द्र प्रसाद	आपरेटर	14-9-1990
22-	श्रीमती चित्रा सक्सेना	"	"
23-	मो० हरीश	"	"
24-	महेन्द्र दत्त	"	"
25-	रमेश चन्द्र पाण्डे	"	"
26-	मो० शाहिब	"	"
27-	कु० मोनी चक्रवर्ती	"	"
28-	बाबू राम पुत्र श्री गुलाब चन्द्र	"	"
29-	सुरेश नारायण मिश्रा	"	"
30-	कु० सुमन श्रीवास्तव	"	"
31-	गोविन्द सिंह बिष्ट	"	"
32-	दिवाकर मिश्रा	"	"
33-	गणेश चन्द्र काण्डपाल	"	"
34-	सूर्यभान मौर्य	"	"
35-	अनिल कुमार सक्सेना	"	"
36-	हन्त्र शोहार	"	"
37-	कु० मधुलता सिंह	"	"
38-	प्रदीप कुमार	"	"
39-	सुबोध बिहारी सिन्हा	"	"
40-	ओम प्रकाश श्रीवास्तव	"	"
41-	श्रीमती सुजाता चक्रवर्ती	"	"
42-	हीरालाल सावनानी	"	"
43-	सुनील सिंह फरियाल	"	"
44-	संतोष कुमार श्रीवास्तव	"	"
45-	शिव नारायण	"	"
46-	सुभाष सिंह	"	"
47-	उत्तम कुमार राहा	"	"
48-	मुनीश कुमार	"	"
49-	कु० मीना गुप्ता	"	"
50-	सत्यनारायण	"	"
51-	बशीरुल हक	"	"
52-	नागेन्द्र कुमार सिंह	"	"
53-	श्रीमती कंचन जैसवाल	"	"
54-	फरीदउद्दीन	"	"
55-	प्रदीप कुमार पाण्डे	"	"

TRIPATHI

S.P. Singh

Adm

24
A288

1	2	3	4
	सर्वश्री		
56-	कु० उर्मिला वर्मा	आपरेटर	14-9-1990
57-	रमेश लाल चौरसिया	"	"
58-	रमेश कुमार सक्सेना	"	"
59-	परशुराम अनु० जा०	"	"
60-	गोपाल सिंह बनौला	"	"
61-	राजेन्द्र प्रसाद	"	"
62-	रत्न प्रकाश	"	"
63-	श्रीमती माला भट्टाचार्या	"	"
64-	श्रीमती अर्चना निगम	"	"
65-	कु० उषा श्रीवास्तव	"	"
66-	शिवानन्द पाठक	"	"
67-	श्रीमती शोभा रानी शर्मा	"	"
68-	कु० किरन बाला	"	"
69-	गोण्डा कृष्ण मूर्ति	"	"
70-	बंशीधर पाण्डे	"	"
71-	श्रीमती क्षमा वर्मा	"	"
72-	रत्न प्रकाश वर्मा	"	"
73-	नरेश कुमार	"	"
74-	पुरुषोत्तम कुमार सिंह	"	"
75-	जनार्दन सिंह	"	"
76-	श्रीमती सुशीला देवी शुक्ला	"	"
77-	श्रीमती सुषामा मिश्रा	"	"
78-	दिलीप कुमार पुत्र श्री जी०एस०गुप्ता	"	"
79-	श्रीमती अर्चना गुप्ता	"	"
80-	श्रीमती संध्या सिन्हा	"	"
81-	श्रीमती सविता देवी अनु०जा०	"	"
82-	महेन्द्र प्रताप सिंह	"	"
83-	श्रीमती नाज जाफरी	"	"
84-	दिलीप कुमार, अनु०जा० पुत्र श्री मुन्नन	"	"
85-	सोहन लाल, अनु०जाति	"	"
86-	बाबू राम, अनु०जाति पुत्र श्री पुरन लाल	"	"
87-	महावीर प्रसाद, अनु०जा०	"	"

24

True & Certified

S. S. Sharma
for

1	2	3	4
	सर्वश्री		
88-	राम खोलावन, अनु०जाति	आपरेटर	14-9-1990
89-	अमर नयन, अनु०जाति	"	"
90-	मनीराम रावत, अनु०जाति	"	"
91-	कु० सुमन लता अवस्थी	"	"
92-	श्याम कुमार, अनु०जाति	"	"
93-	हुकुम सिंह, अनु०जाति	"	"
94-	श्रीकृष्ण आजाद, अनु०जाति	"	"
95-	श्रीमती रन्नो सोनकर	"	"
96-	महेन्द्र प्रसाद, अनु०जाति	"	"
97-	दिलीप कुमार आचार्य	"	"
98-	श्रीमती नलिनी सक्सेना	"	"

इन आपरेटरों की पारस्परिक वरीयता माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

॥विजेन्द्र पाल॥

निदेशक

पृष्ठांकन : रई/220(15)90/डीसीओ-यूपी/ए-5295 तददिनांक 16/11/90

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवायक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी।
- 2- वेतन एवं लेखाधिकारी जनगणना नई दिल्ली।
- 3- सहायक निदेशक लेखा एक अतिरिक्त प्रति सहित।
- 4- कार्यालय अधीक्षक स्थापना एक एवं दो।
- 5- कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली।
- 6- महामंत्री, जनगणना कर्मचारी संगठन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- स्टाफ रिटर्न पत्रावली।

॥पी०एन० द्विवेदी॥

उप निदेशक प्रशा०

TR. E. G. pyakshw
S. P. Singh
Bor

16/11/90
15/11/90

पत्रांक: 599/डी.पी.ओ.-यूपी/डी.पी.-1982

22

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्यालय विदेशी जलमण्डल परिचालन, उत्तर प्रदेश
डी.पी. प्रशासन अनुभाग।

25, बल्लू किराणोर रोड,
तल्लूक : 226001

दिनांक: मई 19, 1982

: - आपन - :

इस विदेशालय में "ऑपरेटर" के पद वेतनमान 330-560 पर नियुक्ति हेतु उनके आवेदन-पत्र के संदर्भ में श्री दिनेश कुमार को मूलपूर्व टेबुलेटर/टैकर/सुपरवाइजर को सूचित किया जाता है कि उनकी पंचिंग/टंकण परीक्षा दिनांक 8 जून, 1982 को पूर्वाह्न 9.00 बजे/अपराह्न 2.00 बजे विदेशालय के 25, बल्लू किराणोर रोड, तल्लूक स्थित कार्यालय में होगी। वह उक्त तिथि को परीक्षा में भाग ले सकते हैं।

2. परीक्षा में भाग लेने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित न्यूनतम अनिवार्य अर्हताएँ प्राप्त होना आवश्यक है तथा उसकी आयु 18-28 वर्ष होनी चाहिये :-

- 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री।
- 2. कम से कम 60 काल प्रतिघंटा की पंचिंग अथवा 30 शब्द प्रतिमिनट ओजी टाइपिंग की दक्षता।

3. प्रत्येक अभ्यर्थी केवल एक ही प्रकार की परीक्षा-पंचिंग या टंकण-में बैठ सकता है।

4. परीक्षा हेतु आने जाने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

एसओ के.ओ. अग्रवाल
उपविदेशक

True copy attached
S. P. Singh
Ac

In the central Administrative Tribunal,
Circuit Bench, Lucknow.

O.A. No. 151 of 1988.

Subhash Singh & 21 others _____ Applicants.

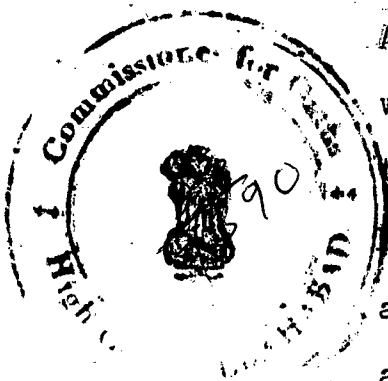
Versus

Director of Census Operations U.P. & another. _____ Respondents.

OBJECTIONS TO IMPLEADMENT APPLICATION
MOVED ON BEHALF OF S/SHRI SUNIL DUT -
SHARMA, R.P. SEXENA, DINESH KUMAR SEXENA
AND GANGOTRI PRASAD TRIPATHI.

The applicants most respectfully submit
as under :-

- P.T.
L
7/3/90
1. That the applicants, by impleading the necessary parties, have filed the present case under section 19 of the Administrative Tribunals Act, 1985 before this Hon'ble Tribunal for quashing the impugned orders (Annexure No. A-72) passed by respondent No. 2 by means of which their representations (Annexure Nos. A-48 to A-69) preferred against the tentative Seniority List (Annexure No. A-47) have been rejected in an arbitrary manner and on the basis of no rule at all and also for directing the respondents to amend the final seniority list (Annexure No. A-73) by placing the seniority of staff according to dates of their joining the working post/ dates of



[Handwritten signature]

1/292

(2)

appointment and batch position. Thus it is a policy matter for being decided by this Hon'ble Tribunal.

2. That since the applicants have challenged the administrative policy both on facts and law, it is for the respondents alone to justify their action by placing the relevant rules and materials before this Hon'ble Tribunal on the basis of which the impugned orders were passed and the seniority of staff was drawn in the manner as they have done in the instant case.

3. That the factual positions as mentioned in paras 6(viii) to 6(xxi) of the application under Section 19 of the Act filed by the applicants have been admitted by the respondents in paras 5 and 6 of their written statement.

4. That after the admission of the factual position by the respondents, the only question arises for determination and decision by this Hon'ble Tribunal as to whether the action of the respondents in drawing the impugned seniority list of the staff and rejecting the applications/representations of the applicants is according to law and rules or arbitrary. Thus it is for the respondents alone to justify their impugned action before this Hon'ble Tribunal. In such circumstances of the case, S/Shri. Sunil Dutt - Sharma, R.P. Sexena, Dimesh Chand Sexena and Gangotri Prasad Tripathi, who have prayed for

...3.



[Handwritten signature]

being impleaded as respondents, do not come into picture and they have nothing to do in this case wherein the administrative policy has been challenged by the applicants.

5. That the aforesaid persons, who have prayed for being impleaded as respondents, have no cause of action in the present case as the seniority list on the basis of which the impleadment application has been moved is still under dispute between the applicants and respondents before this Hon'ble Tribunal.

6. That in the facts stated above, the aforesaid persons, who have prayed for being impleaded as respondents, are not the necessary parties to decide the issue involved in the case. Their application, therefore, is liable to be rejected.

7. That the impleadment application has been filed at such a stage when the case is at the stage of final hearing. It has been moved just to harass the applicants.

8. That the contents of para 1 of impleadment application call for no remarks.

9. That in reply to contents of para 2 of impleadment application, it is stated that the policy adopted by the respondents in drawing the tentative seniority list was challenged from



[Handwritten signature]

the very initial stage by the applicants and since the final seniority list is based on the same disputed policy, it has been challenged before this Hon'ble Tribunal; and as such its finality is subject to ultimate decision of this Hon'ble Tribunal.

10. That in reply to contents of para 3 of the impleadment application, it is stated that the application under section 19 of the Act has been filed by 22 applicants and not by Shri - Subhash Singh (applicant no. 1) alone as alleged in the para under reply.

11. That the contents of para 4 of the impleadment application are denied as stated. It is further submitted that Sri Subhash Singh (applicant no. 1) is a selected candidate of FIRST batch declared on 4.4.1983. Vide Annexure No. A-2, he was appointed with effect from 7.4.1983. His services were regularised with effect from the date of his appointment that is 7.4.1983 vide item 6 of Annexure No. A-24. Thereafter, he was made quasi permanent with effect from 7.4.1986 vide Annexure No. A-25 to the application under section 19 of the Act.

On the other hand, Sri Sunil Dutt - Sharma is the selected candidate of III batch declared on 16.4.1983. His date of appointment/ joining the working post, as per para 6(xi) of the application under section 19 of the Act, is 18.4.1983 which has been admitted by the respondents. His services, vide Annexure No. A-24 ~~is~~



482

to the application, were regularised with effect from 18.4.1983 as per item 25 of the said annexure. Thus he is junior to applicant no. 1 in all respects.

Similarly S/Shri R.P. Sexena and Gangotri Prasad Tripathi are the selected candidates of IVth. batch declared on 20.4.1983 and ^{their} ~~this~~ dates of appointment/joining the working post, as per para 6(xii) of the application under section 19 of the Act admitted by the respondents, are 26.4.1983 and 27.4.1983 respectively. Their services, vide item nos. 52 and 54 of Annexure No. A-24 to the application admitted by the respondents, were regularised from the dates of their appointment. Thus they are also junior to the applicant No. 1 in all respects.

Similarly Sri Dinesh Kumar Sexena is the selected candidate of IInd. batch declared on 11.4.83 and his date of appointment/joining the working post, as per para 6(x) of the application admitted by the respondents, is 18.4.1983. His services, vide item no. 29 of Annexure No. A-24, were regularised with effect from 18.4.1983. Thus he is also junior to the applicant no. 1 in all respects.

12. That in reply to contents of para 5 of the application for impleadment, it is submitted that in view of the above factual position having been admitted by the respondents, the seniority position of the aforesaid S/Shri Sunil Dutt Sharma,

R.P. Sexena, Dimesh Kumar Sexena and Gangotri - Prasad Tripathi has no basis to stand above the name of the applicant no. 1 and many others.

The applicant was appointed on such a date when the aforesaid persons were given no such order of their appointment. It is further submitted that the aforesaid persons, in their impleadment application, have shown no rule and other material facts on the basis of which they have a legal right of seniority to be assigned even prior to their dates of appointment and above those who were earlier appointed prior to them. Thus the disputed seniority list is not a conclusive material to implead them in the present case wherein the policy is to be decided in the light of law and rules.

13. That the contents of para 6 of the impleadment application are denied. Since the present case involves the policy matter, it is for the respondents alone to justify their action before this Hon'ble Tribunal.

In the facts and circumstances mentioned above, the aforesaid persons have no prima facie case for being impleaded in the present proceedings under section 19 of the Act. The impleadment application, therefore, is liable to be rejected.

Wherefore, it is respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal be pleased to reject impleadment application of the aforesaid persons, who are not necessary parties.

Lucknow:
Dated 7 - 3 - 1990

Varun Singh
Applicant through
Sri L.P. SHUKLA Counsel
for the applicant.

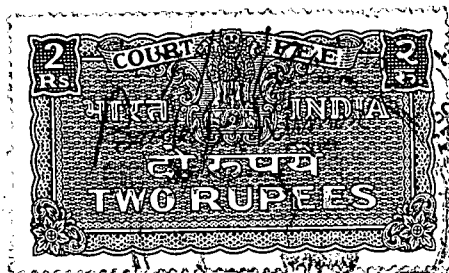


462

A
2012

In the Central Administrative Tribunal,
Circuit Bench, Lucknow.

O.A. No. 151 of 1988.

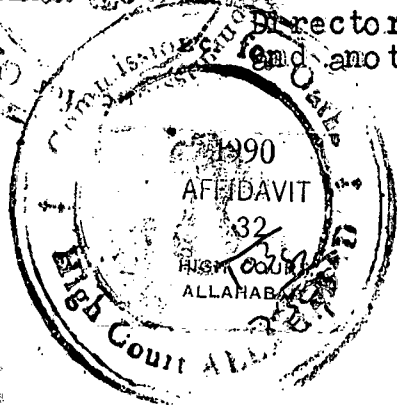


Subhash Singh & others

... Applicants.

Versus

Director of Census Operations ... Respondents.
and another.



.....
A f f i d a v i t.

I, Pradeep Kumar, aged about 30⁴ years,
son of Shri Kamleshwar Misra, resident of
Rani Saheba Ki Baghia, Asharfabad, Lucknow,
do hereby solemnly affirm and state on oath
as under :-

1. That the deponent is applicant
No. 5 in the application under section 19
of the Administrative Tribunals Act, 1985
and as such he is fully conversant with the
facts of the case. He has been duly instructed
and authorised by other applicants to file
this affidavit on their behalf also.

2. That the contents of para 1 to 13
of the annexed objections to impleadment appli-
cation are true to my own knowledge. No part
of it is false.

Lucknow:
Dated 7-3-1990.

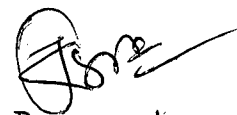
Deponent.



Verification:

I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of para 1 to 2 of this affidavit are true to my own knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed. So help me God.

Lucknow:
Dated: 7-3-1990.


Deponent.

I identify the deponent, who has signed before me.


Advocate.

Solemnly affirm before me on 7.3.90 at 9.00 am/pm by the deponent, who is identified by Sri C. P. Asthana c/o Sri L. P. Shukla Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow. I have satisfied myself by examining the deponent that he undersigned the contents of this affidavit which have been read out and explained by me.



Shashi Srivastava
Smt. Shashi Srivastava
Oath Commissioner
Allahabad High Court
Lucknow Bench Lucknow
Vo. 22 : Date 7.3.90
103

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL CIRCUIT BENCH, AT

L U C K N O W

(Application no. 154/ 1988)

CM An No 8 of 90LL
154/1988

SUBHASH SINGH

....

Applicant.

Vs.

Union of India & others

.....

~~Opp~~ Respondents.

APPLICATION FOR IMPLEADMENT AS OPPOSITE PARTIES

Sir,

The applicants most respectfully state as under:

1. That the applicants are working as Operators in the office of the Director Census, 25- Nawal Kishore Marg, Lucknow.
2. That the gradation list of Operators have been prepared and the same has become final. A true copy of the said final gradation list is being filed as Annexure no.1 to this application.
3. That the applicants have come to know that the applicant Sri Subhash Singh has filed an application U/s 19 of the Administrative Tribunals Act, 1985.
4. That a perusal of Annexure no.1 , it is evident that the applicant stands at sl. no. 59 as such if the gradation list is revised , the persons above than 59 would be adversely affected.
5. That the applicants whose, name, address are given below stand at sl. no. 29, 19, 27 and 33 in the gradation



100-

100-2...

list, as such their rights and interests are likely to be adversely effected if the gradation list is revised or if the applicant Sri Subhash Singh claims seniority over the applicants.

6. That the Hon'ble Supreme Court in the case of Reddy & others Vs. State of A.P. , S.L.R. 1988(1) page 4, S.C. has been pleased to hold as follows:-

" affected persons not joined. affected persons to be impleaded."

In the above circumstances , it is most respectfully prayed that the applicant Sri Subhash Singh may kindly be directed to implead the applicants whose name and full particulars are given below , so that they might be able to submit their defence before the Hon'ble Tribunal.

Full Particulars

Applicants

1. Sunil Dutt Sharma, a/a 30 yrs
S/o Sri K.D.Sharma, E-2858,
Rajajipuram Colony, Lucknow.

Sharma
(Sunil Dutt Sharma)

2. R.P.Saxena, aged about 34 yrs,
S/o O.P.Saxena, R/o 538-K/434,
Triveni Nagar, III-Lucknow.

Saxena
(R.P. Saxena)

3. Dinesh Kumar Saxena, a/a 33 yrs,
S/o Sri S.S. Saxena, R/o House
No.19/999, Indira Nagar, Lucknow.

Saxena
(Dinesh Kumar Saxena)

4. Gangotri Pd.Tripathi, a/a 33 yrs,
S/o Sri Triyugi Narain, R/o 16/671
Indira Nagar, Lucknow.

Tripathi
(Gangotri Pd.Tripathi)

20/e. 23. 12. 84
S/o. Lkn

Final Consolidated List of the names of Operators in the Office of the Director of Police, Lucknow, from 1-10-1927.

Application no. 150/1988
Subhash Singh's revision & Petition

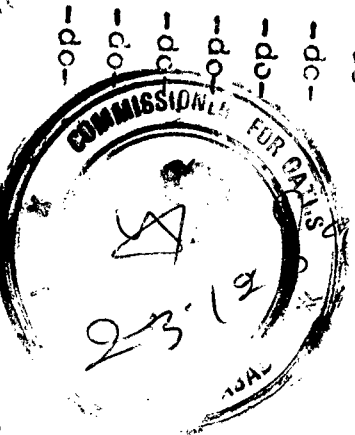
Sl. No.	Name of Official	Birth	Educational Qualification	Date of entry into Government Service	Present Appointment	Remarks
1.	Shri Prabh Nath	21-3-	Inter	30-06-70	01-4-83	Appointed by Transfer; Ad-hoc J.S. w.e.f. 30-6-87
2.	Lalta Pd. Pandey	01-08-40	B.A. (Eco.)	01-08-70	01-04-85	-do-
3.	Jagdish Pd. Gupta	02-07-47	High School	17-09-70	01-04-83	-do-
4.	Medi Lal (S/C)	01-07-48	B.A.	14-01-71(AN)	01-04-83	-do-
5.	Pooran Chand (S/C)	06-08-47	B.A. (Eco.)	01-05-71	01-04-83	-do-w.e.f. 6.7.87
6.	Jai Prakash Poirwal (Ex-Serviceman)	03-12-47	B.A., B.L.B., F.G.D.C.	01-05-71	01-04-83	-do-w.e.f. 30.6.87
7.	Chand Lal (S/C)	06-01-48	Inter	03-05-71	01-04-83	-do-
8.	Yashwanth Prasad (S/C)	14-02-48	B.A.	22-06-71	01-04-83	-do-
9.	Pratap Singh Verma (S/C)	11-10-48	B.A., B.L.B.	12-04-71	01-04-83	-do-
10.	Vinod Kumar Singh	07-03-49	Inter (S.C. Certificate)	01-07-70	01-04-83	-do-
11.	Shri Lal (S/C)	01-01-50	B.A.	04-07-72	01-04-83	-do-
12.	Vijay Prakash (S/C)	10-03-50	High School	01-01-73	01-04-83	Appointed by transfer.
13.	Hari Kumar (S/C)	03-01-56	B.A.	18-06-70	01-04-83	-do-
14.	K. S. Singh	01-01-59	B.A.	01-07-82	01-04-83(AN)	Direct Recruits
15.	K. S. Singh	1-01-53	B.A.	01-07-82	01-04-83	-do-



2034

Sl. No.	Name	Date	Signature	Post	Remarks
16.	S/Shri Pancham Ram	01.01.56	M.A. (Ecc.)	24-08-81	04-04-83 Direct Rec.
17.	Dilip Nigam	18.08.59	M.A. (Ecc.)	08-04-83(AN)	08-04-83(AN)
18.	Shiv Charan	01-05-57	B.A.	05-08-80	04-04-83
19.	Dinesh Kumar Saxena	20-10-56	B.A.	18-04-83(AN)	18-04-83(AN)
20.	Km. Girja Yadav	01-01-55	B.A.	12-04-83(AN)	12-04-83(AN)
21.	Mate Prasad	12-02-55	B.Com.	18-04-83(AN)	18-04-83(AN)
22.	Harsh Mani Suyal	30-07-56	B.A.	12-04-83(AN)	12-04-83(AN)
23.	Ashok Kumar Singh Bhadoria	02-10-56	M.A.	16-04-83(AN)	16-04-83(AN)
24.	Smt. Vijai Laxmi Rajpoot.	15-10-55	B.A.	23-04-83	23-04-83
25.	Akhilesh Chandra	15-01-62	B.A.	23-04-83	23-04-83
26.	Gaffer Ali	05-02-58	B.A.	18-04-83(AN)	18-04-83(AN)
27.	Sunil Dutt Sharma	09-08-59	B.A.	18-04-83	18-04-83
28.	Suresh Chandra Misra	05-02-58	B.Com.	19-04-83	19-04-83
29.	Gangotri Prasad	01-07-56	B.A.	27-04-83	27-04-83
30.	Ravindra Prakash Saxena	05-07-61	M.Com.	27-04-83	27-04-83
31.	Pramod Kumar Bajpai	30-07-55	B.A.	26-04-83	26-04-83
32.	Kishor Anish Siddiqui	21-05-56	M.A. (Ecc.)	26-04-83	26-04-83
33.	Ram Prakash Saxena	09-06-55	B.Sc.	26-04-83	26-04-83
34.	Harish Chandra Prasad	10-03-57	B.A.	26-04-83(AN)	26-04-83(AN)
35.	Smt. Chittira Saxena	02-03-54	M.A.	01-07-82	16-05-83
36.	Mohd. Idrish	15-06-57	M.Com.	17-05-83	17-05-83
37.	Mahendra Dutt	05-01-57	B.A.	03-06-83(AN)	10-01-86

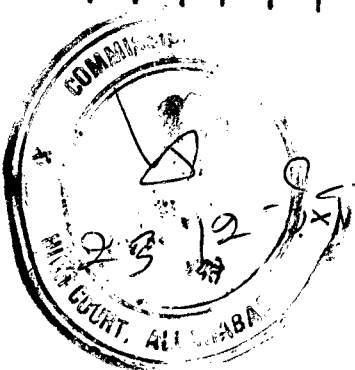
.....3/-



303A

-: 3 :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
S/Serial						
38.	Hemesh Chandra Fendey	28-02-55	M.Com.	16-06-83	16-05-83	Direct Recruit.
39.	Mohd. Shahid	11.06.57	M.Com., LLB	18-05-83	18-05-83	-do-
40.	Km.lic Chakravorti	21-03-58	E.A.	16-05-83	16-05-83	-do-
41.	Babu Ram S/o Sri Gulab Chand	06-06-55	B.A.	10-06-83	11-07-86	-do-
42.	Suresh Narain Misra	02-02-57	B.A.	07-06-83	10-01-86	-do-
43.	Km. Suman Srivastava	10-07-57	Acharya	25-06-83	10-01-86	-do-
44.	Govind Singh Bisf	15-07-59	B.A., LLB	04-06-83	10-01-86	-do-
45.	Diwaker Misra	15-07-56	B.Com.	04-06-83	10-01-86	-do-
46.	Ganesh Chandra Kandpal	26-11-56	B.A.	01-07-82	10-01-86	-do-
47.	Surya Bhan Puri	13-07-57	E.A.	03-06-83	10-01-86	-do-
48.	Ashok Kumar Saxena	01-07-56	E.A.	04-07-83	10-01-86	-do-
49.	Indra Sekher	24-06-57	E.A.	17-06-83(AN)	10-01-86	-do-
50.	Km. Madhu Lata Singh	26-02-55	E.A.	13-04-83	03-04-83	-do-
51.	Pradeep Kumar	16-10-56	N.A.	05-04-83	07-04-83	-do-
52.	Subodh Behari Sinha	19-06-61	B.A.	07-04-83	10-01-86	-do-
53.	Om Prakash Srivastava	01-07-56	M.A. (Ecc.)	18-06-83	10-01-86	-do-
54.	Smt. Sujata Chakravorti	20-02-61	M.A.	17-06-83	10-01-86	-do-
55.	Hira Lal Sammani	04-09-59	E.A.	20-05-83(AN)	10-01-86	-do-
56.	Sunil Singh Fartiyal	12-04-58	E.A.	17-06-83	10-01-86	-do-
57.	Santosh Kumar Srivas	05-09-53	E.Sc., LLB	06-04-83	03-04-83	-do-
58.	Shiv Narain	05-06-53	E.A.	07-06-83	10-01-86	-do-



.....4-

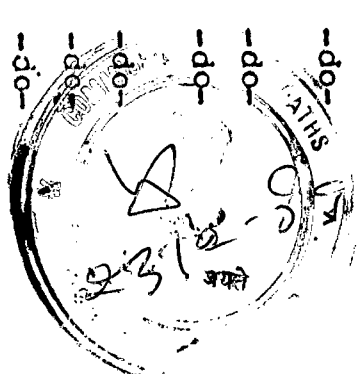
2024

Sl. No.	S/Share	3.	4.	5.	6.	Direct Recruit.
59.	Subhash Singh					
60.	Uttam Kumar Faha	03-06-57	M.A.	07-04-83	07-04-83	
61.	Manish Kumar	25-06-56	E.A.	18-06-83(AN)	10-01-86	-do-
62.	Km. Meena Gupta	07-09-55	E.A.	28-06-83	10-01-86	-do-
63.	Satya Narain	13-07-60		13-04-83	13-04-83	-do-
64.	Waseemul Haq	12-12-55	B.A.	18-04-83(AN)	18-04-83(AN)	-do-
65.	Nagendra Kumar Singh	20-02-55	B.Sc.	08-04-83	08-04-83	-do-
66.	Smt. Kanchan Jaiswal	16-07-56	B.A.	13-04-83	13-04-83	-do-
67.	Fareeduddin	01-06-57	M.A.	13-04-83	13-04-83	-do-
68.	Pradeep Kumar Pandey	30-12-61	B.Com.	12-04-83(AN)	12-04-83(AN)	-do-
69.	Km. Urmila Verma	21-03-57	B.A.	14-04-83	14-04-83	-do-
70.	Harish Lal Chaurasia	04-06-59	E.A.	19-04-83(AN)	19-04-83(AN)	-do-
71.	Ramesh Kumar Saxena	01-01-56	B.A.	21-04-83	21-04-83	-do-
72.	Farasu Ram (S/C)	01-07-55	B.A.	18-04-83(AN)	18-04-83(AN)	-do-
73.	Gopal Singh Banola	18-07-60	B.A.	13-08-82	16-04-83(AN)	-do-
74.	Rajendra Prasad	07-05-60	B.A.	01-07-82	16-04-83(AN)	-do-
75.	Ratan Prakash	10-01-57	B.A., LLB	13-04-83(AN)	18-04-83(AN)	-do-
76.	Smt. Mala Bhattacharya	25-10-53	B.A.	22-04-83(AN)	22-04-83(AN)	-do-
77.	Smt. Archana Nigam	10-05-53	M.A.	19-04-83	19-04-83	-do-
78.	Km. Usha Srivastava	26-03-58	M.A.	19-04-83(AN)	19-04-83(AN)	-do-
79.	Siva Wani Pathak	06-10-55	M.A., L.T.	19-04-83	19-04-83	-do-
80.	Smt. Sobha Rani Sharma	30-01-57	B.A., LLB	19-04-83	19-04-83	-do-
81.	Km. Kiran Bala	03-06-55	M.A.	27-04-83	27-04-83	-do-
82.	Gonda Krishnamurti	02-01-59	B.A.	26-04-83	26-04-83	-do-
		09-04-53	E.A.	27-04-83(AN)	27-04-83(AN)	-do-

.....5/-



Sl. No.	Name	Qualification	Age	Grade	Service	Post	Remarks
83.	Bhisham Pandey	M.A.	31-12-53		26-04-83	26-04-83	Direct Recruitment
84.	Smt. Chhama Verma	B.A., B.Ed.	03-01-56		26-04-83	26-04-83	-do-
85.	P. Praka Verma	B.Com.	14-02-57		26-04-83	26-04-83	-do-
86.	Hemant Kumar	M.A. (Eco.)	07-04-57		26-04-83	26-04-83	-do-
87.	Purshotam Kumar Singh	B.Sc.	01-02-58		26-04-83	26-04-83	-do-
88.	Jagadan Singh	M.A.	11-07-52		26-04-83	26-04-83	-do-
89.	Smt. Sushila Devi Shukla	B.A.	20-10-53		26-04-83	26-04-83	-do-
90.	Smt. Sushma Misra	B.A.	15-02-56		16-05-83	16-05-83	-do-
91.	Dilip Kumar S/O Sri G.S. Gupta	B.A.	15-07-59		16-05-83	16-05-83	-do-
92.	Smt. Archana Gupta	B.A.	09-06-58		16-05-83	16-05-83	-do-
93.	Smt. Sandhya Sinha	B.A.	10-03-61		16-05-83	16-05-83	-do-
94.	Smt. Savita Devi (S/C)	B.A., B.Ed.	06-07-54		16-05-83	16-05-83	-do-
95.	Mahendra Pratap Singh	M.A.	01-07-56		16-05-83	16-05-83	-do-
96.	Smt. Naz Zafar	M.A. (Eng.)	13-11-58		16-05-83	16-05-83	-do-
97.	Chunni Lal (S/C)	B.A.	05-10-51		26-07-73	04-04-83	-do-
98.	Dilip Kumar (S/C) S/O Sri Munan	B.A.	20-08-57		05-07-83	05-07-83	-do-
99.	Sohan Lal (S/C)	B.A.	20-04-59		20-07-83 (A.N)	20-07-83 (A.N)	-do-
100.	Babu Ram (S/C) S/O Sri Pooran Lal	M.A.	23-12-57		05-07-83	05-07-83	-do-
101.	Mahesh Prasad (S/C)	B.A.	22-08-57		06-07-83	06-07-83	-do-
102.	Ram Khilawan (S/C)	B.A.	15-07-56		06-07-83	06-07-83	-do-
103.	Amar Nayak (S/C)	B.A.	10-02-61		07-07-83	07-07-83	-do-
104.	Mani Ram Rawat (S/C)	B.A.	05-10-53		20-07-83 (A.N)	20-07-83 (A.N)	-do-

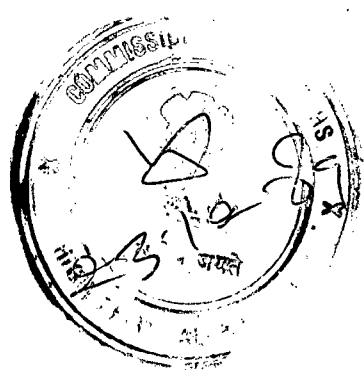


9036

:- 0 :-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	S/Shri		M.A. (Hindi)		10-01-86	Direct Recruit.
105.	Km. Sumar Lata Awasthi	15-08-62	B.A.	04-07-83	19-09-83	-do-
106.	Shyam Kumar (S/C)	15-06-56	B.A., LLB	19-09-83	17-09-83 (AN)	-do-
107.	Hukum Singh (S/C)	23-08-51	B.A.	17-09-83 (AN)	21-09-83	-do-
108.	Sri Krishna Azad (S/C)	15-08-56	B.A.	21-09-83	20-09-83	-do-
109.	Smt. Ranno Sonker (S/C)	15-10-54	B.A.	20-09-83	19-09-83	-do-
110.	Mahendra Prasad (S/C)	15-07-55	B.A.	19-09-83	17-10-85	Transferee
111.	Dilip Kumar Acharya	26-09-50	H.S.L.C.	22-04-69	10-01-86	-do-
112.	Smt. Nalini Saxena	25-09-56	B.A.	19-09-83		

(CHANDAN GOPAL)
DIRECTOR



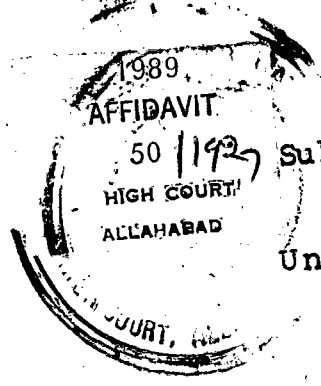
3723
Encl. 18/8/88
D.C. 9110/21/9185
Examined 22/9/88



1207

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL CIRCUIT BENCH, AT
LUCKNOW

Application no. 158 of 1988



Subhash Singh

....
Versus
....

Applicant.
Opp. Parties.

Union of India & another

AFFIDAVIT

I, Sunil Dutt Sharma, aged about 30 years, son of Sri K.D. Sharma, resident of E- 2858, Rajajipuram Colony, Lucknow, the deponent do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1/- That the deponent is applicant no.1 in the impleadment application and as such he is well versed with the facts of the case. He has also been authorised by the remaining three applicants to do the pairvi on their behalf.



2/- That the contents of paras 1 to 5 of the annexed application for impleadment are true to my own knowledge and para 6 are believed by me to be on the basis of legal advice derived from the counsel. and Sunil Dutt is the true and correct copy of the original. 2

Lucknow, dated.
Dec 23, 1989.

Depon

A300
(2)

VERIFICATION

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of paras 1 to 2 of this affidavit are true to my own knowledge. No material fact has really been concealed by me, so help me God.

Lucknow, dated.

Dec 23, 1989.

Deponent.

I identify the deponent, who has signed before me.

A.P. Srivastava
(A.P. Srivastava) Advocate,
Counsel for the deponent.

Solemnly affirmed before me on 23.12.89 at 10-25 am/pm by the deponent, who is identified by Sri A.P. Srivastava, Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit, which have been read out and explained by me.

A. D. Ahuja
OATH COMMISSIONER
High Court Lucknow Bench Lucknow
No. 5011927
Date 23.12.89

In the central Administrative Tribunal,
Circuit Bench, Lucknow.

O.A. No. 151 of 1988.

Subhash Singh & 21 others _____ Applicants.

Versus

Director of Census Operations U.P. & another. _____ Respondents.

OBJECTIONS TO IMPLEADMENT APPLICATION
MOVED ON BEHALF OF S/SHRI SUNIL DUT -
SHARMA, R.P. SEXENA, DINESH KUMAR SEXENA
AND GANGOTRI PRASAD TRIPATHI.

The applicants most respectfully submit
as under :-

1. That the applicants, by impleading the necessary parties, have filed the present case under section 19 of the Administrative Tribunals Act, 1985 before this Hon'ble Tribunal for quashing the impugned orders (Annexure No. A-72) passed by respondent No. 2 by means of which their representations (Annexure Nos. A-48 to A-69) preferred against the tentative Seniority List (Annexure No. A-47) have been rejected in an arbitrary manner and on the basis of no rule at all and also for directing the respondents to amend the final seniority list (Annexure No. A-73) by placing the seniority of staff according to dates of their joining the working post/ dates of

0292

appointment and batch position. Thus it is a policy matter for being decided by this Hon'ble Tribunal.

2. That since the applicants have challenged the administrative policy both on facts and law, it is for the respondents alone to justify their action by placing the relevant rules and materials before this Hon'ble Tribunal on the basis of which the impugned orders were passed and the seniority of staff was drawn in the manner as they have done in the instant case.

3. That the factual positions as mentioned in paras 6(viii) to 6(xxi) of the application under Section 19 of the Act filed by the applicants have been admitted by the respondents in paras 5 and 6 of their written statement.

4. That after the admission of the factual position by the respondents, the only question arises for determination and decision by this Hon'ble Tribunal as to whether the action of the respondents in drawing the impugned seniority list of the staff and rejecting the applications/representations of the applicants is according to law and rules or arbitrary. Thus it is for the respondents alone to justify their impugned action before this Hon'ble Tribunal. In such circumstances of the case, S/Shri Sunil Dutt - Sharma, R.P. Sexena, Dinesh Chand Sexena and Gangotri Prasad Tripathi, who have prayed for

767

being impleaded as respondents, do not come into picture and they have nothing to do in this case wherein the administrative policy has been challenged by the applicants.

5. That the aforesaid persons, who have prayed for being impleaded as respondents, have no cause of action in the present case as the seniority list on the basis of which the impleadment application has been moved is still under dispute between the applicants and respondents before this Hon'ble Tribunal.

6. That in the facts stated above, the aforesaid persons, who have prayed for being impleaded as respondents, are not the necessary parties to decide the issue involved in the case. Their application, therefore, is liable to be rejected.

7. That the impleadment application has been filed at such a stage when the case is at the stage of final hearing. It has been moved just to harass the applicants.

8. That the contents of para 1 of impleadment application call for no remarks.

9. That in reply to contents of para 2 of impleadment application, it is stated that the policy adopted by the respondents in drawing the tentative seniority list was challenged from

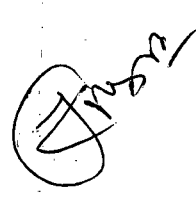
A294

the very initial stage by the applicants and since the final seniority list is based on the same disputed policy, it has been challenged before this Hon'ble Tribunal; and as such its finality is subject to ultimate decision of this Hon'ble Tribunal.

10. That in reply to contents of para 3 of the impleadment application, it is stated that the application under section 19 of the Act has been filed by 22 applicants and not by Shri - Subhash Singh (applicant no. 1) alone as alleged in the para under reply.

11. That the contents of para 4 of the impleadment application are denied as stated. It is further submitted that Sri Subhash Singh (applicant no. 1) is a selected candidate of FIRST batch declared on 4.4.1983. Vide Annexure No. A-2, he was appointed with effect from 7.4.1983. His services were regularised with effect from the date of his appointment that is 7.4.1983 vide item 6 of Annexure No. A-24. Thereafter, he was made quasi permanent with effect from 7.4.1986 vide Annexure No. A-25 to the application under section 19 of the Act.

On the other hand, Sri Sunil Dutt - Sharma is the selected candidate of III batch declared on 16.4.1983. His date of appointment/ joining the working post, as per para 6(xi) of the application under section 19 of the Act, is 18.4.1983 which has been admitted by the respondents. His services, vide Annexure No. A-24 of



(5)

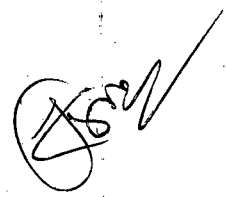
Ans

to the application, were regularised with effect from 18.4.1983 as per item 25 of the said annexure. Thus he is junior to applicant no. 1 in all respects.

Similarly S/Shri R.P. Sexena and Gangotri Prasad Tripathi are the selected candidates of IVth. batch declared on 20.4.1983 and ^{their} ~~this~~ dates of appointment/joining the working post, as per para 6(xii) of the application under section 19 of the Act admitted by the respondents, are 26.4.1983 and 27.4.1983 respectively. Their services, vide item nos. 52 and 54 of Annexure No. A-24 to the application admitted by the respondents, were regularised from the dates of their appointment. Thus they are also junior to the applicant No. 1 in all respects.

Similarly Sri Dinesh Kumar Sexena is the selected candidate of IInd. batch declared on 11.4.83 and his date of appointment/joining the working post, as per para 6(x) of the application admitted by the respondents, is 18.4.1983. His services, vide item no. 29 of Annexure No. A-24, were regularised with effect from 18.4.1983. Thus he is also junior to the applicant no. 1 in all respects.

12. That in reply to contents of para 5 of the application for impleadment, it is submitted that in view of the above factual position having been admitted by the respondents, the seniority position of the aforesaid S/Shri Sunil Dutt Sharma,



D296

R.P. Sexena, Dinesh Kumar Sexena and Gangotri - Prasad Tripathi has no basis to stand above the name of the applicant no. 1 and many others. The applicant was appointed on such a date when the aforesaid persons were given no such order of their appointment. It is further submitted that the aforesaid persons, in their impleadment application, have shown no rule and other material facts on the basis of which they have a legal right of seniority to be assigned even prior to their dates of appointment and above those who were earlier appointed prior to them. Thus the disputed seniority list is not a conclusive material to implead them in the present case wherein the policy is to be decided in the light of law and rules.

13. That the contents of para 6 of the impleadment application are denied. Since the present case involves the policy matter, it is for the respondents alone to justify their action before this Hon'ble Tribunal.

In the facts and circumstances mentioned above, the aforesaid persons have no prima facie case for being impleaded in the present proceedings under section 19 of the Act. The impleadment application, therefore, is liable to be rejected.

Wherefore, it is respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal be pleased to reject impleadment application of the aforesaid persons, who are not necessary parties.

Lucknow:

Dated 7-3-1990

Vakrat Shukla
Applicant through
Sri L.P. SHUKLA Counsel
for the applicants

In the Central Administrative Tribunal,
Circuit Bench, Lucknow.

12297

O.A. No. 151 of 1988.

Subhash Singh & others ... Applicants.

Versus

Director of Census Operations ... Respondents.
and another.

.....

A f f i d a v i t.

I, Pradeep Kumar, aged about 30 years,
son of Shri Kamleshwar Misra, resident of
Rani Saheba Ki Baghia, Asharfabad, Lucknow,
do hereby solemnly affirm and state on oath
as under :-

1. That the deponent is applicant
No. 5 in the application under section 19
of the Administrative Tribunals Act, 1985
and as such he is fully conversant with the
facts of the case. He has been duly instructed
and authorised by other applicants to file
this affidavit on their behalf also.

2. That the contents of para 1 to 13
of the annexed objections to impleadment appli-
cation are true to my own knowledge. No part
of it is false.

Lucknow:
Dated 7-3-1990.

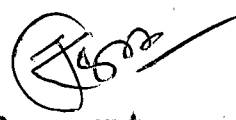

Deponent.

A298

Verification:

I, the abovesigned deponent, do hereby verify that the contents of para 1 to 2 of this affidavit are true to my own knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed. So help me God.

Lucknow:
Dated: 7-3-1990.


Deponent.

I identify the deponent, who has signed before me.

Advocate.

Solemnly affirm before me on
at am/pm by the deponent, who is
identified by Sri
Advocate, High Court, Lucknow Bench, Lucknow.
I have satisfied myself by examining the
deponent that he undersigns the contents of
this affidavit which have been read out and
explained by me.

A
270

Central Administrative Tribunal,
~~IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,~~
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

Subhash Singh & others

... Appellant/Applicant
Petitioner

VERSUS

Director, Census Operations V.P. & others..

Opposite Party
Respondent

MEMORANDUM FOR APPEARANCE

In application under Sec. 19 of the Adm. Trib. Act '85

Writ Petition No. _____ of 19

Fixed for 25^x/₈₀

First :

Civil Appeal Case No. 151 of 1988

2nd

Civil/Crl. Revision

Reference

Fixed for : _____ 19

In the above mentioned case/Appeal I appear for the Director
Census Operations V.P. and others having been appointed as Additional
Standing Counsel, Central Government and instructed by Ministry
of Law, Government of India to appear and plead on his/their
_____ behalf.

Lucknow :

Dated : 25.x- 1988

Dr. Dinesh Chandra
Additional Standing Counsel
Central Govt.
Allahabad High Court
(Lucknow Bench)
Lucknow

(Dr. DINESH CHANDRA)
ADDITIONAL STANDING COUNSEL
CENTRAL GOVT.
ALLAHABAD HIGH COURT
(LUCKNOW BENCH)
LUCKNOW.

22, Dr. B.N. Verma Road,
Near Pass Port Office,
LUCKNOW - 226 018.

COUNSEL FOR Director, Census Operations
Lucknow

A
311

Registered
IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL AT ALLAHABAD
CIRCUIT BENCH, GANDHI BHAWAN
LUCKNOW

No. CAT/CB/LKO/

Dated :

Registration No. 151 of 1986 (C)

Subhash Singh &

Applicant

Versus

Director Census

Respondent's

operations & statistics

To

① Director, Census Operations Uttar Pradesh
25, Nawal Kishore Road, Lucknow

② Deputy Director, Census Operations
25, Nawal Kishore Road,
Lucknow

Please take notice that the applicant above named has presented an application a copy whereof is enclosed herewith which has been registered in this Tribunal and the Tribunal has fixed 25 day of 10 1988 for

considering the interim prayer

If no, appearance is made on your behalf, your pleader or by some one duly authorised to Act and plead on your in the said application, it will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal this 10 day of 10 1988.

For DEPUTY REGISTRAR

dinesh/

encl: copy of
petition with
Court's order
dt. 7/10/88
passed thereon.

A
312

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL,
CIRCUIT BENCH,
LUCKNOW.

O.A. No. 151 of 88(L)

Subhash Singh & 21 others ...Vs..... Director Census
operation & another.

ORDER

Hon. K.S. Puttaswamy, V.C.
Hon. A. Johri, A.M.

Applicant by Sri L.P. Shukla.

Admit.

Issue emergent notices to the respondents to
file their reply on the main and interim prayer made
by the applicant.

Call this case on 25.10.88 for considering
the interim prayer of the applicant.

Sd/-

A.M.

Dated : 7.10.88

Sd/-

V.C.

for
Centre

Ins
Lucknow

वकालतनामा

टिकट

वादी (अपीलान्ट)

Subhash Singh & Alvin

बनाम

प्रतिवादी (रेस्पाडेंट)

नं० मुकद्दमा 0-A-N-151 सन् 1980 पेशी की ता०

११. ५०

ऊपर लिखे मुकद्दमा में अपनी ओर से श्री

Dr. DINESH CHANDRA

वकील

महोदय

एडवोकेट

की अपना वकील नियुक्त करके प्रतिज्ञा (इकरार) करता हूं और लिखे देता हूं इस मुकद्दमा में वकील महोदय स्वयं अथवा अन्य वकील द्वारा जो कुछ पैरवी व जवाब देही व प्रश्नोत्तर करें या कोई कागज दाखिल करें या लौटावें या हमारी ओर से डिगरी जारी करावे और रुपया वसूल करें या सुलहनामा व इकबाल दावा तथा अपील निगरानी हमारी ओर से हमारी या अपने हस्ताक्षर से दाखिल करें और तसदीक करें मुकद्दमा उठावें या कोई रुपया जमा करें या हमारी विपक्षी (फरीकसानी) का दाखिल किया हुआ रुपया अपने या हमारे हस्ताक्षर युक्त (दस्तखली) रसीद से लेवे या पंच नियुक्त करें—वकील महोदय द्वारा की गई वह सब कार्यवाही हमको सर्वथा स्वीकार है और होगा मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि मैं हर पेशी पर स्वयं या किसी अपने पैरोकार को भेजता रहूंगा अगर मुकद्दमा अदम पैरवी में एक तरफा मेरे खिलाफ फैसला हो जाता है उसकी जिम्मेदारी मेरे वकील पर नहीं होगी इसलिए यह वकालतनामा लिख दिया प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।

हस्ताक्षर

र. १०५ वि. प्रक. (प्रशा.)

विवरण विचालन, उ. प्र,

~~दुर्लभ~~

साक्षी (गवाह)

साक्षी (गवाह)

दिनांक

25-10-1989

महीना

सन १९

५०

स्वीकृत

Shade

Shade. Coast
Bldg. C.G. Slaerding
Highway, Luckien Beach

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
CIRCUIT BENCH, LUCKNOW

Date: 30/4/90
Date of:
Ldcp (Signature)

Registration No. 151 of 1990 LS

APPLICANT(S) A. M. Malhan
RESPONDENT(S) V. O. L.

Particulars to be examined	Endorsement as to result of examination
1. Is the appeal competent ?	MA
2. a) Is the application in the prescribed form ?	Ys
b) Is the application in paper book form ?	Ys
c) Have six complete sets of the application been filed ?	Ys
3. a) Is the appeal in time ?	
b) If not, by how many days it is beyond time?	
c) Has sufficient case for not making the application in time, been filed?	
4. Has the document of authorisation/ Vakalatnama been filed ?	MA
5. Is the application accompanied by B.D./Postal Order for Rs. 50/-	MA
6. Has the certified copy/copies of the order(s) against which the application is made been filed?	Ys
7. a) Have the copies of the documents/relied upon by the applicant and mentioned in the application, been filed ?	Ys
b) Have the documents referred to in (a) above duly attested by a Gazetted Officer and numbered accordingly?	Ys
c) Are the documents referred to in (a) above neatly typed in double space ?	Ys
8. Has the index of documents been filed and paging done properly ?	Ys
9. Have the chronological details of representation made and the out come of such representation been indicated in the application?	Ys
10. Is the matter raised in the application pending before any court of Law or any other Bench of Tribunal?	NW

(2)

<u>Particulars to be Examined</u>	<u>Endorsement as to result of examination</u>
11. Are the application/duplicate copy/spare copies signed ?	Yes
12. Are extra copies of the application with Annexures filed ?	Yes
a) Identical with the Original ?	
b) Defective ?	
c) Wanting in Annexures	
Nos. _____ pages Nos _____ ?	
13. Have the file size envelopes bearing full addresses of the respondents been filed ?	No
14. Are the given address the registered address ?	Yes
15. Do the names of the parties stated in the copies tally with those indicated in the application ?	Yes
16. Are the translations certified to be true or supported by an Affidavit affirming that they are true ?	NA
17. Are the facts of the case mentioned in item no. 6 of the application ?	Yes
a) Concise ?	
b) Under distinct heads ?	
c) Numbered consecutively	
d) Typed in double space on one side of the paper ?	
18. Have the particulars for interim order prayed for indicated with reasons ?	No
19. Whether all the remedies have been exhausted.	Yes

dinesh/

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
CIRCUIT BENCH, LUCKNOW

ORDER SHEET

REGISTRATION No. 151 of 1987

APPELLANT
APPLICANT

VERSUS

DEFENDANT
RESPONDENT

Sl. No. of order and date	Brief Order, Mentioning Reference if necessary	How complied with and date of compliance
4-5-90	Hon Mr Justice K. Math. v.c. Hon Mr. K. Chagya, AM The description of the petitioner in the title is not correct. It needs to be amended. The learned counsel for the applicant is given an opportunity to file the amendment to the case ^{be} put up for order on 7-5-90. He may also consider whether it may be necessary to amend certain portions of the ~~the~~ body of the application. <i>[Signature]</i> AM <i>[Signature]</i> VC	

IN THE HON'BLE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
CIRCUIT BENCH AT LUCKNOW

C.A.NO.

151

of 1990 (L)

Anand Mohan Mathur

...Applicant

Versus

Union of India & Others

... Respondents

I N D E X

1. Memo of application

2. Postal Order No. 02616156

for Rs. 50 /- only

Dated 30.4.90

3. Vakalatnama

Place Lucknow

Dated 30.4.90

Anand Mohan Mathur

Asit Kumar Chaturvedi

Advocate
Counsel for the applicant

Noted for
4.5.90
Asit Chaturvedi
Adv.
30/4/90

F.T.
04.5.90
30/4/90

IN THE HON'BLE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
CIRCUIT BENCH AT LUCKNOW

O.A. NO. 151 of 1990 (L)

Central Administrative Tribunal
Circuit Bench at Lucknow
Date of Filing 30/4/90
Date of Receipt of Petition

ANAND MOHAN MATHUR
Son of Late E.N. Lal Mathur,
R/O 46/IV Kendranchal,
Sector K, Aliganj,
Lucknow

Deputy Registrar (J)

Secretary
Drillers Association,
Geological Survey of India,
Northern Region,
Sector E, Aliganj, Lucknow Applicant

Versus

1. Union of India Through Secretary,
Ministry of Steel and Mines,
New Delhi.
2. Director General,
Geological Survey of India,
27 Chauranghi Road,
Calcutta - 13.
3. Senior Deputy Director General,
Northern Region,
Geological Survey of India,
G.S.I. Complex Building, Sector E,
Aliganj, Lucknow. Respondents

Anand Mohan Mathur

APPLICATION UNDER SECTION 19
OF THIS TRIBUNAL ACT, 1985

DETAILS OF APPLICATION

1. Particulars of the order against which the application is made;

No order.

(47)

2. Jurisdiction of the Tribunal :

Since the applicant and a large number of his colleagues are posted at Lucknow and many of his colleagues are posted also where as mentioned in the list contained in Appendix A hence this Hon'ble bench has jurisdiction.

3. Limitation :

That since the applicant and his colleagues mentioned in Appendix A are stagnating on the post of Drillers which is without any promotion and without reasonable avenues for it as such they have recurring limitation for ~~this~~^{filed} this application.

4. Facts of the case :

The facts of the case as under

- i) That in the Geological Survey of India there are several category of posts on the technical side one of the post is known as Driller. It is group 'B' post (pay scale 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500)
- ii) That the applicant also belongs to this group 'B' as originally appointed on this post of Driller on 2nd April 1966, and since then the applicant is continuing on this post without any promotion.
- iii) That all the Drillers whose names are mentioned in Appendix 'A' are continuing on the post of Driller from various dates mentioned in Appendix A will also indicate that many of them are at the verge of retirement.
- iv) That several Drillers as mentioned above after 29 years of service are in the same rank and grade in which they entered in to service.
- v) That many of the Drillers are performing the function and duties of group 'A' post (Pay scale Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000) as they are posted as the Officer-in-Charge of the drilling unit in the field. In spite of their long experience they are not granted the scale and grade of group 'A' post.
- vi) That as per the existing norms of Geological Survey of India, Asstt. Drilling Engineer presently known as Drilling Engineer (Jr.) Group 'A' shall only be the Officer-in-Charge of Drilling Unit. Whereas Driller group 'B' shall be shift-Incharge to work under DE (Jr.) group 'A'. A Driller when posted as officer-in-charge of an operation will have all such duties and responsibilities as have been laid down for an Asstt. Drilling Engineer presently known as Drilling Engineer (Jr.).

Anand Mohan Mishra

(18)

However not a single promotion has been permitted and the list along with dates mentioned in the Appendix A will indicate the long story of perpetual stagnation of same post the grades. They are in the same grade of course with revision of the same, but they have never been granted higher grade.

- vii) That here is fact which may also be pointed out that for the Drillers who are in the group 'B' post there is no selection grade provided. So they are also deprived of the promotion of the selection grade though the policy of the Govt. had been without any order to avoid stagnation. Selection grades are provided in various categories but in the Geological Survey of India for the Drillers no Selection grade has been provided and no time bound promotion in the higher selection grade is allowed for this promotion.
- viii) That is situation of stagnation is alarming. The present applicant being Secretary of the Association of Drillers have moved several times to the Govt. and Director General of Geological Survey of India, Calcutta. The last representation was submitted by the Association of the applicant on 13.7.89 but no decision has been taken in the matter nor communicated.
- ix) That in the matter of Driller the Director General, G.S.I. has written letter dated 1.5.89 to the Secretary Deptt. of Mines, Ministry of Steel and Mines indicating that in the grade of Drillers in G.S.I. 62 officers are stagnating in the same post from 5 to 24 years excluding the period of 5 years of eligibility for promotion as per recruitment rules and recommended Drillers for promotion in the next higher scale i.e. Drilling Engineer (Jr.) group 'A'. Presently they are performing the duties of group 'A' officer but neither they are given promotion nor the scale. Actually the avenues for promotion in group 'A' do exist, but the scale is given only to few (against total strength of 207 posts of group 'B' and group 'A' (Junior scale), 23 are placed in group 'A' the overall percentage works out to be 13.5%.) The gross situation can also be noticed that 50 Drillers group 'B' are stagnating in the scale and are awarded stagnation increment from 1.1.90.

Anand Mohan Malik

- x) That it is evident from the Appendix A in the circumstances stated above that severe stagnation operates amongst the Drillers of the Geological Survey of India will be contrary to the policy laid down by the Hon'ble Supreme Court that every servant must be provided at least two avenues of promotion but here not a single avenue has been provided inspite of the recommendations of the Director General of the Geological Survey of India. A copy of the letter of the Director General of Geological Survey of India dated 1.5.89 addressed to the Secretary Deptt. of Mines, Ministry of Steel and Mines is annexed herewith as ANNEXURE-I to this application. This recommendation of Director General of Geological Survey of India is also on the initiative of the applicants association.

5. Grounds for relief with legal provisions :

1. Because the applicant and his colleagues have not been paid salary of the post of group 'A' though they are performing the duties of that post, their fundamental rights guaranteed under Art-33 are being violated.
2. Because the total denial of promotion to the Drillers is violative of Art.14, 16 and 21 of the constitution of India.
3. Because the Drillers like the applicant should be provided atleast two promotional avenues as laid down by the Hon'ble Supreme Court.
4. Because the stagnation in the cadre of applicant amounts to a punishment.
5. Because the Drillers are being penalised by way of lesser payment and denial of promotion.

6. Details of remedy exhausted :

The applicant declares that he has availed all the remedies available to him under the relevent service rules etc. Lastly his Association preferred as representation on 13.7.89 and the Director General of the Geological Survey of India also recommended the grievances of the applicant and his colleagues to the Govt. of India through his detailed note dated 1.5.89.

7. Matter is not previously filed or pending with any other Court.

The applicant further declares that he has not previously filed any application, writ petition or suit regarding the matter in respect of this application

Pranab Mohan Nath

before any court or any other Bench of the Tribunal, nor such any application, writ petition or suit is pending before any of them.

3. RELIEF SOUGHT

In view of the facts and grounds mentioned in para 4 & 5 of the application the applicant prays for following relief.

- A) That this Hon'ble Tribunal may be pleased to direct the respondents to provide atleast two promotions to the Drillers and further direct the respondents to bring immediately the Drillers like the applicant in the pay scale of Rs. 2200-4000 the scale of the post the duties of which they are presently performing.
- B) To waive of the condition of completion of qualifying service for promotion to the next higher scale i.e. group 'A' post (Sr. Scale) with pay scale of Rs. 3000-4500) and to direct the respondent to promote him and his colleagues to that post. Keeping in view that the applicant and his other colleagues have put in 5 to 24 years excluding the 5 years of eligibility for promotion of service in group 'B' post.

9. Interim Relief if any prayed for:

No interim relief is being prayed.

10. The humble applicant wants oral hearing through his counsel.

11. Particulars of the postal orders :

Postal order No. 02 414156
for Rs. 50/- only

Dated 30.4.90

VERIFICATION

I, Anand Mohan Mathur, Son of Late B.N. Lal Mathur, Resident of 46/IV Kendranchal, Sec. Aliganj Lucknow Acting as Secretary, Drillers Association, Geological Survey of India, Northern Region, Sec. E Aliganj Lucknow do hereby verify that the contents of paragraphs 1 to 11 of this application are true to my personal knowledge except para-5 which true on the basis of legal advice received and that I have not suppressed any material facts.

Application is being provided vide notification No.

A-A.T. 11019/44/87 dated 11th October 1988.

Place : Lucknow

Dated 30.4.90

Anand Mohan Mathur

SIGNATURE OF THE APPLICANT

Ajit Kumar Chaturvedi
Advocate.

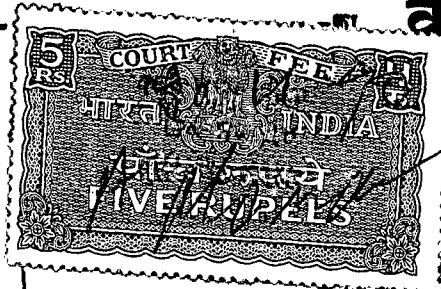
ब अदालत श्रीमान्

[रावी] अपीलाब्ध

प्रतिवादी [रेंप्राडेण्ड]

Central Adm Tribunal
Court Bench, Lucknow

वकालतनामा



(अपीलाब्ध)

Anand Mohan Mathur
वनाम, प्रतिवादी (रेंप्राडेण्ड)
Union of India and others

नं० मुकद्दमा

सन्

पेशी की ता०

१२ ई०

ऊपर लिखे मुकद्दमा में अपनी ओर से श्री

A. Mathur

Asit Kumar Chatterjee

वकील

महोदय

एडवोकेट

नाम अदाबत	नाम फरीकन
मुकद्दमा नं०	

को अपना वकील नियुक्त करके प्रतिज्ञा (इकरार) करता हूं और लिखे देता हूं इस मुकद्दमा में वकील महोदय स्वयं अथवा अन्य वकील द्वारा जो कुछ पेरवी व जबाब देही व प्रश्नोंत्तर करें या कोई कामज दाखिल करें या लौटावें या हमारी ओर से डिगरी जारी करावे और रुपया वसूल करें या सुलहनामा व इकबाल दावा तथा अपील निगरानी हमारी ओर से हमारी या अपने हस्ताक्षर से दाखिल करें और तसदीक करें मुकद्दमा उठावें या कोई रुपया जमा करें या हमारी विपक्षी (फरीकसानी) का दाखिल किया हुआ रुपया अपने या हमारे हस्ताक्षर युक्त (वस्तुस्थिति) रसीद से लेवे या बंध नियुक्त करें—वकील महोदय द्वारा की गई वह सब कार्यवाही हमको सर्वथा स्वीकार है और होगा मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि मैं हर पेशी पर स्वयं या किसी अपने परोकार को भेजता रहूंगा अगर मुकद्दमा अदम पेरवी में एक तरफा मेरे खिलाफ फैसला हो जाता है उसकी जिम्मेदारी मेरे वकील पर नहीं होगी इसलिए यह वकालतनामा लिख दिया प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर

Anand Mohan Mathur

(A. M. MATHUR)

Secretary

Driller's Association

Geological Survey of India

LUCKNOW

साक्षी (गवाह)

साक्षी (गवाह)

दिनांक

स्वीकृत

महोना

सन् १२

ई०

#12

IN THE HON'BLE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
CIRCUIT BENCH AT LUCKNOW

O.A. No. 151 of 1990 (L)

Anand Mohan Mathur Applicant
Versus
Union of India and others ... Respondents

I N D E X

1. Annexure No.1
(Copy of letter dated
1.5.1989)

.....
Date: Place *Asit Kumar Chaturvedi*
Lucknow 30.6.90 Advocate
 Counsel for the Applicant

673M
/Ty. 3/3/79-19B

1/5 April 89

(A13)

The Secretary to the Govt. of India,
Ministry of Steel & Mines,
(Deptt. of Mines),
New Delhi.

(Attn : Shri J.B.Munirajulu, Under Secretary)

Sub : Filling up of the vacancies of the Drilling Engineer(Jr)
in GSI by relaxation of Recruitment Rules as a
one time measure.

Sir,

I am to state that before the implementation of the cadre review, the sanctioned strength in various grades of Drilling Stream in GSI and after implementation of the cadre review have been shown in the enclosed statement vide Annexure-A & B. As per order of the Govt. communicated under the Ministry's letter No. J.11011/13/84-M.2 dated 21.6.84, number of posts to be abolished to offset additional financial implications was 6 in the grade of DE(Jr). Thereafter, 49 posts to be abolished in the grade of DE(Jr.) after their incumbents are promoted. So, out of 83 sanctioned posts in the grade of Drilling Engineer(Jr.) 55 posts (49+6) are to be abolished as per the said order and thereby the sanctioned strength in the said grade will come down to 28. So far as a result of promotion from the grade of DE(Jr.), 44 posts (38+6) have already been abolished and 11 posts are yet to be abolished. In the meantime, 9 officers in the grade of DE(Jr.) have been promoted to the post of DE(Sr) and 19 more officers will become eligible for promotion to the higher post of DE(Sr) during the year of 1989 so the number of vacancies in the grade of DE(Jr.) will be (19+9)=28. 20 more additional posts have been sought for in the 7th plan in the grade of DE(Jr.). Thus the total no. of vacancies in the grade will be (28+20)=48.

As per existing Recruitment Rules the vacancies in the grade of DE(Jr.) will be filled up 50% by direct Recruitment through Engg. Services Examination and 50% by promotion from the feeder grade of Driller. Out of 179 sanctioned posts in the grade of Driller in GSI more than 60 officers are working in the same grade ranging from 5 to 21 years(approx.)excluding the period of 5 years of eligibility for promotion as per Recruitment Rules and they are not getting any promotion for want of required number of vacancies under DPC quota in the next higher grade of DE(Jr.). A list showing the names of officers who are waiting for promotion is enclosed.

.....2

Anand Mohan Talwar

T.C.
Asst. Chakraborty

Am

It is, therefore, proposed that these 48 vacancies may be filled up 100% by promotion from the feeder grade of Driller by relaxing Recruitment Rules as a one time measure to remove the stagnation and to open promotional channel for them to ameliorate their service condition which is fully justified:

In this connection it may be stated that the vacancies under direct recruitment quota are filled up by combined Engg. Services Examination but the records reveal that it takes long time to fill up the vacancies under direct recruitment quota and most of the recommended candidates do not join the post after selection and as a result the productivity of drilling activities in GSI suffers considerably. To illustrate the point it is pointed out that in 1979, recommendation of 5 candidates were received and they were offered said post but none of them joined. In 1980 no vacancies were reported in 1981, 16 vacancies were reported and 6 candidates were recommended. Out of them, only 2 candidates were reported and later on left in the year 1983 and 5 candidates did not turn up.

Further it is requested that the 9 vacancies which have been arising out as a result of promotion to the post of DE(Sr) and is to be abolished may be kept in abeyance for the time being till full implementation of the cadre review is finalised.

In this connection, your kind attention is also invited to the Ministry's telegram dated 28.2.83 whereby one time relaxation was sanctioned by the Ministry earlier to remove the stagnation in the grade of the Drillers in G.S.I. as a one time measure.

It is, therefore, requested that the matter may kindly be examined sympathetically in the Ministry and the Govt. of India's approval in this connection be communicated early.

Anand Mohan Talwar

Yours faithfully,

Sd/-
(H. N. Maena)

J. S. D (Vig.) & Director(F)
for Director General.

T.C.
Asif Chaturvedi
Asst

Statement showing the position of sanction of Group 'A' posts pertaining to Drilling stream before and after cadre review order.

Sl.No.	Designation	Number of sanctioned posts before cadre review.	Number of Adgl. posts created by cadre revision order.	Total	Remarks
1.	Director(Drilling)	9	8	17	Of 17, 3 posts are sanctioned for selection grade.
2.	D.E.(Sr.)	22	41	63	

Statement showing the number of posts to be abolished in Junior time scale i.e. in the grade of Drilling Engineer(Jr.).

No. of posts before cadre review.	No. of posts to be abolished to offset additional financial implications.	No. of posts to be abolished after the incumbants are promoted.	Remarks
83	6	49	Out of 55 posts, 44 posts(6+38) have already been abolished. Further it is stated that 9 officers in the grade of DE(Jr.) have recently been promoted to the grade of DE(Sr) and as per cadre review order these 9 posts are to be abolished also. Thus total 53 posts (6+47) have been abolished and still 2 more posts are to be abolished as and when 2 incumbants are promoted.

T.C. Chatterjee
Port Officer

List of Officers in the grade of Drillers in G.S.I.
who are in the grade ranging from 5-24 years excluding
the period of 5 years of eligibility for promotion.

(16)

Sl.NO.	Name.	Date of Birth	Date of apptt & Joining in the Deptt.	Place of posting
1.	Shri M.C.Rastogi	1.1.34	19.8.61	C.R.O.Nagpur
2.	" S.C.Sharma-I	18.5.33	9.12.61	Coal, Calcutta
*3.	" M.L.Dhar	2.6.31	22.9.62	Retired.
4.	" S.P.Bhattacharjee	28.5.35	21.4.65	Coal, Calcutta
*5.	" A.K.Mitra	5.10.34	9.8.63	Expired.
*6.	" K.S.Negi	10.3.31	1.12.64	Retired.
7.	" K.D.Dutta	15.8.33	8.4.63	CHQ, Calcutta.
8.	" Amitaxa Bagchi	20.1.36	1.4.64	ERO, Calcutta
9.	" B.S.Bagi	7.4.34	13.1.64	WRO, Jaipur
10.	" S.C.Bhattacharjee	24.3.35	28.2.64	Coal, Calcutta
11.	" S.P.Hatwal	15.6.38	11.4.63	NRO, Lucknow
12.	" Raveshwar Bahadur	5.5.35	22.4.63	NRO, Lucknow
*13.	" Y.R.Rao	12.12.31	18.7.63	Retired.
14.	" S.R.Acharjee	1.2.33	11.12.63	~~Expired~~ , Calcutta
*15.	" K.K.Bhattacharjee	1.2.33	11.12.63	Expired.
16.	" S.K.Biswas	1.10.33	16.11.63	Coal, Calcutta
17.	" S.N.Rath	7.9.37	9.3.64	SRO, Hyderabad
18.	" S.C.Samantha	23.1.39	1.12.65	CHQ, Calcutta
19.	" D.N.Bannerjee	19.7.39	2.11.65	ERO, Calcutta
20.	" M.M.Ali	29.8.38	9.10.65	SRO, Hyderabad
21.	" S.K.Babuta	30.9.39	22.11.65	NRO, Lucknow
22.	" S.P.Paruthi	5.3.37	16.12.65	WRO, Jaipur
23.	" A.M.Mathur	6.7.38	2.4.66	NRO, Lucknow
24.	" Birakesh Biswas	23.3.35	21.5.66	ERO, Calcutta
*25.	" A.B.Bhowari	1.5.36	5.11.65	Coal, Calcutta
26.	" K.K.Bhakshi	27.12.37	13.1.66	NRO, Jammu
27.	" Zahir Alam	15.4.34	20.9.65	CRO, Nagpur
28.	" M.L.Fotedar	27.5.38	26.11.65	WRO, Jaipur
29.	" S.K.Chatterjee	24.1.37	1.12.65	Coal, Calcutta
30.	" Harpal Singh	1.5.36	17.9.65	WRO, Jaipur
31.	" S.K.Dua	1.11.39	8.12.65	Coal, Calcutta
32.	" T.C.Markose	5.3.37	16.9.65	SRO, Hyderabad
33.	" U.S.P.Gupta	28.12.38	10.9.65	Coal, Calcutta
34.	" B.C.Dutt	10.1.40	13.12.65	Coal, Calcutta
35.	" G.L.Sehgal	15.10.34	27.5.68	WRO, Jaipur

Anand Narayan Nair

T.C.
 D. K. Chatterjee

Sl.NO.	Name.	Date of Birth	Date of apptt	Place of posting
			In the Grade	
36.	Shri S.C.Bijalwan	28.12.38	28.2.64	CRO, Nagpur
37.	" R.C.Saha	1.7.31	24.3.64	Retired.
38.	" A.K.Saukat	24.8.42	14.12.73	Bhutan
39.	" S.K.Roy	3.10.40	1.7.74	ERO, Calcutta
40.	" G.K.Chakraborty	18.3.36	23.8.73	Coal, Calcutta
41.	" Fazlur Rahim Hyder	25.4.38	16.1.76	SRO, Hyderabad
42.	" S.C.Gupta	1.1.33	23.11.71	CRO, Nagpur
43.	" S.C.Chanda	9.3.39	31.8.73	Coal, Calcutta
44.	" N.P.Bakshi	3.5.35	25.11.71	WRO, Jaipur
45.	" B.N.Dass	1.3.32	2.11.73	Retired.
46.	" K.K.Sarin	15.9.39	19.12.73	NRO, Lucknow
47.	" H.L.Khurana	25.4.35	22.11.71	WRO, Jaipur
48.	" C.T.Gurmukhi	10.3.40	7.5.74	CRO, Nagpur
49.	" G.C.Naha	19.6.37	1.12.71	ERO, Calcutta
50.	" A.J.Chakraborty	1.1.33	24.11.71	Coal, Calcutta
51.	" M.S.Chowdhary	15.10.37	1.12.75	Coal, Calcutta
52.	" B.S.Bhandari	23.3.36	24.11.71	NRO, Lucknow
53.	" A.S.Negi	3.1.37	27.4.74	NRO, Lucknow
54.	" Bhagat Singh	17.3.32	25.11.71	Retired.
55.	" J.P.Sharma	2.4.36	27.4.74	ERO, Calcutta
56.	" B.L.Verma	1.1.39	8.6.83	WRO, Jaipur
57.	" O.P.Sharma	29.4.36	24.7.74	WRO, Jaipur
58.	" S.S.Jalpanki	10.9.41	20.10.82	Bhutan
59.	" Sukhdarshan Singh	10.10.38	27.4.74	Bhutan
60.	" P.M.G.K.Nair	24.9.34	2.5.83	SRO, Hyderabad
61.	" C.L.Nautiyal	2.10.43	2.5.83	WRO, Jaipur
62.	" D.S.Pawar	6.11.37	4.7.74	Coal, Calcutta
63.	" Baleshwar Rao	1.7.45	29.11.82	NER, Shillong
64.	" H.R.Kathuria	25.4.35	28.12.82	
65.	" P.R.Hatwal	5.1.34	27.4.74	NRO, Lucknow
66.	" K.K.Nair	30.1.38	21.12.82	Coal, Calcutta
67.	" Bibas Banerjee	8.11.39	21.10.74	ERO, Calcutta
68.	" R.S.Prasad	11.11.38	23.12.82	Coal, Calcutta
69.	" A.N.Tiwari	1.1.35	30.9.74	CRO, Nagpur
70.	" R.K.Bhalla	1.11.39	9.4.84	WRO, Jaipur
71.	" R.S.Saini		20.12.82	CRO, Nagpur
72.	" N.K.Sinha	30.12.40	21.10.74	Coal, Calcutta
73.	" Ram Surat Rai	15.7.40	16.12.82	Coal, Calcutta
74.	" D.K.Sharma	11.4.36	24.3.75	CRO, Nagpur.

Anand Mohan Tahir